राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ५] तृतीय विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का १५वां दिवस [संख्या १०

शुक्रवार, दिनांक ६ मार्च, १९६४

(प्रातःकालीन बैठक)

विधान सभा की बैठक म. पू. ८.०२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[चिकित्सा, राजस्व, कृषि, स्वायत्त-शासन, गृह एवं सिंचाई— विभाग एव मुख्य मंत्री कार्यालय]

सीलबन्द किए गये घी के पीपे

२२२. **श्री भैरवलाल काला बादल** (अकलेरा सु०) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) फूड इन्स्पेक्टर, श्री प्रेमकिशन त्यागी ने तारीख २५-६-६२ को रामगंज मंडी, जिला कोटा में किस किस दूकानदार के घी के पीपे मिलावट के शक में सीलबन्द किये थे ?

(२) क्या जिन दुकानदारों के घी के पीपों को सील किया गया उन पर अभी तक न तो केस चला है न जांच होकर पीपे वापिस मालिकों को ही दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) फूड इन्स्पेक्टर, श्री प्रेमकिशन त्यागी ने दिनांक २५-६-६२ को रामगंज मंडी, जिला कोटा में चार दूकानदारों के घी के पीपे मिलावट के शक में सीलबन्द किए जिनके नाम ये हैं:

१. श्री सूरजमल पुत्र श्री रतीचन्द महाजन।

२. श्री रामगोपाल पुत्र श्री जयकिशन महाजन।

३. मैसर्स गुलाबचन्द विमल मुनीम।

४. श्री सन्तोषचन्द्र पुत्र श्री हजारीमल महाजन।

Page No. 2

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

(२) ये चारों सैम्पल्स पब्लिक एनेलिस्ट, जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार मिश्रणयुक्त पाए गये हैं। ये चारों केसेज़ नियमानुसार असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी रामगंज मंडी में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। उक्त फर्मों के जब्त किए गये पीपे अब तक स्वयं उन्हीं फर्मों के पास हैं। पी. एफ. ए. एक्ट, १९५४ की धारा ११(५) के अनुसार जब भी न्यायालय का आदेश होगा तब वे नष्ट या विक्रय किए जायेंगे।

श्री भैरवलाल काला बादल : ये पीपे सीलबन्द करने के कितने दिनों बाद इनका चालान पेश किया गया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मुझे खेद है कि तारीख मेरे पास नहीं है। उपलब्ध होने के बाद माननीय सदस्य को दे दूंगी। मैंने तारीख प्राप्त करने की कोशिश की लेकिन मिल नहीं पाई।

श्री भैरवलाल काला बादल : ऐसा है कि सीलबन्द करने के कुछ दिन बाद तक डिपार्टमेंट के लोग इस आशा में रहते हैं कि उनको रिश्वत देने के लिए कोई आवे, लेकिन जब उनको रिश्वत मिलने की कोई आशा नहीं रहती है तो फिर चालान पेश करते हैं।

काला खेत जंगल की भूमि का काश्त के लिए एलॉटमेंट, तहसील छोटी सादड़ी

२२३. **श्री शंकरलाल (सादड़ी)**: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील छोटी सादड़ी खुर्द, जिला चितौड़गढ़ में काला खेत नामी जंगल में जो काश्त काबिल भूमि है उसमें से कुछ भूमि करीब १५–१६ वर्षों पूर्व कुछ व्यक्तियों को अधिक खाद्य पैदा करने के लिये एलॉट की गई थी ? यदि हां, तो कितनी भूमि एलॉट की गई ?

(२) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को भूमि एलॉट की गई उनका उक्त भूमि पर कोई कब्जा भी नहीं है तथा दूसरे व्यक्ति उक्त भूमि को जोत रहे हैं ?

(३) क्या उक्त भूमि जिन व्यक्तियों को जिस कार्य (आधार) हेतु दी गई थी....वे उस पर पाबन्द हैं ? यदि नहीं, तो उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या २२४

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २२५

श्री भगराज।

(अनुपस्थित)

श्री जुझारसिंह।

ग्राम सालूनिया (त० सांगोद) के निवासियों के लिए नये स्थान का नियतन

२२६. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Minister for Revenue please reply:

(i) Have the people of village "Salooniya" in Tehsil Sangod (former Tehsil Kanwas) been representing to the Tehsil that they should be allotted a fresh site to rehabilitate their village as it has become dangerous for them to stay on in the present village due to flood and erosion speading inside their homes ?

(ii) If so, what action has the Government taken during the 1st two years to settle the villagers on a new place ? If not, why not ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) ग्रामवासियों को दूसरी जगह पर बसाये जाने की कार्यवाही चालू है। १० आसामियों ने मकानात बना लिये हैं, बाकी आदमियों की माली हालत कमजोर होने से मकान नहीं बना पाये हैं।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही नहीं है कि जिन १० आदमियों ने मकान बना लिये हैं या बना रहे हैं उनसे भी कहा जा रहा है कि उनको हटा दिया जायगा ? दूसरे आदमियों को बसाने का तो सवाल ही नहीं है, जो बस गये हैं उनको भी परेशान किया जा रहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो बस गये हैं उनको परेशान नहीं किया जा रहा है, बल्कि जिन्होंने बिना कन्वर्ट कराये मकान बनाये हैं इसलिये गवर्नमेंट आदेश के अन्तर्गत रेगुलराइज़ करने की कार्यवाही की जा रही है। उनको बेदखल नहीं किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा।

पंचवर्षीय योजना में खाद व बीज का वितरण

२२४. श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान के कृषि विभाग ने तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में कुल कितना खाद व बीज वितरण किया है ? वितरण की क्या क्या शर्तें हैं ? वितरित खाद और बीज कितना वापिस वसूल हो गया है ?

(२) यदि वसूल नहीं हुआ है तो क्यों ? जिन व्यक्तियों और संस्थाओं को यह खाद और बीज वितरित किया गया है क्या विभाग के पास उसकी मुकम्मिल रसीदें हैं ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री भीमसिंह) : (१) प्रथम पंचवर्षीय योजना से लगाकर तृतीय योजनाकाल में अभी तक कुल २६.८८ लाख मन बीज व १.०२ लाख टन रसायनिक खाद वितरित किया जा चुका है। यह बीज व खाद अल्पकालीन की तौर पर किसानों को दिये गये थे, जो कि फसल कटने पर ६ माह बाद वसूल कर लिये जाते हैं। इस बांटी गई मात्रा में से बहुत कुछ वसूली हो चुकी है, जिसका हिसाब तैयार किया जा रहा है।

(श्री भीमसिंह)

(२) बीज व खाद विभाग द्वारा, पंचायत समितियों द्वारा, पंचायतों द्वारा एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा वितरित किया गया है जिसकी रसीदें वितरण करने वाली संस्था के पास मौजूद होनी चाहिये।

श्रीमती सुमित्रा : मैंने 'चाहिये' का प्रश्न नहीं पूछा। मुकम्मिल रसीदें हैं क्या, निश्चित तौर पर बताइये।

श्री भीमसिंह : प्रश्न यह है कि जिन संस्थाओं ने खाद बांटा कुदरती उनके पास रसीदें होंगी; कृषि विभाग ने बांटा हो तो उनके पास होंगी।

श्रीमती सुमित्रा : मैंने यह पूछा है कि जिस किसी ने बांटा है उनके पास मुकम्मिल रसीदें हैं, क्या इसकी जानकारी आपको करनी चाहिये थी।

श्री भीमसिंह : यह प्रश्न पंचायत विभाग और कोऑपरेटिव विभाग से पूछेंगे तो पता चलेगा।

श्रीमती सुमित्रा : बीज वितरित आपके यहां से हुआ है तो पंचायत विभाग या कोऑपरेटिव विभाग से क्यों पूछें?

श्री भीमसिंह : बीज पंचायतों और सहकारी समितियों की मार्फत बांटा जाता है। पंचायत विभाग वाले या कोऑपरेटिव वाले जिनको देते हैं उनकी रसीदें उनके पास होंगी। हमारे पास पंचायत विभाग और कोऑपरेटिव की रसीदें हैं। काश्तकारों की रसीदें पंचायतों के पास या सहकारी समितियों के पास होंगी जो उनको वितरित करती हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या सरकार ने खाद और बीज बांटने के लिये पंचायत समितियों की मार्फत व्यवस्था की या किसी तरह से की; 'नो लोस नो प्रोफिट बेसिस' पर भी दी तो भी उसका हिसाब तो रखा होगा कि किस किस को दिये ताकि मालूम पड़ सके।

श्री भीमसिंह : हिसाब अवश्य रखा है और सारे इलाकों का कंसोलिडेट किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जा सके कि एग्ज़ेक्ट पोज़ीशन क्या है और कितना बकाया है।

श्रीमती सुमित्रा : मेरे प्रश्न का जवाब दिलाया जाय। वितरित खाद और बीज कितना वसूल हो गया और कितना नहीं हुआ?

श्री भीमसिंह : मैंने प्रथम प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लगाकर तृतीय योजना काल तक इतना खाद व बीज वितरित किया गया और फसल कटने के ६ माह बाद वसूली की जाती है।

श्रीमती सुमित्रा : कितना वापिस वसूल हो पाया उसका जवाब नहीं आ रहा है।

श्री भीमसिंह : मैंने बताया कि कम्पाइल हो रहा है। इसके लिये स्पेशल स्टाफ लगाया है जो जाकर तहसीलवाइज़ सारे आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। आंकड़े इकट्ठे होने के बाद ही जवाब दिया जा सकता है। आप चाहती हो कि गलत जवाब दे दूं सो मैं देने से रहा।

श्रीमती सुमित्रा : मेरा स्पेसिफिक प्रश्न यह है कि कितनी वसूली हुई अब तक? आपने

(श्रीमती सुमित्रा)

थोड़ी बहुत जितनी भी जानकारी प्राप्त की हो तो वह बता दीजिये।

श्री भीमसिंह : थोड़ा बहुत बताकर क्या आप मुझसे झूठ बुलवाना चाहती हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि इसके लिये गवर्नमेन्ट ने प्रोफोर्मा निश्चित किया था वह बना नहीं, इसलिये हिसाब नहीं है ? क्या इस प्रकार का ऑडिट ओब्जेक्शन है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : ऐसी बात नहीं है।

जवाई बांध

२२७. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जवाई बांध गत कई वर्षों से पूरा भरता नहीं है, इसलिए कमांडेड एरिया की अधिकतर भूमि असिंचित हो रह जाती है ?

(२) क्या यह भी सही है कि जब से जवाई बांध से जोधपुर को पीने का पानी दिया जाने लगा है सिंचाई का रकबा और अधिक घट गया है ? इस वर्ष कुल कितने रकबे को सिंचाई हेतु पानी दिया जा रहा है और कुल कमांडेड एरिया कितना है ?

(३) क्या सरकार का जवाई बांध को पानी से भरने के लिये आर्टीफिशियल रेन्स करवाने की योजना बनाने का विचार है ? या सरकार के समक्ष इस सम्बन्ध में और कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब से कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां।

(२) जी हां, इस वर्ष करीब १६००० एकड़ रकबे को पानी दिया जा रहा है और कुल काबिल काश्त सिंचित क्षेत्र १,००,००० एकड़ है।

(३) जी हां, इस सम्बन्ध में रेन एन्ड क्लाउड्स फिज़िक्स रिसर्च यूनिट, भारत सरकार से पत्र-व्यवहार किया गया और १,११,५००) रुपये का तखमीना बनाया गया था, किन्तु संकटकालीन स्थिति होने के कारण इस योजना को अभी स्थगित कर दिया गया है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : मंत्री महोदय ने एक तरफ तो बताया कि योजना जारी है और दूसरी तरफ बता रहे हैं कि स्थगित कर दी गई है, इसका क्या कारण है ?

श्री दिनेशराय डांगी : आप प्रश्न को पढ़ लीजिये। उसमें दो चीजें अलग अलग हैं।

श्री मोहनराज : जैसा अभी बताया कि संकटकालीन स्थिति होने के कारण जो एक लाख की स्कीम थी वह हाथ में नहीं ली जा रही है, लेकिन जिस तरह के आंकड़े दिये गये उसमें सिर्फ ६,००० एकड़ को पानी दिया जा रहा है, जब कि कमांडेड एरिया १ लाख एकड़ का है। यह एक लाख रुपया खर्च होता है और दोनों बांध भरते हैं, जमीन की सिंचाई होती है तो लाभदायक हो सकता है ? क्या सरकार इस बात को सोच सकती है ?

श्री दिनेशराय डांगी : इस प्रश्न के तीसरे भाग के उत्तर में बताया है कि रेन एण्ड क्लाउड्स फिज़िक्स रिसर्च यूनिट से पत्र-व्यवहार हो रहा है क्योंकि नेचुरल रेन्स से बांध भर नहीं सकते, थोड़ा पानी आ सकता है। हां, सेई नदी की योजना का सर्वेक्षण शुरू किया गया है, उससे पानी आने की गुंजाइश है।

श्री मोहनराज : सेई नदी को डाइवर्ट करने की योजना है, उसका सर्वेक्षण कब शुरू किया गया है ?

श्री दिनेशराय डांगी : छः महीने से शुरू किया गया है, मैंने अपने सुपरविज़न में करवाया है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : संकटकालीन स्थिति में अनाज का प्रोडक्शन बढ़ाने को प्राथमिकता दी है। इस प्रकार इन दोनों बांधों को पानी से भर देने के बाद जो १६००० एकड़ एरिया कमांडेड एरिया में आ सका है, उसकी जगह १ लाख एकड़ आ सकता है और उससे प्रोडक्शन बढ़ सकता है। इसको सरकार प्राथमिकता क्यों नहीं देती ?

श्री दिनेशराय डांगी : प्रश्न समझा नहीं, १ लाख क्या आ सकता है ? पानी आ सकता है या रुपया आ सकता है।

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : एक लाख रुपये की बात है, यह स्कीम बताई है। मेरे ख्याल से ज्यादा पानी आ सकता है। इसकी डिटेल्स मुझे मालूम नहीं हैं। इससे ज्यादा पानी आ सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

नीम-का-थाना नगरपालिका के चेयरमैन के विरुद्ध शिकायत

२२८. श्री रामकिशन (वैर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या नीम-का-थाना नगरपालिका को कई रकम वास्ते वितरण कर्मचारीगण नगरपालिका माह मार्च-अप्रेल, सन् १९६२ में भेजी गई ?

(२) क्या यह रकम लगभग २०००) रु. की थी ?

(३) क्या इस रकम की वसूली वजरिये बैंक चेअरमैन ने की ? अगर हां, तो किस दिन ?

(४) क्या इसका कोई इन्द्राज रोकड़ में किया गया ? अगर नहीं, तो कितने अर्से तक ? और क्यों नहीं ?

(५) क्या यह बात सही है कि यह रकम चेयरमैन ने अपने काम में ले ली ? कितनी रकम अर्सा मार्च, अप्रेल व मई सन् १९६२ में ऐसी हैं जो चेयरमैन ने म्युनिसिपेलिटी से अथवा इसके खाते बैंक से ली और उसका हिसाब कैश बुक में नहीं दिखाया ?

(६) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत हुई ? क्या बही खाते पकड़ लिये गये ?

(७) उपरोक्त बातों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(श्री दौलतराम सारण)

(२) यह रकम १,६३२) रुपये थी।

(३) जी हां। दिनांक ४–४–६२ को।

(४) जी नहीं। दिनांक ३–५–६२ तक। यह रुपया डामर सप्लाई करने हेतु ५–४–६२ को ठेकेदार को दिया गया बतलाया है।

(५) ६,६३२) रुपया ठेकेदारों को देना बतलाया गया है।

(६) जी हां।

(७) क्या कार्यवाही की जायेगी, यह जांच पूरी होने पर तय किया जायगा।

श्री रामकिशन : जो तारीखें आपने बतलाई हैं वे बहुत पहले की हैं और जांच अभी तक शुरू नहीं हुई है ?

श्री दौलतराम सारण : शुरुआत नहीं की है, ऐसी बात नहीं है। एम० डी० ओ० ने जांच की थी। उसने कहा कि कोई बात नहीं है क्योंकि रुपया ठेकेदार को दे दिया है। ठेकेदार के बयान हो गये हैं। अब हियरिंग का समय दिया गया है। उसके बाद आवश्यक कार्यवाही हो जायगी।

श्री रामकिशन : ठेकेदार को दे दिया, यह छोटी बात है ? उसने केश बुक में जमा नहीं किया ? वह क्यों नहीं हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : इसीलिए हियरिंग का समय दिया गया है। हियरिंग में छान-बीन होगी, उसके बाद आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री रामकिशन : स्थिति यह नहीं है कि नियम भंग हुआ है, बल्कि रुपया केश बुक में जमा होना चाहिए जो बैंक से आया वह उसमें जमा नहीं हुआ है। जब यह प्राथमिक चार्ज लग गया तो क्या कार्यवाही की जा रही है ? जो गलती हो गई उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दौलतराम सारण : कार्यवाही के लिए हियरिंग का समय दिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) **:** क्या गवर्नमेंट महसूस नहीं करती कि बैंक से रुपया निकालने के बाद उसकी केश बुक में एन्ट्री नहीं कि गयी; यह एक प्राइमा फेसी केस बन गया ? गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया ? क्या उसे सस्पेंड किया ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : एस० डी० ओ० ने जांच करके रिकमन्डेशन की कि जायज़ तौर से रुपया जहां जमा करना चाहिए वहां नहीं किया। डामर सप्लाई करने और दूसरी चीजों, जिनकी जरूरत थी, उसमें दे दिया। उनके कहने के अनुसार कोई बड़ा कुसूर नहीं हुआ।

श्री रामकिशन : उसकी जांच हो गई, लेकिन सवाल यह है, मैं आपको जानकारी दे दूं कि यह क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद ठेकेदार से बयान लिये हैं। स्थिति यह नहीं है जो आप समझ रहे हैं। कोई गलती करे और दंड आप पायें, गाली आप खायें।

श्री उपाध्यक्ष : No speeches please.

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रकार प्रश्न का उत्तर देकर गवर्नमेंट एन्करेज कर रही है कि पैसा अपने पास रख लें और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रेकॉर्ड में इन्द्राज न की जाय। इस तरह का उत्तर दें कि इन तमाम चीजों को आप गलत समझते हैं या दुरुस्त समझते हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : गवर्नमेंट इस तरह का न रवैया रखती है और न ऐसा प्रिज़्यूम करना मुनासिब होगा। सवाल यह है कि किसी आदमी को कन्डेम करने से पहले इन्क्वायरी की जाती है। उसके वगैर हम लोगों को कन्डेम नहीं कर सकते। हमारे पास अवेलेबल मशीनरी एस० डी० ओ० है, उसको कहा इन्क्वायरी करने के लिए। उसने कहा कि जो गड़बड़ी बनती है वह टेक्नीकल तरीके की हो सकती है। उसके लिए सदन चाहे कि एक इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव, जो इलेक्ट होकर गया है, को बेइज्जत इसलिए किया जाय, पर एस० डी० ओ० कहता है कि इसमें गुंजाइश नहीं है। यह जरूर हुआ है कि जहां रुपया होना चाहिए, उसके बजाय जो प्रेसिंग डिमान्ड थी, डामर की, सड़क की, उसमें खर्च कर दिया। ऐसा म्यूनीसिपैलिटीज़ में भी होता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जिस समय रुपया उठाया....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर काफी प्रश्न हो चुके हैं।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, यह इस तरह का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष : यह मामला महत्वपूर्ण है, परन्तु बात यह है कि समूचे सदन के अधिकारों की सुरक्षा रखनी है। कई क्वेश्चन्स रह जाते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह रुपया कब उठाया और उठाने के बाद कब दूसरे कामों में खर्च किया ? सार्वजनिक कामों में खर्च करते तो कोई बात नहीं, लेकिन रुपया उठा कर अपने पास रखा है।

श्री रामकिशन : इस क्वेश्चन के आने के बाद खर्च किया है और बयान लिये हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : ऐसा होता कि जिसके ऊपर खर्च करना चाहिए था उसमें खर्च न करके निजी काम में खर्च किया हो तो कार्यवाही हो सकती थी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह रुपया कब खर्च किया ?

श्री रामकिशन : हमने नहीं कहा कि निजी काम में लिया है।

श्री बरकतुल्ला खां : वह रुपया अपने पास रख लिया या म्यूनीसिपैलिटी के काम में लगाया, यह देखना है। पहले दिन रुपया ड्रॉ किया गया, दूसरे दिन उनके कहने के मुताबिक उसने रुपया ठेकेदार को डामर खरीदने के लिए दे दिया। इसी चीज को एस० डी० ओ० भी कहता है कि पहले दिन रुपया लिया गया था और दूसरे दिन ठेकेदार को दिया गया। इसके अन्दर ऐसी बात नहीं है, रुपया लेकर अनअकाउन्टेड फोर रह गया हो।

श्री रामकिशन : अगर आपको इसमें तसल्ली है कि गबन हो गया, लेकिन निजी तरीके ...

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मुरलीधर व्यास।

झंझेऊ गोली काण्ड

२२६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या झंझेऊ गोली काण्ड के संबंध में वहां के नागरिकों ने राज्य सरकार से पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री, ललित नारायण के विरुद्ध मुकद्दमा चलाने की स्वीकृति मांगी है ?

(२) यदि हां, तो यह स्वीकृति अभी तक क्यों नहीं दी गई ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) जी हां।

(२) सरकार द्वारा उक्त नागरिकों का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया गया है ?

श्री मुरलीधर व्यास : जब सरकार ने अपनी तरफ से, जिन किसानों को गोलियां लगीं, उनके खिलाफ कार्यवाही की और ५० किसानों के खिलाफ कार्यवाही की । जो जो लोग मरे हैं और दूसरे लोग गोलियों के शिकार हुए हैं—उनके रिश्तेदार ललित नारायण, एस. पी., के खिलाफ मुकद्दमा चलाना चाहते हैं तो सरकार इजाजत क्यों नहीं देती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : १९७ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्डर में इन दी इन्क्वायरी कन्डक्टेड बाई दी एस. डी. एम. फाइरिंग को जस्टीफाइड माना गया है । लेकिन इसमें हल्की सी गलती रही है जिसके लिए ललित नारायण को वार्निंग दे दी गई है । सारी फायरिंग को जस्टीफाइड मानते हुए केयरलेसनेस के आधार पर वार्निंग दी है, इनको प्रोसीक्यूट करना was considered vexatious proceeding against the public servant in the discharge of his duties. As such उसमें डिस्क्रीशन इस्तेमाल किया गया है और अनुमति नहीं दी गई है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इस मामले में वकील कौन है ?

श्री मुरलीधर व्यास : जब आपने उनको वार्निंग दी तो कुछ न कुछ गलती है इसको मानते हुए ही तो आपने वार्निंग दी और उनकी गलती के कारण से दूसरों पर आप मुकदमें चला रहे हैं और उन पर मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं देते, यह कहां का सामान्य न्याय है। दूसरों के खिलाफ तो आपने मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है तो फिर आप अपने कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा चलाने का मौका क्यों नहीं देते ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह झगड़ा हरिजन कुएं से पानी लेना चाहते थे और नॉन हरिजन उनको लेने नहीं देते थे और ऑब्स्ट्रक्ट करते थे, उस सम्बन्ध में था । पुलिस ने नोन हरिजनों को ऑब्स्ट्रक्शन करने से रोका और उनको वहां से हटाना चाहा, मगर वे नहीं हटे । पुलिस ने उनको टीअर गैस से हटाना चाहा । बाद में हल्का लाठी चार्ज करके हटाने की कोशिश की, मगर फिर भी नहीं हटे । तो पुलिस को फायरिंग करना पड़ा लेकिन फायरिंग के भी नियम होते हैं । फायरिंग के नियम के अनुसार पहले उनको वार्निंग दी और उनको वहां से हटने का अवसर दिया । फिर हल्का लाठी चार्ज किया और वार्निंग दी, फिर फायरिंग हुआ । उनको केअरलेसनेस के आधार पर वार्निंग दी गई क्योंकि हल्की सी गलती रही ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

फायरिंग के अन्तर्गत एक टार्जेट प्रेस्क्राइब्ड है और जब पुलिस ऑफिसर कहता है कि इस टार्जेट के माफिक फायरिंग हो, मगर जवान इधर उधर फायरिंग कर सकते हैं। इसमें पुलिस ऑफिसर का कोई ताल्लुक नहीं रहता है फिर भी उनकी केअरलेसनेस महसूस करते हुए वार्निंग दी और इनको प्रोसीक्यूट करना उचित नहीं क्योंकि उन्होंने यह कार्य इन डिस्चार्ज ऑफ हिज़ ड्यूटी किया।

श्री मुरलीधर व्यास : आप इस बात को मानते हैं कि आपके एस. पी. ने न्याय सगत काम किया है और आपको इस बात पर गर्व है तो आप महसूस करते हैं कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है तो आपको उस पर मुकदमा चलाने की इजाजत देने में क्यों हिचकिचाहट होती है। आप तो बिल्कुल बरी हैं, फिर इजाजत क्यों नहीं देते? दूध के धुले निकल जावेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : He acted as a public servant in the discharge of his duties; काम किया और यह उसका कर्त्तव्य होता है। दफा १९७ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्दर में जबकि फाइरिंग को जस्टीफाइड माना गया है और इनको प्रोसीक्यूट करना vexatious proceeding होगा और यही मानते हुए इजाजत नहीं देते।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री श्रवणलाल।

श्री मुरलीधर व्यास : उसके खिलाफ....

श्री उपाध्यक्ष : Order please! No reply.

मैं दूसरों के अधिकारों का हनन् नहीं करना चाहता।

श्री मुरलीधर व्यास : अपनी कार्यवाही वापिस लेनी चाहिये।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Next!

गम्भीर नदी में हैड लगाने की योजना

२३०. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार ने ग्राम कटकड़ के पास गम्भीर नदी में हैड लगाने की कोई योजना बनाई है?

(२) यदि हां, तो वह योजना कब आरम्भ होगी और यदि नहीं बनाई है तो कब तक बन जावेगी?

(३) क्या यह सच है कि इस हैड के बनने से हजारों बीघा जमीन की सिंचाई हो सकती है?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी नहीं, सिंचाई विभाग द्वारा इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई गई।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रवणलाल : क्या इस हैड के बनने से हजारों बीघा जमीन की सिंचाई हो सकती है?

श्री दिनेशराय डांगी : जब योजना ही नहीं बनी है तो सिंचाई का प्रश्न नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जुगलाल।

वाटर वर्क्स, ग्राम पान्डूसर

२३१. **श्री जुगलाल** (रावतसर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) नोहर तहसील के गांव पान्डूसर में वाटर वर्क्स का निर्माण कब चालू किया गया था ? और इसमें कुल कितनी रकम लगेगी ?

(२) निर्माण कार्य पर कितनी राशि व्यय हो चुकी है ?

(३) क्या यह सही है कि वाटर वर्क्स की मशीनें खराब होने के कारण पानी देना चालू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों नहीं वैकल्पिक व्यवस्था की गई और इस संबंध में अब क्या व्यवस्था की जा रही है ?

उप-मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) वाटर वर्क्स का निर्माण-कार्य अप्रेल सन् १९६१ ई० से चालू किया गया था। इसमें कुल १,०४,२९२ व २० नये पैसे जनवरी ६४ तक खर्चे हो चुके हैं।

(२) १,०४, २९२ रू० २० नये पैसे।

(३) जी नहीं। स्कीम सम्पूर्ण हो चुकी है। इस स्कीम को प्रस्तावित शर्त के अनुसार स्कीम सम्पूर्ण होने पर ग्राम पंचायत को मैन्टीनेंस का खर्चा स्वयं वहन करना पड़ेगा। ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय को सूचना दे दी गई है कि स्कीम सम्पूर्ण हो चुकी है और वे कृपया इसका चार्ज ले लें। ज्यों ही उन्होंने स्कीम हाथ में ले ली जल-वितरण का काम शुरू हो जावेगा।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि मशीन खराब है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी नहीं।

श्री जुगलाल : क्या पानी चालू है ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जयनारायण सालोदिया।

बनास नदी की कृषि योग्य भूमि का अलॉटमेंट, तहसील टोंक

२३२. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बनास नदी का जो हिस्सा तहसील टोंक में पड़ता है उसकी कृषि योग्य भूमि को कृषि के समय में तहसील टोंक द्वारा किसानों को अलॉट नहीं किया जाता है ?

(२) बनास नदी का जो हिस्सा टोंक तहसील में आता है उसमें हर साल कितने एकड़ में कितने किसान खेती करते हैं ?

(३) उक्त भूमि में हर साल साग सब्जी व अनाज की कितनी पैदावार होती है ?

(४) क्या यह भी सच है कि सन् १९६२–६३ में इस जमीन को काश्त के समय में एलॉट नहीं करके बहुत देर से अलाट की जिससे बुवाई में किसानों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी व समय पर काश्त नहीं बोई गई जिससे काश्त भी खराब है ?

Page No. 12

(श्री जयनारायण सालोदिया)

यदि नहीं, तो कौनसी तारीख को जमीनें अलॉट की गई ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) :

(१) गत वर्ष से पूर्व तहसील टोंक के काश्तकारान....

अनेक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं आ रहा है, साहब।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गत वर्ष से पूर्व तहसील टोंक के काश्तकारान नदी की भूमि को पूर्व अमल के अनुसार स्वत: हो काश्त कर लेते थे। गत वर्ष से रिवर बैड रूल्स के मुताबिक भूमि अलॉट की गई है।

(२) करीब ६२५ एकड़ भूमि काश्त होती है तथा करीब ८०० काश्तकारान खेती करते हैं, लेकिन यह स्थायी तरीके पर खेती नहीं करते, रकबा अस्थायी है, कभी ज्यादा काबिले काश्त निकल जाता है तो कभी कम।

(३) इसके सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अधिकतर पैदावार खरबूजा, ककड़ी व प्याज की होती है जिसकी अन्दाजन पैदावर १५ टन खरबूजा, ककड़ी और ६०० टन प्याज के लगभग है।

(४) यह सही नहीं है। नदी बनास की भूमि के अलाटमेंट हेतु प्रोक्लेमेशन नियामानुसार तारीख २३.८.६३ को जारी किया। इस संबन्ध में काश्तकारान ने बहुत कम प्रार्थना पत्र पेश किये वरना ता: २३.६.६३ को ही अलॉटमेंट शुरू हो जाता। मेम्बर साहबान के एकत्रित नहीं होने से २-३ मीटिंग स्थगित हुई है। इस कारण कुछ देर हुई, मगर इसे बुवाई में काश्तकारान को कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ी और न काश्त ही इस कारण खराब हुई। अलाटमेंट ता: ६.१०,६३ लगायत ३०.१०.६३ तक की तारीखों में किया गया है जो काश्त का ठीक समय था।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : ये काश्तकार कितने अर्से से लगातार काश्त करते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने पहले ही कहा कि इसके लिए एलॉटमेंट के रूल्स नहीं थे। जितनी जमीन निकलती उसमें कोई दूसरा काबिज हो जाता और जितनी जमीन पर वह काबिज होता उसका लगान उससे वसूल कर लिया जाता। गत वर्ष से रिवर बैड रूल्स बनाये गये हैं और उसके तहत अब एलॉटमेंट किया जाता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मेरा प्रश्न यह है कि जो काश्तकार वहां काश्त करते थे वे पुश्तैनी थे या अलग अलग जगहों पर काश्त करते थे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रिवर बेड में यह बात तो है नहीं कि वही जमीन उनके कब्जे में रहे। कोई भी जमीन स्टेबल कल्टीवेशन के लिये तो होती नहीं है जिससे यह कहा जाए कि वे उस जमीन पर पुश्तैनी तौर से खेती करते आ रहे थे। यह बात ठीक नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं इस पर्टिकुलर प्रश्न का उत्तर चाहता हूं कि

(श्री जयनारायण सालोदिया)

आया वे उस जमीन पर काश्त करते थे या नहीं। उसका आपके पास क्या आधार है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मंजूरी इसका आधार है। पानी कभी किसी जगह खाली हो जाता है और जमीन जो खाली होती है उसमें वह खेती करता है। इसलिये यह कहना कि वही काश्तकार जहां जमीन खाली हुई हो वहां जाकर खेती करे, यह मुनासिब नहीं है। इसलिये यह कहना, कि वह की वह जमीन, वह की वही बाउन्डरी उस काश्तकार की पुश्तैनी थी, मुश्किल है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या आप जानकारी करेंगे कि जो पुश्तों से इस जमीन पर काश्त करते आ रहे थे वे उसी जमीन पर काश्त करते आ रहे हैं और इससे उनको परेशानी होगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।

एक माननीय सदस्य : उसका क्या स्टेटस है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप सेक्शन १६ पढ़ लीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : खातेदारी न मिलने पर भी लगातार काश्त करते आ रहे हैं; तो यह कहना कि पिछले साल गैर खातेदार ने काश्त किया, अगले साल कोई दूसरा कर सकता है, यह कहां तक सही है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगर खातेदार का हो उसको मिलगया रिकार्ड्स में तब तो बात है यदि टेम्परेरी कलटीवेशन है तो हर साल दरखास्त देनी पड़ती है और वह जमीन उसको दी जाती है। हमने रूल्स बनाए हैं उन्हीं के तहत अलाटमेंट करवा दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

सोइल इरोजन की समस्या नैयड़ क्षेत्र सांचौर

२३३. श्री रघुनाथ बिश्नोइ (सांचौर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि सांचोर के नैयड़ क्षेत्र में सोइल-इरोजन की बड़ी भारी समस्या है ? अगर हां, तो सरकार ने इसको रोकने की अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(२) क्या सरकार ने नैयड़ क्षेत्र में सोइल-इरोज़न को रोकने के लिए कोई विस्तृत सर्वे किया है ? अगर हां, तो कब ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या सरकार निकट भविष्य में इस क्षेत्र में सोइल-इरोज़न रोकने के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो इस बारे में सक्रिय कदम कब तक उठा लिए जायेंगे ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री भीमसिंह) : (१) जी नहीं। सोइल इरोज़न नहीं होता बल्कि दूसरे स्थानों से मिट्टी आकर इस क्षेत्र में जमा हो जाती है।

(२) मिट्टी कितनी है और किस प्रकार हटाई जा सके व आइन्दा आने से रोकी जा

(श्री भीमसिंह)

सके इसके लिए सर्वे कराया जा चुका है।

(३) मिट्टी के हटाने के मामले को देखा जा रहा है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या जमीन का कटाव नहीं होता?

श्री भीमसिंह : जी नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपको शायद यह जानकारी नहीं है कि जमीन बहुत ज्यादा कटती है।

श्री भीमसिंह : जो हमारे पास इन्फोर्मेशन है उसके माफिक साल में १५ इन्च बरसात होती है। ऐसी हालत में सोइल इरोज़न नहीं होता, बल्कि वहां नदी आकर फैलती है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : माननीय उपमंत्री को शायद विस्तृत जानकारी नहीं है। वहां जमीन नदी से कट जाती है और दूसरी जगह फैल जाती है। पूरे क्षेत्र में ऐसा है।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : नैयड़ एरिया के बारे में जो आपने बताया वह ठीक है। वहां नदी का जहां डेल्टा बनता है नदी की वजह से इनन्डेशन होता है और जब नदी कम आती है तो पानी की मात्रा कम होने से जो रेतीली जमीन है वहां पानी नीचे फ्लो करता है और जमीन कटती जाती है। इस वजह से इनन्डेशन काफी फ्रीक्वेन्टली पहले हुआ करता था वह अब कम होता है। इसलिए अगर आपका कटान से मतलब है तो लूनी नदी का और अधिक कम हो जाने से वहां की धाराएं जरूर गहरी हो गई हैं, पर उसको सोइल इरोज़न हम नहीं कहते, वह दूसरी समस्या है। सोइल इरोज़न के सिलसिले में वहां ईवन है। इसलिए जिस प्रकार से सोइल इरोज़न टैक्नीकल टर्म में जैसी बात आप कहते हैं, वह समस्या वहां नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जिस योजना के बारे में आप कहते हैं वह कब तक लागू कर देंगे?

श्री नाथूराम मिर्धा : जालोर डिस्ट्रिक्ट में सोइल कन्ज़र्वेशन की पोइन्ट ऑफ व्यू से इस प्रोग्राम में इन्क्लूड कर रहे हैं। इसी साल में जैसे जैसे फन्ड्स और टेक्नीकल लोगों की उपलब्धि होगी उसी हिसाब से इस जिले के अन्दर देखेंगे कि किस प्रकार से इस प्रोग्राम को टेक अप किया जा सकता है। तो प्रोग्राम बनाकर आगे चला देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रभुलाल।

काश्त के लिए भूमि का अलॉटमेंट, तहसील खानपुर

२३४. **श्री प्रभुलाल सेंटर** (खानपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ में कितनी भूमि ऐसी है जो अलॉटमेंट कमेटी द्वारा अभी तक काश्त करने के लिए भूमिहीनों को अलॉट नहीं की गई है!

(२) ग्राम उम्मेदपुरा (वीरान) जो बाघेर के पास है वहां कितनी भूमि रेवेन्यू की ऐसी है जिसके बाबत भूमिहीनों को दर्खास्तें

(श्री प्रभुलाल सेंटर)

२८-१२-६२ से तहसील (हाजा) में पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक अलॉट नहीं हुई है ?

(३) यह भूमि २८-१२-६२ को दख्वास्तें देने के बाद भी अब तक क्यों नहीं अलॉट की गई है ?

(४) यह भूमि कब तक अलॉट करदी जावेगी ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) तहसील खानपुर में १२२५ एकड़ भूमि काबिल अलॉटमेंट है।

(२) ग्राम उम्मेदपुरा (वीरान) जो बाघेर के पास है वहां राजस्व विभाग की कोई भूमि काबिल अलॉटमेंट नहीं है।

(३) प्रश्न ही नहीं पैदा होता है।

(४) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

श्री प्रभुलाल सेंटर : संबंधित उप-मंत्री द्वारा बिल्कुल गलत खबर दी जा रही है। वहां पर पूरा का पूरा गांव वीरान हो रहा है ! वहां रेवेन्यू की जमीन ७-८ सौ बीघा है।

श्री उपाध्यक्ष : आगे जो भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं बाद में उठा सकते हैं।

श्री प्रभुलाल सेंटर : उप-मन्त्री महोदय ने बताया कि कोई जमीन ही नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्व विभाग की कोई जमीन नहीं है। जो आप ८०० बीघा जमीन के बारे में कहना चाहते है वह वन-विभाग में है। जब तक वह राजस्व विभाग को स्थानातंरित नहीं हो जाती है तब तक राजस्व विभाग उसको अलॉट नहीं कर सकती।

श्री प्रभुलाल सेंटर : मैं थोड़ी सी जानकारी करा दूं, वह भूमि राजस्व विभाग की है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! प्रश्न के घंटों में केवल प्रश्न के रूप में रख सकते हैं।

श्री प्रभुलाल सेंटर : मैं कहता हूँ कि वह रेवेन्यू को अलॉट हो चुकी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्षजी, इनके कहने में केवल इतनी सत्यता है कि डिस्ट्रिक्ट फोरेस्ट एन्क्वायरी कमेटी ने इस जमीन को रेवेन्यू को देने का निर्णय किया। लेकिन उसके बाद फोरेस्ट विभाग से उसके बारे में एतराज हुआ कि हम रेवेन्यू के अधिकार में रिलीज़ नहीं करना चाहते। वह कार्यवाही अभी तक जारी है। उसके ऊपर विभागीय निर्णय बिल्कुल नहीं हुआ है। इसलिए अभी रेवेन्यू विभाग के सुपुर्द नहीं हुआ है और इसकी वजह से हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री प्रभुलाल सेंटर : कब तक सुपुर्द हो जायगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो वन विभाग से ही सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : २३५।

श्री उपाध्यक्ष : Have you got an authority ?

श्री श्रवणलाल : जी हां ।

'अधिक अन्न उपजाओ अभियान के' अन्तर्गत सिंचाई साधनों के कार्य

२३५. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) [श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) द्वारा पूछा गया] : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने 'अधिक अन्न उपजाओ' अभियान प्रारंभ करके पूरे राजस्थान में सर्वे करवा कर लघु सिंचाई योजना के लिए मंजूरियां प्रारंभ करने हेतु एक विभाग कायम किया था ?

(२) यदि हां, तो इस विभाग के द्वारा राजस्थान में कुल कितनी योजनायें कौन कौन से जिले के लिए बना कर सरकार को प्रस्तुत की गई थीं ?

(३) क्या अधिक अन्न उपजाओ स्कीम के अन्तर्गत कुछ जिलों में बांध, तालाब, रपट आदि बंधवाने का कार्य करवाया गया था ?

(४) यदि हां, तो उक्त कार्यों में से कितने पूरे हुए व अब कितने अधूरे किस जिले में बाकी पड़े हुए हैं ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां ।

(२) सूची 'अ' सलंग्न है ।

(३) जी हां ।

(४) उक्त कार्यों में से २४ कार्य पूरे हुए हैं तथा ५ कार्य जयपुर जिले में, २ कार्य चित्तौड़गढ़ जिले में तथा १ कार्य भीलवाड़ा जिले में अधूरे हैं ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री श्रवणलाल : मन्त्री महोदय ने बताया कि सूची सलंग्न है । मुझे वह सूची नहीं मिली है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप उपलब्ध करें ।

श्री श्रवणलाल : अगर सूची होती....

श्री उपाध्यक्ष : सूची देखने के बाद आप पूछ लें ।

प्रश्न संख्या २३६

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २३७

श्री हरदत्तसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २३८

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री तेजाराम गहलोत ।

रजिस्ट्रेशन का कार्य

२३९. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सच है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट की तहत तहसीलों में तहसीलदार व

(श्री तेजाराम गहलोत)

उनकी अदम मौजूदगी में नायब तहसीलदार सब रजिस्ट्रार का कार्य करते हैं ?

(२) क्या यह भी सच है कि मार्च १९६३ के बाद कई तहसीलों में नायब तहसीलदारों के पद को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां तो पाली जिले में किन किन तहसीलों में व कब से ?

(३) क्या यह भी सच है कि तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को महीने में निर्धारित अवधि तक तहसील के मुख्य स्थान से बाहर दौरे पर रहना अनिवार्य है ? और इस कारण उस क्षेत्र में सब-रजिस्ट्रार का काम सुविधानुसार नहीं हो सकता व जनता को व्यर्थ में परेशानी होती है ?

(४) उन तहसीलों में जहां नायब तहसीलदार का पद समाप्त हो गया है, सब-रजिस्ट्रार का कार्य तहसीलदार की अनुपस्थिति में कौन करता है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) इस एक्ट की धारा ६ के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नोटिफिकेशन नं० एफ २(२५) ई० एण्ड टी०।५६ दिनांक २-१-५८ के तहत अधिकृत तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार ही सब-रजिस्ट्रार का कार्य करते हैं तथा उनकी अनुपस्थिति के वक्त इसी एक्ट की धारा १२ के तहत डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जिसे इस कार्य हेतु नियुक्त करे कार्य करते हैं।

(२) जी हां, पाली जिले में तहसील जेतारण और रायपुर से नायब तहसीलदारों के पद को १-७-६३ से राजस्व विभाग के पत्र संख्या एफ ३ (१६६) रे० ग० ।६३ दिनांक २७-६-६३ द्वारा समाप्त कर दिया गया है ।

(३) जी हां, तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को महीने में निर्धारित अवधि तक तहसील के मुख्य स्थान से दौरे पर बाहर रहना पड़ता है क्योंकि उनके लिए एक वर्ष में १२० दिन दौरा करना अनिवार्य है और यह सत्य नहीं है कि इस कारण से उन क्षेत्रों में सब-रजिस्ट्रार का काम सुविधानुसार नहीं हो सकता ।

(४) उन तहसीलों में जहां नायब तहसीलदारों का पद समाप्त हो चुका है तहसीलदारों की अनुपस्थिति में जिला पंजीयक द्वारा भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा १२ के अनुसार उप-पंजीयक की नियुक्ति करता है ।

श्री तेजाराम गहलोत : आपने प्रश्न ३ के उत्तर में बताया कि उस क्षेत्र में सब-रजिस्ट्रार का काम सुविधानुसार नहीं होता, यह बात गलत है; यह आपने किस आधार पर कहा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: अपना तहसीलदार ही सब-रजिस्ट्रार होता है ।

श्री तेजाराम गहलोत : तहसीलदार के अलावा नायब तहसीलदार को भी पॉवर्स देंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब नायब तहसीलदार की पोस्ट्स कुछ जगह एबोलिश हुई तो जो अधिकार तहसीलदार को थे पहले भी और इस समय भी वे के वे कायम रहे और नायब तहसीलदार के अधिकार खत्म हो गए। एक आदमी को अधिकार रह गए । सब-रजिस्ट्रार का कार्य नायब तहसीलदार को

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इतना कम और इसिग्निफिकेन्ट रहता है कि उसके लिए नायब तहसीलदार की पोस्ट को कायम रखना ठीक नहीं था और साथ ही साथ नई पोस्ट कायम करने की जरूरत नहीं।

श्री तेजाराम गहलोत : प्रश्न यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि जहां तहसील हैड-क्वार्टर्स पर एस. डी. ओ. नहीं रहता तो जनता को बड़ी तकलीफ होती है। तहसीलदार भी नहीं रहता है। रजिस्ट्रेशन का एक इम्पोर्टेन्ट मसला होता है। जनता उनके लिए दूसरी जगह जाय, या तो वहां जाने के लिए बस के साधन नहीं और या फिर न जाय। इसलिए रजिस्ट्रेशन में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तहसील हैडक्वार्टर पर इस सुविधा का होना आवश्यक है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नायब तहसीलदार के अलावा तहसीलदार की स्टेटस का और कोई रेवेन्यू अधिकारी रहता नहीं है जिसको सेक्शन १२ के अन्तर्गत अधिकार दिये जा सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है। क्या यह सही है कि जिन स्थानों पर ट्रेज़री ऑफिसर्स को सब-रजिस्ट्रार मुकर्रर किया गया है वहां पर भी यह कमी है कि तहसीलदारों को ये अधिकार दे दिये गये हैं, इसलिए अनुचित तरीके से दिक्कतें पैदा हो जाती हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलग नहीं है, इसी से सम्बन्धित है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ट्रेज़री ऑफिसर्स के होते हुए भी अधिकार तहसीलदारों को दे दिये हों, यह जानकारी इस सम्बन्ध में मेरे पास अभी नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन और....

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

प्रश्न संख्या २४१

श्री अब्दुलजब्बार : यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है, उपाध्यक्ष महोदय। रजिस्ट्रेशन की बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। आप मेरा क्वेश्चन मुझे मत पूछने दीजिये। यह अलाऊ कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

अधूरे कार्यों की रकम की वापसी

२४०. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की मशीन के द्वारा कूओं के काम को अधूरा छोड़ देने और पेशगी भेजी हुई रकम को रिफंड न करने की कई शिकायतें हैं?

(२) क्या यह सही है कि काम कराने के लिए मशीन मंगाने के लिए रकम मनी ऑर्डर द्वारा बोर्ड को पेशगी भेजनी पड़ती है

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

और रकम वापिस रिफन्ड कराने के लिए मनी ऑर्डर की रसीद और डिपार्टमेंटल रसीद बोर्ड को भेजना होता है और इसलिये काम कराने वाले किसान के पास कोई सबूत नहीं रह जाता ?

(३) क्या सरकार इसे उचित नहीं समझती कि रुपया पंचायत समिति के द्वारा जमा हो ताकि रिफन्ड कराने में लोगों को सहूलियत हो ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री भीमसिंह) : (१) कोई खास शिकायतें नहीं है। शिकायत आने पर उसे तुरन्त देखा जाता है।

(२) जी हां। मनी ऑर्डर की रसीद एवं डिपार्टमेंटल रसीद केवल उन्हीं मामलों के लिये आवश्यक है जिनमें कार्य बिल्कुल ही नहीं हुआ है व पूरी रकम वापिस की जाती है। अन्य मामलों में मनी ऑर्डर या कार्यालय रसीद वापिस नहीं मांगी जाती है।

(३) जी नहीं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अभी उप-मंत्रीजी ने कहा कि कोई खास शिकायत नहीं है।

श्री भीमसिंह : मैंने यह निवेदन किया है कि कोई खास शिकायत नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : खास शिकायत का तो मैं आपका पूरा मतलब नहीं समझी।

(व्यवधान)।

मुझे बोलने दीजिये।

खास शिकायत का मतलब तो मैं खास नहीं समझती। भीम क्षेत्र की जनता २० दफा आपको लिख चुकी है। मैं जोधपुर के इन्जीनियर से खुद जाकर मिली, कृषि मंत्रीजी से मैंने शिकायत की। इसे भी खास न समझें तो क्या समझेंगे ? मेरी शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): 'खास' का मतलब तो यह है कि लार्ज स्केल पर शिकायत हो। जैसा अभी आपने कहा, अभी तक सात-आठ वर्ष की अवधि में जब से मेरे पास कृषि विभाग है, मुश्किल से पांच-छः शिकायतें आयीं।

श्री रामकिशन (वैर) : दो तो आपकी ही आ गयीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : दो तो आपकी। कुछ लोगों ने पैसा जमा कराया था और कुओं का टाइम पूरा नहीं हुआ इसलिए रिफन्ड क्लेम किया। वापिस पैसा उन्होंने मांगा था। उनको कई दिनों से पैसा नहीं मिल रहा था। जब से मैंने अपने लेवल पर इसको टेक अप किया तो रिफन्ड की कार्यवाही हो चुकी है। पांच सात वर्ष में मेरे तक पांच सात शिकायतें आयी हैं, तो आप समझ सकते हैं ....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मंत्री महोदय के पास शिकायत करती हूँ। कितनी दफा मेरे क्षेत्र में बोरिंग की मशीनें आयीं ? ६० परसेन्ट लोगों की शिकायतें हैं कि कुए अधूरे पड़े रहते हैं, रुपया उनका

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

वापिस नहीं किया जाता है। यह मेरी खास शिकायत है।"

श्री नाथूराम मिर्धा : काम तो अधूरा तब ही छोड़ते हैं कि जो किसान अपने कुओं का ब्लास्ट कराते हैं और पैसा जमा कराते हैं; जो जमा करा देते हैं तो उनका काम हो जाता है, जमा नहीं कराते हैं और जमा कराया और काम हो गया और दुबारा जमा नहीं कराया तो छोड़ते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : रुपया भी पड़ा हुआ है। काम नहीं करते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा है तो जरूर देखेंगे। या तो काम तब ही बन्द करते हैं जब एडवान्स पैसा खत्म हो जाता है। या कुओं में मलबा जितना उनको निकालना चाहिए नहीं निकालते हैं, इसलिए मशीनें आगे उनके पास काम होता है तो उनको छोड़ कर चली जाती हैं। ऐसी शिकायतें हो सकती हैं। आपके क्षेत्र की खास बात की शिकायत है तो आप डिटेल्स में बतायें कि कितने कुओं में काम अधूरा रखा गया है पैसा जमा होते हुए भी, क्यों नहीं किया है, क्या रीज़न्स हैं, आप डिटेल्स में भेजियेगा; हम उसको देखेंगे और कुओं को ठीक तरह से खुदा सकें, इसकी व्यवस्था की जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह तो डहर में खोज डालने का अच्छा तरीका है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

हाईड्रोलोजिकल सर्वे

२४१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में सिंचाई के सम्बन्ध में क्या आवश्यकताएं हैं तथा सरकार इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कदम उठा रही है ?

(२) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य का हाइड्रोलोजिकल सर्वे कराया है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) सिंचाई की प्रथम आवश्यकता वाजिब दर पर पानी तथा खेती योग्य भूमि एवं दूसरी आवश्यकता उपयुक्त धनराशि का होना है। जहां २ खेती योग्य भूमि है वहां पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करने की दृष्टि से सर्वेक्षण किया जा रहा है। प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के विलेज वाइज़ पानी तथा भूमि के आंकड़े जो सिंचाई के लिये उपलब्ध हो सकते हैं संलग्न हैं।

इन सिंचाई साधनों का उपयोग करने के लिए सर्वेक्षण जारी है तथा जैसे-जैसे योजनायें तैयार होती जाती हैं धनराशि मिलते ही कार्य शुरू कर दिया जाता है।

(२) सिंचाई विभाग ने प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री भीमसेन : जो सर्वेक्षण कराया है उसका किस तरह उपयोग होता है ?

श्री दिनेशराय डांगी : सर्वेक्षण में सारी बातें आ गई।

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जमीन के जीने के पानी का सर्वेक्षण नहीं किया है। अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड और अन्डर ग्राउन्ड वाटर के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जो महकमा है, ये दोनों विभाग राजस्थान में समय समय पर जमीन में नीचे कहां कहां पानी है एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वैल्स का प्रोग्राम चलाया। थर्ड प्लान में ७५ ट्युब वैल्स के होने का है। कहां कहां निकला है, यह तो कह सकते हैं। आगे के लिए कि कहां कहां होगा कहना मुश्किल है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जैसा आपने कहा कि सर्वेक्षण हो चुका है और काम शुरू कर दिया जाता है। जहां जहां सर्वेक्षण हो चुका है वहां काम शुरू हो गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सर्वेक्षण होने के बाद वाटर प्रूव भी हो गया है। काम शुरू करना धन पर निर्भर करता है। ज्यों २ योजनाओं में धन मिलता जावेगा काम होगा। इन एरियाज़ में कितना जमीन से पानी निकाल सकते हैं यह तो एक लम्बा प्रोग्राम है और साधनों को देख कर ही आगे बढ़ना होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : काम कर दिया जाता है इसलिए कहा।

श्री नाथूराम मिर्धा : योजनाओं में जैसे २ पैसा मिलता जाता है काम होता है। वैसे रेन वाटर को स्टोर किया जा सकता है, नदियों के पानी को डाइवर्ट किया जाये, नीचे से पानी निकाला जाय, वह धन मिले तब ही संभव है।

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भीमसेन) : जहां जहां राजस्थान में जमीन पड़त रही है वहां पर फैमीन को रोकने के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे तो फैमीन रोकने की कोशिश करेंगे तो अच्छा होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसे जैसे साधन उपलब्ध होते जावेंगे करते जावेंगे।

प्रश्न संख्या २४२

श्री उपाध्यक्ष : श्री रावतराम।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मणप्रसाद।

बंध माधोसागर की पेटाकाश्त जमीन

२४३. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या सरकार तहसील सिकराय के बंध माधोसागर की पेटा काश्त जमीन का एलॉटमेंट करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस शर्त पर।

(२) क्या यह सही है कि इस जमीन में से कुछ जमीन ऐसी है जो कभी भराव में नहीं आई है और उसमें हर साल काश्त होती है ?

(३) इस जमीन के बाबत यह भी बताने की कृपा करें:-

क. यह जमीन कुल कितनी है ?

ख. कितनी जमीन में काश्त होती है ?

ग. कितनी जमीन में बिना एलॉटमेंट काश्त होती है ?

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल)

घ. कितनी जमीन भराव में आती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्डा) : (१) पेटा बंध की जमीन का अलॉटमेंट किया जा सकता है। यह अलॉटमेंट (टैंक बेड लैंड्स फोर कल्टीवेटशन रूल्स, १९६१) के अन्तर्गत किया जा सकता है। अलॉटमेंट की शर्तें उक्त रूल्स में दर्ज हैं।

(२) १४५ बीघा ६ बिस्वा भूमि कभी डूब में नहीं आई। इसमें हर साल काश्त नहीं होती है।

(३) (क) कुल ८८० बीघा ५ बिस्वा भूमि है।

(ख) कोई भूमि काश्त नहीं होती है।

(ग) कोई नहीं।

(घ) ७३४ बीघा २९ बिस्वा भूमि भराव में आती है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : अब से पहले तो अलॉट नहीं की जाती थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तहसील को हमने लिखा है कि इसका अलॉटमेंट क्यों नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय।

मान टाउन स्कीम, सवाई माधोपुर

२४४. **श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर स्टेशन पर मान टाउन स्कीम सर मिर्जा इस्माइल द्वारा १९४४ में बनायी गयी थी ? यदि हां, तो उसमें कितनी एकड़ जमीन एक्वायर कर दी गई है तथा कितने किसानों को बेदखल किया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि शहर के तथा इलाकों के लोग जहां जमीन खरीदने को तैयार हैं फिर भी उनको जमीन नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(३) क्या यह सही है कि सरकारी क्वार्टर बन चुकने के बाद भी बहुत बड़ा उपजाऊ जमीन का भाग खाली पड़ा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या करने का विचार रखती है तथा आगे इस स्कीम के बारे में क्या विचार है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न राजस्व विभाग को स्थानान्तरित किया गया।

श्री गोविन्दसहाय : उपाध्यक्ष महोदय, सन् ४२ से इतनी बड़ी जमीन पड़ी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व विभाग को यह ट्रान्सफर किया गया है। वे इसका जवाब देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल।

चिट फन्ड कम्पनियां

२०५. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(१) क्या सरकार को मालूम है कि बहुत सी कम्पनियां चिट फण्ड के नाम से धन्धा करती हैं और कर्जे के जरूरतमन्द लोगों की बेबसी का फायदा उठा कर गरीब लोगों का जमा कराया हुआ रुपया हजम कर जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि अवगाज़ चिट फण्ड नाम से एक कम्पनी जयपुर में कार्य करती थी और उसके खिलाफ सरकार ने कार्यवाही करके उसके डाइरेक्टरों को गिरफ्तार किया था ?

(३) क्या सरकार महसूस करती है कि राजस्थान जैसे पिछड़े प्रान्त में ऐसी चिट-फण्ड जैसी संस्थाओं द्वारा हित करने के बजाय, अहित करने की अधिक सम्भावनायें हैं ?

(४) क्या सरकार इस प्रकार की कम्पनियों के कार्य करने पर रोक लगायेगी ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां। ऐसी कम्पनियां राजस्थान में पांच अर्थात् सरबस चिट फण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, देहली (२) राजस्थान फण्ड फिनेन्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, गंगानगर (३) आर. बी. एस. एल. फिनेन्स कम्पनी रोपड़, जिला अम्बाला (पंजाब) (४) विचित्र डील्स फिनेन्स, कं० बीकानेर और (५) सी. टी. जन्स चिट फण्ड कं० गंगापुर नोटिस में आई हैं।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) ऐसी कम्पनियों की अपराधनीय कार्यवाहियां भारतीय दण्ड संग्रह की धारा ४२०। १२० बी के अधीन दण्डनीय हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या सरकार ने कोई ऐसे मामले बनाये हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न के भाग (३) का उत्तर आपने 'जी हां' दिया। इसका भाग (३) यह है कि क्या सरकार महसूस करती है कि राजस्थान जैसे पिछड़े प्रान्त में ऐसी चिट फन्ड जैसी संस्थाओं द्वारा हित करने के बजाय अहित करने की अधिक संभावनायें हैं ? इस प्रकार की कम्पनियों पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगाने के लिये कोई कानूनी कदम उठाने का सोच रही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, कार्यवाही न करें, यह अलग से प्रश्न है। आॅफेन्स कमिट होने के बाद में कोई कार्यवाही न करे। चालान हो जाने के बाद स्वत: इस चीज का सोल्यूशन हो जाता है। हमने इन कम्पनियों के सबन्ध में इन्वेस्टिगेशन आरम्भ कर दिया है, बहुत सी कम्पनियों के खिलाफ अरेस्ट वारन्ट इश्यू हुए हैं, बहुत से चालान हुए हैं। कानून में बिना इन्वेस्टीगेशन के बिना चालान किया जाये; ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जिससे एक दम रोक सकते हैं। यह जुडिशियल पोज़ीशन है कि चालान हो जाने के बाद ही कार्यवाही हो सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस कानून का उप-मंत्री महोदय ने हवाला दिया वह तो सारे देश के लिये है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां इल्लिटरेसी ज्यादा हैं, वे इसके असर को नहीं समझ सकते। राजस्थान जैसे इल्लिटरेसी वाले प्रान्त में, जहां लोगों को कर्जे की अधिक आवश्यकता है वे लूट लिये जाते हैं, ऐसी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कम्पनियों द्वारा। सामान्य कानून का यदि इनके द्वारा वायोलेशन होता है तो कानूनी कार्यवाही होती ही है। अपने प्रान्त में विशेष परिस्थिति है, यहां की सामान्य जनता अशिक्षित है; इसलिये इस प्रान्त में इस प्रकार की कम्पनियों पर अपने बिज़ीनेस के लिये रोक लगे इस बारे में सरकार क्या सोचती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रिवेन्टिव एक्शन के सम्बन्ध में जो धारायें हैं वे हैं १०७, १०८ व १०६। इन धाराओं के अन्तर्गत यदि ऑफेन्स होता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होती है। इसमें जहां चीटिंग का प्रश्न है मुझे माननीय सदस्य कोई धारा बतला दें, हम उसके अन्तर्गत चेक करने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रश्न तो धारायें बनाने का है, पीनल कोड में धारायें एड करने का प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है वह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से सम्बन्धित है। इस समय सिवाय इन्वेस्टीगेशन के और कोई प्रावधान नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस समय प्रिवेन्टिव मेजर्स नहीं....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir, ये उनको पढ़ाते हैं, वे इनको पढ़ाते हैं। मैं इन दोनों को पढ़ाना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि इस राजस्थान में जो चिट फन्ड कम्पनीज़ चल रही हैं उनके बारे में कानूनी पोज़ीशन बता दी। मैं जानता हूं, पॉलिसी यह है जिसके अन्दर स्पष्ट रूप से ऐसी कन्डीशन्स हैं कि जो कर्जा लेने वाला होता है वह दो कर्जे वालों को और लायगा तो उसको कर्जा देंगे। कर्जा लेने के बाद यह कन्डीशन पहले लाकर लगादी जाती है, ऐसा कर्जा लेने वाले लायेंगे वह कर्जे की उतनी रकम जमा करायेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : This is no point of order.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप इस तरह से जैक इन दी बोक्स की तरह बार बार क्या उछलते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : This is not the point of order, Sir.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : "Jack in the box की तरह क्या उछलते हैं"; ये जो इस प्रकार से ४२० करते हैं, आप कहते हैं, ऑफेन्स कमिट हो जायगा, उसके बाद कानूनी कार्यवाही हो सकती है, आपके पुलिस के आदमी हैं ....

(शोरगुल—व्यवधान—अश्रव्य)

श्री निरंजननाथ आचार्य : Point of order, Sir, the Member who has put the Question has the first right to put the supplementary.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उपमंत्री महोदय ने कहा है कि प्रिवेन्टिव मेज़र्स जैसा कुछ नहीं है, जैसा ऑफेन्स होता है वैसी कार्यवाही होती है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सारे मजदूरों के पैसे लेकर गंगानगर से एक कम्पनी चली गई ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इसमें कोई मतभेद का प्रश्न नहीं है। इसको हम एग्ज़ामिन करेंगे लीगली कि इसकी रेमेडी हो सकती है क्या ? मौजूदा जो कानून है

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उसमें परिवर्तन हो सकता है या क्या किया जा सकता है, इस बारे में लॉ डिपार्टमेन्ट की सलाह लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नेकस्ट।

मेन कैनाल से सीपेज का प्रभाव

२४६. **कुंवर श्री महेन्द्रसिंह** (दीगोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कोटा जिले में चम्बल बांध से जो मेन कैनाल निकली है उसके सीपेज से तहसील लाडपुरा व दीगोद के कई ग्रामों का रकबा पड़त रह गया है? यदि हां, तो उसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां, उसके लिये मुख्य नहर के किनारे सीपेज ड्रेन्स बना दी गई है, वैसी ही ड्रेन्स छोटी नहरों के किनारे भी बनाने की योजना है; इनके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार नहरों के विभिन्न टुकड़ों में लाइनिंग करने की भी योजना है।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : क्या यह सही है कि ड्रेनेज बन जाने के बाद भी खेत नुकसान से नहीं बच सके हैं।

श्री दौलतराम सारण : ऐसा नहीं है। आपने जिन तहसीलों का पूछा है उनमें करीब ८७६ एकड़ जमीन सीपेज के कारण डूब में आई थी। उसमें से आधे के करीब जमीन पानी से निकल चुकी है, आधे में काम हो रहा है।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : मेरा यह प्रश्न है कि आज भी आपने जो ड्रेन्स बनायी हैं उनमें इस प्रकार के दोष हैं जिसके कारण सीपेज नहीं रुक पाया है?

श्री दौलतराम सारण : जहां जहां भी इस तरह की समस्या है उन जगहों पर नालियां बनाई जायंगी, उनसे समाधान किया जायगा। ११५ मील सीपेज ड्रेनेज बननी थीं, उसमें से साठ मील बन चुकी है और बन रही है, कुछ जगह लाइनिंग वर्क भी हो रहा है।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : मैं आपसे वहीं का जिक्र कर रहा हूं जहां आपने ये नालियां बना दी हैं, उनमें कुछ ऐसा दोष रह गया है जिसके कारण उनका सही उपयोग नहीं होता। खेतों में आज भी पानी सीपेज के कारण फैल जाता है, इससे नुकसान होता जा रहा है, फसल का नुकसान हो रहा है, इनको आप ठीक करवाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री दौलतराम सारण : यह तो व्यावहारिक बात है, यदि इन नालियों से इफेक्टिव असर नहीं आया है तो निश्चित रूप से उसमें इम्प्रूवमेंट किया जायगा और किया जाता है; उन नालियों को गहरा किया जाता है ताकि सीपेज का पानी बह सके। आपने जो स्थिति बताई है वह देखी जायगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : आपने जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया है उसमें डिफेक्ट है, उसके बारे में आपके विभाग के पास शिकायतें आयी हैं?

श्री दौलतराम सारण : हमारे पास कोई शिकायत नहीं है।

(१.०० म. पू)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पतिलाल बोहरा।

Page No. 26

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह प्रश्न इम्पोर्टेन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : Many questions are important. मैं दूसरे माननीय सदस्यों का हक दबा नहीं सकता।

बड़गांव बांध से नहर निकालने की योजना

२४७. **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या बड़गांव बान्ध जो बड़गांव गांव के पास बन रहा है उससे नहरें निकालने की योजना बन चुकी है ?

(२) क्या यह सच है कि जहां नहरें बन रही हैं उसके बारे में आस-पास के लोगों ने विरोध प्रकट किया है ?

(३) क्या सरकार ने लोगों के दृष्टि-कोण को जानने की कोशिश की है ?

(४) यदि हां, तो उसके क्या परि-णाम रहे ?

(५) यदि नहीं, तो क्या सरकार उनके दृष्टिकोण जानने की कोशिश करेगी ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) लोगों को परिस्थिति की जानकारी करा दी गई है।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोधसिंह (गिरवां) : क्या इसमें एस्टीमेट से ज्यादा रकम लगी है ?

श्री दिनेशराय डांगी : ज्यादा-कम का क्या सवाल है ? एस्टीमेट जो भी बना है वही लगा है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : नहरें जमीन की सतह से नीचे बनी हैं।

श्री दिनेशराय डांगी : यह जो बात थी उस बारे में लोगों को सन्तोष करा दिया गया है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : तालाब तो ऊंचा है, पर सिंचाई की नहरें जो ऊपर के भाग की तरफ से निकालनी चाहिये उसके बदले में तालाब के निचले भाग की तरफ से निकाल दी। इससे बहुत से खेत नहर से भी ऊंचे रह गये और उनको पानी नहीं मिल सकता। यही शिकायत गांव के लोगों ने की भी थी।

सिंचाई मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : आपका कहना सही है। लोगों की यह मांग थी कि स्लूस का लेवल ऐसा बनाया जाय कि उनकी जमीन भी कमाण्ड में आ जाय। तो उनकी मांग सुनने और अच्छी तरह समझने के बाद हमने लेटेस्ट सर्वे वहां का करवाया और जितना कर सकते थे और जितनी जमीन जो छूट जाती थी उसमें से कमाण्ड में लेना सम्भव हो सकता था वह सब हमने ले ली है। अब जिनको नहीं कर सके हैं वह नहीं कर सकते। वह कमाण्ड में लेना सम्भव नहीं है।

श्री सम्पत्तिलाल बाहोरा : क्या यह सही है कि पहले जो योजना बनी थी, वह बदली गई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जितना कमाण्ड बढ़ाया जा सकता था और जो सम्भव था वह हमने कर लिया है, अब यह फाइनल है।

नोतोड़ जमीन की मांग, तहसील घाटोल

२४८. **श्री विट्ठल** (बांसवाड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला बांसवाड़ा की तहसील घाटोल में १९६२ से ६३ तक नोतोड़ जमीन की मांग के लिये कितने फॉर्म (आवेदनपत्र) आये और कितने फॉर्मों पर मन्जूरी दी गई और कितनों की नहीं? मन्जूरी नहीं दिये जाने के क्या कारण है?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : तहसील घाटोल में १९६२-६३ में नोतोड जमीन की मांग हेतु २,९११ फॉर्म (आवेदन-पत्र) प्राप्त हुए। जिनमें से १,०४६ में मन्जूरी दी है और १,६६३ को नहीं दी गई। शेष २०६ केस पेन्डिंग हैं। मन्जूरी नहीं दिये जाने का कारण यह था कि सम्बन्धित जमीन माही कमाण्ड जगंलात की जमीन अथवा चरागाह की जमीन थी।

श्री विट्ठल : माही में आपकी जमीन चली गई, बाकी जंगलात में है और कुछ रही चरागाह में; तो फिर इन क्षेत्रों के किसानों लिये आपने जीन-खाने के लिये क्या व्यवस्था की है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जमीन तो जितनी उपलब्ध हो सकती थी, उतनी ही तो दे सकते हैं।

श्री विट्ठल : तो फिर किसानों की क्या व्यवस्था की जावेगी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां भी जमीन उपलब्ध हो; चाहे राजस्थान कैनाल में हो, बांसवाड़ा के अन्य हिस्सों में हो, वहां पर अलॉटमेंट करना। वहां पर कुछ जमीन है उसके सम्बन्ध में अगर वन विभाग का है और उसका कोई हिस्सा लिया जा सकता है, या चारगाह को खेती की जमीन में परिवर्तित किया जा सकता है या माही कमाण्ड का प्रोब्लम हल हो सकता है तो उसके बाद ही यह मसला तय हो सकता है।

रूपारेल नदी, घाट खूटेटा पर रेगुलेटर

२४९. **श्री मजलिसखां** (कामां) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि रूपारेल नदी पर घाट खूटेटा जिला अलवर में ५ फीट ऊंचा रेगुलेटर पक्का बनाया गया है?

(२) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त नदी के पानी से ही जिला भरतपुर की तहसील नगर और पहाड़ी क्षेत्र में हजारों एकड़ गन्ना धान और गेहूं की फसल सिंचित होती है?

(३) यदि हां, तो रेगुलेटर बन जाने से यह रकबा कैसे सिंचित होगा तथा क्या नगर पहाड़ी क्षेत्र के उत्पादन पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा?

(४) यदि पड़ेगा तो फिर इसका निर्माण क्यों कराया गया है?

(५) क्या इस रेगुलेटर के निर्माण से अलवर भरतपुर जिले के किसानों के बीच

(श्री मजलिस खां)

झगड़े की नींव उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं है ?

(६) क्या राज्य सरकार इस समस्या को हल करने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी नहीं । केवल ३॥ फीट ऊंचा किया गया है ।

(२) जी हां ।

(३) जैसे पहले सिंचित होता था वैसे ही होगा तथा इसके निर्माण से भरतपुर क्षेत्र में सिंचाई पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

(५) ऐसी आशंका नहीं होनी चाहिये ।

(६) राज्य सरकार द्वारा समस्या पहले ही हल की जा चुकी है ।

श्री मजलिसखां : क्या सरकार को मालूम है कि इस बारे में बुरा असर पड़ रहा है, इसकी लिखापढ़ी की है ?

श्री दिनेशराय डांगी : इस विभाग की जानकारी में अभी तक ऐसा नहीं है ।

श्री मजलिसखां : क्या आप यह मानते हैं कि रेगुलेटर का लगाना नियम के विपरीत नहीं है ?

श्री दिनेशराय डांगी : अलवर की जमीन नदी की सतह से ऊंची है और भरतपुर की नीची । तो फिर अलवर वालों को शिकायत होनी चाहिये थी ।

श्री मजलिसखां : लक्ष्मणगढ़ तहसील की सारी सिंचाई रह गई है इससे ।

श्री दिनेशराय डांगी : इस साल का नहीं कह सकता क्योंकि वर्षा का अभाव रहा; पर हर साल नहीं होता ।

श्री मजलिसखां : पर डैम फिर भी भरा हुआ है, थोड़ी बरसा से भी और फिर भी सोइंग नहीं हुई है ।

घग्घर की बाढ़ से हानि

२५०. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) [श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) द्वारा पूछा गया] : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) घग्घर नदी की बाढ़ से वार्षिक कितनी हानि होती है ? पिछले पांच वर्ष के आंकड़े दें ।

(२) इस बाढ़ को रोकने के लिये जो योजना सरकार के विचाराधीन है उसमें कितनी राशि के व्यय का अनुमान है ?

(३) उस योजना द्वारा कितने अधिक क्षेत्र का सिंचन राजस्थान में होगा तथा कहां कहां होगा ?

(४) सिंचित क्षेत्र से कितने लाभ का अनुमान है ?

(५) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने सिंचाई को प्राथमिकता दी है तथा राजस्थान सरकार को सिंचाई के कार्यों के लिये

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अनुदान का वादा किया है ? यदि हां, तो घग्घर की बाढ़ को रोकने के कार्य में देरी क्यों हो रही है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) घग्घर नदी की बाढ़ से पिछले पांच वर्षों में अनुमानित हानि के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	क्षेत्र जो जलमग्न हुआ एकड़ में	क्षति लाख रुपयों में
१९५८	३८,०००	६.५८
१९५९	७६,०००	१०.६०
१९६०	१,२१,००० खरीफ	३०.५६
१९६०	७०,००० रबी	२२.००
१९६१	१,००,००० खरीफ	२५.००
१९६२	१५,००० खरीफ	२६.४
१९६२	२६,५०० रबी	३४.४५
१९६३	१,००,००० खरीफ	इसकी क्षति के आंकड़े ज्ञात नहीं ।

(२) इस बाढ़ को रोकने के लिये राज्य सरकार ने लगभग ४८० लाख रुपये की एक योजना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये भेजी थी, केन्द्रीय जल विद्युत् आयोग ने सूचित किया है कि उक्त योजना लगभग ३२१ लाख रुपये के लिये योजना आयोग की टेक्नीकल एडवाइज़री कमेटी द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है ।

(३) इस योजना से उपलब्ध होने वाले बाढ़ के पानी से सूरतगढ़ के आस-पास की ३४ हजार एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई किये जाने का प्रस्ताव है ।

(४) उक्त सिंचित क्षेत्र से लगभग १,७०,००० रुपये की अतिरिक्त वार्षिक आय होने का अनुमान है ।

(५) यह बुनियादी तौर से एक बाढ़ नियन्त्रण योजना है और इसी कारण से इस योजना को राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन बाढ़ के पानी को यथा सम्भव सिंचाई के कार्य में लिया जावेगा । केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को सिंचाई के कार्यों के लिये अनुदान देने का कोई वायदा नहीं किया है । घग्घर की बाढ़ को रोकने की योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है और कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो योजना केन्द्रीय सरकार ने मन्जूर करली है तो इसके लिये पैसा क्या केन्द्रीय सरकार ने देने का वादा किया है ?

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अभी तो लोन देने का कहा है ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : कितना पानी आता है और कितना चैनेलाइज़ करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पानी के आने के बारे में भी विवाद है । रिज़र्वोइर से पानी स्लूस तक आने का इसका अन्दाज १६ हजार से १९ हजार क्यूसेक्स है ।

लसाड़ा डैम और बन रहा है जिसका डिस्चार्ज करीब १२।१३ हजार क्यूसेक्स का होगा । वह ड्रेन जिसका पानी आज तक कभी राजस्थान में नहीं आता था वह पानी पंजाब वालों ने अपने एरिया से निकाल कर हमारी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

तरफ दे रहे हैं और इनके लिये एक लसाड़ा नाला १५० मील का बना रहे हैं। इसके लिये राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से और पंजाब सरकार से कहा है कि अगर यह पानी अब आवेगा तो करीब ३१ हजार क्यूसेक्स हो जावेगा और जिसको लेने की क्षमता राजस्थान में नहीं है और अगर इसको लाना है तो इस स्कीम को इस बात को ध्यान में रखते हुए कैसे मोडिफाई किया जाय, यह मामला विचाराधीन है। हम भारत सरकार से और पंजाब सरकार-दोनों से इस बारे में बात कर रहे हैं। अब फाइनली इसमें कितना पानी होगा इस बारे में किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या घग्घर की बाढ़ राजस्थान में इस कारण समस्या पैदा करती है कि पंजाब सरकार ने अपनी इनंडेन्शन की प्रोब्लम को हल करने के लिए और इस पानी को इधर राजस्थान की तरफ मोड़ दिया है तो इसके जो फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स हैं उनकी जिम्मेदारी केवल राजस्थान के ऊपर ही क्यों पड़े ? इसकी जिम्मेदारी या तो पंजाब सरकार को वहन करनी चाहिए या केन्द्रीय सरकार को वहन करनी चाहिए। क्या सरकार ने इस बात को रिप्रेज़ेन्ट किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रिप्रेज़ेन्ट बहुत पूरे तौर से किया है और भारत सरकार और पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार ने इसका सिर्फ यही निर्णय लिया है कि जब तक यह मामला फाइनल फण्ड्स के एलोकेशन का कि कौन कितना भार वहन करे तय नहीं हो जाये तब तक इस स्कीम का काम चालू रखा जाये, इसे रोका न जाये क्योंकि इसकी एमर्जेन्सी है, इसलिए इसको जारी रखा जाये, लेकिन कौन कितना बर्डन उठाये, यह तय करना है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : जो फेमिन इफेक्टेड एरियाज़ हैं वहां पर इस पानी का कुछ लाभ पहुंच सकता है, क्या सरकार ने इस पर कभी सोचा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके बारे में सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है; लेकिन इस स्टेज पर कहना सम्भव नहीं है कि वह पानी कहां और कैसे स्टोर किया जा सकता है। उसको कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : पंजाब सरकार ने जो ड्रेन निकाली है और घग्घर बाढ़ में डाली जा रही है तो क्या पंजाब सरकार ने इन्कार कर दिया है कि नहीं हम तो इसी में डालेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : पंजाब सरकार तो उसको बना ही रही है। भारत सरकार कह रही है कि नहीं यह उनको नहीं करना चाहिए। राजस्थान ने तो रिप्रेज़ेन्ट किया ही है और मामला अभी डिस्प्यूटेड है।

श्री मुरलीधर व्यास : अभी कैरों साहब ने यह कहा कि हम इस पानी को फौरन रोक सकते हैं, लेकिन घग्घर के बाढ़ को अगर बन्द कर दिया तो राजस्थान को ही नुकसान है और आप कहते हैं कि इससे हमारा नुकसान है। सही क्या है, इससे हमको नुकसान है या फायदा ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : उपाध्यक्ष महोदय, जो लसाड़ा ड्रेन

Page No. 31

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

से राजस्थान को खतरा हो सकता है उसकी ग्रेविटी से गवर्नमेंट पूरी तरह से वाकिफ है और उस मामले को हम लोग हाइएस्ट लेवल पर अपनी तरफ से ले रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि राजस्थान को लसाड़ा ड्रेन की वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचे। हमें इस बात से ऐतराज नहीं कि वह अपने वहां के फ्लड्स के बारे में कोई स्कीम बनायें और उसके पानी को कहीं भी डाइवर्ट करें, लेकिन उसका परिणाम यह हर्गिज़ नहीं होना चाहिए कि राजस्थान को उससे नुकसान हो, खास तौर से तब कि जो लसाड़ा ड्रेन से पानी आयेगा वह राजस्थान में पहले कभी नहीं आता रहा है और एक नया पानी राजस्थान के अन्दर डालने का सवाल आता है जिससे कि काफी बड़ी तादाद में राजस्थान के एरिया के सबमर्ज होने का खतरा है और उस सवाल को हम सीरियसली ले रहे हैं।

श्री भीमसेन : जितना पानी आपको उपलब्ध हो सकता है उस पानी को फेमिन इफेक्टेड एरिया में फेमिन को रोकने के लिए क्या उस पानी का उपयोग किया जा सकता है, इस पर सरकार ने सोचा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो लसाड़ा से पानी आता है इसका उपयोग नहीं कर सकते और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जितनी कोस्ट आये भारत सरकार उसके बारे में तय करेगी, लेकिन इस तरह का पानी कोई आता है तो उसकी रेस्पोन्सीबिलिटी पंजाब सरकार की होनी चाहिए ।

श्री भीमसेन : मैं यह चाहता हूं कि जो पानी उपलब्ध हो सकता है उस पानी को क्या सरकार फेमिन इफेक्टेड एरियाज़ के लिए जिससे फेमिन न पड़े, उसका उपयोग कर सकती है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : फ्लड का खतरा गिनती का ५-७ दिन का होता है, वह पानी इतनी बड़ी तादाद में किस जगह लाकर रखें, कहां रोकें और उस पानी का यूज़ करना आसान बात नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : क्या सरकार की जानकारी में है कि टाइम्स ऑफ इन्डिया अखबार के अन्दर यह खबर निकली है कि श्री रामा राव और आपकी कोशिशों के बावजूद भी पंजाब राज्य के सिंचाई मंत्री ने साफ इन्कार कर दिया है कि हम राजस्थान में ही इस पानी को ले जायेंगे और हम नहीं मानेंगे, चाहे इससे राजस्थान नहर बरबाद हो जाये। यह अखबार में आया है, क्या इसकी जानकारी मुख्य मंत्रीजी को है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, जानकारी है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उसको रोकने के लिए क्या कोशिश है आपकी तरफ से ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस मामले को बहुत हाइएस्ट लेवल से जिस सीरियसनैस के साथ लिया जाना चाहिए वह ले रहे हैं। यह आपके सामने माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है।

(श्री अब्दुलजब्बार के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जब्बार ! सवालों का समय समाप्त हुआ।

श्री अब्दुलजब्बार : Point of order, Sir, मेरा नाम आसन की ओर से कॉल किया जा चुका था, इसलिए मुझे अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूछ लीजिए, इसके बाद समाप्त।

मूर्लिया बांध

२५१. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि मूर्लिया बांध, तहसील निम्बाहेड़ा में गत वर्ष काफी पानी भर गया था जिसका बांसा, गादी, पीपलीया, चरलिया तथा करूण्डा ग्रामों पर बड़ा बुरा असर पड़ा है ?

(२) क्या यह सही है कि चरलिया के निवासी अपने घरों में सो बैठ भी नहीं सके थे ?

(३) क्या यह सही है कि चरलिया के लोगों को कहीं दूसरी जगह बसाये जाने की स्कीम सरकार ने बनाई थी ? यदि हां, तो कहां पर, और क्या वह स्कीम पूरी की गई ?

(४) क्या यह सही है कि बांसा के चारों तरफ पानी भर जाने से ग्रामीणों का जीवन खतरे में पड़ गया था ?

(५) क्या सरकार ने मूर्लिया बांध से प्रभावित जनता को सुरक्षित तथा उपजाऊ भूमि तुरन्त देने का विचार किया था ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) व (२) जी नहीं।

(३) जी नहीं, चरलिया गांव इसके डूब में नहीं आता है, अतः उसको दूसरी जगह बसाने का प्रश्न नहीं उठता।

(४) जी नहीं, बांसा गांव से पानी काफी दूर था, अतः किसी खतरे का प्रश्न नहीं उठता।

(५) मूर्लिया बांध से जो लोग प्रभावित हुए थे उनके जमीन व मकान का मुआवजा जिनके राजस्व विभाग से अवार्ड आ गये हैं चुका दिया गया है और जो बाकी हैं उनकी कार्यवाही राजस्व विभाग में चल रही है।

श्री अब्दुलजब्बार : यह नम्बर (१) में कहा, 'जी नहीं'; तो क्या पानी नहीं भरा था यह मान लिया जाये ?

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : हां, ४ फुट नीचा रखा था। पानी पूरा नहीं भरा था।

श्री अब्दुलजब्बार : इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि पानी क्या बिल्कुल नहीं भरा था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि ४ फुट पानी पहले साल में भरा गया था और जिस समय पहले साल टैंक में पड़ता है तो यह देखने के लिए कि यह विथ-स्टेन्ड करता है या नहीं, इसलिए ४ फुट पानी कम भरा था।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे........

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री मोहनराज।

श्री अब्दुलजब्बार : उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेन्टरी भी नहीं पूछ सकते ? आप कहें तो बोलें ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको आन्सर दे दिया है। यह कारण नहीं है कि मैं अवसर नहीं दूं। लेकिन मुझे यह भी देखना पड़ता है कि सारे सदस्यों के जो समुचित अधिकार हैं वे मेरे पास सुरक्षित रहें और दूसरों का भी मुझे ख्याल रखना पड़ता है जिससे कि वे भी पूछ सकें; उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए।

श्री अब्दुलजब्बार : मेरा निवेदन है कि सरकार मारना चाहती है किसानों को तो खुशी से मारे, कत्ल करे, लेकिन कम से कम बात तो हमारी मान ले। हम रिप्रेज़ेन्टेटिव कैसे हैं ? किसानों का मुआवजा बनता है और पैसा नहीं देती सरकार, यह शर्म की बात है। ४ पैसा बिजली के बिल का रहता है तो बिजली का फौरन कनेक्शन काट लेते हैं ; सरकार तो अपना पलड़ा इतना भारी रखना चाहती है। क्या हम इतने जलील हैं कि हमारी बात भी नहीं सुनी जाये। गरीबों के लिए वह ध्यान देती नहीं तो सरकार को अधिकार नहीं है कि उनका पैसा न चुकाये और गरीबों को राहत न दे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनराज।

भ्रष्टाचार मिटाने हेतु कार्यवाही

२५२. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा भ्रष्टाचार समाप्त अभियान छेड़े जाने के पश्चात् राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु क्या क्या कदम उठाये हैं अथवा उपाय काम में लिये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि केन्द्रीय गृह मंत्री जी ने प्रशासन से भ्रष्टाचार मिटाने एवं जनसाधारण की आम शिकायतों के निवारण हेतु जिला व तहसील स्तर पर सरकारी अथवा गैर सरकारी समितियां बनाने का सुझाव दिया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस प्रकार की समितियों का गठन कर दिया है ?

(३) राज्य स्तर पर गठित एन्टीकरप्शन बोर्ड की गत दो वर्षों में कुल कितनी बैठकें हुईं व कब कब और उनमें कितने मामलों पर विचार हुआ ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) राज्य सरकार में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की भांति ही सतर्कता आयोग बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

(२) इस प्रकार कोई सुझाव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(३) राज्य स्तर पर गठित एन्टीकरप्शन बोर्ड की गत दो वर्षों में ५ बैठकें हुई दिनांक (१) १-१०-६२, (२) १०-१-६३, (३) १४-४-६३, (४) ६-११-६३ एवं १६-११-६३ को हुई हैं व ११३ मामलों पर विचार किया गया।

श्री मोहनराज : क्या राज्य सरकार के ध्यान में केन्द्रीय गृह मंत्री का वह वक्तव्य नहीं आया है जिसमें उन्होंने जिला और तहसील स्तर पर इस प्रकार की सरकारी और गैर सरकारी समितियां बनाकर लोगों की शिकायतों पर विचार करने के लिए फैसला किया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां, क्योंकि यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ

Page No. 34

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

विचारणीय है और उस पर बहुत कुछ विचार होना बाकी है इसलिए उन विचारों से अवगत होने के लिए हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हर काम में कानून बनाने में राजस्थान सारे हिन्दुस्तान से आगे रहा है जब कि एक दो स्टेटों में ऐसे आयोग की स्थापना हो चुकी है और राजस्थान जब कि सारे हिन्दुस्तान में नाज करता था इसी में पीछे क्यों है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय ......

श्री जोधसिंह (गिरवां) : Point of order. सवालों का घंटा खत्म हो गया, आपने घंटा नहीं बढ़ाया।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इस विषय में विचार करने के बारे में और कोई अनिश्चितता का प्रश्न नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने स्कीम बनाई और नोटीफाई की है उसकी डिटेल्स वहां से पता लगा कर उन्हीं लाइन्स के ऊपर राजस्थान के अन्दर इसको लागू करने के लिए विचार किया गया है। उसकी डिटेल्स बहुत सी तो उपलब्ध हो गयी हैं और जानकारी प्राप्त करके कम्प्लीट कॉम्प्रिहेन्सिव स्कीम राजस्थान के अन्दर जल्दी से जल्दी लागू कर दी जायेगी। उसमें कोई ज्यादा समय निकालने का प्रश्न नहीं आता।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या राजस्थान सरकार इस संबंध में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी ने करप्शन को दूर करने के लिए सुझाव दिये हैं उनको प्राथमिकता देना चाहती है या केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा जो इस संबंध में सुझाव दिये गये हैं उनको प्राथमिकता देना चाहती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी ने ओम्बड्समैन की सम्बन्ध में सुझाव दिया है कि ओम्बड्समैन के मामले में जो उनके सुझाव हैं वे तभी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं कि जब कन्स्टीट्यूशन में सर्टेन प्रोवीज़न्स उस प्रकार के किये जायं और ऑल इण्डिया लेवल के ऊपर उसका फैसला हो। अकेली राजस्थान सरकार जिस प्रकार कि उसके कॉन्स्टीट्यूशन की कल्पना की गई है, राजस्थान के अन्दर करने की उसकी सम्भावना नहीं है। इसलिये सारे फेक्टर्स को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने विजीलेन्स कमीशन के बारे में फैसला किया है उसको हम यहां पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।

श्री मोहनराज : क्या मंत्रीजी संविधान में परिवर्तन कराने के लिए भारत सरकार को लिख रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सारे विषय भारत सरकार के सामने थे, उनको सबको देखकर ही उन्होंने निर्णय किया है। हमारे लिखने का प्रश्न नहीं आता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

पंचायत समिति हैडक्वार्टर

२५३. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डौन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री श्रवणलाल)

(क) क्या सरकार की यह योजना थी कि जिन स्थानों से १९६२–६३ में तहसील हैड-क्वार्टर्स हटाये गये उन स्थानों पर पंचायत समितियों के हैडक्वार्टर्स शिफ्ट कर दिये जायेंगे ?

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (क) कोटा जिले की तीन तोड़ी गई तहसीलों के बारे में ऐसा विचार था।

(ख) आपत्कालीन स्थिति के कारण इस बारे में कोई कार्यवाही करना सरकार ने उचित नहीं समझा।

श्री श्रवणलाल : क्या कार्यवाही कर रहे हैं और अब तक क्यों नहीं की गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि आपत्कालीन स्थिति के कारण इस बारे में आगे कार्यवाही करना सरकार उचित नहीं समझती है।

श्री श्रवणलाल : आपत्कालीन स्थिति कब तक चलेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एमर्जेन्सी कन्टीन्यू कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

सड़कों में आई भूमि का लगान

२५४. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) रानीवाड़ा-सांचोर व सांचोर-भवातड़ा व सांचोर-केरिया की सड़कें किन किन सालों में विभाग द्वारा निकाली गई ?

(२) क्या यह सच है कि उपरोक्त सड़कों में आने वाली भूमि का लगान काश्तकारों के पट्टों में से अभी तक खारिज नहीं किया गया है ? अगर हां, तो अब कब तक कर दिया जावेगा ?

(३) क्या यह भी सच है कि अब तक उपरोक्त सड़कों में आने वाली काश्त की भूमि का मुआवजा काश्तकारों को नहीं दिया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? अब कब तक मुआवजा दे दिया जावेगा ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) रानीवाड़ा-सांचोर सड़क १९५१–५२ में, सांचोर भवातड़ा १९४९–५० में व सांचोर-केरिया सड़क ४९–५० में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निकाली गई थीं।

(२) उपरोक्त सड़कें ५१–५२ में निकाली गई थीं, वे बन्दोबस्त होने से पहले निकाली गई थीं। उन सड़कों के नीचे आने वाली भूमियों का अनुमान नहीं लगाया गया था। सांचोर-भवातड़ा वाली सड़क के नीचे आने वाली भूमि का लगान माफ किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(३) रानीवाड़ा-सांचोर सड़क और दूसरी सड़क के बारे में मुआवजा देने के सम्बन्ध में कार्यवाही जिलाधीश भीनमाल के कार्यालय में चालू है और शीघ्र ही उसको निपटाने की कार्यवाही की जायगी। शेष जमीनों के बारे में न तो मुआवजा देने की जरूरत प्रतीत होती

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

है और न कार्यवाही करने का विचार है फिर भी अधिशासी अभियन्ता से इसके बारे में पुन: जानकारी की जा रही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अफसोस की बात है कि इन सड़कों को बने हुए इतने वर्ष हो गये और उसके मुआवजे की कार्यवाही नहीं की जाती है। सख्त अफसोस का विषय है कि काश्तकारों की जमीनें इतनी ले ली गई हैं और १० साल तक मुआवजा नहीं दिया गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अफसोस तो मुझे भी है। मैं यह प्रयत्न कर रहा हूं कि इस सम्बन्ध में उचित से उचित कार्यवाही जल्दी की जाय और साथ ही साथ जो कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके सम्बन्ध में मैं एन्क्वायरी करूंगा और आवश्यक कार्यवाही उनके लिए करूंगा।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : ये जो आपके नीचे के कर्मचारी हैं वे अपना काम ठीक नहीं करते हैं। महीनों तक सिग्नेचर नहीं करते हैं। आप मुआवजा जमीन का तय कर देते हैं। डिपार्टमेंट के सिग्नेचर होकर जाते हैं, लेकिन तहसीलदार कुछ नहीं करते हैं। कुछ सोचिये ....

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण दे रहे हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री मुरलीधर व्यास।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष, आपने यह सैटलमेन्ट की बात कही तो सैटलमेन्ट वहां पर भूमि का बाद में हुआ है ..

श्री उपाध्यक्ष : I have called another name, Mr. Vyas.

पंचवर्षीय योजनाओं में पशुधन विकास के लिए धनराशि

२५५. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) बीकानेर जिले में पशुधन के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी धनराशि अब तक खर्च हुई तथा उससे पशुधन का विकास हुआ ?

(२) बीकानेर जिले में गत ५ वर्षों में भेड़, बकरी, भैंस और गायों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उप-मन्त्री, कृषि (श्री भीमसिंह) : बीकानेर जिले में पशुधन के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में अब ६२-६३ तक ४३,७२,००० रु० खर्च हो चुके हैं। पशुधन का विकास नापने के लिए कोई निश्चित मापदण्ड नहीं है। अत: इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता।

(२) बीकानेर जिले में गत ५ वर्षों में भेड़ों की संख्या में २०,५०० (पांच प्रतिशत) गायों की संख्या में ४१,८७१ (१७ प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। भैंसों तथा बकरियों की संख्या में क्रमश: ५ प्रतिशत और ३० प्रतिशत कमी हुई है।

वर्षवार विवरण उपलब्ध नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : अपने कहा कि इसके लिए कोई जरिया नहीं है कि आंकड़े उपलब्ध हो सकें; तो ये जो आकड़ें आपने बताये हैं वे किस आधार पर बताये हैं ?

श्री भीमसिंह : मैंने यह निवेदन नहीं किया था। मैंने कहा था कि ऐसा कोई मापदण्ड नहीं है। ये आंकड़ें कहे हैं कि उनकी संख्या बढ़ी है, उनकी क्वालिटी डेवलप हुई है, इसके बारे में मैंने अर्ज किया था।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : ४३ लाख जो खर्च किये गये हैं, क्या आप बता सकते है कि किस किस काम पर खर्च किये हैं ?

श्री भीमसिंह : ४३ लाख का प्रोवीज़न था तो फर्स्ट फाइव इयर प्लॉन में ७.४५ लाख, सैकण्ड फाइव इयर प्लॉन में २६.७४ लाख और थर्ड फाइव इयर प्लान में ६.५२ लाख हैं। और इसके लिए अलग अलग है; जैसा कि मैं आपको निवेदन करूं कि इसमें कालेज का एक्स पेन्डीचर भी है। इस एक्सपेन्डीचर के अन्दर १६.५० लाख वाज़ स्पैन्ट ओन वेरियस स्कीम्स जिसमें वेटरनरी कॉलेज भी आ जाता है और बाकी के अलग अलग भेड़, ऊंट आदि के लिए अलग अलग डेवलपमेंट के लिए है।

श्री भीमसेन : आपने किसानों को लोन दिया कि क्या किया ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री तेजाराम।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है कि बीकानेर में भेड़ ही भेड़ क्यों बढ़ रही है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : बीकानेर में भी बढ़ रही हैं, गाडर भी बढ़ रही हैं, ऊंट भी बढ़ रहे हैं, भैंसे कम हो रही हैं, बकरियां कम हो रही हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : क्यों बढ़ रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अच्छा है कि भेड़ बढ़ती हैं तो ऊन मिलेगा और देश को लाभ होगा।

श्री भीमसेन : भरतपुर में गधे क्यों बढ़ रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री तेजाराम।

उदयपुर युनिवर्सिटी को अमेरिका से सहायता

२५६. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर युनिवर्सिटी की स्थापना के पश्चात् उसे युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से धन या सामान के रूप में कितनी सहायता प्राप्त हुई है ?

(२) क्या (क) भवनों, (ख) इक्विपमेंट या (ग) पुस्तकालय के लिए कोई सहायता प्राप्त हुई है ?

उप-मन्त्री, कृषि (श्री भीमसिंह) : (१) २७,२०० डॉलर।

(२) (क) भवन के लिए कुछ नहीं।

(ख) इक्विपमेंट के लिए २६,८०७.१५ डॉलर।

(श्री भीमसिंह)

(ग) पुस्तकालय के लिए ३१२.७५ डालर।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न का समय समाप्त हुआ।

(६.२८ म. पू.)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मुअत्तिल तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार

६१. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(अ) जनवरी, सन् १९६२ से लगाकर आज दिन तक कुल कितने तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार मुअत्तिल किए गए और क्यों?

(ब) उपरोक्त में से कितनों को पुन: बहाल (Reinstate) कर दिया और कितनी कितनी अवधि के भीतर और क्यों?

(स) बाद आवश्यक जांच के कुल कितने मुअत्तिलशुदा तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार में से बर्खास्त कर दिए गए?

उत्तर

(अ) जनवरी सन् १९६२ से आज दिन तक ६ तहसीलदार एवं ८ नायब तहसीलदार निम्नलिखित कारणों से मुअत्तिल किये गये:—

एक तहसीलदार को जमीन का गलत एलोटमेंट करने हेतु।

एक तहसीलदार को विभागीय जांच अधिकारी के साथ सहयोग न देने हेतु।

चार तहसीलदारों का अपने उच्च अधिकारियों की आज्ञा की अवेहलना करने हेतु।

एक तहसीलदार को एक महिला के साथ बलात्कार करने हेतु।

एक तहसीलदार को विधान सभा के सदस्य के साथ अभद्र व्यवहार करने हेतु।

एक तहसीलदार को गलत खातेदारी राइट देने हेतु।

दो नायब तहसीलदारों को जमीन का गलत एलॉटमेंट करने हेतु।

एक नायब तहसीलदार को जाली रिकॉर्ड बनाने व मुकदमात में अपने अधिकारों से बाहर फैसले देने हेतु।

एक नायब तहसीलदार को अपने उच्च अधिकारियों की आज्ञा की अवहेलना करने हेतु।

एक नायब तहसीलदार को अपने सर्विस बुक में स्वयं की जन्म तिथि में परिवर्तन करने हेतु।

एक नायब तहसीलदार को राज्य सेवा में लापरवाही करने हेतु।

एक नायब तहसीलदारों को गलत नामान्तरकरण करने हेतु।

एक नायब तहसीलदार को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने हेतु।

(श्री राजस्व मंत्री)

(ब) उपरोक्त लिखित में ६ तहसीलदारों एवं ४ नायब तहसीलदारों को बहाल (Reinstate) किया गया, जिनकी अवधि निम्न प्रकार से है:—

तहसीलदार

१—एक वर्ष चार माह, १—एक वर्ष दो माह, १—एक वर्ष, २—सात माह, १-छः माह।

नायब तहसीलदार

२—पांच माह में, १—चार माह, १—तीन माह।

उपरोक्त तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को बाद आवश्यक जांच एवं जांच रिपोर्ट अथवा लिखित उत्तर (representation) प्राप्त होने पर यह सम्भावना नहीं रही कि उनको मेजर सजायें दी जा सकें, अतः उनको बहाल कर दिया गया।

(स) आवश्यक जांच हो जाने के बाद किसी भी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को राज्य सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया।

मालपुरा में अलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा जमीन

६२. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मालपुरा तहसील में वर्ष ६०-६१ व ६१-६२ में कौन कौन सी तारीखों को जमीन अलॉटमेंट कमेटी की बैठकें रक्खी गईं।

(२) उन बैठकों में कितने प्रार्थियों को जमीन दी गई?

(३) जिनको जमीन दी गई उनमें से कितने आदमी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के थे?

(४) वितरण के लिये अब तहसील में कितनी जमीन सवाई चक है?

उत्तर

(१) अलॉटमेन्ट कमेटी की बैठक तहसील मालपुरा में निम्न तारीखों को हुई:

सन् १९६०. ता० १७,१८,२३,२६,२८, २९, और ३० जून; १,१६,१८,१९,२०,२१, २२,२३,२५ और २७ जुलाई; २२ और २८ अगस्त।

सन् १९६१ ता० २६,२७,२८ और ३० जून, ४,५,६,१३,१४,१५,१७,१८,२४,२८, २९, और ३० जुलाई; २,३,४,६,१८ और २५ अगस्त; २२ दिसम्बर।

सन् १९६२. ता० १५,१७,१८,१९,२०,२१, २३,२४,२५,२७,२८,३० और ३१ जुलाई;२४ २८ सितम्बर; १९ और २० अक्टूबर।

(२) २६०८ व्यक्तियों को जमीन दी गई है।

(३) अनुसूचित जाति के २६८ व्यक्तियों को और अनुसूचित जन जाति के ११६ व्यक्तियों को भूमि दी गई है।

(४) २१,०५५ एकड़ भूमि सिवाय चक का बिल अलॉटमेन्ट है।

भरतपुर जिले की अदालतों में दुरुस्ती टीप के विचाराधीन मामले

६३. श्री रामकिशन (वैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भरतपुर जिले की विभिन्न अदालतों में दुरुस्ती टीप के कितने मामले विचाराधीन हैं ?

(२) दुरुस्ती टीप के ऐसे मामलों की संख्या क्या है जो एक साल से अधिक समय से अदालतों के विचाराधीन हैं ?

उत्तर

१. सब डिवीज़नल ऑफिसरों की अदालतों में निम्न मुकदमात पेन्डिंग हैं :

नाम सब डिविजन	विचाराधीन मुकदमें	एक साल से अधिक के मुकदमें
(१) भरतपुर	२०८	६०
(२) डीग	८१	३२
(३) बयाना	१४४	३४
(४) धौलपुर	९३	....
योग	५२६	१२६

(२) १२६ मुकदमें हैं।

तहसील लूणकरणसर का बन्दोबस्त

६४. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील लूणकरणसर का बन्दोबस्त किस सन् में हुआ ? कौन कौन से ग्रामों का बन्दोबस्त किया जा चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) क्या यह सही है कि बन्दोबस्त से कुछ गांव इसी तहसील में रह गये हैं ? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

(३) क्या बन्दोबस्त के रेकॉर्ड्स में लगान की दरें बढ़ाई गई हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर और कितनी कितनी दरें निश्चित की गई हैं ।

उत्तर

(१) जागीर के ग्रामों का बन्दोबस्त सन् १९५०-५१ में हुआ । खालसा ग्रामों का बन्दोबस्त सन् १९२५-२६ में हुआ था । मियाद बन्दोबस्त समाप्त हो जाने पर रिविज़न बन्दोबस्त की कार्यवाही १९५७ में आरम्भ हो कर सरकार द्वारा रेन्ट रेट मंजूर हो चुकी है । जिन जिन गांवों की रिविजन बन्दोबस्त की कार्यवाही हो चुकी है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी नहीं ।

(३) तहसील लूणकरणसर में खालसा व जागीर की पुरानी दरें निम्न प्रकार हैं :

कर निर्धारण क्षेत्र	खालसा ग्राम		जागीर ग्राम	
	कृषि योग्य	बंजर	पाला	बिना पाला	बंजर
बढ़ान	०.२१	०.११	०.२९	०.२४	०.०६
धोराप्रथम	०.२१	०.११	०.३१	०.२८	०.१२
,, द्वितीय	०.२१	०.११	०.२५	०.२१	०.०६

Page No. 41

(श्री स्वायत्त शासन मंत्री)

रिवीज़न बन्दोबस्त खालसा व जागीर होने के बाद उक्त तहसील को तीन कर निर्धारण क्षेत्र में बांटा गया है क्षेत्र वार किस्मवार भू कर दरें प्रति बीघा जो अब स्वीकृत की गई हैं निम्न प्रकार हैं :

कर निर्धारण क्षेत्र	किस्म जमीन		
	बारानी प्रथम	बारानी द्वितीय	बारानी तृतीय
बड़ान	०.३५	०.३५	०.३०
धोरा प्रथम	०.३०	०.३०	०.२५
धोरा द्वितीय	०.२५	०.२५	०.२०

रिवीज़न बन्दोबस्त में लगान का संशोधन किया गया है जो राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट १९५६ की धारा १५१–५२ के अनुसार है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

अभावग्रस्त गांव तथा लगान की छूट

९५. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) राजस्थान नहर क्षेत्र के फ्लोएरिया के किन-किन गांवों को सं० २०१६ से आज तक राज० एफैक्टेड एरियाज़ एक्ट के अन्तर्गत अभावग्रस्त गांव घोषित किया गया तथा उन (अभावग्रस्त गांवों) में उस वर्ष के लगान में कितनी कितनी छूट की गई ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त छूट केवल लैण्ड रेवेन्यू में ही दी गई जब कि उसी अनुपात से मालिकाना रकम में से भी छूट मिलनी चाहिए ? अगर हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

१. राजस्थान नहर क्षेत्र फ्लोएरिया के जिन-जिन ग्रामों को सम्वत् २०१६ से अभावग्रस्त घोषित किया गया है तथा लगान में जितनी छूट दी गई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

२. जी हां, केवल लैण्ड रेवेन्यू में ही छूट दी गई है। मालिकाना रकम में से भी छूट दिये जाने के लिए राजस्व विभाग द्वारा स्पष्टीकरण प्रचलित किया जा रहा है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

उपनिवेशन क्षेत्र में शामिल किए गए गांव

९६. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

बिकानेर जिले के कौन २ से गांव राजस्थान नहर के फ्लो एवं लिफ्ट एरिया में हैं तथा वे गांव कौन-कौन सी विज्ञप्तियों द्वारा उपनिवेशन क्षेत्र में शामिल किये गये ?

उत्तर

बीकानेर जिले में उन गांवों की सूची जो राजस्थान नहर के फ्लो एवं लिफ्ट एरिया में हैं तथा जो विज्ञप्तियों द्वारा उपनिवेशन क्षेत्र में शामिल किये गये हैं सम्पूर्ण विवरण सहित संलग्न है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अकाल सहायता हेतु स्वीकृत धनराशि जिला झुंझुनू

६७. श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) झुंझुनू जिले में अकाल सहायता कार्य के लिये कुल कितनी धन-राशि स्वीकृत की गई है ? स्वीकृति की तिथि बताने का कष्ट करें ?

(२) यह राशि किस-किस मद में कितनी-कितनी स्वीकृति की गई है ? स्वीकृत राशि में से अब तक कितनी राशि किस-किस मद पर खर्च की चुकी है ?

(३) अकाल राहत कार्यों में झुंझुनू जिले में कितनी और कौन-कौन सी सड़कें बनाने की स्वीकृति दी गई है ?

(४) अब तक इन सड़कों पर कितना काम हो चुका है ?

उत्तर

(१) झुंझुनू जिले के लिए चालू वित्तीय वर्ष में अभावग्रस्त क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा १,६५,०००) रू० स्वीकृत किये गये हैं जो निम्न प्रकार हैं :

स्वीकृत धनराशि		दिनांक
१. राहत कार्य पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा	४२,००० रु०	२०-२-६४
२. राहत कार्य राजस्व विभाग द्वारा	२५,००० रु०	१३-१-६४
३. राहत कार्य राजस्व विभाग द्वारा	२५,००० रु०	२०-२-६४
४. राहत कार्यों के अलावा अन्य कार्य के लिए धनराशि	३,००० रु०	२८-२-६४
५. मुफ्त इमदाद के लिए	३,००० रु०	१५-१-६४
६. पानी–व्यवस्था के लिए	३०,००० रु०	७-८-६३
७. चारे की व्यवस्था के लिए	३०,००० रु०	७-८-६३
८. ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज़	५,००० रु०	२३-१-६४
फुडग्रेन के लिए	७,००० रु०	२०२-६४
	१२,००० रु०	
९. फेमिन तकावी	२५,००० रु.	१०-१०-६३
	१,६५,००० रु०	

(२) अब तक केवल १३,५००) रु० व्यय किये गये हैं जो इस प्रकार से हैं :

राहत कार्य राजस्व विभाग द्वारा	१०,०००) रु०
पानी–व्यवस्था के लिए	२,०००) रु०
चारा–व्यवस्था के लिए	१,५००) रु०
	१३,५०० रु०

Page No. 43

(अकाल सहायता मंत्री)

तकावी के २५,००० रु० कलेक्टर ने सरेन्डर कर दिये हैं।

(३) झुन्झुनू जिले के अभावग्रस्त क्षेत्र के लिए निम्नलिखित सड़क कार्य स्वीकृत किये गये हैं :

पी० डब्ल्यू डी० कार्य

१. झुन्झुनू से सालू सड़क कार्य	१०,००० रु०
२. रामपुरा से मलसीसर	१६,००० रु०
३. बनगोठड़ी से सूरजगढ़ सड़क	१६,००० रु०
कुल	४२,००० रु०

रेवेन्यू ऐजेन्सी कार्य

१. मूंडेला से पिलानी

१. अरडावता से खेतड़ी

(४) इन सड़कों पर कार्य अभी आरम्भ किया जा रहा है क्योंकि उक्त धनराशि दिनांक २०-२-६४ को ही प्रदान की गई है।

नगरपालिकाओं को ऋण तथा उसकी वसूली

६८. श्री रविशंकर याज्ञिनक (पिंडवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान बनने के बाद जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर एवं कोटा म्यूनिसिपैलिटीयों को किन किन सालों में प्रत्येक को अलग अलग किन किन शर्तों पर कितना कितना ऋण दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रक्खी जावे ?

(२) उपरोक्त ऋणों में से कितनों की मयाद खत्म हो गई है ? तथा क्या भुगतान हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) उपरोक्त म्यूनिसिपैलिटियों में राजस्थान बनने के पहले का कितना ऋण बकाया था ? उसमें कितना भुगतान हो गया है ? कितना प्रत्येक में अब बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रक्खी जावे ?

(४) यदि बकाया है तो उसकी वसूली के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) जिन-जिन ऋणों की मियाद खत्म हो गई है या जिनका भुगतान हो गया है, यह सूची में दिखा दिया गया है। जिन-जिन नगरपालिकाओं ने मयाद खत्म होने पर भी भुगतान नहीं किया है वह भी सूची में अंकित है। बार-बार ताकीद करने पर भी भुगतान नहीं किया गया है।

(३) नगरपालिका, कोटा, उदयपुर व जोधपुर में राजस्थान बनने से पूर्व का कोई ऋण बाकी नहीं है। जयपुर नगरपालिका में ३,३०,०००) रुपये व बीकानेर में ५७,४४२) रुपये हैं।

(४) नगरपालिकाओं को दी जाने वाली सहायताओं में से ५० प्रतिशत तक राशि गत वर्ष से ऋण की वसूली की ओर काटी जारही है।

(श्री स्वायत्त शासन मंत्री)

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई।)

अल्प-आय-वर्ग गृह-निर्माण योजना

९९. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम तथा द्वितीय वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कितनी धनराशि "अल्प-आय-वर्ग गृह-निर्माण योजना" के लिये स्वीकृत की ?

(२) इस स्वीकृत राशि में से राज्य सरकार ने कितनी राशि उठाई ?

(३) क्या यह सही है कि स्वीकृत राशि का लगभग आधा भाग ही लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? पूर्ण राशि नहीं ले सकने का क्या कारण है ?

(४) इस मद में राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम व द्वितीय वर्षों में कुल कितनी राशि खर्च किये जाने का प्रावधान था ?

(५) द्वितीय वर्ष के अन्त में इस योजना के अन्तर्गत ऋण लेने हेतु कितनी दरख्वास्तें पेंडिंग थीं ?

उत्तर

(१) तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम तथा द्वितीय वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने अल्प-वर्ग गृह-निर्माण योजना के लिये निम्न धनराशि स्वीकृत की थी :-

१९६१-६२ रु० २०.७१ लाख
१९६२-६३ रु० ३०.४२ लाख

(२) स्वीकृत राशि पूर्ण ले ली।

(३) जी नहीं।

(४) १९६१-६२ ३०.०० लाख
१९६२-६३ ४०.०० लाख

(५) लगभग १८५९।

पाकिस्तानी डाकुओं द्वारा डकैतियां

१००. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सन् ६२ तथा ६३ के अन्त तक पाकिस्तान के डाकुओं ने कुल कितनी डकैतियां राजस्थान सीमाओं में की ? उनमें से कितने आदमियों को फरार किया गया अथवा गिरफ्तार किया गया ? डकैती में कुल कितना धन तथा कितने मवेशी चुराये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया उन को छुड़ाने का राजस्थान सरकार ने अब तक क्या प्रयास किया है ?

उत्तर

(क) सन् १९६२ तथा १९६३ में २९ डकैतियां राजस्थान पाकिस्तान सीमा पर हुई जिनमें डाकू ४३ व्यक्तियों को ले भागे एवं १५९ ऊंट, ७१३ अन्य जानवर सहित लगभग ३,५५,१८७)रु. की कीमत की सम्पत्ति लूट करले गये सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(ख) घटनाओं की सूचना मिलते ही फौरन राजस्थान पुलिस एवं आर० ए० सी०

Page No. 45

(श्री गृह मंत्री)

ने डाकुओं का पीछा किया एवं मुठभेड़ें भी कीं। डाकुओं के पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद डाकुओं के एवं जानवरों के खोज सम्बन्धित पाक बॉर्डर पोस्ट को संभलवाये गये ताकि ग्राउन्ड रूल्स के अनुसार वे डकैतों का पीछा कर माल बरामद करें एवं अभियुक्तों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें। साथ ही पुलिस अधीक्षकों एवं उच्च अधिकारियों द्वारा संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों को विरोधपत्र तार एवं चिट्ठियों द्वारा भेजे गये । पीरियोडिकल बॉर्डर मीटिंगों में माल बरामद कर लौटाने एवं डाकुओं के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए जोर दिया गया। इसके अलावा स्पेशल मीटिंगें कर डाकुओं के विरुद्ध शामलाती अभियान (जोइन्ट ऑपरेशन) किया गया, जिसमें एक डाकू मारा गया एवं १० पाकिस्तान में पकड़े गये। डाकुओं द्वारा उड़ाये गये सभी ४३ व्यक्तियों को डाकुओं से छुड़ा लिया गया है, जिनमें से एक पाकिस्तान पुलिस के पास है और उसकी शीघ्र वापसी के लिए दोनों सरकारों के बीच पत्र-व्यवहार जारी है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का ट्रान्सफर—सिंचाई विभाग, अलवर

१०१. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९६०-६१ और १९६१-६२ में सिंचाई विभाग के कितने तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को अलवर जिले से बाहर ट्रांसफर किया गया। इन ट्रान्सफरों का क्या कारण था?

(२) क्या यह सही है कि इनमें से बहुत से ट्रान्सफर गवर्नमेंट सरक्यूलर नं० एफ० १ (३७) सी. ए. । ए. जी., आर । ६१ दिनांक २८-२-६२ के विरुद्ध किये गये हैं? यदि हां, तो कितने और क्यों?

उत्तर

(१) सन् ६०-६१ में ऐसे कोई ट्रांसफर नहीं हुए। ६१-६२ में केवल ५ कर्मचारियों का ट्रान्सफर हुआ। तीन कर्मचारियों का उन्नति पर तथा दो का जन-हित तथा प्रशासनिक आधार पर किया गया। जिनका ब्यौरा सलंग्न है।

(२) जी नहीं, सरक्यूलर की अवहेलना नहीं की गई।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

बेटरमेंट लेवी रूल्स

१०२. **श्री सम्पतिलाल बोहरा** (मावली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बेटरमेंट लेवी के क्या रूल्स हैं? कृपया उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या सरकार उस जमीन की भी बेटरमेंट लेवी लेती है जिसमें काश्त नहीं होकर केवल बीड है या घास पैदा होती है?

(३) क्या यह सत्य है कि फतहपुर बीड घास (मावली तहसील) की जमीन की भी

Page No. 46

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

बेटरमेंट लेवी वसूल करने का सरकार का इरादा है ?

उत्तर

(१) बेटरमेंट लेवी से संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत करदी गई है ।

(२) जी नहीं।

(३) यह सत्य है कि ग्राम फतहपुर बीड घास (तहसील मावली) की उन भूमियों पर लेवी निर्धारित की गई है जो राज्य सरकार द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को भूमि अलॉटमेंट के साधारण नियमों के आधीन बिना कीमत या नजराना वसूल किये अलॉट की गई थी और जिनको बैटरमेंट लेवी नियमों के अनुसार बागोलिया सिंचाई योजना से सिंचाई का लाभ पहुंचता है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

हैल्थ सेंटर खोलने की योजना–जिला चूरू एवं गंगानगर

१०३. श्री हरदतसिंह (नोहर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९६४ में जिला गंगानगर व जिला चूरू में कितने हैल्थ सेन्टर खोलने की सरकार की योजना है तथा इनमें से तहसील भादरा व तहसील नोहर में कुल कितने-कितने हैल्थ सेन्टर खोले जावेंगे ।

(२) क्या जिन गांवों में पहले से डिस्पेन्सरी या आयुर्वेदिक औषधालय हैं उनमें भी हैल्थ सेन्टर खोले जाने का विचार है ?

उत्तर

(१) सन् १९६४ में जिला गंगानगर व जिला चूरू में नीचे दिए गए हैल्थ सैन्टर खोलने की सरकार की योजना हैं:–

जिला चूरू में रतन नगर में

जिला गंगानगर में भादरा में

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए पंचायत समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार स्वीकृति देती हैं। स्थान का चयन पंचायत समिति द्वारा किया जाता है ।

भादरा–भादरा पंचायत समिति का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छानी बड़ी में खोलने का आदेश दिनांक ५–३–६४ को दिए जा चुके हैं ।

नौहर–नौहर तहसील में पंचायत समिति के अन्तर्गत रावतसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जा चुका है ।

(२) जी नहीं ।

जयपुर में मेडीकल एसोसियेशन के समक्ष स्वास्थ्य मंत्री द्वारा घोषणा विषयक विशेषाधिकार प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है, जिसमें उन्होंने यह बतलाया है कि दिनांक २३ फरवरी, १९६४ को जयपुर में मेडीकल सर्विसेज़ एसोसियेशन के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने ग्रामीण

(श्री उपाध्यक्ष)

क्षेत्रों में कार्य करने वाले डाक्टरों को कुछ सुविधाएं देने सम्बन्धी सरकारी निर्णयों की घोषणा की थी, जो सदन का सत्र चालू रहने की हालत में सर्वप्रथम सदन में की जानी चाहिए थी और ऐसा न किये जाने के कारण स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने सदन के विशेष अधिकारों का हनन किया है तथा उनके द्वारा परम्पराओं का उल्लंघन भी हुआ है।

इस सम्बन्ध में जांच करने पर यह ज्ञात हुआ है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा इस प्रकार की घोषणा २३ फरवरी, १९६४ को मेडिकल सर्विसेज़ एसोसियेशन के सम्मेलन का उद्घाटन करते समय की गई थी और नीति सम्बन्धी निर्णयों का उल्लेख भी किया जाना पाया गया है।

इस प्रकार के सदन के बाहर वक्तव्य दिये जाने के सम्बन्ध में इस सदन के समक्ष १० दिसम्बर, १९५९ को माननीय अध्यक्ष द्वारा एक व्यवस्था दी जा चुकी है जिसमें यह स्पष्ट किया जा चुका है कि जब कभी सरकार द्वारा इस तरह के नीति सम्बन्धी कोई निर्णय किये जायं और उस समय सदन की बैठकें चालू हों तो उन निर्णयों की सूचना सर्व प्रथम सदन को दी जानी चाहिए। यह एक स्वस्थ परम्परा भी बताई गई है और यह आशा भी प्रकट की गई थी कि भविष्य में इस परम्परा का पूर्णतया पालन सरकार द्वारा किया जायेगा।

जहां तक विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न है इस तरह के मामलों में व्यवस्था पहले भी दी जा चुकी है कि इस प्रकार सदन के बाहर वक्तव्य दिये जाने से विशेषाधिकार का हनन नहीं होता है। ऐसे निर्णय लोक सभा एवं अन्य राज्य विधान सभाओं द्वारा भी दिये जा चुके हैं, अतः मैं श्री अग्रवाल के विशेषाधिकार के प्रश्न को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

मैं आशा करता हूं कि भविष्य में सरकार द्वारा इस स्वस्थ परम्परा का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

(९.३० म० पू०)

पाकिस्तान की ओर से राजस्थान की सीमा पर होने वाले अतिक्रमणों सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, गृह) : उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव में यह प्रकट किया गया है कि केवल एक माह (संभवतः जनवरी '६४) में १३ अतिक्रमण पाकिस्तान की ओर से हमारी सीमा पर किये गये हैं जिससे काफी भय व आतंक फैला हुआ है।

२. जनवरी, १९६४ से १३ अतिक्रमण होना सही है, परन्तु जब जनवरी, ६२ व ६३ से हम तुलना करते है तो पाया जाता है कि यह संख्या किसी प्रकार असाधारण नहीं है। जनवरी, ६२ व ६३ में इस प्रकार के १९ अतिक्रमण हुए थे जब कि जनवरी, ६४ में सिर्फ १३।

३. इसी प्रकार कुल सम्पत्ति जनवरी, ६२ में २७,०४२ रु. तथा जनवरी ६३ में रु० १,३०,०१३) की ले जाई गई है। इसके मुकाबले में जनवरी १९६४ में ११,६८४) रु. की सम्पत्ति पाकिस्तानियों द्वारा ले जाई गई। इससे स्थिति में सुधार होना प्रकट है।

Page No. 48

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

४. सन् ६३ के पूर्वार्द्ध में, पुलिस डाकू-उन्मूलन अभियान एवं डी० आई० आर० के तहत कार्यवाही की गई थी, जिसके फलस्वरूप स्थिति में काफी सफलता प्राप्त हुई है। निम्न सूचि से स्पष्टीकरण होगा :—

	१९६३ (पूर्वार्द्ध)	१९६३ (उत्तरार्ध)
बॉर्डर इन्सीडेन्ट्स	८२	७६
इल्लीगल एन्ट्रेन्ट्स	२२०	१४९
स्मगलिंग	३२	२२

५. सरकार सीमा स्थिति के बाबत पूर्ण रूप से सजग है एवं सक्रिय है। इस बाबत निम्न कार्यवाहियां उल्लेखनीय हैं :—

(अ) सन् ६३ के पूर्वार्द्ध में डाकू-उन्मूलन अभियान किया गया।

(ब) अतिक्रमणकारियों को पकड़ कर चालान किया जाकर सजा दिलाई जाती है। उदाहरणार्थ १-१०-६३ से ३१-१-६४ तक कुल ८७ केसेज हुए जिनमें से ७६ में चालान अतिक्रमणकारियों के खिलाफ पेश किये गये, जिनमें से ५१ सज़ायाब हो चुके हैं और २५ के खिलाफ मुकदमें जेर कार हैं और १० में तफतीश चालू है। जिनमें डाक्यूमेन्ट्स जो उनमें पेश किये हैं उनमें वेरिफिकेशन की कार्यवाही चल रही है।

(स) गत वर्ष में ४१ व्यक्तियों, जिनमें तस्कर व्यापारी व अन्य शामिल हैं, को डी० आई० आर० के तहत नजरबन्द किया गया और २८९ के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई। इसके अलावा जो कार्यवाही की गई है एवं की जा रही है उनका उल्लेख सुरक्षा हित में उचित नहीं होगा।

६. इस प्रकार सीमा क्षेत्रों में कोई असाधारण स्थिति नहीं है, फिर भी सीमा के उस पार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उचित उपाय किये जा रहे हैं, जिससे वहां स्थित जनता के लिए भय व आतंक का कारण नहीं रहता।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, उपमंत्रीजी ने आंकड़े बताकर सदन को बताना चाहा कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष सरकार काफी कामयाब रही है और जो आंकड़े उपमंत्रीजी ने सदन में दिये हैं, मैं सोचता हूँ ....

श्री उपाध्यक्ष : आप स्पष्टीकरण करवाना चाहते हैं ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : जी हां, यदि उन्हें सच माना जाय तो भी यह कहना कि सफल रही है ट्रेसपासर्स और एग्रेसर्स को रोकने में, अनुचित होगा। ये आंकड़े केवल जनवरी, ६४ तक के दिये हैं। फरवरी में क्या इस प्रकार की घटना बोर्डर पर नहीं हुई इस पर उपमंत्रीजी की ओर से प्रकाश नहीं डाला गया। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या उधर के लोग बिना पास पोर्ट के अबाधरूप से हमारी सीमा में आ रहे हैं और राजस्थान में उनका बसना चालू है ? इसका जवाब नहीं दिया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : एक प्रश्न और कर दूं इसी सम्बन्ध में। जिस समय यह प्रश्न पिछले साल इसी सदन में उठाया गया था तब सरकार की ओर से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह बात कही गई थी कि हमारी सीमा चौकियों पर जीप्स की संख्या माकूल नहीं है और सरकार ने आश्वासन दिया था कि अब उन चौकियों को स्ट्रेंगदन किया जायगा और आगे अतिक्रमण की घटनाएं होंगी उनको रोकेंगे तो इससे पहले हमारी चौकियां साधन-सम्पन्न नहीं थीं और अब उनको ज्यादा साधन-सम्पन्न किया गया है तो उसके बाद केवल १९ के बजाय १३ ही अतिक्रमण हुए हैं इससे हम संतोष मान लें, यह नहीं हो सकता। क्या सरकार बतायेगी कि जितना उचित साधन-सम्पन्न चौकियों को होना चाहिये था उतने साधन वहां पर उपलब्ध कर दिये गये है या सरकार अब भी इतना साधन-सम्पन्न नहीं मानती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : इस विषय में जानकारी चाही थी वह दे दी गई है इससे ज्यादा वादविवाद शायद आवश्यक नहीं हो पायेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैंने जानकारी चाही थी कि लोगों का अबाधरूप से पाकिस्तान की सीमा से आना जारी है, उस पर प्रकाश नहीं डाला है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने कहा कि इल्लीगल एन्ट्रेन्टस, १९६३ के पूर्वार्द्ध में २२० और १९६३ के उत्तरार्ध में १४८ हुए। इससे आप नतीजा निकाल लीजिये।

(६.३७ म० पू०)

विचार्य कार्य

राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६४ (अग्रेतर विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री उपाध्यक्ष : बिल पर अग्रेतर विचार। श्री बाढ़दार। I shall now allow you five minites.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा ऑर्डिनेन्स जारी करने व कानून में अमेन्डमेन्ट्स लाये जाने की प्रवृत्ति को लेकर मैं राज्य सरकार की नीति पर आरोप लगा रहा था। यह जो इस प्रकार की नीति राज्य सरकार अपनाती है वह संविधान की भावना के प्रतिकूल और अवांछनीय है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक हमारी राज्य सरकार की केबिनेट के मिनिस्टर्स का सवाल है, ये मिनिस्टर्स केबिनेट में बैठ कर, जिसकी मीटिंग्ज़ होती हैं, उसमें विचार-विमर्श होता है लेकिन वे इस मसले पर विचार नहीं करते कि जनता से जो रुपया करों के रूप में वसूल किया जाता है उसका किस प्रकार सदुपयोग किया जाय। यह भी प्रश्न है कि जनता के पैसे का सदुपयोग किस प्रकार करना चाहिये, यह दूसरा प्रश्न है जिस पर विचार, करना चाहिये लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है ऑर्डिनेन्सेज की भरमार को देखकर मालूम होता है कि संभवतः मंत्री लोग केबिनेट में बैठ कर शायद इस बात की होड़ लगाते हैं कि ज्यादा ऑर्डिनेन्स कौन निकालता है। मान लीजिये पंचायत मंत्री ने ऑर्डिनेन्स जारी कर दिया तो शिक्षा मंत्री कहेंगे कि हम किससे कम हैं, हम भी पीछे नहीं रहेंगे। वे ऑर्डिनेन्स निकालते हैं तो जहां तक स्वास्थ्य मंत्री का सवाल है वे भी कहेंगे कि हम भी पीछे नहीं रहेंगे और वे भी ऑर्डिनेन्स निकालेंगे। और राजस्व मंत्री कम थोड़े ही हैं, वे भी समझते हैं कि हम छोटे बाप के बेटे नहीं हैं, हम भी ऑर्डिनेन्स निकालेंगे।

(श्री दुर्गालाल बाहदार)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि छोटे छोटे विभिन्न राज्यों को समाप्त करने के बाद यह विशाल राजस्थान कायम हुआ। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि विभिन्न राजाओं को समाप्त करने के बाद अन्य राजा कायम नहीं हुए। मैं यहां तक कहने को तैयार हूं कि सारे राजस्थान में २०–२१ रियासतें और इतने ही राजा थे उन सब को समाप्त करके एक बनाने के बाद ऐसे ८ महान् राजा अपने अपने दलों को लेकर चल रहे हैं और उन्होंने चन्द सफेद हाथी पाल रखे हैं। इन सफेद हाथियों पर जिस प्रकार का खर्चा होता है उस पर विचार नहीं किया जाता है।

यह बात कही जाती है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जिस तरह से अपील के लिए परमिशन दी जाती है उसी तरह से यहां भी दी जा सके इसके लिए लाया है। अगर आंकड़ों के द्वारा यह साबित कर देते कि आप कुल मिला कर गिन लीजिये कि कितनी अपीलें स्पेशल दायर की गई हैं? जहां न्यायालय के फैसले का प्रश्न है, जहां एक आदमी ने कोई निर्णय दे दिया है उसकी अपील करने के लिए आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं कि वह अपील करने के लिए एप्लीकेशन देगा और मेम्बर विचार करेगा कि उसे स्वीकृति दे या नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपको संशोधन करना है, यदि धारा १० के अन्दर तरमीम लानी है, तो आपका कर्त्तव्य हो जाता है कि इस बात पर एडेमेंट होकर न बैठें कि अपील करने से पहले वह स्वीकृति प्राप्त करे। मैं निवेदन करूंगा कि डिवीज़न बैंच में ऐसा होता है कि हाई कोर्ट द्वारा निर्णय कर दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए एप्लीकेशन दे दी जाती है। एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो जाती है और रिजेक्ट भी। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने से पहले दूसरी दरख्वास्त हाई कोर्ट में पेश नहीं की जाती। मैं समझता हूं, आपको इस बात पर गौर करना है और इस बात पर एडेमेंट होकर बैठे हैं कि पर्मीशन ले। आप यह कर सकते हैं कि डिवीज़न बैंच के सामने अपील करने का प्रोवीजन रखना चाहिए ताकि एक मेम्बर के फैसले के खिलाफ जजेज़ के सामने अपील पेश की जा सके और आदमियों को न्याय मिल सके। ऐसी परिस्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो इसमें प्रावधान कर दिया जाता है तो जो न्याय प्राप्त करने का अधिकार आज तक जन-साधारण को उपलब्ध होता आ रहा है उससे उसे महरूम रखना चाहते हैं! यह जो प्रवृत्ति है यह ऑर्डिनेन्स के द्वारा कानून बना कर न्याय का गला घोटने की प्रवृत्ति है, और इसे समाप्त करना पड़ेगा।

दूसरा प्रश्न जो हमारे सामने चल रहा है वह अतिक्रमिया का है, उसके सम्बन्ध में व्यवस्था करना चाहते हैं। एक ओर यह आश्वासन दिया जाता है, जनता को विश्वास दिलाया जाता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाना है, हमको ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ानी है। हमारे देश के अन्दर अन्न का अभाव है। लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में जितनी भी जमीन बेकार पड़ी हुई है, जो काबिले काश्त नहीं है, उस पर भी ज्यादा से ज्यादा पैदा करने का यत्न करना चाहते हैं, प्रयत्न करना चाहते हैं। और दूसरी ओर जो कानून बनाया है, उसके अन्दर भावनायें इस

Page No. 51

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

प्रकार की रखी गई हैं कि अतिक्रमिक आते हैं, जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और उस पर काश्त कर लेते हैं तो काश्त की फसल तैयार हो गई हो या नहीं आप उसको बर्बाद कर सकते हैं, यह अधिकार आप लेना चाहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अब तक जो कानून था कि यदि अतिक्रमिक पन्द्रह गुना मुआवजा डेमेज के रूप में राज्य सरकार को दे सकता था और उसका अधिकार था कि उसने जो काश्त की है उसको उठा कर ले जा सकता था। अब आप ऑटोक्रेटिक शक्ति अपने हाथ में लेना चाहते हैं, किसानों पर जुल्म करने की शक्ति लेना चाहते हैं कि एक आदमी ने भूखा रह कर परिश्रम करने के बाद फसल बोई है, वह पन्द्रह गुना मुआवजा देने को तैयार है, फसल बीच में खड़ी है कि एक ऑफिसर की इच्छा हुई और वह फसल को रखने देना चाहेगा तो रखने देगा और नहीं रखने देना चाहेगा तो बीच में उठा कर ले जा सकता है।

जहां तक राजस्व मंडल का प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहता हूं और इस तरमीम के बारे में अपने विचार पेश करना चाहता हूँ कि रूल्स लैंड रिकार्ड्स के बने हुए हैं वे आपके द्वारा बनाये हुए रूल्स हैं, उनके आधार पर पटवारी और गिरदावर की पोस्ट के एक्जामिनेशन के रूल्स बने हुए हैं, उनके अनुसार एप्लीकेशन इन्वाइट की जाती है। आपको मालूम है और माननीय उप-मन्त्री जी भी अच्छी तरह से जानते हैं कि गई साल सैंकड़ों आदमियों के प्रार्थना-पत्र इन्वाइट किये गये थे, लेकिन कोई चांस किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया। इस वर्ष उन सारे नियमों की व्यवस्था को दोहराना चाहते थे उनको नहीं दोहराया गया और जिन आदमियों को प्रमोशन दे दिया गया है, मैं समझता हूँ कि उनमें नियमों का पालन नहीं किया गया है। किन किन व्यक्तियों को प्रमोशन दिया गया है आप इसकी जांच करना चाहते हैं तो जांच करिये। आप देखेंगे कि सुधार होने के बजाय इस प्रकार से भ्रष्टाचार और अनियमितता फैल रही है। मैं समझता हूं कि इसको बन्द करना चाहिए। साथ ही जो, लोग न्याय प्राप्त करना चाहते हैं जो इन्साफ प्राप्त करने का अधिकार जनता को स्पेशल अपील के द्वारा प्राप्त था तो अब प्रश्न आता है कि जो एक स्टेटुअरी राइट कानून के तहत मिला हुआ था, और कानून के अनुसार इन्साफ प्राप्त करने का अधिकार मिला हुआ था उससे वंचित क्यों करना चाहते हैं? आप इन प्रवृत्तियों को छोड़िये। ये दमनकारी प्रवृत्तियां हैं इनको समाप्त कर दीजिये। जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा उस भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश करें और साथ ही मनमाने ढंग से ऑफिसर जैसा चाहते हैं, तहसीलदार, कलेक्टर आदि मनमानी करते रहते हैं उनको रोकने की कोशिश कीजिये जिससे सुचारू रूप से कार्य चल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह देखा जाय कि सब विभागों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किस

(श्री विजयसिंह झाला)

में है तो सबसे ज्याद, भ्रष्टाचार अगर किसी विभाग में है तो वह विभाग हमारे मुख्य मंत्री का है । इस विभाग को आज दिन तक केवल कांग्रेस एजेंसी के रूप में लिया गया है और इसका कटु अनुभव उदयपुर डिवीज़न में रहने वाले व्यक्तियों का है । ऐसी स्थिति में इस विभाग के किसी अधिकार की किसी प्रकार से बिल के द्वारा शक्तियां बढ़ाई जायं, इस बात को किसी रूप में सहन नहीं कर सकते । इसमें अपीलेट ऑथोरिटी, कलेक्टर और तहसीलदार की शक्ति बढ़ाई गई है । इस सम्बन्ध में हमें देखना है कि आज दिन तक जो अपने अधिकारों को राजनैतिक प्रभाव के रूप में काम में लाते हैं उन अधिकारों को देने के बाद वे सही रूप में काम में ले सकेंगे या नही यह गम्भीर प्रश्न है । गत सेशन में मैंने राजस्व विभाग के कुछ पत्र उदयपुर के प्रश्न को उठाते हुए पेश किये थे और उसमें इन्क्वायरी चाही थी । उसके बारे में उत्तर दिया गया था, कलेक्टर की तरफ से उसमें लिखा गया था एक गुलाम अब्बास के विरुद्ध केस लगा हुआ था उसमें एक महीने में निर्णय दे देना चाहिए था लेकिन सात साल से केस पड़ा हुआ था और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई । तो राजनैतिक प्रभाव से सरकार रेवेन्यू ऑफिसर्स से काम कराती है, उसमें और शक्ति किस प्रकार से दी जा सकती हैं, उस सम्बन्ध में जांच करने के लिए मुख्य मन्त्री ने भी आश्वासन दिया था और कहा था कि रेवेन्यू विभाग के ऑफिसर को कायम किया जायगा, एक कमीशन कायम किया जायगा और कमीशन के रूप में मथोक को नियुक्त किया गया । हमें सूचना दे दी गई । हमने इन्क्वायरी के लिए वहां फेक्ट्स इकट्ठे किये थे । लेकिन अफसोस की बात है कि मथोक के सामने कई फेक्ट्स रखे कि दरअसल में मुआवजा देना चाहते हैं वह अवैधानिक रूप से दिया, कम रकम बनती है और ज्यादा रकम दी गई, इस प्रकार के फेक्ट्स रखे हैं । उन्होंने कहा कि मुझे एक पॉइन्ट पर इन्क्वायरी करने का अधिकार है, इन सारे अधिकारों पर इन्क्वायरी नहीं कर सकता । उन्होंने यह भी कहा कि केवल एग्रीकल्चरल लैंड के मुआवजे के सम्बन्ध में जो तथ्य दिये गये हैं उनकी मैं इन्क्वायरी कर सकता हूं । मैंने कहा कि चार आधार थे प्रथम आधार था कि रेवेन्यू विभाग राजनैतिक दबाव से काम करता है, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स भी असेम्बली में प्रस्तुत किये थे, उसके बारे में जांच नहीं की । इस बारे में और मसले थे, जिनके आधार पर साबित कर सकते थे कि उदयपुर जिले के अन्दर सारे के सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स कांग्रेस की एजेंसी के रूप में काम करते हैं । मैंने मुख्य मन्त्री जी को भी कागज लिखा था और उन्होंने सदन में आश्वासन दिया था उसके आधार पर चार पॉइन्ट रखे थे । उनके ऊपर जांच होनी चाहिए थी लेकिन उनको अधिकार नहीं दिया गया था । हम भी जब तक उन आधारों पर कार्यवाही नहीं हो तब तक उन पॉइन्ट्स को सामने नहीं रखना चाहते थे । इस प्रकार और कई उदाहरण हैं डूंगरपुर के कि छः महीने के अन्दर तीन बार कलेक्टर का तबादला किया गया । एक बार कलेक्टर को बैठाया जाता है और उसको अपोजीशन पार्टी के एम० एल० ए० से प्रभावित मान लेते हैं, उस पर लांछन लगाया जाता है कि अपोजीशन पार्टियों से मिला हुआ है इसलिए इसका तबादला करो । इस प्रकार छः महीने

(श्री विजयसिंह झाला)

के अन्दर तीन कलेक्टर्स के तबादले क्यों किये गये। कारण यह है कि आप सोचते हैं, कौनसा मोहरा फिट हो सकता है जो चुनाव में ज्यादा से ज्यादा काम करे।

आप यह सुन कर ताज्जुब करेंगे कि वह पर राजस्थान के बाहर के ऑफिसर्स कितने हैं वहां पर केवल ग्राम सेवक आपको ८० पर्सेंट यू. पी. साइड के मिलेंगे। इसका कारण यही है कि स्वतन्त्र पार्टी के प्रचार को कैसे दबाया जावे। वहां पर अध्यापक बाहर के कितने हैं उसकी तरफ आप ध्यान देंगे तो आपको मालूम होगा कि ५० प्रतिशत अध्यापक बाहर के हैं। इनको जाने दीजिये, लेकिन आपका रेवेन्यू विभाग है उसमें तो कम से कम आपके आदमी रहने चाहिये, मगर उसमें भी आपके कितने आदमी हैं? आप उसको भली भांति जानते हैं। आप जो लोग आपके मोहरे फिट नहीं होते उनका फौरन तबादला कर देते हैं। आपने मोतीसिंह, एस. डी. ओ का तबादला उदयपुर में ५-७ दिनों में तीन जगह कर दिया केवल आपने अपने मोहरों को फिट करने के लिये। इनके तबादलों पर कितना रुपया टी. ए. और डी. ए. में खर्च हुआ, इसकी आपको कोई चिन्ता नहीं। आप रेवेन्यू विभाग की आमदनी को इस प्रकार से काम में लेते हैं।

अभी गत वर्ष में आर. ए. एस. का एग्ज़ामिनेशन हुआ और उसमें तहसीलदार और बी. डी. ओज़. को भी बुलाया गया। मैं यह कहूंगा कि इसमें बहुत पक्षपात हुआ और तीन ऑफिसरों के नम्बर काट कर बढ़ा दिये गये। आप चाहें तो फाइल मंगा कर देख सकते हैं यह फाइल पर मौजूद है। इन तीनों में से एक तो तहसीलदार थे जो माननीय मंत्रीजी के रिश्तेदार थे उनको बाई ग्रेस नम्बर दिये गये। एक इंजीनियर के रिश्तेदार थे जो किसी अधिकारी के बंगले पर काम करते थे और उनको भी बाई ग्रेस नम्बर दिये गये। इस प्रकार का पक्षपात किया गया और इसी के कारण जो रिज़ल्ट मई में निकलने चाहिये थे उनको निकलने में इतनी देर हुई। तीसरा व्यक्ति एक बी. डी. ओ. था। जिसको पहले सस्पेन्ड किया गया था। उसको रिश्वत के आरोप में सस्पेन्ड किया था। और रिश्वत लेने की कार्यवाही चल रही थी जो एक सेक्रेटरी साहब के रिश्तेदार थे और उनको ग्रेस दिया गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उपमंत्री राजस्व): मंत्री के रिश्तेदार कौन हैं वह आप बतावें?

श्री विजयसिंह झाला: आप उप-मंत्री हैं। मैंने मंत्री महोदय की बात कही है कि वे मंत्री महोदय के रिश्तेदार हैं, आप कोई मंत्री नहीं है।

आप फाइल मंगवा लीजिये, आपको मालूम हो जावेगा कि काटा-बाढ़ा हुआ है या नहीं और बाई ग्रेस तीन आदमियों को पास किया गया है या नहीं। जब आप ऐसा करेंगे तो सरकारी ऑफिसर आपके इशारे पर नाचेंगे। हम यह चाहते हैं कि राजस्थान रेवेन्यू विभाग में किसी अधिकारी को अपने प्रमोशन के लिये आपके मुंह को नहीं ताकना पड़े, इसके लिये आपको नया रास्ता निकालना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इन रेवेन्यू

(श्री विजयसिंह झाला)

के मामलों में जुडिशियल प्रोसीजर है उसको एडॉप्ट करने जा रहे हैं....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, यह इससे रिलेवेन्ट नहीं है। आपको अधिकार है। दर असल आप अधिकार बढ़ा रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि आप अधिकार बढ़ाइये लेकिन इससे पहले प्रमोशन के लिये आपका मुंह उनको ताकना पड़ता है और आपके इशारे पर उनको नाचना पड़ता है, इसको बन्द करिये। और यह तभी हो सकता है जब आप अपने पॉवर का मिसयूज़ न करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज तक इसका मिसयूज़ हुआ है और आगे जाकर भी होगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको बोलते १० मिनट हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट और हैं।

एक माननीय सदस्य : बिल पर ही बोलें।

श्री विजयसिंह झाला : अतिक्रमणकारियों के विषय में इसमें संशोधन किया गया है कि जो फसल वहां पर होगी उसको लेने का अधिकार भी किसान को अब नहीं होगा। मैं समझता हूं कि अगर राजस्व विभाग के सामने कोई मसला है तो यह है और हम भी यही चाहते हैं कि यह किस प्रकार नियंत्रण में आवे। मगर इस संशोधन से आपकी यह समस्या हल नहीं होने वाली है और इसके कारण दूसरे हैं। वे यह हैं कि जितने भी नाजायज कब्ज़े करते हैं वे पटवारियों और तहसीलदारों के इशारों से करते हैं और कई राजनैतिक इशारों से भी करते हैं। जब तक आप इसको चैक अप नहीं करेंगे यह ट्रेसपास का मसला हल नहीं होगा। आपने ऑर्डीनेन्स निकाला था कि जिसका कब्ज़ा तीन वर्षों का हो उसे लीगल करार दे दिया जावे। आपने ऑर्डर निकाला उसके बाद में ज्यादा नाजायज़ कब्जे हुए। उसके बाद में पटवारियों ने, जिस जमीन पर कब्ज़ा नहीं था उन लोगों के नाम दर्ज कर दिये और १० वर्षों से जो लोग वहां पर जिस जमीन की काश्त करते थे उनका नाम दर्ज नहीं किया। इस प्रकार की मिसालें उदयपुर में हजारों हैं। हमने नाथद्वारा की कई मिसालें पेश कीं, मगर कोई कार्यवाही नहीं की गई। कई जगह जहां पर फसलें खड़ी हैं वहां के लिये पटवारी कहते हैं कि कोई फैसल नहीं है और जहां पर कोई फसल नहीं है उसको जिन्स गिरदावरी में दर्ज कर दिया जाता है। इस अतिक्रमण-कार्य को विरोधी दल के सदस्यों के साथ जब तक स्टडी नहीं करेंगे तो इस प्रकार के संशोधन से आपकी यह समस्या हल नहीं होने वाली है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा है कलेक्टर को जमीन को सेल करने के अधिकार के बारे में। जो पहले जमीन को सेल करने के लिये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से स्वीकृति ली जाती थी अब वह स्वीकृति बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से नहीं ली जावेगी। इसका मैं घोर विरोध करता हूं। आप आंकड़े बतावें कि कितने किसानों में बकाया हैं और उनमें से कितने आपके

(श्री विजयसिंह झाला)

रिश्तेदार है या नेतागीरी करते हैं उसमें कितनी रकम बकाया है। मैं समझता हूं कि ८० प्रतिशत बकाया राजनैतिक नेताओं और आपके रिश्तेदारों में ही निकलेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक उप-मंत्री में ४० हजार रुपये बाकी हैं। उन्होंने इन्डस्ट्री के लिए लोन लिया था मगर उसको उस परपज में नहीं लगाया गया। उन्होंने फैक्ट्री लगाने के बजाय मोटर खरीद ली। जब कलेक्टर ने कार्यवाही की तो उस कलेक्टर को रातोंरात वहां से हटा दिया गया और उसका तबादला कर दिया गया।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

उनका ट्रान्सफर इसीलिए किया गया कि उसकी वसूली नहीं करनी थी।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

उसकी वसूली को रोकने के लिए किसी अफसर को दबाया जाता है तो बकाया वसूली नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि किसानों की जमीन उनके कर्जे के लिए बेचना उचित नहीं। और मैं इसका घोर विरोध करता हूं। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रस्ताव है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६४ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे। इस बिल के जरिये जो एमेन्डमेन्ट लाये हैं उसके बड़े दूर–गामी परिणाम निकलने वाले हैं और यह बहुत गंभीर समस्या है। इसमें सबसे पहला एमेन्डमेन्ट है उसमें यह है कि एक सदस्य के निर्णय के विरुद्ध अपील केवल उसी दशा में होगी यदि वह सदस्य जिसने निर्णय दिया है अगर वह चाहे कि अपील डिवीजन बैंच में करे और इजाजत दे तो अपील की जा सकती है। जहां हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री गजेन्द्र गडकर यह कहते हैं कि लोअर कोर्ट में भी दो जज होने चाहियें, वहां हमारी सरकार सिंगल जज को यह अधिकार देना चाहती है कि अपील करने की वह आज्ञा दे या नहीं। इससे लोगों को पूर्णतया न्याय नहीं मिलेगा। यह तो वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो रेवेन्यू बोर्ड में रोजाना एपीयर होते हैं। वे जानते हैं कि यदि जानबूझ कर कोई गलत फैसला दिया गया हो और कोई अपील करना चाहता है तो वह अपील करने की क्यों इजाजत देगा? क्यों वह अपने जजमेंट के खिलाफ अपील करने और अपनी गलती को सिद्ध करने के लिए अपील की इजाजत देगा? इसमें लीव टू अपील का अधिकार नहीं है इससे न्याय-व्यवस्था घटेगी, बढ़ेगी नहीं। हाई कोर्ट में तो यह लीव टू अपील का अधिकार दिया गया है। न्याय ठीक तरह से लोगों को मिले इसके लिये यह आवश्यक है कि इस प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये और अगर दिया जाता है तो मेरी पूरी तरह मान्यता है कि लोगों को न्याय नहीं मिलेगा।

इसी प्रकार दूसरा जो एमेन्डमेंट है उसमें जो नाजायज कब्जे हैं उसके बारे में यदि किसी व्यक्ति ने नाजायज कब्जा किया है तो सरकार उससे १५ गुना लगान वसूल करेगी और उसके फसल काटने तक का अधिकार नहीं देना चाहती है। इससे क्या समस्या हल होने वाली

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

है यह मेरी समझ में नहीं आता ? सरकार यह कहती है कि इससे नाजायज कब्जे बढ़े हैं। ये इसलिए बढे हैं कि आपने एक घोषणा कर दी कि जितने भी अब तक नाजायज कब्जे हुए हैं उनको वेलिड करार दे दिया गया। उसी प्रकार से लोग सोचते हैं कि आप पब्लिक प्रेशर से या कांग्रेस के वोटिंग लेने की वजह से या जनता की मांग पर अगर इतने नाजायज कब्जे जायज हो सकते हैं तो आज भी हम ऐसा ही करें और दो-चार साल बाद फिर ये जायज़ हो जायेंगे। तो नाजायज़ कब्जे इसलिये बढ़ रहे हैं कि आपकी नीतियां खराब हैं, आपके नीचे के अधिकारी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। वे खुद पैसे लेकर नाजायज़ कब्जे करवाते हैं। इसके लिए मैं दो-चार स्पष्ट उदाहरण देना चाहता हूँ:

तहसील प्रतापगढ़ के मौजा रतनपुरिया से मावजी, मगजी, नागदाजी, रामा लालिया और कुशाली मीना से ५००) लेकर ६४ बीघा जमीन पर नाजायज कब्जा करवा लिया। तहसील प्रतापगढ़ के मोजा सुहागपुरा में लालका मुसलमान से १००) लेकर बिना नाम जमीन पर कब्जा करवा लिया।

मौजा सांडनी नील का पठार पर लखमा मीना बेनलिया वाला बांसवाड़ा से ५००) लेकर ५० बीघा जमीन पर कब्जा करवा लिया। इसी प्रकार रामपुरिया शामरडूंगरी गढ़िया खेरी आदि मौजों से ५००) लेकर नाजायज कब्जा करा लिया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): किसके बारे में आप कहते हैं?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : नाजायज कब्ज़ों के बारे में।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किसने करवाए?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : पटवारी ने और किसने?

मोजा बरमंडल में मिसल नं० २५९ ता० २६-६-५८ हिम्मतसिंह राजपूत साकिन प्रतापगढ़ आराजी नं० ४५६ बीघा १०॥ ३ व ४६३ बीघा २॥ १ रकबा अलाटमेंट इसका इंतकाल रु० १२६ पटवारी श्री भंवरलाल ने दिनांक १७-८-५८ को उसकी तस्दीक १२-४-६१ को हुई। उसमें पटवारी मुस्तफा ने हिम्मतसिंह के बजाय हरिसिंह पिता हमीरसिंह दर्ज कर रुपये ५०० लिये तथा जमीन हरिसिंह के हवाले कर दी। मोजा अनुपुरा में सबला पिता देवी मीणा नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है फिर भी तकावी फार्म पर गलत तस्दीक कराकर रु० ५०० तकावी के दिला दिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्या पढ़ रहे हैं आप? क्या यह कोई जजमेंट है या....

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : जजमेंट नहीं है। मेरे पास लिखा हुआ है। नोट है मेरे पास।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या यह सब गैरकानूनी है?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : अलॉटमेंट किसके नाम पर हुआ और जमीन किसको दे दी? हिम्मतसिंह के बजाय हरिसिंह को दे दी?

श्री उपाध्यक्ष : समय का ध्यान रखें।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : जी हां। आप बताइए १९५९ से लेकर आज १९६४ तक कितने लोगों ने नाजायज़ कब्ज़े किए और कितनी जमीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया। अब जमीन कितनी बच गई है जिस पर नाजायज़ कब्ज़ा हो गया है जो होने थे वे हो चुके। अब तो कोई बचा नहीं। मेरा कहना है कि अगर यह प्रावधान रखा गया तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा क्योंकि आज जो पटवारी सूचना देता है वह सूचना भी नहीं देगा, वह रुपये लेकर तहसीलदार को सूचना भी नहीं देगा। आज जो १५ गुना लगान मिलता है वह भी नहीं मिलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : One minute only.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : दूसरा प्रश्न यह आता है कि यदि आपने उसके फसल को हटा दिया तो फसल जो पैदा हुई है वह कौन लेगा ? किसान या सरकार ? अगर सरकार तो क्या सरकार ऐसी स्थिति में है ? यदि आधी फसल बोई हुई है तो क्या आप लेने की पोजीशन में हैं ? तो उसका क्या होगा ? क्या सारा काम आप करेंगे ? इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। १५ गुना जो लगान आ रही है वह भी नहीं आयेगा।

दूसरा जो अमेंडमेंट है उसमें कलेक्टर को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह लैंड को सेल कर सके। मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जब कलेक्टर को इतने अधिकार हैं कि वह पी० डी० आर० के तहत भी वसूल कर सकता है तो उसके लैंड ऑक्शन के अधिकार देने से क्या फर्क पड़ेगा ?

इसलिए इन दोनों का बड़ा विरोध करते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ताकि सारी बातों पर पूरी तरह से विचार हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमें दो बिल आज पारित करने हैं इसलिए समय का निर्धारण इस तरह हो कि हम १२ बजे से पहले इसे समाप्त करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह भी बड़ा बिल है।

श्री उपाध्यक्ष : १२ बजे से कम हो, अधिक नहीं।

श्री रामकिशन (वैर) : मैंने प्रस्ताव रखा है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में संशोधन लाए गए हैं उनके कई तरह के परिणाम हो सकते हैं। जहां तक मैं अपने जिले की बात जानता हूँ वहां इसका अलग असर होगा। सरकार की मन्शा है कि नाजायज़ कब्ज़े वाले लोगों को प्रोत्साहन न दिया जाय, उनको रोका जाय। उसकी फसल काटने या न देने से कुछ नहीं होने वाला है। जैसे भरतपुर, अलवर वगैरह जगहें हैं वहां नाजायज़ कब्ज़ा उन लोगों का है जो समाज के प्रभावशाली लोग हैं। जहां तक नाजायज़ कब्ज़ा रोकने का सवाल है, उसका तो मैं स्वागत करता हूँ। यह बहुत जरूरी था क्योंकि किसान लोग तो करते नहीं थे। पुराने जमींदार, जागीरदार ऐसे

(श्री रामकिशन)

लोग नाजायज़ कब्ज़ा करते रहते हैं और फायदा उठाते हैं। अगर सरकार की मन्शा है कि इस तरह के लोगों को निरुत्साहित करें तो मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा भी है। मैं सारे राजस्थान की बात नहीं करता, जैसे भरतपुर जिले की स्थिति है, वहां छोटे-छोटे बिस्वेदार थे, छोटी-छोटी जमीन के मालिक थे और पटवारियों की गलती से और किसान की गैरजानकारी की वजह से जिन लोगों की २०–२० साल की टीप नहीं दर्ज की गई इसका असर यह हो सकता है इस कानून से द्वारा कि जो किसान २०–२० साल से काश्त करते आ रहे थे और जो वास्तव में जमीन के मालिक थे उनकी भी इस कानून के द्वारा फसल बरबाद होने का सवाल पैदा हो जायगा। उपमंत्री को इन बातों का ध्यान रखकर कानूनों का संशोधन करना चाहिए।

दूसरा इसमें अपील का सवाल रखा है। आज राजस्थान का राजस्व मंडल इतना ही बदनाम है जितना कि पुलिस विभाग। अब कौन लोग बदनाम हैं, कौन नहीं है मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। यहां लिखा गया है कि एक मेम्बर की अपील के........

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : यह तो आप कह रहे हैं।

श्री रामकिशन : आप तो वकील हैं, वकील का सर्टीफिकेट लिए हुए हैं। तो इसका नतीजा यह निकलेगा कि एक मेम्बर के फैसले के खिलाफ अपील नहीं हो सकेगी। हो सकता है कि सरकार की मन्शा जल्दी काम करने की हो, तो इसका हल यही है कि राजस्व मंडल की शक्ति बढ़ाई जाय। इसलिए बढ़ाई जाय क्योंकि कमिशनरों के पद समाप्त होने के बाद राजस्व मंडल के पास और भी कई काम आ गए हैं। केस वर्क में डिले होता है, फैसले देरी से होते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि राजस्व मंडल की शक्ति बढ़ायी जाय और न्याय के लिए दो–चार मेम्बर्स बढ़ा देते हैं और उसके पन्द्रह बीस हजार रुपये वार्षिक का खर्चा बढ़ जाता है तो कोई विशेष बजट पर असर भी नहीं पड़ता है। लेकिन इससे लोगों को न्याय मिल जाता और विशेष दिक्कतें हैं लोगों की वे मिट जाती हैं।

होता क्या है कि आज न तो तहसील का मुआयना हो पाता है, न कलेक्टर, एस. डी. एम. कोर्ट का मुआयना होता है। जहां भ्रष्टाचार दो वर्ष पहले पांच प्रतिशत था तो इन के कारण अब पन्द्रह हो गया है। सरकार संशोधन किसी अच्छी मन्शा से लाती है। यह कानून जो लाया गया है वह उसी मन्शा से लाया गया है। उसको लाने में कोई मंशा गलत नहीं है। जो मंत्री सरकार में है उनकी इसको लाने में कोई दुर्भावना नहीं है। मैं नहीं मानता कि कोई दुर्भावना है। लेकिन उनकी जो कार्य-प्रणाली है, काम करने का तरीका है उसका नतीजा उल्टा निकलता है। इसीलिए उन पर दुर्भावना का आरोप लगता है। और उसको दूर करने की सरकार चेष्टा नहीं करती।

अपील का अधिकार रखना चाहिये और राजस्व मंडल की शक्ति बढ़ायी जाय और मेम्बर्स की संख्या की भी वृद्धि की जाय ताकि अपीलों का निपटारा हो सके।

जहां तक जमीन की बिक्री का सवाल है, यह बिल खतरनाक है। मैं इसको बहुत

(श्री रामकिशन)

खतरनाक समझता हूं। किसान की जमीन कभी बिकनी नहीं चाहिए। छोटे २ लोगों पर बकाया बहुत कम रहती है। यह मेरी जानकारी है और अनुभव भी है। कभी कोई इसके लिए परेशान हो, लेकिन उन लोगों पर ये सारे मामले हैं जो बड़े समाज में कहे जाते हैं, जिनके पास साधन हैं, जो सरकार से लेकर छोटे २ तक बना कर रखते हैं, उस पर यह बकाया है। किसान की जमीन एक दफा बिक जाती है तो वह उसके हाथ नहीं आती।

यह पूरा ही बिल एक महत्वपूर्ण बिल है। इससे बड़ा नफा और नुकसान हो सकता है। इसलिए इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इसीलिए मैंने इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज कर इस पर विचार किया जाय यह प्रस्ताव रखा है। इस बिल का असर अलवर भरतपुर में अलग होने वाला है; चित्तौड़, डूंगरपुर, उदयपुर के क्षेत्रों में जहां आदिवासी रहते हैं, इसका अलग असर होने वाला है। इसलिए सरकार इसको एक जिद्द का प्रश्न न बनावे और इसको सिलेक्ट कमेटी में जाने दिया जाय। उपमंत्रीजी जो कानून के एक्सपर्ट हैं वे इसमें बैठेंगे। अन्य भी कानून को जानकारी व इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्ति बैठेंगे। शायद इससे अच्छा रास्ता निकल आये। इससे सरकार को मदद ही मिलेगी, विरोध नहीं मिलेगा। न इस प्रकार की हमारी आदत है। लेकिन सरकार की यह आदत बन गयी है कि यदि हम काई अच्छा सुझाव दें तब भी वह अमान्य और गलत दें तब भी अमान्य। इसी कारण गड़बड़ियां होती हैं। सरकार के कानून का असर खत्म होता जा रहा है लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा है। मैं इसमें अधिक लम्बे नहीं जाना चाहता, इसे सरकारी पक्ष को स्वीकार कर लेना चाहिये। जब लाखों और करोड़ों लोगों को सुभीता हो तो आपको इस पर अधिक गम्भीरता से विचार करना चाहिये और यही लोकतन्त्र का तकाजा है। वे अपने आपको लोकतन्त्रीय सरकार कहते हैं, हैं नहीं, ऐसा वे मानते हैं तो इसको उनको मानने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

(अनुपस्थित)

श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ बिश्नोई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्षजी, लैंड रेवेन्यू बिल में ३ धाराओं में संशोधन करने हेतु यह बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है। मैं आपके जरिये माननीय राजस्व मंत्रीजी के विचार करने के लिए कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। धारा ९१ की सब-धारा (२) है उसको डिलीट करने का प्रावधान किया जा रहा है, इसके बारे में माननीय मंत्रीजी से आपकी मार्फत एक ही जानकारी करना चाहूंगा कि जो ट्रेस्पासर्स हैं, बगैर ऑथोरिटी के उसने फसल काश्त की, उसकी फसल का क्या होगा, उसकी फसल का किस प्रकार डिस्पोजल किया जायगा। इसमें कोई उसकी जानकारी नहीं

Page No. 60

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

है। पहले था कि १५ गुना जुर्माना अदा करने के बाद काश्त ट्रेस्पासर को लेने का हक होगा। लेकिन उसको डिलीट करने के बाद पूरी धारा को पढ़ने से यह पता नहीं लगता है कि सरकार उस फसल का ऑक्शन करेगी या किस प्रकार उसका डिस्पोज़ल करेगी, इसमें उसका स्पष्टीकरण प्रकट नहीं होता।

दूसरा जो अमेंडमेंट अपील करने के बारे में है, सिंगल मेम्बर के जुरिस्डिक्शन को बढ़ाने की बात है, ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में बताया गया है कि दूसरी बेंचों के पास उतनी की उतनी अपीलें जाने का खतरा है, सुपरफ्लुअस केसेज़ जाते हैं इसलिए उसको रोकने का प्रावधान करने की कोशिश की गई है।

मैं जानकारी करना चाहूंगा। फालतू केसेज रेवेन्यू बोर्ड में न जायं। मैं इसको मानता हूं। लेकिन जो जिनाइन केसेज हैं सिंगल मेम्बर बैंच अपील की इजाजत न दे तो हाईकोर्ट में जाने का जैसे प्रावधान है उसी प्रकार इसमें भी प्रावधान किया जाना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हाईकोर्ट में कौनसा प्रावधान है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : लीव ग्रान्ट नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट में लीव ग्रान्ट के लिए जा सकते हैं।

इसी तरह से सिंगल मेम्बर किसी वजूहात के कारण लीव न दे तो प्रावधान होने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व उप–मंत्रीजी कानून की पूरी जानकारी रखते हैं। ऐसे केसेज नोटिस में आये हैं कि रेवेन्यू बोर्ड की ओर से ऐसे जजमेन्ट हुए हैं कि जो हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किये गये हैं। रेवेन्यू बोर्ड का जजमेन्ट इतना छोटा होता है कि पूरी बहस के बावजूद भी, जैसा हमारा पिछला अनुभव है, ऐसे जजमेन्ट हुए हैं कि हाईकोर्ट ने सेट एसाइड करके कुछ मामलों में तो स्ट्रिक्चर्स भी पास किये हैं। सिंगल मेम्बर की व्हिम हो सकती है लीव न दे। इसलिए वापिस अपील करने का प्रावधान अमेन्डमेन्ट बिल में या दूसरे किसी रूप में किया जाना निहायत जरूरी है ताकि कुछ ऐसे केसेज़ हो सकते हैं, हाईकोर्ट में रिट ज्यादा से ज्यादा न जाय उसको सेफगार्ड करने की आवश्यकता है।

तीसरा, माननीय उपाध्यक्षजी, धारा २३५ में अमेन्डमेन्ट बिल द्वारा प्रावधान किया जा रहा है। पहले एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू को वसूली के लिए रेवेन्यू बोर्ड की सैंकशन लेनी पड़ती थी। अब डिलीट करने की व्यवस्था की जा रही है।

माननीय उपाध्यक्षजी, ऑर्डिनेन्स जारी किया गया। दूसरे जिलों की तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है लेकिन सांचोर तहसील की मुझे पूरी जानकारी है कि तहसीलदार द्वारा कानून की गहराई को न देखते हुए तीस–तीस चालीस-चालीस रुपयों के एरियर के लिए काश्तकारों की सैंकड़ों बीघा जमीन को नीलाम कर दी गई।, उनकी खातेदारी को नीलाम कर दिया जाता है, इससे काश्तकार लैंडलेस टिनेन्ट बन जाता है और वापिस जमीन मिलने में बड़ी दिक्कतें आती हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस ऑर्डिनेन्स में तहसीलदार को अधिकार नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : माननीय मंत्री जी कलेक्टर के यहां से जब वसूली के लिए आदेश आते हैं तो तहसीलदार ही वसूली की कार्यवाही करता है वह बिना समझे बूझे खातेदार के खेत को नीलाम कर देता है। आप जानकारी मंगा सकते हैं थोड़े से लेन्ड रेवेन्यू के एरियर वसूल करने के लिये सैकड़ों बीघा जमीन नीलाम कर दी जाती है, यह तहसीलदारों की अनभिज्ञता के कारण या जिद् के कारण काश्तकारों के तबालत में पड़ने का खतरा है। इस सेक्शन में जो पहले प्रावधान था उससे काश्तकारों को सेफगार्ड था, वे इसप्रकार की कार्यवाही को रुकवा सकते थे। इससे यह खतरा जाहिर होता है कि काश्तकारों को ज्यादा तबालत उठानी पड़ेगी इस लिये इस धारा को पारित करने से पहले इस मुद्दे पर सिलेक्ट कमेटी में विचार होजाय और जो केसेज इस ऑर्डिनेन्स के लागू होने के बाद सामने आये हैं, किस तरह से क्या हुआ है, पहले क्या परिस्थिति थी और इसके बाद क्या हालात हुये उन सब पर सिलेक्ट कमेटी में विचार हो सकता है। मेरी जानकारी के अनुसार ज्यादातर किसानों से एरियर आफ लैन्ड रेवेन्यू वसूल करने में कोई दिक्कत नहीं आती, काश्तकारों के खिलाफ इसप्रकार के केसेज नजर नहीं आते जिससे काश्तकारों से एरियर आफ लेन्ड रेवेन्यू वसूल करने के लिए उनकी जमीन को नीलाम करना पड़े। इस धारा में जो संशोधन किया जा रहा है उसके लिए पूरा स्पष्टीकरण होना चाहिये। रेवेन्यू अधिकारियों द्वारा जहां इसका मिसयूज़ किया गया वहां काश्तकारों को सेफगार्ड के लिये क्या प्रावधान है उनको क्या सेटिस्फेक्शन है, इसका इसमें खतरा है। खातेदारी की जमीन किसी वजह से जब नीलाम करने का प्रोवीजन रख दिया गया तो उसको रोकने के लिये काश्तकार को जो खातेदारी हक बहुत कीमतें चुकाने के बाद हासिल हुए हैं, उसको एरियर ऑफ लैन्ड रेवेन्यू के लिये डिसपोज़ ऑफ करना कहां तक जरुरी है? इसको स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। जहां तक खातेदारी लेन्ड का सवाल है सी० पी० सी० में भी डिक्रीटेबल अमाउन्ट को वसूल करने के लिये सारे खेत को ऑक्शन करने का प्रावधान नहीं है। वहां जो प्रावधान है वह इस प्रकार से है कि जो फसल हो उसको नीलाम करके डिक्रीटेबल अमाउन्ट वसूल किया जा सकता है वहां पर खातेदारी राइट्स को बेचने का प्रावधान नहीं है। इसलिये खातेदारी बेचने का जहां आप प्रावधान रखते हैं वहां वह अधिकार मिसयूज़ हो सकता है इसको बहुत स्पष्ट करने की आवश्यकता है ताकि इसका मिसयूज़ नहीं किया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, खातेदारी राइट्स किसान को बहुत कीमतें चुकाने के बाद मिले हैं उसको अपनी खातेदारी से महरूम न रहना पड़े। ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि किन्हीं वजूहात से लेन्ड रेवेन्यू किसी में बाकी रह जाय, उसको किस तरह से वसूल किया जाय उसके लिये इस प्रकार के एक्सट्रा ऑर्डिनरी पॉवर्स का प्रोवीज़न रखने से पहले हमें काफी रेस्ट्रिक्शन्स लगाने की आवश्यकता है। अगर काश्त की भूमि सरकार लेकर दूसरों से काश्त करवा सकती है, तो उसमें जो फसल हो उसको नीलाम कर वह वसूल करने का प्रावधान हो। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिये ताकि ज्यादा लैन्डलेस टीनेन्ट न हो

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सकें और ज्यादा विषम परिस्थिति पैदा न हो सके। इन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए, इसको सिलेक्ट कमेटी में दिया जाय ताकि इन सब बातों पर वहां विचार हो सके तो यह अत्युत्तम होगा, इस संबन्ध में क्या संशोधन किये जा सकते हैं यह वहां पर तय हो सकता है।

इसके अलावा, जो रेवेन्यू लॉज़ कमीशन की रिपोर्ट है वह भी इस क्लॉज़ के विपरीत है, ऐसी मेरी जानकारी है। इस चीज को देखते हुए धाराओं में संशोधन करने से पहले माननीय मंत्री महोदय पूरा स्पष्टीकरण दें, ताकि कानून के यूज़ करने को स्थिति पैदा न हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की चर्चा इस विधेयक पर हो रही है, मुझे उससे ऐसा महसूस होता है कि यह जो संशोधन बिल लाया गया है, इसके आने से भयंकर, विषम परिणाम होंगे जैसा कि माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में बताया। जैसा कि धारा १० में संशोधन किया गया उसके अनुसार फैसला देने वाला अगर यह घोषणा करे कि मामला अपील के लायक है, इसकी अपील की जाय। जो फैसला करने वाला है वह कब इस प्रकार का निर्णय देगा, किस तरह से अपने हुक्म के खिलाफ वह निर्णय देगा।

दूसरा, मैं समझता हूं उस फैसले का कोई महत्व नहीं रहेगा इस तरह का संशोधन आने से उसको सुप्रीम पॉवर होंगे। सुप्रीम पावर होने से अपनी मर्जी के माफिक जैसा चाहेगा वैसा करेगा। इससे जो संतप्त व्यक्ति होगा जिसको असन्तोष होगा वह भी अपील नहीं कर सकेगा। इससे क्या होगा कि किसान को सही न्याय नहीं मिल सकेगा। इससे गवर्नमेन्ट का हस्तक्षेप बढ़ेगा। इससे होगा क्या कि जो मंत्रियों के या बड़े बड़े नेताओं के सिफारिश के होंगे उनको तो यह लिख कर दे दिया जायगा कि यह मामला अपील के योग्य है, इस तरह से इन लोगों का इन्टर्फियरेन्स इसमें होगा। इस तरह से सुप्रीम पॉवर्स देना उस आदमी को जो मिस-युटिलाइज़ कर सकता है, उचित नहीं है।

दूसरा इससे क्या होगा कि जनता को निष्पक्ष न्याय नहीं मिल सकेगा और जैसा कि आपका अभिप्राय है कि इससे लोड कम होगा वह भी नहीं होगा। एक सदस्य के निर्णय की वजह से सारी अपील बाद में हो जाती है। अभी हमारे मथुरेशबिहारीजी ने बताया कि इस प्रकार की केवल ३५ अपीलें ही हैं जिनकी अपील हुई। इस संशोधन द्वारा जो धारा १० में रखा गया है वह भ्रष्टाचार, रिश्वत का एक महकमा हो जायगा जो रिश्वतें देंगे उनके मामले को अपील के योग्य माना जायगा।

धारा ११ वीं में जो बताया गया है कि वह विलोपित कर दी जाय जिस धारा के अन्दर १५ गुना जमा देकर के उस जमीन पर जिस पर अनधिकृत कब्जा करता है उस फसल को वह ले सकता है यह कैसे रखा गया है यह मेरी समझ में नहीं आता। एक गरीब काश्तकार है जिसने अपना पूरा धन अपनी सारी महनत लगाता है उस पर पैसा खर्च

(श्री नत्थीसिंह)

करता है और अन्न पैदा करता है अपने बाल बच्चों के पेट के लिये समझ में नहीं आता। हर आदमी अनधिकृत कब्जा नहीं करता वह करेगा जिसके पास अपना पेट पालने के लिये कोई रास्ता नहीं है। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरीके के जो भूमिहीन काश्तकार हैं जिसके पास १५ बीघा जमीन है, इस तरह से उस पर कब्जा करता है तो वह नाजायज़ नहीं है, अगर आप नाजायज़ मानते हैं तो उनके लिये कोई रास्ता बतलाइये। पैनल्टी देने का जहां तक सवाल है उनकी जमीन पर खड़ी फसल कुर्क कर ली जाय, यह समझ में नहीं आता। सरकार एक तरफ प्रोडक्शन को प्रोत्साहन देना चाहती है और दूसरी तरफ इस प्रकार की कार्यवाही करती है जिससे वह फसल न काश्तकार के घर आयगी और न सरकार के घर पर ही।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि इस प्रकार का जो संशोधन है वह ठीक नहीं है इसलिये इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

इसके साथ साथ जहां अनधिकृत कब्जे की बात करते हैं, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, सरकार ने खुद ने अलवर और भरतपुर जिले में मेवों की जमीन पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है। ४७ के अन्दर जो मेव चले गये थे उनकी जमीन पर सरकार ने अनधिकृत कब्जा कर लिया। बार बार मंत्री महोदय आश्वासन देते हैं कि तुम्हारी जमीन वापस कर दी जायगी, मकान वापिस कर दिये जायेंगे; लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। मैं इस बारे में मंत्री महोदय से जवाब चाहूंगा अलवर और भरतपुर जिलों में—अलवर जिले में जो मेवों की जमीन है जिस पर सरकार का अनधिकृत कब्जा है उसको आप वापिस कब देंगे ? चुनाव के दिनों में सुखाड़ियाजी भी वहां गये थे और मेवों को आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारी जमीन को व मकानों को वापिस कर देंगे। जिनके सौ बीघा थी वे आज २ बीघे के लिये तरसते हैं।

जो जमीन फालतू पड़ी है और किसान के पास नहीं है तो क्या वह जमीन पर अनधिकार कब्जा नहीं करेगा। एक तरफ सरकार स्वयं अनधिकार कब्जा करती है और वापिस नहीं करती। दूसरी जगह उनको जमीन देती है, न मकान की कीमत देती है और दूसरी तरफ सरकार इस तरह का संशोधन कानून में लाना चाहती है उन गरीब काश्तकारों का गला घोंटने के लिये। आपको पता नहीं, काश्तकारों की क्या दयनीय स्थिति है ? आपने तो केवल वकालत की है, उसका अनुभव है; किसानों के दुख का नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पर इसके विपरीत कानून के पुतलों ने कानून को तोड़ा, ऐसा व्यक्ति जो कि पूंजीपति हैं कांग्रेसी नेताओं से मिला हुआ है वे कानून की अवहेलना करते हैं, अनधिकार कब्जा करते हैं उनसे कोई नहीं छीनने की हिम्मत करता। गरीब किसान अगर वैसा करे तो वह कुसूरवार होता है। शर्म की बात है यह। सेक्रेटरी महोदय कहते हैं कि जब तक मैं जिन्दा हूं कोई इस अनधिकृत कब्जे के लिये उन पूंजीपति महोदय को नोटिस भी नहीं दे

(श्री नत्थीसिंह)

सकता। एस. डी. ओ. लक्ष्मीकान्त हैं, किशनगढ़ तहसील में, अलवर में। एस. डी ओ. तहसीलदार बाकायदा उसके शिलान्यास में शामिल हुए हैं। सारे राज्य को पता है। पर नोटिस नहीं दिया गया। दूसरी तरफ गरीब काश्तकार जिसके पास खाने को दाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, जो बेकार हैं, जिसके पास जमीन नहीं। वह अपनी शारीरिक मेहनत से उनकी जमीन काश्त करता है और सरकार का और देश के अन्न का प्रोडक्शन बढ़ाता है, उसकी जमीन को सरकार हड़पना चाहती है लेकिन इन जैसे पूंजीपतियों पर तो उनका जोर नहीं चलता, इन पर ये अपना जोर और रौब चलाना चाहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट और। अमेन्डमेन्ट में कहा गया है कि क्लेक्टर को पॉवर दे दी जावे तो कौनसा पॉवर आज भी उसके पास नहीं है। यह तो केवल क्लक्टर को राजी करने के लिये कि उसे ऊपर कागज नहीं भेजने पड़ेंगे इस वजह से कर रहे हैं! तो माननीय उपाध्यक्ष जी, इससे अधिक किसान के साथ अन्याय दूसरा होने वाला नहीं है।

इसके साथ साथ मैं तो यह समझता हूं जैसी एक कहावत है :

"अन्धेर नगरी अनबूझ राजा, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा"।

कोई पूंजीपति, इनका साथी कैसा भी अपराध कर ले, कानून का हनन कर डाले उसका बाल बांका नहीं कर सकती यह सरकार। मैंने अपनी आंख देखा है यह पर गरीब व्यक्ति के लिये कानून बनाती है। मैं नहीं समझता कि जो कानून जनहित में बनाती है यह सरकार, वह भी काश्तकारों के अहित में पड़ता है। रेवेन्यू बोर्ड के ऐसे ही बहुत से कानून हैं। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को पता नहीं कि किसान के लिये क्या क्या करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Order please! You have taken enough timeg.

श्री नत्थीसिंह : जो धारा १० में बताते हैं उससे बेदखल करने की उनकी प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई। अब जो काश्तकारी ही करता है उसके पास दूसरा जरिया अपने गुजारे का क्या है। इसका सोल्यूशन आप निकाल दें तो विथड्रा नहीं करें! एक तरफ तो बड़े बड़े आदमियों को जैसा मैंने पहले बताया पूंजी के जोर से कुछ भी करने की छूट है दूसरी तरफ गरीब किसान के लिये ही आपके ये कानून हैं।

तो उपाध्यक्ष महोदय, इन बातों को कहते हुए मैं अर्ज करूंगा कि मन्त्री महोदय, बहुत अनुभव है उनको, पर प्रैक्टिकली देखा नहीं है किसानों की तकलीफों को, इसलिये प्रैक्टिकली देखने की बात की तरफ ध्यान दिलाता हुआ इसे प्रवर समिति में भेजने के लिये निवेदन करता हूं।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू बोर्ड के सामने जो मुकदमे आते हैं और जो फैसले हो जाते हैं उनके खिलाफ में केवल उसी दिशा में अपील होनी चाहिये, यदि वह यह सिफारिश कर दे कि यह अपील करने लायक है। यह उचित

(श्री भगराज चौधरी)

है। यदि ऐसा नहीं होता है तो अक्सर यह देखा गया है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होने पर रेवेन्यू बोर्ड में डबल बैंच या फुल बैंच में अपीलों की भरमार हो जाती है। इससे रेवेन्यू बोर्ड का कार्यभार बढ़ जाता है।

इसलिये इन सारी बातों पर विचार करके निर्णय लिया गया है। यह उचित है। इसमें न्याय महंगा होने की गुंजाइश नहीं है, न न्याय को टालने की नीयत है।

दूसरा जो संशोधन प्रस्तुत विधेयक में राजस्थान सरकार करने जा रही है वह यह है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा ६१ है, उसमें अनधिकृत कब्जे सालों साल बढ़ते जा रहे हैं और सरकार उनको रोकने में असफल रही है।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूँगा कि मैं भी चाहता हूं कि इन अनधिकृत कब्जों को रोका जावे। इससे गांवों में समस्याएं बढ़ जाती हैं, भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है और शासक दल को भी इन समस्याओं को रोकने में कठिनाई होती है पर इनके साथ दूसरी समस्या भी जुड़ी हुई है, भूमि-हीनों को जमीन बांटने की। इसे भी ध्यान में रखना होगा।

अक्सर देखा गया है कि जो काश्तकार सरकारी जमीन पर बिना इजाजत से कब्जा करते हैं उनमें अधिकतर गरीब काश्तकार होते हैं, भूमिहीन होते हैं इसलिये वे किसी तरह से अपना पेट पालने के लिये इन जमीनों को बोने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी प्रावधान था कि अगर काश्त करना चाहें ये इस तरह से तो तहसीलदार से, रेवेन्यू ऑथोरिटी से पहले से इजाजत ले लें। पर देखा गया है कि लालच में आकर या किसी और कारण से वे अधिकारी उस गरीब काश्तकार की मदद नहीं करते और खुद वे हो बढ़ावा देते हैं इस तरह कि किसी प्रकार से अनधिकृत कब्जे बढ़ें, पेनल्टी उन पर लगाई जावे और तब किसानों से कुछ सैटल होकर वे कुछ उनको देंगे तो पेनल्टी कम कर देंगे। तो इस तरह से भी इस भ्रष्टाचार को और इस अनधिकृत कब्जों को बढ़ावा मिला है। अब इसके लिये सरकार सिर्फ यह कर दे कि जो काश्तकार जिसके पास जमीन नहीं है या बहुत कम है वह बिना इजाजत अगर काश्त करने की कोशिश करेगा तो उसको १५ गुना बीघोड़ी देनी होगी, पर इसके बावजूद भी उस पर उसका किसी प्रकार का कब्जा या खातेदारी हक नहीं माना जावेगा।

तो मैं निवेदन यह करना चाहूँगा कि एक तरफ तो सरकार यह कह रही है कि काश्त योग्य जमीन अधिकाधिक बनाई जावे, काश्तकारों की हालत सुधारी जावे और अन्न उत्पादन भी बढ़े, पर साथ साथ दूसरी तरफ कुछ ज्यादतियां काश्तकारों के साथ में ऐसे प्रावधानों के जरिये करते हैं वह उचित नहीं है। ऐसी समस्याओं पर गम्भीरता से हर पहलू को अच्छी तरह से सोच समझ कर विचार करना चाहिये। फिर यह मामला ऐसा भी नहीं है कि जिसे जल्दी में किया जावे।

साथ में यह भी है कि गांवों मे सरकारी जमीन पड़ी है वह कैसे बांटी जावे जिससे किसान का भी लाभ हो, भूमिहीनों का भी भला हो, और किसी प्रकार का सरकार का भी नुकसान न हो। ये सारी समस्याएं गम्भीरता-

(श्री भगराज चौधरी)

पूर्वक विचारने योग्य हैं।

दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब काश्तकार अनधिकृत रूप से कब्जा करता है और तहसीलदार उसको रोकने की कोशिश करता है और जब अदालत में मामला जाता है तो दोनों दल पार्टी के रूप में खड़े होते हैं लेकिन इस कानून के अलावा एक्चुअली स्थिति यह है कि काश्तकारों को वहां खेत से हटा देते हैं उससे तो उनकी और समस्यायें और परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि इन सारी समस्याओं पर विचार करने के लिए आवश्यक है कि सरकार........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर करें जिससे सिलेक्ट कमेटी जो और राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट और टेनेन्सी लॉज हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए विचार करे जिससे ठीक तरह से इसको हल किया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विट्ठल।

श्री विट्ठल (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (अमेन्ड-मेन्ट) बिल, १९६४ हमारे सामने सदन में पेश हुआ है उस बिल को पढ़ते हुए मुझे यह मालूम हुआ कि जब कि एक तरफ सरकार किसानों के लिए प्रोत्साहन देना चाहती है और कहती है कि 'अधिक अन्न उपजाओ' और दूसरी तरफ कानून में यह दिया गया है कि जो भी किसान अनधिकृत रूप से कब्जा करेगा तो सरकार उसकी काश्त को नीलाम करा देगी। जब कि किसानों के पास कम जमीन होती है और कम जमीन होने की वजह से समय पर पानी जब बरसता है और पानी बरसने के बाद अगर सरकार के सामने जमीन के अलॉटमेन्ट के लिए फॉर्म दिया जाता है और मन्जूरी मांगी जाती है तो वह समय पर नहीं मिलती और अगर कोई किसान जमीन पर फसल के समय पर कब्जा कर लेता है तो फसल को नीलाम कराना सरकार के लिए अच्छी चीज नहीं है क्योंकि यह तो मैं कहूंगा कि बहुत सी जगह पर लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है और वह उन लोगों ने किया होगा.... ...

(१०.४१ म० पू०)

(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)

जिनके पास या तो ज्यादा जमीन होगी या सरकारी नौकर होंगे या प्रभावशाली होंगे। उन्होंने जमीनों पर अनधिकृत कब्जा किया होगा लेकिन जो गरीब काश्तकार है, अनपढ़ लोग हैं उन्होंने कोई अनधिकृत कब्जा नहीं किया होगा। जैसे हमारा बांसवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर या प्रतापगढ़ का हिस्सा है यह जो सारे जिले में उनमें ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं और वहां पर ज्यादा से ज्यादा हर एक किसान के पास २५ बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है और वह जमीन भी जो उनके पास है वह ऐसी हैं कि जो पथरीली है या पहाड़ी है और नदी-नाले ज्यादा हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन जिलों के लिए यह कानून लागू होना बहुत बुरी चीज है क्योंकि वहां के किसानों की एक फसली जमीन होने की वजह से उसके अलावा और कोई काम नहीं है। क्योंकि वहां के किसानों के पास न तो कोई दूसरा धंधा है, न मजदूरी है और न वहां पर कोई कारखाने है जिनमें वह काम कर सकें और न कमा खाने का दूसरा रास्ता है।

(श्री विट्ठल)

सिर्फ उस पहाड़ी जमीन में वह जमीन खड़े और अन्न उपजाये सिर्फ इतना ही साधन उनके पास है। अगर वहां के लिए कानून बना तो वहां किसानों के लिए भुखमरी जरूर पैदा होने वाली है और सरकार के सामने बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। मैं कहूँगा कि ऐसे जिलों में यह कानून नहीं लागू होना चाहिए क्योंकि वहां पर पहाड़ी इलाका है और एक फसली जमीन है और वहां के लोगों के लिए दूसरा धंधा नहीं है जिससे वह अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकें। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि उन जिलों की हालत को देखते हुए इस कानून को वहां लागू नहीं करना चाहिए क्योंकि यह कानून लगा दिया तो उन किसानों के लिए बहुत बड़ी मौत होगी।

दूसरी बात सभापति महोदय, यह है कि जो तहसील की तरफ से समय पर जमीन अलाट होनी चाहिए वह भी नहीं होती है और इसके कारण किसानों को अनधिकृत कब्जा करना पड़ता है। यह मैं कहूंगा कि जो जमीन का समय होता है बरसात के पहले पहले अलॉटमेन्ट करने का वह कोई भी तहसील नहीं करती और न वे समय पर बैठकें बुलाती हैं। यह जिम्मेदारी सरकार की है कि अलॉटमेन्ट कमेटी की समय पर बैठकें बुलायें और मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि आइन्दा के लिए ऐसे जिलों के बारे में जो मैंने कहा है वहां के लिए हिदायत करें कि समय पर बैठकें बुलाई जायें और समय पर अलॉटमेन्ट किया जाये, अगर ऐसा किया गया तो अनधिकृत कब्जे नहीं होंगे। नहीं तो भूखों मरते हुए किसान क्या करेगा? जमीन नहीं खड़ेगा तो क्या करेगा, कहां जायेगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे के लिए सोचें।

श्री सभापति : श्री हीराभाई।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक कल से सदन में विचारार्थ है। उसमें हो सकता है सरकार की मन्शा कुछ बड़े बड़े जमींदार और बड़े बड़े पैसे वाले लोग कब्जा कर लेते हैं इसलिए यह तरीका निकालते हुए अगर कुछ किया है तो मैं नहीं कह सकता कि ठीक है या गलत। लेकिन उसमें अगर परिभाषा निश्चित की जाती तब यह मान सकते थे कि यह गरीबों के लिए है। और जो पैसे वाले लोग जमीन पर कब्जा कर लेते हैं उसकी रोक की जा रही हो तो हमें क्रिटिसाइज़ करने की जरूरत नहीं थी लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और उसमें यह साफ है कि जमीनों के मामले, मन्दिरों वगैरह की जमीन के मामलों को छोड़ कर कोई अनधिकृत कब्जा कर लिया है तो उसके बारे में सरकार जो भी कार्यवाही करना चाहे वह कलेक्टर अपनी मर्जी से करेगा। रेवेन्यू ऑथोरिटी को भी खत्म करके कलेक्टर के अधिकार में है कि वह जो भी करना चाहे कर सकता है। यह उसमें प्रावधान रखा है। मैं यह समझता हूँ कि समाजवादी समाज की दुहाई देने वाली सरकार यह खिलवाड़ करती रहे, यहां की गरीब जनता के साथ और गरीब काश्तकारों के साथ तब मैं समझता हूं कि उनको यह समाजवादी समाज का नारा खत्म करना चाहिए और पूंजीपतिवादी होने का नारा अब सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों की समझ में तो

(श्री हीराभाई)

आये कि यह सरकार किधर जा रही है। लेकिन आज भूमिहीन किसानों को बेदखल किया जाता है तो उनकी रोजी-रोटी का सरकार ने क्या किया ? अगर पहले रोजी-रोटी का प्रबंध सरकार कर देती और बाद में उनको बेदखल करती तो बात समझ में आ सकती थी।

दूसरी बात यह है कि जब उसमें यह भी निश्चित सीमा नहीं है कि अगर काश्तकार अपनी फैमिली को पालने के लिए इतनी सी काश्त करता है तो उसके लिए कोई बेदखल नहीं कर सकता। यह भी होता तो समझ सकते थे कि इसका छोटे लोगों पर असर नहीं होगा। लेकिन उसका भी यहां पर कोई प्रावधान नहीं है। यहां तो सिर्फ वही है कि सरकार जमीन को अपने कब्जे में लेकर नाजायज़ कब्जे करने वाले की फसल को नीलाम करा सकती है। बड़े दुख की बात है कि यह सरकार का रवैया कहां तक बरदाश्त करेंगे और यह सरकार कितने दिन चलने वाली है। या तो यह टाइम बता दें कि हम लोगों पर सवार होते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि यह समाजवादी समाज की दुहाई देने वाली सरकार तो कम्युनिष्ट सरकार से भी खराब है। कम से कम कम्युनिस्ट सरकार डंका बजाकर मजदूरों को रोटी तो देती है लेकिन यह समाजवादी सरकार कहने वाली पूंजीपतियों की सरकार है और उनकी एजेन्ट बन चुकी है और कानून ऐसे बनाती है जैसे कि लोग शांत रहें लेकिन लोग शांत नही रहेंगे। जब हमारे राजस्थान जैसे पिछड़े हुए प्रान्त में इतने लोग भूमिहीन हैं कि जिनकी संख्या ५० प्रतिशत से भी ज्यादा है और एक फैमिली में १० सदस्य होंगे तो कम से कम उनके लिए जमीन ५०-६० बीघा तो होनी चाहिए।

तो मैं यह कहूंगा कि ५० बीघा जमीन हो और फैमिली की तरफ ध्यान देना होगा। तो उसी तरह से हमारे बांसवाड़े के इलाके में बिल्कुल ६ एकड़ २५-३० प्रतिशत लोगों के हाथ में है और बाकी ७० प्रतिशत लोग बिल्कुल भूमिहीन हैं। वे किसी तरह से अपना पोषण करने के लिए एक दूसरे से एक-दो बीघा मांग कर काम करते हैं, या किसी के यहां हाली रह कर काम करते हैं। जब कोई जरिया नहीं रहता है तो भूमिहीन लोग हैं वे आपके डंडे और जुर्म को अपने सिर पर लेकर भी खेती करना शुरू कर देते हैं सरकारी जमीन पर। उसके ऊपर १५ गुना पेनेल्टी लगाई जाती है उसके बाद भी उसको बेदखल किया जाता है और बेदखल होने के बाद भी मजबूर होकर फिर काश्त कर सकता था, लेकिन आपने उसका आज वह दरवाजा भी बन्द कर दिया है। उस तरह की रोजी रोटी पर भी आज सरकार ताला लगाकर गरीबों को हमेशा खून करना चाहती है। मैं समझता हूँ कि ऐसा करने के बजाय आप यह नोटिस निकाल देते इस ऑर्डिनेन्स के जरिये। वह भी कानून पास करालें कि उन पर परिवार योजना का कानून तत्काल लागू किया जाय ताकि उस कानून को मानेंगे तो जिन्दा रहेंगे, बाकी नहीं मानेंगे तो फांसी के तख्ते पर लटका दिये जायेंगे। तब जाकर इस कानून का असर हो सकता है, वर्ना इस तरह के कानूनों से लोगों को बेदखल किया जाय तो उससे भुखमरी पैदा की जा रही है वह दुनिया में नहीं चलेगी। ठीक है लोग जब तक अनपढ़ हैं आप उनको जोर जबरदस्ती का डर बताते हैं उसके नीलाम का डर

(श्री हीराभाई)

बताते हैं, लेकिन लोग दिन प्रति-दिन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे है और भूखा आदमी कानून को नहीं देखेगा और उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आप लोग जो लोगों को जेल का डर बताते हैं तो हम चाहते हैं और लोग चाहते हैं आपकी जेलों को भर दें, लेकिन जो आप इस तरह का काला कानून ला रहे हैं उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।

तो माननीय चेयरमैन महोदय, दूसरा यह है कि पहले अपील का प्रस्ताव था तो अपील के बारे में भी दर्वाजा बन्द कर दिया। कानून में किससे गफलत नहीं होगी, अच्छे से अच्छे आदमी हो सकते हैं। राज्य-सरकार अभी तक १५-१६ वर्ष हो गये लेकिन प्रगतिशील कानून नहीं बना सकती है। आपकी केबिनेट बनी हुई है, कई कमेटियां बनी हुई है, फिर भी कानून ठीक ढग से नहीं बना सके तो एक आदमी निर्णय गलत भी दे सकता है। तो उसके बारे में भी यह लगा दिया गया कि वह लिखे कि यह काबिल अपील है तब जाकर अपील पेश करेगा। अगर वह लिख देगा कि काबिल अपील नहीं है और गलत फैसला हो चुका है तो उसके बारे में आगे के दरवाजे पर ताला लगाना चाहते हैं। क्या सही समाजवादी सरकार की नीति है और फिर भी कहते हैं कि गांधीजी के चेले हैं। उनके नाम से कमाना खाना चाहते हैं तो इसी धन्धे को करें। वैसे भी आपने कई संस्थाएं तो बना रखी हैं, लेकिन कानून में इस तरह से दखल न दें। गांधीजी के नाम को बदनाम न करें, क्योंकि गांधीजी की आवाज पर हम लोग आजाद हुए हैं। गांधीजी की आज्ञा से हम हिन्दुस्तान को आजाद करा चुके हैं। पूज्य बापू गांधीजी के नाम को बदनाम नहीं करना चाहिए और कानून को ढंग से बनाना चाहिए। गरीबों की रोटी-रोजी पर इस तरह से कुठाराघात नहीं करना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि यह नोटिस निकाला है कि कम से कम ६ जून तक यदि किसी को जमीन पर अधिकार प्राप्त करना हो और जमीन चाहते हों तो उस तारीख तक अपना प्रार्थना पत्र पेश कर दें। आपको यह मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में कितना भयकर अकाल है इस टाइम में, और लोग कहां कहां पर गये हुए हैं। कहीं हमारे आसपास मध्य-प्रदेश की सीमा पर रेल पटरी पर, कहीं गुजरात प्रान्त में रेल पटरी पर गये हुए हैं, यू० पी० वगैरह में लोग चले गये हैं. और वहां से आकर कितने दिन में पेश करेंगे प्रार्थना-पत्र और आप उस कानून में इनको जायज मान लेंगे। यह आपका नोटिस निकालना बेजा है और उन पर आप किसी भी दिन सवार हो सकते हैं कि उस तारीख को नोटिफिकेशन कर दिया था उसमें नहीं किया इसलिए हमारी जिम्मेवारी नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी इसमें समझते हैं कि आप लोगों की आंखों पर पट्टी बांधना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं तो वह बात आपकी नहीं चलेगी। उसको अगर चलाना है तो ढंग से चलाना होगा। हरेक ग्राम पंचायत का महीने के महीने साल भर तक यह कहें कि उनके क्षेत्र में भूमिहीनों की संख्या कितनी है। हरेक ग्राम पंचायत के भूमिहीनों की संख्या तहसील में मंगाई जाय और उनकी फेमिली के आधार पर लोगों के पास कितनी जमीन है वह भी उनसे रिपोर्ट मांगना चाहिए। जब कि हर साल इस तरह से रिपोर्ट करते रहेंगे तो भूमिहीनों की संख्या

(श्री हीराभाई)

मालूम होने पर निर्णय करें और जमीन की खोज करें कि फलां जगह जमीन है । तो उस जमीन के लिए उन भूमिहीनों को सूचित करना होगा कि आप लोगों के लिए यह जमीन तैयार की गई है वहां जाकर जमीन पर काश्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र दो । आर्डिनेन्स इस ढंग से निकाले तब जाकर आप लोगों के हित की बात कर सकते हैं ।

आपने जागीरदारों को छोड़ दिया है । मैं समझता हूँ कि जागीरदारों की हर पंचायत में चलती है इसलिए आपने उनको छोड़ दिया है । मैं नहीं कहता कि आप जागीरदारों के साथ मनमानी करें, लेकिन जिनके पास में ज्यादा जमीन है, जो नाजायज कब्जा कर बैठे हैं उनकी भी बात इसमें आनी चाहिए । वह कहां आई है । आप कहेंगे कि वह सीलिंग के आधार पर होगा । सीलिंग का कानून मौजूद है । लेकिन सीलिंग को भी लेकर और ५० या ८० एकड़ को छोड़कर सीलिंग लागू करेंगे । इससे तो जो गरीब है वह तो गरीब का गरीब ही रहेगा । उससे यह सरकार का नारा साफ नहीं होने वाला है । गांधीजी ने यह कहा था कि जब कांग्रेस यह नारा लगाती थी तक यह साफ साफ था कि जो सरकार लोगों के लिए रोजी और रोटी का इन्तजाम नहीं कर सकेगी वह सरकार बिल्कुल नाकामयाब होगी और तत्काल ही उसको भंग कर देना होगा ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

उस जिम्मेदारी को आज आप लोग भूल गये हैं, क्योंकि आपके पंखे की नीचे बैठने का टाइम आया, जीपकार में बैठने का टाइम आया, हवाई जहाज का टाइम आया । जब विदेशी सरकार की हुकूमत थी तो फौजी लोग या दूसरे मरने वाले लोग थे उनकी भूख मिटाने के लिए वह करते थे । अब उनके पेट पर पाटा बांधा जा रहा है । एक तरफ संकटकालीन स्थिति चल रही है ।

(११.०० म. पू)

दूसरे देश, पाकिस्तान वगैरह हम पर आज हावी हो रहे हैं, फिर आप इन गरीबों का सवाल लेकर क्या करेंगे ? मैं समझता हूं गरीबों में आज यह भी भावना नहीं रही है कि हमारी सरकार हमारे लिये कुछ काम कर रही है । पहले वक्त में लोग चाहते थे कि प्रजातंत्र की स्थापना होने के बाद ये लोग हमारे जन-हित की रक्षा करेंगे, हमारे रोटी-रोजी का इन्तजाम करेंगे । हमको गुलामी से मुक्त करके हमारे लिये व्यवस्था करेंगे लेकिन आज १५ साल में उन लोगों ने सारी स्थिति को देख लिया है और आज तो लोग यह कहने लग गये है कि चाहे कोई भी सरकार आवे वह हमारा भला करने वाली नहीं आने वाली है । हमारा भला करने वाले जो पहले थे वे चले गये । अब तो पब्लिक के नुमायन्दे हो गये लेकिन वे हमारा भला करनेवाले नहीं हैं । आप लोग कहते हैं वे भी ऐसे ही होंगे । अपने मतलब के लिये सभी करते हैं चाहे कोई हो हमारा मतलब रोटी-रोजी से है और हमारा कोई मतलब नहीं है । यह बड़े दुःख की बात है कि सरकार छोटे लोगों पर जुर्म करे और अपने स्वयं को हमेशा के लिये निभाने की बात को लेकर गरीबों को कत्ल करना चाहती है । मैं नहीं समझता कि सरकार का ऐसा करना कहां तक उचित है ।....

श्री सभापति : अब आप संक्षेप में ही इसे समाप्त करें और यह

(श्री केसरीसिंह)

बता दें कि सिलेक्ट कमेटी में भेजने से इस तरह से समस्या हल होगी।

श्री हीराभाई : थोड़ी बातें और रह गई हैं। आप यह कहेंगे कि लोगों से दरख्वास्तें लेकर जमीन का पट्टा करना चाहिये, सरकार की तरफ से अधिकार देने चाहिये लेकिन सरकार की तरफ से कोई अधिकार देने को, पोरली ईमानदारी से देने को, हमारे मुल्क में नहीं है। हमारे यहां भ्रष्टाचार का रवैया बन गया है। यह भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक पटवारी, पंच, सरपंच, तहसीलदार, कलेक्टर और मिनिस्टरों तक में चल रहा है। गरीब आदमी समुद्र में डूबने लगता है तो हाथ पांव में ताकत होती है तो डूबने से बच सकता है उसी तरह से आज हमारे यहां के गरीबों के हाथ पांव में ताकत नहीं है इसलिये वे रिश्वत नहीं दे सकते और जब तक आप रिश्वत नहीं दो तब तक आपका फार्म मंजूर नहीं होगा। पटवारी रिपोर्ट नहीं करेगा। और जो इलेक्टेड कमेटी बनी हुई है पंचों, सरपंचों और प्रधानों की उसको रिश्वत नहीं दोगे तब तक जमीन नहीं ले सकते। जब तक भ्रष्टाचारी सरकार के सामने भ्रष्टाचार करने का जो काम हो रहा है उसको बंद नहीं करेंगे तब तक लोग जमीन नहीं ले सकते। वरना लोग इतने पागल नहीं हैं कि एक तरफ जुर्म बने और दूसरी तरफ नाजायज़ काम करें। लोग बेवकूफ नहीं हैं लेकिन मुसीबत से जकड़े आदमी जीवन के साधन जुटाना चाहते हैं तो मैं सरकार से यह निवेदन कर रहा हूं, एक साल में अकाल होता है, हमारे यहां वर्षा ज्यादा होने से भी अकाल हो जाता है राजस्थान में और वर्षा कम होने से भी यहां अकाल हो जाता है क्योंकि पहाड़ी जमीन है, सखड़ जमीन है। लोगों को यह भी कह सकते हैं कि पटवारी की रिपोर्ट की राय देखते रहे, गिरदावर की रिपोर्ट की राय देखते रहे जिन्होंने आज भी सही रिपोर्ट सरकार को नहीं दी है अकाल चल रहा है। राज्यपाल और केबिनेट ऑर्डिनेन्स से तय कर सकते थे कि हरेक आदमी गांवों में जाकर सही रिपोर्ट दे कि वहां पर कितनी वर्षा हुई है, गांवों में उत्पादन कितना बढ़ा है। इस तरह का ऑर्डिनेन्स निकालते तो मैं समझता कि सरकार ईमानदार है और सरकार प्रगतिशील है।

श्री सभापति : आप २० मिनिट तक बोल चुके हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : इनकी प्रोब्लम गम्भीर है। हम लोग इनके यहां की बातें छोड़ गये थे, इसलिये इनको और बोलने दिया जाय।

श्री हीराभाई : मैं कुशलगढ़ की मिसाल देना चाहता हूं। वहां पर कई बार दरख्वास्त प्रस्तुत करने के बावजूद भी लोगों को जमीन नहीं मिली तब उन लोगों ने नाजायज़ कब्जा लेना शुरू किया। तब उन पर एक बीघा जमीन के लिये सात सात सौ रुपयों का जुर्माना हुआ और उसके बाद भूखों मरने के कारण उनको अपने छोरा छोरी ईसाई मिशनरीज के गिरवे रखनी पड़ी या बेचनी पड़ी। पुराने लोग तो हिन्दू धर्म की लाज रखने के लिये हिन्दू धर्म में वापिस लाते थे लेकिन इन लोगों के पेट में आग जल रही थी इसलिये लोग अपना गुजारा करना चाहते थे इस कारण वहां के लोग अपने छोरा छोरी को ईसाई मिशनरीज को बेच रहे हैं, क्या इसके लिये

Page No. 72

(श्री हीराभाई)

सरकार की जिम्मेदारी नहीं है । कल तो सरकार ईसाइयों से छुड़ाकर ला रही थी लेकिन आज की सरकार ऐसा नहीं कर सकती । यह सरकार की जिम्मेदारी है ? क्या सरकार इसके लिये रास्ता निकाल सकती है । इससे तो वे लोग ही अच्छे हैं जो गरीबों का पोषण करें । इस सरकार पर लोगों को विश्वास नहीं है । इसी तरह जिन लोगों के खेत में घास नहीं हुआ करती थी और खेत के आस-पास घास होती थी सरकारी जमीन पर तो किसान लोग उस जमीन से घास पहले से ही काटते चले आ रहे हैं । उनको घास काटने का अधिकार था और सरकार भी इस तरह के नारे लगाती है कि ३ मील की दूरी तक घास काट सकते हैं, लेकिन हमारे यहां जिन लोगों ने अपने खेत के पास घास काटली उनके खिलाफ भी पटवारी ने रिपोर्ट कर दी और तहसीलदार ने वह घास नीलाम कर दी । एक नहीं, सौ आदमियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया । इसलिये मैं कहता हूं कि हमारी सरकार गरीबों के लिये व्यवस्था करने में नाकामयाब रही है । आपने १५ साल में जो करना था वह कर लिया अब तो आप इस्तीफा देकर हमारे हाथ में दे दो हम मिनटों में ठीक कर देंगे । हम नहीं चाहते कि अफसर लोग भ्रष्टाचार करें । केबिनेट और अफसर दोनों ही भ्रष्टाचार करने वाले हैं । मिनिस्टर एक गलती खुद करेंगे और दूसरी गलती अधिकारियों से करायेंगे तो अधिकारी सौ मामलों में अपनी तरफ से गलती करेंगे अगर उनको मिनिस्टर के पास ले जायेंगे तो वह कहेगा कि तुमने भी हमसे गलती करवाई थी । इस तरह से गलतियां करवाने में हमारी सरकार जिम्मेदार है । इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बिल गरीबों का अहित करने के लिए लाया गया है । मैं मानता हूँ कि इससे हित भी हो सकता है लेकिन इसकी भाषा बिल्कुल अहित करने जैसी है, इसलिये इसको प्रवर समिति को दिया जाय ताकि प्रवर समिति इस पर अच्छी तरह से विचार करके जो बाधाएं आने वाली हैं उनको दूर करके पेश करें ताकि सदन इसको पास कर सकें ।

श्री सभापति : श्री चन्द्रसिंह बर्फा ने एक संशोधन प्रस्ताव दिया था विधिवत, लेकिन जब उनका नाम पुकारा गया था उस समय वे सदन में उपस्थित नहीं थे, फिर भी उन्होंने लिखा है कि उनको खास तौर से इजाजत दी जाय । मैं उनको सिर्फ ५ मिनट के लिए इजाजत दे सकता हूँ, फिर गवर्नमेन्ट की तरफ से जवाब होगा ।

अनेक माननीय सदस्य : दूसरे और लोगों को भी बोलना है ।

श्री सभापति : अब टाइम नहीं है ।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : सभापति महोदय, मुझे बोलने के लिए टाइम दिया, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूं ।

सभापति महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू (संशोधन) बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय । ...

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : On a point of order Sir, स्थगन प्रस्ताव किस प्रकार से है ?

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : I am sorry. स्थगन प्रस्ताव नहीं, संशोधन प्रस्ताव है। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि मुझे इन्टरफियर न करें तो मैं ५ मिनिट में समाप्त कर दूंगा। जैसा संशोधन प्रस्ताव आने वाला था हम यह आशा लिये चल रहे थे कि इन अतिक्रमणों के सम्बन्ध में राजस्व मंत्रीजी बहुत जागरूक हैं और नोटिफिकेशन निकाल कर किसानों को सहूलियत देना चाहते हैं। उसके बाद न मालूम क्या अड़चन आई, मेरी उनसे जब पर्सनल बातचीत हुई उस समय राजस्व मंत्रीजी ने बताया कि यह जो हम किसानों को वास्तव में राहत देना चाहते हैं और मामला लीगल रिमेम्ब्रेन्सर के पास भेज दिया है। मेरी समझ में नहीं आता और मैं बड़ा हैरान हूँ, यह सोच कर कि लीगल रिमेम्ब्रेन्सर को भेजने का नतीजा शायद यह बिल है जो हाउस के सामने रखा जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि ऐसे किसानों को राहत देने के लिए उन्होंने जो सक्यूलर १० जनवरी, ६३ को जारी किया था, उस सम्बन्ध में आपकी राय है उसे आप स्पष्ट करें। मैं समझ रहा था कि राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है इसलिए हमारे यहां पर हर किसानों को प्रोफेशनल छूट यह समाजवादी समाज के सिद्धांत को मानने वाली सरकार देगी मगर मैं देख क्या रहा हूँ कि आज किसान सरकारी कानूनों में फंसा हुआ है, वह एड़ी से चोटी तक फसा हुआ है। ऐसी स्थिति में आप देखिये, राजस्व मंत्रीजी जांच कर लें कि दस पन्द्रह वर्ष पहले जब कि ऐसे कानून लागू नहीं किये गये, किसानों की संख्या उन इलाकों में कितनी थी और आज कितनी है। हमें देश की खाद्य समस्या को हल करना है और उत्पादन को बढ़ाना है तो किसानों को प्रोफेशनल छूट देनी पड़ेगी। हमारे देश में अस्सी प्रतिशत किसान हैं और हम में से बहुत से किसान यहां बैठे हुए हैं लेकिन किसानों का गला घोंटने के लिए कानूनों से उन्हें बांधा जा रहा है और उनकी समस्या को हम जटिल करते जा रहे हैं। इस पर राजस्व मंत्रीजी विचार करें। यह कानून में स्पष्ट है, लेकिन इसमें यह ही है कि जो आदमी मनमाने ढंग से अतिक्रमण करे, उसे अतिक्रमणकारी कह सकते हैं। मैं समझता हूं माननीय मंत्रीजी को पहले यह जांच करनी चाहिये थी कि यह हुआ किस कारण से है। मैं निवेदन करूंगा कि आप पालड़ी तहसील, सिद्धा तहसील से रिपोर्ट मंगवाइये कि अलॉटमेंट केसेज़ कितने पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनका फैसला नहीं किया है। मैं अलॉटमेंट कमेटी का मेम्बर हूं, मुझे जानकारी है। आप उन्हें बेदखल कर देंगे, उन पर यह कानून लागू करेंगे। मैं प्रत्यक्ष रूप से राजस्व मंत्रीजी के ध्यान में लाऊं कि बिलाड़ा, सिद्धा तहसील में देखिये कि सैटलमेंट में गलती की वह कानूनन गलती नहीं है। उसमें नॉन कल्चरेबल लैंड, वेस्ट भूमि लिख दी गई। आज वहां पर किसानों ने पत्थर आदि को साफ करके इस जमीन को कृषि योग्य बना दिया है। वे उस पर काश्त कर रहे हैं, हजारों की तादाद में किसान काश्त कर रहे है। आप इस कानून के अनुसार ऐसे आदमियों को बेदखल करेंगे तो मैं मानूंगा कि नेशन का अहित करेंगे, न कि पर्टीक्यूलर किसानों का। इसलिए माननीय सभापति महोदय, यह उचित नहीं होगा।

इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि जनतंत्रवाद में जब जब अकाल की परिस्थितियां आती हैं तो उस समय किसानों का भविष्य रेवेन्यू ऑफिसर्स और पटवारी के हाथों में

(श्री चन्द्रसिंह वर्मा)

सौंप दिया जाता है और उनके द्वारा ही इस तरह के कानून लागू होते हैं। अभी जैसा एक माननीय सदस्य ने रखा था, मैं भी निवेदन करूंगा कि कानून में सब चीजों को व्यवस्थित रूप से रखा जाय तो अच्छा होगा। जैसा कि आपने बताया कि अतिक्रमण को, नाजायज रूप से कब्जा करने वालों को प्रोत्साहन नहीं मिले इसलिए यह संशोधन ला रहे हैं। यह ठीक है कि कोई नाजायज़ रूप से कब्जा न कर ले लेकिन आपने सीलिंग का कानून पास कर लिया है और उसके अन्दर जमीन का बंटवारा कर लिया है। वह पूरी तरह लागू न हो जाय तब तक आप उन्हें फैसिलिटी दे दीजिये। उसके बाद वह जमीन अपने आप आ जायगी। आप सेक्शन ९१ का प्रोवीज़ो हटा रहे हैं, इसमें आप और कुछ संशोधन ला सकते हैं कि ऐसे आदमी, जिसके पास में गोचर भूमि नहीं है, को उस पर रहने दिया जायगा। माननीय मंत्रीजी कभी कह देते हैं कि एक बार गलती कर दी, दो बार गलती कर दी है तो कुछ जुर्माना कर दिया। लेकिन जो किसान अपने प्रोफेशन के लिए, खाद्य समस्या को हल करने के लिए हमारा सहायक बन कर काम कर रहे हैं, उससे पन्द्रह गुना पैनल्टी लेने के बाद उसका कब्जा रहने देने में अड़चन नहीं है। लेकिन आप कहते हैं, नहीं, हम उसकी क्रोप ले लेंगे। लेकिन क्या उस क्राप को लेकर आप पनपा सकेंगे? किसान उस क्रोप की सुरक्षा करेगा और उससे नेशन की पैदावार बढ़ेगी। इन शब्दों के साथ में निवेदन करूंगा कि आपकी जिद्द है, इसको छोड़ कर जो सुझाव सदन के सामने आया है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जनमत जानने के लिए भेज दिया जाय, आप इसको भेज दीजिये ताकि मालूम हो जाय कि जनता क्या चाहती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सिर्फ एक पॉइन्ट रह गया, ऑर्डिनेन्स निकाला है राज्य सरकार ने, मगर अभी एक आज्ञा तहसील से निकली है टीनेन्सी एक्ट के तहत उसमें यह कहा गया है कि जिनके पास भूमि नहीं है वह अपने नाम फलां तारीख तक रजिस्टर करा लें। वे लोग वहां बैठे हुए हैं, दूर बैठे हुए हैं—वे यहां नहीं है, ऐसी परिस्थिति में वे कुछ कह नहीं सकते, मैंने कलेक्टर को और मुख्य मंत्री को लिखा कि इसकी डेट बढ़ा दीजिये। इस दिशा में अभी तक कोई आज्ञा नहीं दी है। एक माह के करीब हो गया। अब वे कह देंगे कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें। इन शब्दों के साथ मैं स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : Only five minutes would do for me.

श्री सभापति : अब समय नहीं है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा........

श्री अब्दुलजब्बार : इस सम्बन्ध में बहुत अच्छे अच्छे सुझाव रख रहा हूँ। पांच मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा।

श्री सभापति : नहीं, नहीं क्षमा करें। दूसरा बिल भी है।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : मैंने परसों एक संशोधन दिया था।

श्री सभापति : आपने संशोधन रखा था, उसकी सूचना जिस समय आनी चाहिए

(श्री सभापति)

थी उसके बाद आई, इसलिए उसको सर्क्यूलेट नहीं किया जा सका।

श्री हरिराम चौहान : बिल पर बहस का टाइम बढ़ गया, इसलिए देर से देने का सवाल है नहीं।

श्री सभापति : मोशन मूव हो चुका था। समय के माफिक आपका संशोधन नहीं आया........

श्री अब्दुल जब्बार : पांच मिनिट बोलूंगा।

श्री सभापति : आपका तो संशोधन प्रस्ताव भी नहीं है (श्री हरिराम चौहान से) आप चार-पांच मिनिट बोल लीजिये।

श्री हरिराम चौहान : सभापति महोदय, यह जो हमारी सरकार........

एक माननीय सदस्य : हमारी सरकार कौन है ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपकी सरकार कैसे है ?

श्री हरिराम चौहान :... ने जो बिल रखा है और ऑर्डिनेन्स पेश करने का जो तरीका अपनाया है, इससे साफ जाहिर है कि यह सरकार किसानों और किसानों के हितों की किस तरीके से रक्षा करना चाहती है। जो सरकार अपने आपको समाजवादी सरकार कहने का दावा करती है और भुवनेश्वर के अन्दर बैठ कर बड़े बड़े प्रस्ताव पास करती है। और आम तौर पर जो भी चर्चायें होती हैं, जुबानी चर्चायें होती हैं उनके अन्दर अपने आपको किसानों की एक प्रतिनिधि पार्टी के रूप में बताने की कोशिश करती है मुझे बड़ा ताज्जुब है उसी सरकार की तरफ से गला-घोट कानून पेश होता है, जिससे किसानों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ने वाले है। जो अपील का सवाल लिया है, उसमें अगर कोई आदमी फैसला करता है, दूसरा फैसला करता है तो उसको छूट है कि वह चाहे तो अपील के अन्दर जा सकता है। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि इस कानून की आज कोई जरूरत नहीं रहती। जिस तरीके का कानून पहले था वह काफी लोकतांत्रिक था। साथ ही पहले उसको और भी अधिकार मिले हुए थे उनसे यह वंचित रखने वाला है। दफा ९१ के तहत आज मैं नहीं समझता कि बहुत लोगों को नोटिस दे दिये गये हैं। आज हमारे जिले के अन्दर अलवर भरतपुर के अन्दर कानून लागू नहीं है, तीन साल तक यदि किसी ने काश्त की है तो उसे अधिकार मिल जायगा। वहां किसानों ने बंजर जमीन को तोड़ा है। बाकी जिलों के अन्दर यह पूरी तरह लीगेलाइज़ कर दिया गया है। लेकिन अलवर जिले के अन्दर हजारों की तादाद में लोग परेशान हैं। उनको जमीन के ऊपर अधिकार मिले हुए नहीं है। वे पन्द्रह-पन्द्रह साल से जमीन जोत रहे हैं, कोई दस-दस साल से जोत रहे हैं, कोई पांच-पांच साल से जोत रहे हैं। ऐसे लोग हजारों की तादाद में तहसीलदार के जुर्म के शिकार हैं। वे जब चाहें नोटिस निकाल देते हैं। फिर पैसा मिल जाता है तो नोटिस दबा देते हैं। उसके बाद फिर नोटिस निकाल देते हैं।

मैं उदाहरण के तौर पर मंडावर तहसील के बारे में बताऊं, मंडावर तहसील में १८ प्रतिशत लोग ऐसे हैं एक गांव में जो ५ साल

Page No. 76

(श्री हरिराम चौधरी)

से और १५ साल से काश्त करते आ रहे हैं और उनको आज भी वे अधिकार नहीं है कि १० वर्ष और १५ वर्ष खेती करने के बाद भी, दस गुना या पन्द्रह गुना पेनेल्टी देने के बाद अपने खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकते हों। जब एक ही गांव में ९८ प्रतिशत लोग हैं तो बाकी पूरे जिले की तहसीलों के गांवों में कितने लोग हो सकते हैं। उससे तो फिर वह फसल जिसको उसने बड़ी मेहनत से उस जमीन का पेट चीर कर बीज डाला है और वह सरकार उसको उस फसल को बेदखल कर देगी। इसमें बेदखली का अधिकार पहले भी मौजूद है। सरकार चाहे तो बेदखल कर सकते है। लेकिन इस फसल में जो विशेष काश्त की है उसको भी घर नहीं ले जा सकेगा। इसका भी हमारी सरकार कानून लाना चाहती है। मैं यह समझ नहीं पाया कि जब काश्तकारों और मालिक के बीच जमीन का झगड़ा होता है और किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया हो तो हमारे यहां यह कानून है कि अगर वह इस बात को साबित कर सके कि उसका कब्जा दो महीनों से है, ज्यादा हो और फसल बोई हो और जमीन काश्त की है तो वह फसल उसको मिल जावेगी। जब दूसरे की जमीन पर हमारी सरकार अधिकार मानती है तो खुद सरकार इस तरह के काश्तकारों के अधिकारों को मानने में क्यों परेशान है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन परेशानी मैं मानता हूँ, इस बात की है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा दबाया जाए और नौकरशाही के अधिकारों को बढ़ाया जावे, ताकि ज्यादा से ज्यादा नौकरशाही उन पर हावी रहे।

श्री सभापति : आप ७ मिनिट बोल चुके हैं अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री हरिराम चौहान : एक बात और कहूंगा किसानों की जमीन बेचने की बात है, इसके लिए रेवेन्यू बोर्ड से पहले मंजूरी लेनी पड़ती थी। मगर अब इसकी आवश्यकता नहीं जब तहसीलदार की मर्जी आवे नीलाम करदे। ऐसी हालत में जब किसान परेशान है तो यह नहीं होना चाहिए।

श्री सभापति : यह नहीं होना चाहिए, यही आप चाहते हैं।

श्री हरिराम चौहान : किसान आज चाहता है कि उसको ज्यादा राहत मिलनी चाहिए। इसके लिए वह मांग करता है, जल से निकालता है और राहत की मांग करता है। मगर सरकार से जो भी राहत उसको मिली हुई है उसको भी समाप्त करना चाहती है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि इसको वापिस ले लें।

श्री सभापति : That will do. The Deputy Minister please !

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : माननीय चेयरमैन, (कुछ माननीय सदस्य सुनाई नहीं दे रहा है)

श्री सभापति : Please use another mike.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय चेयर-मैन, राजस्थान सरकार ने तारीख ८ जनवरी, १९६४ को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) अध्यादेश जारी किया। उसको इफेक्टिव बनाने के लिये राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (संशो-

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

धन) विधेयक, १९६४ विधान सभा में प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में एक तो यह संकल्प किया गया कि इसे स्वीकार नहीं किया जावे और कई माननीय सदस्यों ने इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने एवं सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के बारे में प्रस्ताव पेश किये। मैं इन सब तीन तरह के संकल्प एवं प्रस्तावों का विरोध करता हूं।

इस विधेयक में मूल रूप में तीन मुद्दे विद्यमान हैं:—

(१) जो लैण्ड रेवेन्यू एक्ट है उसकी धारा १० के संबध में जिसके अन्दर स्पेशल अपील का प्रावधान था उसको किसी सीमा तक रेस्ट्रिक्ट किया गया है। इस आधार पर की अगर स्पेशल अपील की जावे तो सिंगल जज की इजाजत देने के आधार पर की जावे, अन्यथा नहीं।

(२) धारा ९१ के अन्तर्गत भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने के बारे में है। अगर किसी काश्तकार ने किसी जमीन पर नाजायज़ कब्जा किया हो तो उसको ९१ दफा के अन्तर्गत कार्यवाही हो सकती है और इजेक्टमेंट का हुक्म दिया जा सकता है और १५ गुना पैनल्टी के साथ साथ इजेक्टमेंट कर दिया जा सकता था। लेकिन इसके साथ साथ जो भी फसल उसमें बोई होतो उसको लेने का अधिकार था। अगर वह इजेक्टमेंट के वक्त पैनल्टी जमा करा दे तो ट्रैस्पासर को ऐसा अधिकार पहले से था अब नहीं।

(३) बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय कलेक्टर को उन किसानों की जमीन बेचने का अधिकार दिया है जिसमें लगान की बकाया है।

हमारे इन तीन प्रावधानों के संबंध में कि वास्तव में यह क्यों रखे गये हैं और इनकी क्या आवश्यकता है और इनको ऑर्डिनेन्स के जरिये क्यों लाया गया, इसके संबंध में विचार पेश करूंगा।

सबसे पहले मैं धारा ९१ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके संबंध में चर्चाएं की और चर्चाओं की सीमा यहां तक पहुंच गई कि जैसे राजस्थान सरकार किसानों के खिलाफ है, किसानों की जमीन को छीनना चाहती है, इस प्रकार की बातें यहां पर कही गई। मैं आपको इस बात को समझाने के लिये राजस्थान के पुराने इतिहास की तरफ ले जाना चाहूँगा।

१–३–६० से फरवरी ६४ तक इन वर्षों से राजस्थान सरकार की ओर से किसानों के इल्लीगल पज़ेशन को, ट्रैसपासर्स के नाजायज़ कब्जों को वैध करने के लिए सरकार की ओर से समय समय पर आदेश जारी किये गये।

श्री रामकिशन (वैर) : अलवर और भरतपुर का बतावें, क्या है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं उस पर भी आ रहा हूँ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या उन पर अमल किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं बता दूंगा कि कितना एरिया इन्वोल्वड है। यदि आप संतोष रखें तो सब बात आपके पास पहुंच जावेगी।

श्री अब्दुल जब्बार : पहले के ऑर्डर्स का पालन किया या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यह सब बता दूंगा कि इस ऑर्डिनेन्स का उन केसेज़ पर क्या असर पड़ेगा।

श्री हरीराम चौहान (तिजारा) : अलवर और भरतपुर के केसों पर क्या असर हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह भी बता दूंगा।

मैं यह बताना चाहता हूं कि इसके दो अंग है :—

(१) अंग तो भूमिहीनों को भूमि देना और (२) अंग है चाहे भूमि का कब्जा अलॉटमेंट के आधार से हुआ है या नहीं ? या और कारण से भूमिहीन किसानों ने नाजायज तौर से जमीनों पर कब्जा कर लिया हो उसको रिलीज करना। इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

स्वतन्त्रता के बाद भी यह सिलसिला उनको जमीन अलॉटमेन्ट करने का सर्व प्रथम शुरू हुआ इसके पहले किसानों को भूमि वितरण के अन्तर्गत कभी भी जमीन अलॉटमेंट नहीं होती थी लेकिन जब से जनतन्त्रीय सरकार कायम हुई तब से किसानों की हालत सुधारने के दृष्टिकोण से कानून बनाने के साथ ही साथ जिनके पास जमीन नहीं थी उनको देने के सम्बन्ध में अलॉटमेंट रूल की व्यवस्था की। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जमीन अलॉट होती है। उसमें पक्षपात होता है और लोगों के पास तहसीलों से नोटिस नहीं आता। मैं यह कहूंगा कि इस सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं और अलॉटमेंट किये गये हैं। अलॉटमेंट कमेटी जमीन अलॉट करती है। क्योंकि इस समय एडवाइजरी कमेटी अलाटमेंट करती है या ऐसी समस्या हो सकती है कि कहीं जमीन अलॉट करने के लिए उपलब्ध नहीं हो तो कहां से दी जाय। यह भी समस्या हो सकती है कि कहीं वन विभाग की जमीन हो, उसका कायदे से अलॉटमेंट नहीं हो सकता हो। यह भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट एरिया हो उसके तहत जमीन और तरह से दिए जाने का प्रावधान हो जो कि इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आता और दूसरी लापरवाही या इनेफीशिएन्सी भी आधार बन सकता है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद आज तक १५ लाख एकड़ जमीन भूमिहीन किसानों को नियमों के अन्तर्गत बांटी गई है हमारे २६ जिलों में। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि किसानों को जमीन देने का काम नहीं किया गया। १५ लाख एकड़ जमीन को बांटने के अलावा भी एक सवाल सरकार के सामने ६-३-६० को आया कि इन जमीनों के होते हुए भी कई लोग जो भूमिहीन किसान हैं उन्होंने नाजायज़ कब्जा कर लिया। इस समस्या को कैसे हल किया जाय। यदि सरकार चाहती तो उस कानून के अन्तर्गत भी उन्हें इजेक्ट कर सकती थी। बेदखली के लिए कानून के अन्दर कोई मना ही नहीं थी। तो यह सोचा गया कि जो भूमिहीन है, जिसके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन की तारीफ से आता है और नाजायज़ कब्जा कर लिया है तो उसको रेग्यूलेराइज कर दिया जाय। पहला सरक्यूलर ६-३-६० को और दूसरे बाद में भी सर्क्यूलर्स निकले।

एक दूसरा सर्क्यूलर १-६-६२ को

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

निकाला गया, उसमें ३१–१२–६१ की नाजायज़ कब्जों की अंतिम तारीख दे दी गई और उसके कुछ क्लैरीफिकेशन जो बाकी थे वे २१–२–६४ को निकाले। एक माननीय सदस्य ने मेरी उसके साथ हुई चर्चा का जिक्र किया कि उसके बावजूद भी यह आर्डिनेन्स जारी किया। वास्तव में १–२–६४ से पहले जितने कब्जे रेग्यूलराइज़ करने के संबंध में जो सक्यूर्लर्स निकाले गए थे वे इस बात के निकले। बल्कि एक सक्यूर्लर और भी निकाला गया १२–२–६४ का कि यदि किसानों ने जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया और १९६१ से पूरी लगान देते आ रहे थे और उन लगानों को सरकार कन्टीन्युअली एक्सेप्ट करती आ रही थी तो उनको इस जमीन से बेदखल न किया जाय बशर्ते कि वह सीलिंग कानून में न होता हो। वह एरिया जो हमने राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में प्रोवाइड की है। इससे हमने सिर्फ उसमें ५ एकड़ इर्रिगेटेड और १५ एकड़ अनइर्रिगेटेड लैंड रखा है। इस तरह से भिन्न भिन्न सक्यूर्लर्स के तहत जमीन दी। मेरे पास अभी १६ जिलों की सूचनाएं हैं। कुछ जिलों की सूचनाएं नहीं हैं। लेकिन जो सूचना है उसके आधार पर इसकी मेग्निटी आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे पास करीब डेढ़ लाख दर्ख्वास्तें इस तरह की आई हैं जिनके रेग्यूलराइज़ करने का प्रश्न रेवेन्यू ऑथोरिटीज़ के सामने है और एरिया टु बी रेग्यूलराइज़्ड करीब ६ लाख का इसमें आ चुका है और पांच डिस्ट्रिक्ट्स की और बाकी है। इस तरह से ८ लाख एकड़ भूमि के ऊपर नाजायज कब्जे हैं उनके सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र रेग्यूलराइज़ करने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। सवाल है कितनी जमीन रेग्यूलराइज़ कर दी। ये आंकड़े मैं १६ जिलों के बता सकता हूं करीब १,७१,५५७ एकड़ जमीन के सम्बन्ध में। उनके कब्जों को रेग्यूलराइज़ किया गया है और खातेदारी के राइट्स दे दिए गए हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जिलावाइज़ बता दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे पास एक कन्सोलिडेटेड लिस्ट है। १६ जिलों से आई है। उसमें माननीय सदस्य का जिला शामिल नहीं है। इसलिए मैं उसकी सूचना नहीं दे सकता। ७ जिले जो बाकी हैं वे भीलवाड़ा, जयपुर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, टोंक और उदयपुर।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अलवर और भरतपुर है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह कन्सालीडेटेड है, डिस्ट्रिक्टवाइज नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वहां पर एप्लीकेशन्स कैसे आई होंगी ? अलवर, भरतपुर को जब आपने एक्सलूड कर रखा है तो एप्लीकेशन्स आई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अलवर, भरतपुर को रेग्यूलराइज़ेशन से एक्सक्लूड कर रखा है। १–६–६३ के सक्यूर्लर से लेकर वहां की कोई फिगर यहां नहीं आई।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : सारी तहसीलों के अन्दर इसके खिलाफ काम हो रहा है। पैनल्टियां कायम की गई हैं। बेदखली करने के लिए परेशान कर रहे हैं। दो–दो साल से किसान........

श्री सभापति : आपको भाषण देने का समय मिलता है, आप सवाल पूछ लें....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): जो इन्फोर्मेशन मंत्री महोदय ने दी उसके लिए उन्होंने कहा कि यह १६ जिलों की सूचना है। सात जिलों की जो लिस्ट बताई उसमें भरतपुर नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इन १६ जिलों में अलवर और भरतपुर भी शामिल है जबकि स्थिति यह है कि अलवर और भरतपुर में यह सर्क्यूलर लागू नहीं किया गया और न किसी की दरख्वास्त आई न रेग्यूलराइज़ेशन हुआ; तो ७ के बजाय ६ जिले एक्सक्लूडेड मानने चाहिए।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मैं एक जानकारी चाहता हूं। .

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले मेरी बात समाप्त हो जाय।

श्री सभापति : पहले उप-मंत्रीजी को जो बात कहनी हो उनको कहने दें। उसके बाद सबको मौका दिया जायगा, जो भी प्रश्न पूछना चाहें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस वक्त बताना उनका ठीक रहेगा। जिलेवार....

श्री सभापति : वे कह रहे हैं कि अलग अलग फिगर्स नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : केवल प्रश्न यह उठता है कि डिस्ट्रिक्टवाइज़ आंकड़े हम इकट्ठे नहीं कर सके। टेलीफोन पर जितनी बातें मैं इकट्ठी कर सका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दूसरी जगहों से, वे मैंने एकत्रित की।

श्री रामानन्द अग्रवाल: कन्सॉलीडेटेड फिगर्स वगैरह जिलेवार नहीं हो सकती।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कन्सोलीडेटेड फिगर्स जो बोर्ड आफ रेवेन्यू में थीं वे अगस्त १९६३ तक की हैं अप टु डेट नहीं हैं। सितम्बर से फरवरी इन ६ महीनों की फिगर्स इसमें शामिल नहीं हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि एक तरफ राज्य सरकार ने १५ लाख एकड़ जमीन भूमिहीन किसानों को दी और दूसरी तरफ रेग्यूलराइज़ेशन के जरिए करीब ८–१० लाख एकड़ जमीन के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ की गई और समय समय पर सर्क्यूलर्स निकाले गए जिससे कवर अप होने वाले केसेज़ कितने भी सम्भव हो सकते थे उनमें लाने का प्रयत्न किया गया केवल इसलिए कि भूमिहीन किसानों को परेशानी न उठानी पड़े और नाजायज़ कब्जे करने वालों को बेदखल न किया जाय, इतना करने के बावजूद भी जब एक मान्यता पैदा हुई और वह यह कि हम रेग्यूलराइज़ेशन के सर्क्यूलर्स निकालते हैं तो यह एक उदाहरण बन जाता है, यह सही है। इस विधान सभा के अन्दर कई बार कहा गया है कि इससे आगे एन्क्रोचमेंट के लिये एन्करेजमेंट मिलेगा, फिर सरकार सर्क्यूलर्स निकालेगी उनको रेग्यूलराइज़ेशन की। यह जानकारी हमें कलेक्टर्स के द्वारा भी मिली कि वास्तव में जब तक इस बारे में डिस्ट्रिक्टली डील नहीं किया जायगा तब तक एन्क्रोचमेंट बजाय हल होने के एवर लास्टिंग प्रोब्लम बना रहेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह सोचा कि क्या किया जाय। कहा जा सकता है कि यह प्रोब्लेम पहले भी थी आज नई नहीं है। वास्तव में यह बात ठीक है। जब से रेग्यूलराइज़ेशन का सवाल उठा तब से सर-

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कार को पता था कि एन्क्रोचमेन्ट्स हो रहे हैं। लेकिन उस प्रोब्लेम को डील करने के लिए डाइरेक्ट स्टेप, जो आज लेने जा रहे हैं, तब लेना मुनासिब नहीं समझा। इसीलिए पेनेल्टी की रकम थी ६ टाइम्स, उसको १५ टाइम्स की। पेनेल्टी की रकम ६ टाइम्स से १५ टाइम्स करने के बावजूद भी ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि जमीन पर नाजायज कब्जा करके काश्त कर लें, सरसों होजाय और १) के बजाय १५) पेनेल्ट के रूप में दे देंगे और उस फसल से उनको इतनी आमदनी हो जायगी कि वे १५ गुना पेनेल्टी देने के बावजूद भी काफी बचा सकेंगे।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : इससे आपको क्या तकलीफ हुई ? अनाज पैदा करते हैं तो उल्टी आपकी मुसीबत दूर करते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह अनाज पैदा करें अपने बागी कराई हुई जमीन में, वह अनाज पैदा करे अपनी खातेदारी की जमीन में, वह अनाज पैदा करे सरकार ने जो अलाट की है जमीन उसमें, वह अनाज पैदा करे उस जमीन में जो कि रेगुलेराइज कर दी गई है। वह अनाज उस जमीन पर पैदा नहीं कर सकता जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं है, वह अनाज उस जमीन पर पैदा नहीं कर सकता जिसकी उसने सरकार से स्वीकृति नहीं ली है, वह अनाज उस जमीन पर पैदा नहीं कर सकता जिसको अलॉटमेंट कमेटी से अपने हक में अलॉट नहीं करायी। सारी जमीन पड़ी हुई है। हर जमीन पर हर किसान यह सोच ले कि सरकार का इससे क्या बिगड़ेगा मैं हल चला लूंगा, बो लूंगा और ज्यादा से ज्यादा सरकार मुझसे १५ गुना मुआवजा ले लेगी। इस समस्या का क्या हल हो इसलिए तो यह किया गया है ...

श्री हरिराम चौहान : छतों पर अनाज पैदा किया जा रहा है। आप जमीन पर भी अनाज पैदा नहीं करने दे रहे हैं।

श्री सभापति : Order please ! Order !!

श्री हरिराम चौहान : आप मना कर रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एन्क्रोचमेंट को रोकने के लिए ही यह किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि अब तक रेग्यूलेराइजेशन के ऑर्डर्स निकाले गये और जो प्रोसिडिंग्ज हुई उन जमीनों का क्या हुआ ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सक्यूलर उन पर लागू नहीं होता है। उन चीजों को रेग्यूलराईज़ करने के लिए जो इन्स्ट्रक्शन्स हैं आलरेडी उनके अन्तर्गत कवर अप होने वाले केसेज़ उन्हीं से डिसाइड होंगे। यह तो फ्यूचर एन्क्रोचमेंट को रोकने का कानून है। जो केसेज़ रेग्यूलेराइज़ होने बाकी होंगे वे उन्हीं के अन्तर्गत होंगे। हमेशा के लिए, आगे के लिए एन्क्रोचमेंट रोकने के लिए यह प्रावधान है। यह आवश्यक है।

अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा। अलवर भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहा। माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे, उनकी तो मैं नहीं कहता, लेकिन कई माननीय सदस्यों ने इसकी नीयत को सराहा है। आज हम जमीन का बाजाब्ता बंटवारा

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

करना चाहते हैं । पॉवरफुल आदमी उस जमीन पर नाजायज कब्जा न करे उसको रोक दिया जाय....

श्री हरिराम चौहान : बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक हैं उनकी तो आप जमीनें नहीं छीनना चाहते हैं, किन्तु भूमिहीनों की जमीनों को छीनना चाहते हैं।

श्री सभापति : No disturbance please. Please take your seat. आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं। बार बार में डिस्टर्ब करने से क्या मतलब ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य मेरे मतलब को गलत इन्टरप्रेट कर रहे थे ।

मैं तो यह कह रहा था कि जमीन का फेयर डिस्ट्रिब्युशन हो । मर्जी चाहे जमीन पर एन्क्रोचमेंट कर ले इससे फेयर डिस्ट्रिब्युशन भूमिहीनों के बीच में नहीं किया जा सकता । मेरी मान्यता है और इससे मैं समझता हूँ कि सब ही माननीय सदस्य सहमत होंगे कि किसानों के अन्दर, भूमि हीनों के अन्दर, जमीन का बंटवारा ठीक तरह से करना चाहते हैं इस प्रकार जो एन्क्रोचमेंट जमीन पर होते हैं उनको रोकना होगा चाहे ये एन्क्रोचमेंट पावरफुल या इन्फ्लुएन्शियल व्यक्ति करें लेकिन उनको रोकने की दृष्टि से यह किया गया है ।

अब सवाल यह आता है कि एक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) ; पी. सी. सी. के प्रेसिडेन्ट कर लें ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई भी हो वे, चाहे पी. सी. सी. के प्रेसिडेन्ट हों, चाहे मैं होऊं या माननीय सदस्य हों सब के लिए कानून समान है ।

अब सवाल यह उठाया गया कि पैदावार कौन लेगा ? खड़ी फसल का क्या किया जायगा ? वास्तव में यह क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे जो बात है मैंने आपको बतायी । उसके साथ साथ एक बात यह है कि इस प्रावधान के मौजूद होते हुए ज्यों ही जमीन में बीज़ डाला गया, कुछ भी ऊगा और १५ गुना पेनेल्टी देने के बावजूद भी हम उसे हटा नहीं सकते इसलिए कि यह प्रावधान आड़ में आजाता है कि उसमें बीज़ उग गया, हर वक्त पटवारी हर गांव में जिस समय फसल बोई जाती है उपस्थित नहीं रह सकता, उसको पता नहीं लग सकता कि हल हांक दिया गया है, गिरदावरी पर ही उसको मालूम होता है....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पटवारी की शह से काश्त होती है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : काश्त खड़ी होती है, इसलिए अभी के प्रावधानों के अन्तर्गत उसको बेदखल नहीं किया जा सकता ।नोशमां वेदखल होगा । उस समय उसका उस जमीन से फिज़िकल डिस्पज़ेशन नहीं किया जा सकता । उस वक्त स्थिति आती है फसल कट गयी और ट्रेसपासिंग की कन्टीन्युटी न हो और जो ट्रेसपासिंग की कन्टीन्युटी हो जाती थी उसको रोक दिया जाय, उसका उस जमीन से फिजिकल डिस्पजेशन हो जाय इसलिए यह सोचा गया, किसानों के हित में महसूस करते हुए यह प्रावधान किया जा रहा है कि जिससे गरीब किसानों को जमीन मिल सके और

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पॉवरफुल आदमी नाजायज़ तरीके से उस जमीन पर कब्जा न कर सकें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : फसल का क्या हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: एन्क्रोचमेन्ट को रिमूव कर दिया तो सरकार के कब्जे में जमीन आ गई। सरकार चाहे नीलाम करे या चाहे जिस प्रकार उसको डिस्पोज़ ऑफ करे। एन्क्रोचमेन्ट को डिस्पज़ेस करना है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जैसे गोचर के लिए डिसपज़ेस किया जा सकता है। इसमें क्या नीलाम करेंगे या क्या करेंगे यह कोई प्रावधान नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नियमों के अनुसार कर लेंगे। स्टेच्यूट में तो ट्रेसपास करने वाले को इजेक्ट करने का प्रावधान है।

तो माननीय चेयरमेन इस प्रावधान के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर रहा था।

यह दूसरा प्रावधान जिसके सम्बन्ध में बहुत चर्चा की गई सेक्शन १० बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पॉवर्स के सम्बन्ध में है। सेक्शन १० के अन्दर एक प्रोविज़ो है :

"Provided that a party aggrieved by decision of a single member shall have the right to make a special appeal to the bench consisting of two or more members of the Board."

यह जो एक धारा है इस धारा के बजाय दूसरा क्लॉज़ इन्सर्ट किया गया है उसके सम्बन्ध में। वह इन्सर्ट किया गया है इस क्लॉज के आगे :

"If the member who passed the judgment declares that the case is fit one for appeal."

इस सारे मामले को लेकर इस सम्बन्ध में बहस की जा रही है।

माननीय चेयरमेन, सबसे पहले मैं इस प्रावधान को समझाने की दृष्टि से हमारे राजस्थान के अन्दर समय समय पर इसके सम्बन्ध में क्या क्या प्रावधान हुए उनकी क्या स्थिति हुई, क्या ध्येय था जिसके लिए इस तरह की तब्दिली लानी पड़ी, निवेदन करना चाहूँगा।

सबसे पहले हमारे यहां राजस्थान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑर्डिनेन्स १९४९ और उसके अन्तर्गत रूल्स बने हुए थे और उसी के तहत मेम्बर किसी चीज़ को सुनता था और सुन कर अपना डिसीज़न रेकार्ड करके दूसरे मेम्बर के पास भेज देता था फोर कोन्करेन्स। इस तरह की व्यवस्था शुरू में राजस्थान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑर्डिनेन्स १९४९ के तहत थी हमारा यह कोन्स्टिचुशन आया। उसके बाद इसके सम्बन्ध में हाईकोर्ट में रिट्स गये और उसके बाद इस प्रकार की व्यवस्था बोर्ड में हुई कि अपील एक सिंगल मेम्बर बेंच सुने। यह व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था राजस्थान टिनेन्सी एक्ट और लैंड रेवेन्यू एक्ट के पहले तक चली थी। जो सेक्शन १३ है राजस्थान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑर्डिनेन्स १९४९ उसके अन्दर कोई प्रोविजन नहीं था। स्पेशल अपील सिंगल मेम्बर के हुक्म के खिलाफ करने का प्रोविजन नहीं था। लेकिन जो

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

प्रोविजन मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था वह है राजस्थान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट. १६५६ के सेक्शन १० के अन्दर कि सिंगल मेम्बर के हुक्म के खिलाफ स्पेशल अपील एक महीने के अन्दर की जा सकती है। अभी इसके होने के बावजूद भी जुलाई ६३से पहले हमारे यहां क्या व्यवस्था थी, वह भी मैं बताना चाहता हूं। दो चीजें हैं; रिवीज़न्स और अपील। रिवीज़न सिंगल मेम्बर सुनता है और सिंगल मेम्बर उसको रिजेक्ट करना चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर उसको मोडिफाइ करना चाहता है, या रिवर्स करना चाहता है तो स्वयं रिजेक्ट नहीं करके दूसरे मेम्बर डिवीज़न बैंच के अन्दर केस चला जाता है।

अपील के बारे में भी डिवीजन बैंच में भी जाता है इस प्रकार का प्रावधान हमारे यहां जुलाई सन् ६३ में था। इससे पहले के प्रावधान की स्थिति राजस्थान रेवेन्यू कोड मेन्युअल की धारा ८ है इसके सम्बन्ध में उसमें यह बताया गया है कि सिंगल मेम्बर क्या सुन सकता है। ६ में यह है कि डिवीजन बैन्च किस प्रकार के केसेज को सुन सकता है और इसका फैसला कौन करता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और गवर्नमेन्ट उसके लिये आदेश जारी कर सकती है।

बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोड के इस क्लॉज़ आठ और ६ में दो बातें जोड़ी हैं; एक सर्कुलर ११ जून, १६६३ को निकला। उस नोटिफिकेशन के आधार पर जो अधिकार ७६ सी, व ७५ के (१) (एफ) के दो अधिकार, लैंड रेवेन्यू की सैकड़ों अपीलें आया करती हैं उसके सम्बन्ध में है और पहला अपील के सम्बन्ध में है। दोनों अधिकार डाइरेक्टर ऑफ लैन्ड रेकॉर्ड्स को थे। डाइरेक्टर ऑफ लैन्ड रेकॉर्ड्स अब तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हुआ करता था, इस वजह से ये चीजें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाया करती थीं। अब गवर्नमेन्ट ने लैन्ड रेकॉर्ड्स की जगह रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी बना दिया है। अपने अपने एरिया में जो अपीलें थीं वे डाइरेक्टर ऑफ लैन्ड रेकॉर्ड्स के बजाय रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी सुनने लग गई। इस प्रकार से बोर्ड के अन्दर जो केसेज़ थे, जो करीब २७२ थे सारी रेवेन्यू ऑथोरिटीज़ को चले गये। वे अपने अपने इलाके से सुनने लग गये, उससे जनता को सहूलियत भी हो गई, जनता को अपनी जगह न्याय मिलने लग गया; इससे इकोनोमी और इफीशियेन्सी के साथ साथ अर्ली डिस्पोज़ल भी होने लग गया।

इसके साथ साथ एक और स्टेप लिया गया, वह यह लिया गया जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया; मैन्युअल के क्लॉज़ेज़ में यह बताया गया कि सिंगल मेम्बर क्या सुन सकता है। अभी तक पांच बातें वर्णित थीं वे जो थी उसके साथ साथ दो बातें और जोड़ी गई। छठी रिवीज़न्स की जोड़ी गई और सातवीं सेकंड अपील, जो सेकन्ड अपील डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स पहले सुना करते थे जिसकी सुनवाई अपीलेट ऑथोरिटी को दे दी गई। फर्स्ट अपील के बाद सेकन्ड अपील "Second appeal to the Board under clause (d) of Section 76 of Rajasthan Land Revenue Act, 1956." ये दो अधिकार बोर्ड के अन्दर सिंगल मेम्बर को दे दिये सिंगल मेम्बर को जहां पांच मामलों में अधिकार था वह ७६ डी० के

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

तहत सेकन्ड अपील सुनने का अधिकार भी सिंगल मेम्बर को दे दिया। जब क्लॉज ८ में इस प्रकार की तरमीम करते हैं तो सिंगल मेम्बर के अधिकार बढ़ते हैं, उतने ही अधिकार डिवीजन बैंच के कम हो जाते हैं। इस वजह से क्लॉज ९ सब क्लॉज (२) था उसको डिलीट किया गया है। न था जिसमें :

"All decrees or orders coming under consideration of the Board in appeal, except those specified in clause (7) or Rule 8." क्लॉज ७ ऑफ रूल ८ में है : Second appeal to the Board in clause (d) of Sec. 76 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956."

चूंकि सिंगल मेम्बर को ७६ डी० के तहत अपील सुनने का अधिकार दे दिया, डिवीजन बैंच के अधिकार माइतस कर दिये गये। बाकी के अधिकार ज्यों के त्यों हैं, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। तो इससे नेचुरल सिक्वेन्स आता है यह फैसला १ जुलाई, १९६३ से लिया गया। उसके बाद में स्थिति बदली। हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अन्दर इफीसियेन्सी लाना चाहते हैं, उसके डिस्पोजल को गति प्रदान करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं और इसके साथ-साथ हम यह भी चाहते हैं कि सस्ता न्याय मिले और स्टेन्डर्ड सुधारना चाहते हैं........

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : "मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की"।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : साथ ही साथ जैसा कि गत सत्र में विधान सभा में इसकी कार्यप्रणाली के बारे में विवाद हुआ उसके अनुसार जहां हम इफीसियेन्सी चाहते हैं वहां इकोनोमी भी हो और स्पीडिली डिस्पोज़ल भी हो। हमने इसके लिये रास्ता निकाला है, रूल्स जो कॉम्पलीकेटेड थे उनको किस तरह से सिम्पल किया जाय और जो वर्क लोड है उसको किस तरह कम कर सकते थे इस बात को ध्यान में रखते हुए, इकोनोमी लाये हैं वह अलग है। ये बातें इसमें सोची गई। एक बोर्ड का मेम्बर कम किया गया, छः के बजाय पांच किये गये। केसेज उतने के उतने हैं, छः आदमी कर सकते थे उसकी जगह पांच किये। केसेज का डिस्पोजल जल्द हो, इसके लिये प्रोसीजर को बदला। एक आदमी जो रिवीजन को रिजेक्ट कर दे वही आगे भेज सकता है। मैं आंकड़ों से बताना चाहता हूँ कि जो रिवीज़न सिंगल मेम्बर के पास आते थे उसमें से ९० प्रतिशत डिवीज़न बैन्च के पास भेजते थे और दस परसेन्ट रिजेक्ट करते थे। सिंगल मेम्बर द्वारा हिअरिंग कास्ट ऑफ एक्सपेन्सेज आदि सब चीजें मिला कर फिर डिवीज़न बैंच के पास जाते थे फिर वहीं पर वही रिपीटिशन। इस दृष्टि से यह किया गया। जिस समय से इस स्कीम को लागू किया गया उस समय के आंकड़े दे सकता हूँ। १-७-६३ को यह चेन्ज लागू किया गया उस समय २७३३ केसेज पेन्डिग थे। उसके अन्दर से २७२ की सुनवाई के लिये अपीलेट ऑथोरिटी को दे दिये गये। इसमें अब बाकी रहे २४६१ उसमें से १६१६ अपीलें थी और ८४५ रिवीज़न थे। उस समय जहां ९० प्रतिशत केसेज़ डिवीजन बैंच के पास चले जाते थे। ८४५ रिवीजन के लिए सिंगल मेम्बर के पास चले गये। १६१६ अपील के

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हैं वे ७६ डी. से कवर होने वाली अपील्स हैं' जो सिंगल मेम्बर के पास आ सकती हैं। अपील्स का वर्क खास तौर पर डिवीजन बैंच के पास रहे और थोड़ी अपीलों का काम उनके पास भी रहे, इसके अलावा दूसरा डिपार्टमेंट का काम है वे करते रहें। यह चेन्ज ऑफ प्रोसीजर किया गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मैं जरा स्पष्टीकरण चाहूँगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने अभी पूरा निवेदन नहीं किया है इसके आगे और है जिसे आप सुन लीजिए, उसके बाद आप पूछ लीजिये।

(१२.०० मध्यान्ह)

इस प्रकार की व्यवस्था करने के बाद एक सवाल फिर आया। अगर सैक्शन १० का प्रोविजो, जैसा मैंने पढ़कर सुनाया, बराबर कायम रखते हैं तो उससे नतीजा क्या निकलता है। सिंगल मेम्बर को एक्सक्लूजिवली सुनने का अधिकार दिया और उसको बराबर कायम रखते हैं तो विदाउट एनी ग्राउन्ड डिविजन बैंच के पास अपील में जा सकते हैं। तो फिर तो उसको अधिकार देना और फाइनली डिस्पोज आफ करने के पावर देना कोई माने नहीं रखता। कोर्ट मैनुअल में रूल्स को परिवर्तन करना भी बेकार हुआ। बिना कारण ही पूरे अधिकार हो जाते हैं सेकण्ड अपील में जाने का। इसलिए इस क्लॉज को इस प्रकार से संशोधित किया जावे जिससे केवल वे ही केस जावें अपील में जो जाने चाहिये या जो जाने योग्य हैं।

अब इसके बारे में दलील दी गई और मेरी दृष्टि से वह दलील वजन नहीं रखती, कानून को जानने वालों की दृष्टि से भी नहीं रखती कि कोई जजमेंट अगर किसी ने अपने हाथ से लिख दिया तो वह खुद ही उसके खिलाफ अपील करने की कैसे परमिशन देगा स्पेशल अपील में जाने की। अन्य स्थानों पर भी ऐसा होता है। हाई कोर्ट में भी ऐसा होता है। फिर हमने इस प्रोविजो को हाई कोर्ट के क्लाज १८ के सेक्शन २ में जो प्रावधान है उसकी अनोलोजी में रखने की कोशिश की है कि जिससे अगर किसी केस को फिट समझे तो सरटीफाई कर सकता है और उस पर स्पेशल अपील हो सकती है। स्पेशल अपील का तो हाई कोर्ट में भी प्रावधान नहीं है जिस तरह का प्रावधान जैसा मैंने अर्ज किया यहां है। जो १८(१) में आने वाला है उसका सवाल यहां नहीं। अब हाई कोर्ट से तुलना करते वक्त स्पेशल अपील का प्रोवीजन नहीं है तो जैसा हाई कोर्ट के रूल १८(२) में है उस तरह का प्रावधान रखो लेकिन हाई कोर्ट में किसी भी डिसीजन की रिट हाई कोर्ट में नहीं है या सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट की रिट नहीं हो सकती अगर परमिसन देने से हाई कोर्ट इन्कार कर दे तो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : लीव टू अपील नहीं दी जावे, तो स्पेशल अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में तो। इसमें आपने कोई सम नहीं रखा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सम के केस डिविजन बैंच में ही हैं। यहां तो छोटे छोटे केस दिये गये हैं, बाउन्ड्री के हैं या ऐसे ही और कोई हैं। तो हाई कोर्ट की लाइन पर लाने की व्यवस्था की गई। पर इसके साथ ही साथ दो प्रोवीजन्स हैं। सेक्शन १८ है। एक

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

तो यह कि डिक्लेयर कर दो कि पूरी पूरी अपील है, वह हो जावे। एक यह है सेक्शन ११ जिसके अन्दर रेफर भी कर सकते हैं डिविज़न बैंच को। दो तो उसके अधिकार की बात है।

एक तीसरी रिट की रेमेडी और है। हाई कोर्ट में रिट कर सकता है। यदि अपने केस में वह इस तरह से समझता है कि कोई ग्रोस इन्जस्टिस हुई है अल्ट्रा वायर्स जजमेंट है या जूरिस्डिक्शन ठीक एक्सर्साइज नहीं किया है....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इसमें खर्चा ज्यादा होगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तो एक तरफ यह कहा जाता है ग्राम पंचायत के सिलसिले में और रेवेन्यू लेजिस्लेशन के सिलसिले में कि लम्बे लिटीगेशन न हों कि तहसीलदार, एस.डी.ओ., कलक्टर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हाई कोर्ट के इतने प्रावधान रहें। अगर आप यही चाहते हैं तो कल्पना कर लीजिये कि किसान की हालत क्या होगी। अगर इनके प्रोवीजन हो जावेंगे तो सब में जरूर जावेगा क्योंकि हर आदमी आखिरी सीढ़ी तक पहुँचने की कोशिश करता है। लेकिन इसमें इन विगत दस पन्द्रह सालों में राजस्थान के रेवेन्यू लाज और टीनेन्सी लाज सब जम गये हैं। इनकी रूलिंगें बन गई हैं चाहे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो या हाई कोर्ट हो। एक बेसिस बन गये। ऐसी परिस्थिति में इस लिटीगेशन को शोर्ट करने, स्पीडी डिस्पोज़ल करने और कम खर्चा हो इस दृष्टि से इनका ध्यान रखते हुए धारा १० में पहले वाले प्रोवीज़ो के आगे यह जोड़ने का प्रावधान किया गया है।

और इसके साथ ही मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस वक्त पहले हमारा मैन्युअल बना, ५६ का कानून बना, उस वक्त कमिश्नरों की पोस्टें थीं और कमिश्नरों के आर्डर के खिलाफ अपील या रिवाइज करने का सवाल था। उस वक्त यह मुनासिब समझा गया कि उसकी अपील बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जावे। उसको उस वक्त के लेजिस्लेशन के मुताबिक अधिकार था। तो डिविजन बैंच के अधिकार को रखने में काफी योग दान दिया था। आज कमिश्नरियां एबोलिश हो गई तो उनके सुनने के अधिकार अपीलेट ऑथोरिटी को दिये गये।

अब वह तरीका नहीं रहा। अब अपीलेट ऑथोरिटी के पास किये ऑर्डर की ७६ डी में अगर कलेक्टर अपील सुन ले या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सिंगल मेम्बर सुन ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।

तो मैं यह इम्प्रैस करना चाहता था, इसमें बहुत बड़ा फण्डामेंटल चेन्ज किया गया हो, ऐसी बात नहीं है। रिवीज़न के पावर दिये हैं; ७६ डी के पावर दिये हैं। तो उनसे कोई जागीर, जमीन्दारी बिस्वेदारी के या कोई और अहम मसले कवर नहीं होते। उनके सम्बन्ध में तो जो कानून अभी है वही चालू है।

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप इस बात से सहमत होंगे कि यह तरमीम उचित है।

तीसरा सवाल जो महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी यहां उठाया गया है २३५ धारा के सम्बन्ध में सबजेक्ट टू दी एप्रूवल ऑफ दी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसमें ये शब्द थे अब उनका सबजेक्ट टू दी एप्रूवल ऑफ कलक्टर कर दिया। इस

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मामले में हमने अभी इसका इम्पलीकेशन नहीं समझा है। इसलिये माननीय सदस्यों के दिमाग में शंका नहीं हो जैसे कि कोई कलेक्टर उसकी जायदाद को बेच देगा और इससे किसान मारा जावेगा या बेदखल हो जावेगा या परेशान हो जावेगा। वास्तव में यह स्थिति नहीं है। स्थिति क्या है? किसी भी एरियर के दस, पांच, सात तरीके हैं। उन तरीकों में आखिरी तरीका यह है जिसके बारे में २३५ का अमेंडमेंट है। उससे पहले उसको बुलाना, तलब करना और डेट ऑफ डिमान्ड देना और उससे वसूल करने की कोशिश करना, जमीन की पैदावार में से लेने की कोशिश करना, अटैचमेंट करके वसूल करने की कोशिश करना, मूवेबल है तो उससे लेने की कोशिश करना, ये सारी बातें करने के बाद अगर उनसे सन्तुष्टि न हो या उनसे सैटिस्फाई डिमान्ड न हो तो वह लास्ट रिज़ोर्ट है। इसलिये उससे तात्कालिक बेदखल करने की हानि होने वाली हो, ऐसा नहीं है।

आपने किसान 'शब्द' को पकड़ लिया। इसमें तीन चार शब्द और हैं। पट्टा जागीर भी आती है। दुनिया भर की दूसरी चीजें हैं। इन सब के साथ जोड़ देने के बाद हो सकता है अपनी युटीलिटी खो दे। जब तक यह प्रावधान कायम है तब तक इफीशियेन्ट और स्पीडी डिस्पोज़ल की दृष्टि से यह तरमीम की गई है। आप विश्वास रखें कि इस तरमीम के जरिये सरकार की यह कतई मंशा नहीं है कि आम तौर से किसानको बेदखल किया जावे, या उसकी जमीनें बेची जावें। तकलीफ देने की इच्छा सरकार की नहीं है। यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस समय।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ऐसे कितने केस नोटिस में आये हैं जिनकी वजह से यह कानून लाना पड़ा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कुछ कलेक्टरों ने रिक्वेस्ट की थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के भी कमेन्ट हमने मंगाये थे। और उनके रेफेरेंन्स के बाद ही इसे रखा गया। दो आवश्यक प्रावधान थे इसलिये इसको भी रख दिया। इस तरह से माननीय चेयरमैन महोदय, मैंने जो ३ मुद्दे इसके जरिये उठाये गये हैं........

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अपनी मर्जी से भी कुछ करते हैं या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सब की मर्जी से करते हैं। आपकी मर्जी से भी करते हैं और अपनी मर्जी से भी करते हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : इस तरह से तो स्टेट टाइम में भी नीलाम नहीं होती थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि ला कमीशन ने यह रिकमन्डेशन दी है कि एरियर्स के बिना पर जमीनों का इजेक्टमेन्ट नहीं किया जाये और अगर लॉ कमीशन ने यह रिकमन्डेशन की है कि एरियर्स के लिए इजेक्टमेन्ट नहीं किया जाये तो यहां यह प्रोवीज़न रखने की क्या जरूरत है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह आर्डिनेन्स ४ जनवरी को निकाला गया है और लॉ कमीशन की रिपोर्ट अभी कुछ ही दिन पहले आई है जो सदन के सम्मुख भी प्रस्तुत कर दी गयी

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

है। जहां तक मेरी जानकारी है ऐसी कोई स्पेसिफिक रिकमन्डेशन लॉ कमीशन की नहीं है और यदि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने उसका कुछ मतलब निकाला था और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इसके लिए कहा है तो मेरी जानकारी है कि इस प्रकार की स्पेसिफिक रिकमन्डेशन नहीं की है। फिर भी लॉ कमीशन की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर दी गयी है उसको देखा जा सकता है और ऑर्डिनेन्स उस रिपोर्ट के आने से पूर्व ८ जनवरी को निकाला गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप सदन को जानकारी करा दीजिए कि उसकी रिकमन्डेशन क्या है ? आप तो वाइस प्रेसीडेन्ट हैं उसके।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी स्पेसिफिक रिकमन्डेशन नहीं है और न गवर्नमेन्ट ने कोई डिसीज़न लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह अलग बात है कि गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया है....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : That report is a report only.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो जब गवर्नमेन्ट ने डिसीज़न नहीं लिया है तो फिर हाउस की मोहर क्यों लगवाना चाहते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें तो यह डिसीज़न लिया है और इन परिस्थितियों में लिया है जिनको मैंने आपके सामने निवेदन किया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : राजस्थान टेनेन्सी एक्ट में ऐसी रिपोर्ट है कि टेनेन्सी राइट्स और खातेदारी राइट्स बेचे नहीं जा सकते हैं और जो प्रोवीज़न आपने रखा है इसमें यह कान्ट्राडिक्टरी हो जायेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सारी बातें एग्ज़ामिन कर ली गयी हैं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अनुसार खातेदारी राइट्स ऑक्शन नहीं किये जा सकते, ऐसा प्रोवीज़न है, आप जानकारी कर लें।

श्री सभापति : Listen to his reply first.

श्री माणिकचन्द सुराणा (कोलायत) : राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू रिफार्म्स कमीशन ने जो रिकमन्डेशन टेनेन्सी एक्ट में की है उसके तहत भी इस प्रोवीज़न को मेन्टेन किया गया है और खातेदारी राइट्स किसी अटेचमेन्ट के या डिक्री के पेटे से नहीं किये जायें। यह मेन्टेन किया गया है और यह अभी भी प्रोवीज़न है, इसलिए यह जो अमेन्डमेन्ट किया जा रहा है.......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एग्रीकल्चरिस्ट की लेण्ड को जो क्रेडीटर्स हैं वह उनकी डिक्री से अटेच न हों ऐसा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उसमें क्लियर प्रोवीज़न है कि खातेदारी राइट्स अटेच नहीं किये जायें in lieu of any land revenue......

यह बात उसमें बिल्कुल स्पष्ट है। इस-

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

लिए यह प्रोवीज़न जो रिपोर्ट की रिकमन्डेशन अभी कन्सीडर हुई है और जो हाउस की टेबल पर रखी हुई है उसके विपरीत है।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपने यह फरमाया कि १६ जिलों में ट्रेसपासर्स के केसेज़ रेगुलराइज़ कर दिये गये हैं। क्या यह केसेज़ कम्पलीटली डिस्पोज़ ऑफ हो गये हैं या इन प्रोसेस ऑफ रेगुलराइजेशन हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने जो फिगर्स बताई हैं और जिन केसेज़ का रेगुलराइजेशन हो चुका है उनकी संख्या १ ७५,५३७ एकड़ का है और ३,६४,३८६ एकड़ के रेगुलराइजेशन की एप्लीकेशन्स अभी पेन्डिंग हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, माननीय उपमंत्री महोदय यह बतायें कि यह विधेयक क्यों लाया गया। इसके औचित्य को तो बताया लेकिन ऑर्डिनेन्स लाने की क्या एमर्जेन्सी थी, उस पर प्रकाश नहीं डाला। दूसरे अलवर और भरतपुर वाले रेगुलराइजेशन के केसेज़ क्यों नहीं लाये गये, उस पर भी प्रकाश नहीं डाला। कृपया इन दोनों पोइन्ट्स पर प्रकाश डालें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चेयरमैन महोदय, अभी माननीय सदस्य ने दो प्रश्न उठाये। एक प्रश्न पर तो मैंने प्रकाश डाला था। जब कि मैं उसके औचित्य की बात कह रहा था तो मैंने कहा था कि इस समस्या का जो हल हो सकता है वह यह है कि इल्लीगल एन्क्रोचमेन्ट के अटेचमेन्ट वाले मामले रेगुलराइज़ करें जिनके अन्डर कोर्स को लेने का अधिकार खत्म कर दें और यह लागू नहीं किया जायेगा तब तक एन्क्रोचमेन्ट नहीं रोक सकते। इसी को देखते हुए उसी समय मैंने निवेदन किया था कि अलवर और भरतपुर के मामलों में आपने एक प्रश्न उठाया है कि वहां पर रेगुलराइज़ेशन का सर्क्यूलर क्यों नहीं लागू किया और कई भरतपुर और अलवर से आने वाले माननीय सदस्यों से यह भी डिस्कस हुआ और उनकी भी धारणा इस तरह की थी कि अलवर और भरतपुर में जो एन्क्रोचमेंट हैं वे ऐसे लोगों के द्वारा हैं जो कि पॉवरफुल आदमी हैं, जिन्होंने उनके ऊपर एन्क्रोचमेन्ट कर लिया और साथ ही साथ यह भी सवाल था कि वहां पर चारागाह कायम नहीं हुए थे। चारागाह के सिलसिले में भी डिमाण्ड थी कि वे वहां कायम होने चाहिए। तो एक तो चारागाह का प्रश्न था और दूसरा प्रश्न यह था। इसलिए हमने इस सर्क्यूलर को वहां एप्लाई नहीं किया। इसी वजह से वह रहा।

श्री रामकिशन (वैर) : जैसा आपने कहा वह तो हम भी चाहते थे और सही हुआ लेकिन १५ बीघा वाले काश्तकार हैं अगर कहीं २-४ बीघा पर एन्क्रोचमेन्ट किया है तो उसको रेगुलराइज़ किया जाये इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उन सर्क्यूलर्स के ऊपर विचार करने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। एक्ट में तो इस चीज को लाने का प्रश्न नहीं आता। अभी एक्ट में तो जोड़ा नहीं जा सकेगा। वह तो अलवर और भरतपुर के संबंध में जो स्टडी किया था उसके बारे में फाइनल डिसीज़न क्या किया जाये यह अलग से विचार किया जायेगा।

श्री रामकिशन : पर इससे तो प्रभावित होंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं होंगे। अगर कोई नीति सरकार वाजिब समझती है तो उससे कवर हो सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह जो टेनेन्सी एक्ट में प्रोवीज़न है कि प्राईवेट ओनर्स की लेण्ड को नाजायज़ कब्जा कर लिया तो उस पर १५ गुना देने के बाद में फैसला किया जा सकता है तो क्या आपका यह प्रोवीज़न उस प्रोवीज़न से डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होगा?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : यह जो आपने सर्क्यूलर के जरिये बताया कि जो नाजायज़ कब्जा करने की प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिए अलॉटमेन्ट की पद्धति को रेज़ कर रहे हैं। ऐसे समय में एक तरफ तो आपका कहना यह है कि हम नाजायज़ कब्जा करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए इसको एन्फोर्स कर रहे हैं और आप नाजायज़ कब्जे का यह प्रावधान लाते हैं और इस तरह से लाते हैं कि १५ गुना का प्रावधान भी खत्म करना चाहते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अवगत है कि ऐसे नाजाइज़ कब्जे अब भी होते हैं? इसका मतलब यह मान लिया जाये कि जो जमीन अलॉटमेन्ट करने की स्कीम है वह नाजायज़ तरीके से होती है जिससे अलॉटमेन्ट नहीं होता, क्या यह मान लिया जाये?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय चेयरमैन महोदय, आपने यह सवाल उठाया कि यह मान कर चलते हैं कि नाजायज़ कब्जे होते हैं इसलिए इसको करने की जरूरत पेश आई। इसमें शंका की बात नहीं है। मैंने कहा कि इतने लाख एकड़ जमीन पर नाजायज़ कब्जा हुआ और क्योंकि इस तरह से रेगुलराइज़ करने की वजह से प्रवृत्ति पैदा होगी, बाद में रेगुलराइज़ हो जायेंगे, यह स्टैप इसलिए लिया गया और फर्दर एन्क्रोचमेन्ट को स्टोप करना है।

श्री सभापति: Any specific question that you want to put?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : Yes, Sir. यह अपीलेट ऑथोरिटी बनने के बाद में कितने अपील के केसेज बोर्ड में हुए हैं, जरा इसकी जानकारी चाहते हैं कि सिंगल बैन्च के निर्णय के विरुद्ध कितनी अपीलें आई हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रेवेन्यू बोर्ड में सिंगल जज के खिलाफ कितनी अपीलें हुई हैं। आप यह कहते हैं कि बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो यह मालूम करना चाहते हैं कि कितनी हुई हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फीगर्स अभी मेरे पास नहीं हैं।

श्री सभापति : श्री उमरावसिंह।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अभी उप-मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया कि ऐसी लैण्ड जिनके बारे में यह तय हो गया है या यह जानकारी है सरकार को कि बराबर नाजायज़ कब्जा है जमीन पर और ४-५ साल से लगान वसूल कर रहे हैं उसको रेग्युलेराइज़ करने के पावर्स दे दिये हैं तो यह

Page No. 92

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

रेग्युलेराइज़ हुआ मान लिया जायगा । मैं यह पूछना चाहता हूं कि सारे का सारा यह बिल जो रखा गया है तो वह सिर्फ पटवारी या रेवेन्यू ऑथोरिटीज़ की गलती है कि उन्होंने उसको रेगुलराइज़ नहीं किया है टाइम पर, तो क्या उनको रेक्टीफाई करने के लिए यह अमेंडमेंट या ऑर्डिनेन्स नहीं रखा है ? जब कि यह स्पष्ट है कि पटवारी को इत्तिला देनी चाहिए एकदम जब कि नाजायज़ कब्जा होता है, तहसीलदार को जिम्मेवारी के टाइम पर । तीन-चार साल तक लगान लेते रहे....

श्री सभापति : You have made your point.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह आर्डिनेन्स ८ जनवरी, ६४ को निकाला है यानी इसके बाद में किये गये एन्क्रोचमेंट पर ही यह कानून लागू होगा । इस बात को अगर आप समझ लें तो सारा सवाल खत्म हो जाता है कि १० वर्ष से कब्जा किये हुए हैं उनको इस आर्डिनेन्स के तहत बेदखल कर दिया जायगा, this is never the intention of this legislation.

श्री सभापति : That should do.

Shri Krishna Kumar

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान लैंड रेवेन्यू संशोधन मध्यादेश पर यह संकल्प था कि उसको अस्वीकृत किया जाय, उस पर मैंने सदन के समक्ष अपने विचार रखे थे । उसके उपरान्त आज जो राजस्व उप-मंत्री के द्वारा उत्तर प्राप्त हुआ । उसके बाद मुझे बड़ा खेद है कि मैं उस संकल्प को वापिस लेने में विवश हूं ।

उप-मंत्री महोदय ने अपनी सब कुछ बातें बताई, लेकिन इस अध्यादेश को जारी करने की ऐसी कौन सी आवश्यकता थी कि पहले १-१-६४ में यह अध्यादेश जारी हो और २१-२-६४ से विधान सभा आरम्भ होने वाली थी । इस छोटी सी बीच की अवधि के अन्दर ऐसी सरकार को कौन सी मजबूरी आगई थी कि वह अध्यादेश को जारी करे । धारा १०, धारा ९१ या धारा २३५ के अन्दर संशोधन करके सरकार की कौन सी एफिशियेन्सी बढ़ी है या इमरजेन्सी को मीट किया गया है । उप मंत्री महोदय के द्वारा इस बारे में जो कुछ बताया गया है मैं कहूंगा कि वह नाकाफी ही नहीं वह कोई जवाब नहीं आया है । अभी ४-५ रोज़ से लगातार आर्डिनेन्सों के जारी करने के बारे में गर्मागर्म बहस हो रही है और इस बात को स्वयं ने स्वीकार किया है कि वास्तव में अध्यादेश नहीं निकलने चाहिए । लेकिन यह जो अध्यादेश निकाला गया है उससे सरकार को क्या मिला ? उनको कोई ऐसे आंकड़े नहीं मिले कि धारा १० में संशोधन करने के उपरान्त अध्यादेश के द्वारा, कोई किसी प्रकार की इफिशियेन्सी डी० बी० के अन्दर दिखाई दी हो । कोई इस प्रकार के स्पेशल केसेज़ की संख्या नहीं दी गई, इस प्रकार की कोई सूचना या आंकड़े नहीं निकाले जिससे यह इत्तिला होती हो दफा ९१ के तहत कि सरकार को इस प्रकार से अतिक्रमण करने में सफलता मिली है, और इतने केसेज़ में सरकार ने अतिक्रमण को इजेक्ट कर दिया है । ट्रेसपासर्स इतने के लगभग थे और उनको सरकार ने इस अध्यादेश के द्वारा

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

इजेक्ट कर दिया है, इस प्रकार के आंकड़े सामने नहीं आये। तो इस प्रकार के अध्यादेश को सामने लाकर जनतन्त्र का एक मखौल करना है। मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल अनुचित है। यह जो सरकार की डिक्टेटोरियल मनोवृत्ति है उसका प्रतीक है। सरकार को इस प्रकार से ऑर्डिनेन्सेज की शरण नहीं लेनी चाहिये।

सभापति महोदय, जो उप-मंत्री महोदय ने धारा १० के बारे में अपने विचार रखे उनको सुनने के बाद भी मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आपने यद्यपि यह बताने का प्रयास किया है कि सिंगल जज के बारे में रेवेन्यू बोर्ड को पहले केवल रिवीज़न के अधिकार थे। अब इसके बीच में संशोधन कराके उसको ७१ (डी) के तहत रेवेन्यू अपीलेट आथारिटी की अपीलें आयेंगी तो उनको सुनने का अधिकार दे दिया है। मैं मानता हूं कि यह बात ठीक है, लेकिन जहां तक स्थिति है उनको रिवीज़न सुनने के अधिकार हैं और इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो डी० बी० है। वे रिवीज़न को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको मोडिफाई करना है या ऑलटर करना है तो डी० बी० को रेफर करना पड़ेगा। वह ठीक है। यह स्वयं उप-मंत्री महोदय जानते हैं कि रिवीज़न किन मामलों में लाई जाती है। फैक्ट्स पर रिवीज़न ले नहीं करेंगी, केवल लॉ क्वेश्चन पर रिवीज़न लाई करती है, और उस रिवीज़न को सिंगल बेंच रिजेक्ट करती है तो उसके लिये भी आगे कन्सेन्ट की जरूरत है, यह नोट जरूरी है कि यह केस अपील के लिए फिट है। मैं यह समझता हूँ कि यह इस प्रकार की चीज किसी प्रकार से ठीक नहीं है। इस प्रकार के तर्क मेरे द्वारा और माननीय सदस्यों के द्वारा दिये गये थे। उन्होंने इस प्रकार हाई कोर्ट के सेट अप और रेवेन्यू बोर्ड के सेट अप की केपेबिलिटीज़ केपेसिटी और इन्टेग्रिटी को डिस्टिंग्विइश किया था। मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल ठीक है। उसी आधार पर जो हाई कोर्ट के अधिकार हैं वह रेवेन्यू बोर्ड को देना चाहते हैं। यह ठीक नहीं होगा। जहां तक दोनों केसेज़ में रिवीज़न का अधिकार है, अपील का अधिकार है आप क्या यह उचित समझते हैं कि इस प्रकार के नोट हों। सिंगल जज जिसको रिवीज़न के अधिकार हैं वह हर हालत में उसको रिजेक्ट कर सकता है उसमें आप चाहें कि उसकी कन्सेन्ट ली जाय कि यह केस अपील के लायक है। मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति इसको देखेगा कि रिवीज़न के पावर्स उसके पास हैं वह रिजेक्ट कर सकता है, उसके लिए एग्रीव्ड पार्टी आगे जाना चाहती है और उस सिंगल मेम्बर से सलाह मांगी जाय कि अपील के लायक केस है कि नहीं, तो यह सिर्फ मखौल होगा और सब लोग हमारी हंसी उड़ायेंगे।

इसके बाद, सभापति महोदय, ६१ के बारे में भी आंकड़े नहीं दिये गये थे और मैंने स्पेसिफिकेली यह रखा था कि आंकड़े जिलेवार यदि बताएं तो हम सहयोग दे सकेंगे और करेक्ट इन्फोर्मेशन दे सकेंगे लेकिन आपने कहा कि इस प्रकार की इन्फोर्मेशन गेदर की है और उस जवाब को टाल दिया। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी यह मनोवृत्ति है काश्तकार का मनोवृत्ति तो नहीं है, लेकिन यह सरकार की मनोवृत्ति है इसके पीछे कि इस प्रकार का संशोधन लाया जाकर धारा ६१ के अतिक्रमण को रोका जायगा,

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

तो यह गलत है। मनोवृत्ति जो काश्तकार की है ट्रेस पास करने की या अतिक्रमण करने की वह इसलिए नहीं कि सरकार ने कानून में कोई छूट दे रखी है। एक काश्तकार, एक किसान जो कि भूमिहीन है, जिसके पास में जमीन नहीं है, उसकी मनोवृत्ति जमीन पर कब्जा करने की, उस पर काश्त करने की है, यह नहीं है कि कानून के द्वारा राहत पहुंच रही है इसलिए वह अतिक्रमण करे। उसकी मनोवृत्ति उसका पेट है, उसका परिवार है, उसके पास साधन नहीं हैं, जमीन नहीं है, वह जमीन लेकर काश्त करता है और उनका पेट भरता है। इस मनोवृत्ति के कारण वह जमीन लेने को मजबूर होता है और उस पर काश्त करता है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गलती काश्तकार की नहीं है सरकार की नीतियों की है। अगर सरकार जागरूक होती तो इस प्रकार के आंकड़े उनके पास होते कि राजस्थान में कितने ऐसे गांव हैं और वहां पर कितने ऐसे परिवार हैं जो कि भूमिहीन हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास जरियाये मास दूसरा नहीं है सिवाय इसके कि काश्त करें। यदि सरकार के पास आंकड़े होते तो एलॉटमेंट कमेटी के द्वारा एलॉटमेंट किया जा सकता है।

इसके अलावा जो सीलिंग के रूल्स हैं वे डिफेक्टिव हैं। जिस समय यहां सीलिंग के रूल्स आये थे उस समय निवेदन किया था कि काश्तकार........

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ये सारी बातें बहस में कह दी गई हैं। रिप्लाई का मतलब है........

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं धारा ९१ पर बोल रहा हूं कि जो इस प्रकार की आपको ऑर्डिनेन्स की आवश्यकता पड़ी ट्रेस्पास को रोकने के लिए वह गलत है। अगर सीलिंग के अन्दर व्यवस्था की होती। सरकार ने पहले आंकड़े ले लिये होते कि कितने लोग लैंडलेस हैं उनको जमीन देनी है। उनको जमीन देने की व्यवस्था की होती, तो मैं सोचता हूँ कि सरकार अतिक्रमण को रोकने में सफल हो पाती। लेकिन सरकार का केवल यह कहना कि यदि हम इस प्रकार फसल लेजाने का अधिकार समाप्त करेंगे तो अतिक्रमण रुक जायगा, सरकार का यह ध्येय बिल्कुल गलत है, अतिक्रमण रुकनेवाला नहीं है। बल्कि सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिये कि गरीबों ने मजबूरी के कारण कब्जा किया है, उन्होंने साल भर मेहनत की है उसको भी आप समाप्त करना चाहते हैं। मैंने कल यह कहा था कि जो कुछ अतिक्रमण हो रहा है वह किसी भू स्वामी या जमींदार या अच्छे काश्तकारों के द्वारा नहीं हो रहा है। बल्कि अतिक्रमण वे लोग करते हैं जो लैंडलेस हैं, जिनके पास भूमि नहीं है जिसके लिये सरकार की नीति यह है कि सीलिंग के द्वारा उनको सरकार जमीन देने वाली है। यदि सरकार यह कहे कि यदि मजबूरी के कारण ट्रेस्पास किया है उससे १५ गुणा लगान तो लेंगे लेकिन पैदावार भी उन्हें नहीं लेने देंगे, यह उचित नहीं है। यह हो सकता था कि जिस समय अतिक्रमण किया, हल डालकर खेत में बीज डाला उस समय उनको अलग करते तो वह स्थिति दूसरी थी। उसके बाद कंटिन्युअसली यदि वह पजेशन में रहता है तो वह पोजीशन दूसरी है। यदि आप जागरूक हैं तो जिसने पहली बार अतिक्रमण किया है, काश्त की है तो उसको नोटिस देकर

Page No. 95

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

रोका जा सकता था कि वह काश्त नहीं करे। लेकिन जब पहली बार उसने जमीन पर मेहनत करके उसको उपजाऊ बनने-लायक बनाया और उस पर काश्त की है, उस पर मेहनत की है तो कम से कम वह फसल लेने का तो उसको अधिकार होना चाहिये। इस प्रकार का संशोधन लाकर आप किसानों के साथ न्याय नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने तथा औरों ने भी बताया कि रेवेन्यू लॉज़ कमीशन बैठा है उसकी रिपोर्ट भी सदन के सामने रखी है उससे आने तक इन्तजार न करना और इस तरह के ऑर्डिनेन्स और संशोधन लाना उचित नहीं है। मैं संकल्प का समर्थन करता हुआ निवेदन करूंगा कि इस बिल को निरस्त किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जिस संकल्प की सूचना श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने दी थी और जिसका अधिकार दिये जाने पर उसे प्रस्तुत श्री कृष्णकुमार गोयल ने किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता ?

(करतलध्वनि)

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : Nose' have it.

श्री रामानन्द अग्रवाल : The Government should resign.

श्री सभापति : I will put the Ruestion again.

श्री रामानन्द अग्रवाल : The Ruling has beenj given which has not been chalhenged.

श्री सभापति : Order please ! No ruling was given.

प्रश्न यह है कि जिस संकल्प की सूचना माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने दी और जिसे अधिकार दिये जाने पर प्रस्तुत श्री कृष्णकुमार गोयल ने किया उसे स्वीकार किया जाय ?

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जाता।

कुछ माननीय सदस्य : 'Noes' have it.

श्री सभापति : Then let the Division Bell be rung.

(विभाजन घण्टी)

(१२.३० म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of order, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल २८६ की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें लिखा है :—

"(1) On the conclusion of a debate, the Speaker shall put the question

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

and invite those who are in favour of the motion to say 'Aye' and those against the motion to say 'No'.

(2) The Speaker shall then say : 'I think the Ayes (or the Noes, as the case may be) have it'. If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is not challanged, he shall say twice : 'The Ayes (or the Noes, as the case may be) have it' and question before the House shall be determined accordingly."

एक बार कहना इसमें डिटर्मिनेशन नहीं, लेकिन यदि एक बार आसन की ओर से कह दिया जाय 'हां' पक्ष जीता, या 'ना' पक्ष जीता 'ना' पक्ष जीता तो सदन के सामने प्रश्न है कि it shall be determined accordingly, और उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति जो आप पैदा करना चाहते है वह होती नहीं है। लेकिन डिवीज़न को चैलेन्ज करने की स्थिति अब है उसके बारे में सब क्लाज (३) कहता है :

"(3)(a) If the opinion of the Speaker as to the decision is challenged, he shall order that the Lobby be cleared" एक बार कहा जायगा और एक बार कहने पर चैलेन्ज नहीं हो........

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : But it has been challenged.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने चैलेन्ज किया, यह मैं मानता हूँ लेकिन तब किया जब आसन ने दो बार कह दिया 'हां' पक्ष जीता, 'हां' पक्ष जीता। दो बार कहने के बाद चैलेन्ज किया। यदि आप चैलेन्ज कर देते पहले तो आसन उसको दो बार डिक्लेयर नहीं करता। लेकिन जब आप चूक जाते हैं, इन-एलर्ट रहते हैं, लॉबी में बैठे हों; सवाल इस बात का नहीं, लेकिन सवाल इस बात का है कि भविष्य में आप लोग विजिलेन्ट रहें। आसन ने एक बार कहा, दो बार कहा और एक सैकन्ड ही नहीं, बल्कि ५ सैकन्ड में कोई चैलेन्ज नहीं हो और आसन डिक्लेयर कर दे कि "हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता" तो The Ruestion shall be determined accordingly. इसलिये अब डिविज़न होने और लॉबीज़ में जाने का सवाल खड़ा नहीं होता और सत्तारूढ़ दल को भी स्पोर्टिंग स्पिरिट रखनी चाहिये। सदन की मर्यादा को बनाये रखने के लिये आप चाहें तो और रास्ता निकालना हो तो निकाल सकते हैं, पास करवा सकते हैं, हमें आपत्ति नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन में गलत परम्परा डालने का मौका नहीं दें। आसन की व्यवस्था के बाद यह पारित हो गया रूल्स के अनुसार। अब किसी पर गुस्सा प्रकट करने का सवाल नहीं है। निर्णय हो गया है। आगे डिविज़न या मत लेने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। डिविज़न नही होना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो माननीय सदस्य ने कहा कि चेयरमैन की रूलिंग को चैलेन्ज नहीं किया जा सकता तो इसके लिए मैं निवेदन करूं कि माननीय चैअरमैन की रूलिंग पूरी भी न हो पाई थी कि चैलेंज कर दिया गया और चैलेंज करने के बाद माननीय चेअरमैन ने उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया और यह ऑर्डर दे दिया, डिवीज़न के लिए घंटी बजाई जाय। घंटी बजा दी गई और घंटी

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

बजाने के बाद में उपाध्यक्ष महोदय का पधारना हुआ। उसके बाद सवाल उठाया जाता है कि चैलेंज ठीक तरह से नहीं हुआ और इसलिए वह रूलिंग फाइनल हो गई। उस वक्त ऐतराज नहीं उठाया जब डिविज़न घण्टी नहीं बजाई गई थी और डिविज़न के लिए ऑर्डर नहीं दिया जा सका था। इसलिए चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, डिविज़न के लिए घण्टी बजा दी गई और इसलिए उसके बाद यह ऐतराज उठाया नहीं जा सकता, ऐतराज न्यायसंगत नहीं है।

श्री रामकिशन (वैर) : हमारी तरफ से तो आप हार गये।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : हम तो हारे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सतीशचन्द्र अग्रवाल ने आपत्ति उठाई है कि रूल २८६ के अन्तर्गत आसन से एक व्यवस्था दे दी गई। तो पहला प्रश्न यह उठता है कि आसन से व्यवस्था दे दी गई या नहीं। इसके लिए जो रूल अभी कोट किया गया है, २८६ ए, २८६ बी इत्यादि उसके ऊपर पूरी तरह विचार करना है। आसन के निर्णय के सम्बन्ध में पहले भी मैं आसन का निर्णय दे चुका हूँ, ऐसे ही प्रश्न पर। तो आसन का निर्णय है उसका स्वरूप तब बनता है जब आसन says "The Ayes have it"! यह जो रूल के अन्दर लिखा गया है "I think Ayes have it" उसके अनुसार आसन, 'हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता' कहता है, अथवा 'ना पक्ष जीता ना पक्ष जीता' कहता है, तब केवल सदन को आगाह करता है कि हां पक्ष जीता क्या? I think हां पक्ष जीता, उसके पश्चात् चैलेंज नहीं होता है तो उसके बाद आसन डिक्लेअर करता है, फलां फलां संशोधन गिर गया अथवा मान्य हुआ। तब आसन की व्यवस्था होती है। इस प्रश्न पर व्यवस्था आसन से नहीं हुई।

दूसरी चीज जो अभी माननीय उपमंत्री ने रखी उसके अनुसार डिविज़न की बेल बजी, डिवीजन बेल को स्वीकार सारे सदन ने किया। इसका अर्थ यह है कि सारे सदन ने इम्प्लाइड वे में स्वीकार कर लिया कि आसन से व्यवस्था पूर्णतया नहीं हुई। इसलिए आसन की व्यवस्था बाकी है। इसलिए मैं प्रश्न को फिर से रखता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बैल बजाने से सदन की स्वीकृति इम्प्लाइड कभी नहीं हो सकती। सवाल यह है कि पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया जाय........

श्री उपाध्यक्ष : आसन से व्यवस्था नहीं हुई।

श्री मथुरादास माथुर : वॉक आउट करने का विचार है क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल यह है कि आसन की व्यवस्थायें मानी जायं या न मानी जायं ?

श्री मथुरादास माथुर : हम कहते हैं कि आसन और शासन – दोनों को माना जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम कहते हैं कि शासन आसन पर हावी नहीं हो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir, आसन नहीं उच्चासन कहा जाय। आपन तो यह है, उच्चासन कहना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सिंहासन !

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय सतीशचन्द्र अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

श्री रामकिशन : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने रखा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल ने रखा है on behalf of Shri Satish Chandra Agrawal.

('हां' और 'ना' की आवाज)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 'हां' पक्ष जीता।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 'ना' पक्ष जीता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 'Ayes' have it.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 'Noes' have it.

श्री उपाध्यक्ष : 'Ayes' to the 'Ayes' Lobby and Noes to the 'Noes' Labby.

(१२.४३ म० प०)

(विभाजन के पश्चात्)

विभाजन का निर्णय इस प्रकार है :—

'न' पक्ष ५७.

'हां' पक्ष ३६.

प्रस्ताव गिर गया।

"ना" पक्ष

श्री अमृतलाल यादव

श्री भरतलाल

श्री भीखाभाई

श्री भैरवलाल 'कालाबादान'

श्री भीमसेन

श्री भीमसिंह

महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल

श्री बृजसुन्दर शर्मा

श्री छुट्टनलाल

श्री दौलतराम सारण

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा

श्री देवीलाल मीणा

श्री धर्माराम आर्य

श्री दिनेशराव डांगी

श्री गणेशलाल

श्री गंगासिंह परिहार (हिंडौली)

श्री गणपतिलाल वर्मा

श्री गोकुलचन्द

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा

श्री गोविन्दसिंह (चिड़ावा)

श्री ज्ञानचन्द मोदी

("ना" पक्ष)

श्री हनुमानसिंह चौधरी
श्री हरिभाऊ उपाध्याय
श्री हरिदेव जोशी
श्री हरिकिशन
श्री हरिश्चन्द्र
श्री हरलाल
श्री जगनसिंह
श्री जयकृष्ण शर्मा
श्री जुझारसिंह
श्री ज्वालाप्रसाद
श्रीमती कमला बेनीवाल
श्री कानाभाई नुवाल
श्री केशरीसिंह जोजावर (खार्वा)
श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
श्री लालाराम
श्री माधोलाल खानपुरिया
श्री मजलिसखां
श्री मनफूलसिंह
श्री मथुरादास माथुर
श्री मोहनलाल सुखाड़िया
श्री मोहन राज
श्री नाथूराम (बागीडौरा)
श्री निरंजननाथ आचार्य
श्रीमती निर्मला देवी नाहर
श्री परसराम मदेरणा
श्री फूलचन्द्र जैन
श्रीमती प्रभा मिश्रा
श्री रघुनाथ बिश्नोई
श्री रामचन्द्र
श्री रामप्रसाद लढ्ढा
श्री रविशंकर याज्ञिनिक
श्री रावतराम
श्री रूपाराम पंवार
श्री सांवलिया राम
श्रीमती सुमित्रा
श्री स्वरूपनारायण पुरोहित
कुमारी उमा माथुर

"हां" पक्ष

श्री ए० जब्बार
श्री अभयसिंह
श्री बालूराम चौधरी
श्री भानुप्रसाद कराड़िया
श्री चन्द्रसिंह बर्फा
श्री चौथमल वर्मा
श्री चोसरसिंह बाबेल
श्री दयाचन्द सौन
श्री फतेहसिंह
श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल)
वैद्य श्री गोविन्द सहाय
श्री हरिराम चौहान (तिजारा)

("हां" पक्ष)

श्री हीराभाई

श्री जयलाल

श्री जुगलाल

श्री केदारनाथ

श्री केसरीसिंह (पाली)

श्री कृष्णकुमार गोयल

श्री लक्ष्मीचन्द

श्री मानिकचन्द सुराणा

रावत श्री मानसिंह महार (आमेर)

श्री मथुरेश बिहारी माथुर

श्री मावा

श्री मुरलीधर व्यास

मास्टर श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़)

श्री रामानन्द अग्रवाल

श्री रामकिशन

श्री रामसिंह

श्री सम्पतलाल बोहरा

श्री श्रवणलाल

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

रावत श्री उम्मेदसिंह

श्री उमरावसिंह ढाबरिया

श्री विजयपाल कटारा

श्री विजयसिंह झाला

श्री विठ्ठल

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक विचारार्थ....

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन इस विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने हेतु आये हैं उन्हें स्वीकार किये जावे ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन विथड्रा करता हूं ।

एक माननीय सदस्य : पहले ही खड़ा होना चाहिये था । अब तो यह संशोधन गिर गया ।

श्री उपाध्यक्ष : और भी कोई माननीय सदस्य विथड्रा करना चाहते हों तो खड़े हो जावें ।

क्या सदन की यह इच्छा है इन्हें विथड्रा करने की अनुमति दी जावे ।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति में भेजने हेतु आये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाय ।

(श्री उपाध्यक्ष)

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

क्लॉज़ २, श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री मुरलीधर व्यास : On a point of order, Sir' मैं क्लॉज़ २ को डिलीट करने के बारे में बोलना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष, अभी माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया और उस जवाब में बड़े अच्छे तरीके से, एक वकील के तरीकेसे बहुत सी बातों का उल्लेख किया उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सही माने में ये क्लॉज़ २ और ३ हैं वे इस प्रकार के हैं कि यदि इन क्लॉज़ेज़ को स्वीकार करते हैं तो ये मूलभूत बुनियादी रूप में क्लॉज़ेज हैं उसके बिल्कुल विपरीत हैं और जब राज्य सरकार एक ओर समाजवाद की घोषणा करती है कि जमीन जोतने वालों की होगी और किसान जमीन का मालिक होगा, मगर दूसरी ओर सरकार यह कानून बनाती है कि किसान जमीन का मालिक होगा उसकी जमीन को बेचा जा सकता है और नीलाम किया जा सकता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि एक ओर आप किसानों को जमीन देने की बात करते हैं और जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन दी जावेगी और हमेशा हम यह मूलभूत सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं कि जमीन जोतने वालों की होगी। मगर अब आप यह नीति लाते हैं कि सरकार को उनकी जमीन को बेचने का अधिकार होगा। बुनियादी रूप में जब आपने इस सिद्धान्त को अपना लिया है कि जमीन जोतने वालों की....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २ तो दूसरा है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं क्लॉज़ेज़ २ और ३ दोनों को डिलीट करने के कह रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : पहले क्लॉज़ २ को तय होने दो।

श्री मुरलीधर व्यास : आप फिर बोलने नहीं देंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहां स्थिति क्या है ? कितनी जमीन जोती जाती है कितनी वेस्ट लैन्ड है। हमारी सरकार कहती है कि ३८ पर्सेन्ट जमीन जोती जाती है।

(१.०० म० प०)

और दूसरी ६० प्रतिशत जमीन हमारी पड़ी रहती है जिसको कोई जोतने वाला नहीं है। उसके अंदर २ परसेंट फॉरेस्ट की जमीन मानी है जो जोती जाती है उसमें से। अब राज्य के अन्दर इतने बड़े पैमाने पर जमीन मौजूद हो और जोती नहीं जाती हो वहां पर एक किसान जिसको पूरा खाना नहीं है और उधर राज्य की आर्थिक स्थिति यह है कि ६० पर्सेन्ट किसान इस प्रकार के हैं जिसके पास २ बीघा से कम जमीन है १०बीघासे कम है,जिनके पास ५ बीघा

(श्री मुरलीधर व्यास)

से कम है, उस पर सरकार सख्ती बरते तो ठीक नहीं है। हमारी सरकार खुद कहती है कि २॥ लाख परिवारों के पास कोई जमीन नहीं है, और जहां ६० प्रतिशत जमीन खाली पड़ी है उसके बावजूद सरकार ऐसा कानून बनाना चाहती है कि अगर कोई किसान किसी भी जमीन को जबरदस्ती जोतेगा तो उसको फसल को छीना जायगा। किसान के पास जमीन पूरी नहीं कि, अगर वह जोत लेता है और आज के इस युग में जबकि हमारे देश के अन्दर प्रोडक्शन कम हो....

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल पास करने के बाद दूसरा बिल भी आने वाला है। बहुत थोड़ा समय रह गया है। सदन की व्यवस्था थी कि आज १॥ बजे तक सारे आर्डिनेन्सज़ पूरे हो जाने चाहिए और १॥ बजने में थोड़ा समय रह गया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसे समाप्त किया जाय तो दूसरा बिल लिया जा सके।

श्री **मुरलीधर व्यास** : दूसरा बिल यूनीवर्सिटी का है, वह आज नहीं आएगा।

श्री **उपाध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कार्य सलाहकार समिति के आदेशानुसार जो समिति इस सदन का एक मन्तव्य रखती है, ये इन दोनों बिल्स आज पारित करने हैं। लेकिन अगर सदन की मन्शा इससे अलग होगी तो सदन के ऊपर निर्भर है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मैं इस संबंध में निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों से और खासकर ट्रेज़री बैंचेज़ से यह अपील करूंगा कि दूसरा बिल राजस्थान यूनीवर्सिटी का है। उसको हम आधे घंटे में या एक घंटे में डिस्पोज़ ऑफ नहीं कर सकते। ऐसा करके हम उसके साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। अगर पांच बजे बजट स्पीच के लिए वापस नहीं आना होता तो भी हम दो घंटे के लिए इस पर विचार करते। इसलिए मैं ट्रेज़री बैंचेज़ और वित्तमंत्री से अपील करूंगा कि वे हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें या तो फिर उस विधेयक को कल के लिए रखें नहीं तो कोई भी दिन सुविधाजनक हो, उस दिन रख दें। आगे ४ दिन लेजिस्लेटिव बिज़िनेस के लिए रखे हैं। हम इसको ३० मार्च को पास कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस का पीरियड लैप्स नहीं होता है। ३० तारीख को पास करने के बाद ३१ तारीख को राज्यपाल महोदय की स्वीकृति आ सकती है।

श्री **उपाध्यक्ष** : इसमें दिक्कत केवल इतनी होगी कि बजट पर जो समय निर्धारित है उसमें से यह काटा जायगा।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : ३० तारीख को लेजिस्लेटिव बिज़िनेस है।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : यह बिल सब्स्टीट्यूट करना चाहता है ऑर्डिनेंस को और यहां ऑर्डिनेंस की जिंदगी का प्रश्न है। life of the Ordinance वह एक्सपायर होती है, उसको रिप्लेस करना है। अगर समय पर रिप्लेस नहीं किया तो लीगल कॉम्प्लीकेशन्स आएंगी।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : इसकी मियाद ७ अप्रैल तक है। हम ३० को पास कर देंगे और ३१ को राज्यपाल की सैंक्शन आ जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे आपत्ति नहीं है। जैसा सदन निर्णय ले ले मैं उसी प्रकार से करने को तैयार हूँ। अभी तो समय है, आप प्रारंभ करें।

श्री मुरलीधर व्यास : तो मैं कह रहा था कि ऐसे क्लॉज़ेज जो हमारे मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ पड़ते हैं उन्हें किसी भी हालत में न रखा जाय। इसके अन्दर सरकार यह तो कर सकती है कि जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है और प्रभाव के जरिए जमीनों पर कब्जा कर लिया है और सरकार के कानून को नहीं मानते हैं, उनके लिए यदि इस कानून का इस्तेमाल किया जाय तो कोई बात नहीं, लेकिन वह किसान जिसके पास दो बीघा जमीन है, पूरी रोटी नहीं है, जमीन पास में पड़ी भी है, उसको कोई जोतता भी नहीं, उस पर कब्जा करके जोतता है तो देश का फायदा भी करता है और बच्चों का पालन भी करता है। यह आपके मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पड़ता है। इससे आपका जो प्रोडक्शन बढ़ाने का टार्गेट है वह भी हर हालत में कम हो जायगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं समझता हूं कि अगर आज के युग में एक भी भूमिहीन रह जाय, सरकार की लापरवाही से बिना जमीन के रह जाय, तो अच्छा नहीं है। इसलिए सारी परिस्थितियों को देखना है, केवल विभागीय परिस्थितियों को नहीं देखना है। कितने किसान हैं जो भूमिहीन हैं ? अगर.... ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

....वस्तुस्थिति को नहीं देखा गया तो कानून बिल्कुल नाकामयाब जायगा। इसलिए इन दोनों क्लॉज़ेज़ को बिल्कुल डिलीट किया जाय। वे न किसानों को फायदा पहुंचाने वाले हैं और न जो हमारे बुनियादी सिद्धांत हैं कि जमीन का मालिक किसान हो, उसके अनुकूल पड़ते हैं। ये उन फंडामेंटल विचारों के विपरीत पड़ते हैं तो इनको डिलीट किया जाय।

(श्री रामानन्द अग्रवाल बोलने को खड़े हुए) :

श्री उपाध्यक्ष : Your amendment is there. Your turn will come.

श्री रामानन्द अग्रवाल : No, Sir, I do not have any amendment on clause 2. I want to delete it entirely. So I have got a prior right to speak.

ज्यादा समय नहीं लूंगा। उपाध्यक्षजी, मैं इस विधेयक के क्लॉज़ दो का विरोध करता हूं और चाहता हूँ कि इसको इसमें से बिल्कुल डिलीट ही कर दिया जाय। इसका कारण यह है कि माननीय उपमंत्री महोदय ने प्रश्न का उत्तर देते हुए जो कारण बताए उनमें एक तो यह बताया कि हाई कोर्ट के समानांतर जिस प्रकार सिंगल जज की अपील डिवीजन बैंच की जाती है, उसमें जिस प्रकार से उनको सैंक्शन लेनी पड़ती है, उसी प्रकार राजस्व मंडल में भी करना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक दलील रखी। इसका कोई कारण नहीं कि जो जज प्रेसाइड कर रहा है, अपना फैसला एडवर्स दे देता है तो उसी एप्लीकेंट को वह रिजेक्ट करेगा अपील करने से। ये दोनों ही प्रोपोज़ीशन्स सही नहीं हैं। इस प्रकार की अड़चन हर स्टेज पर रख देते हैं।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अगर केवल इतना मकसद हो आगे अपील न हो जाय या फर्स्ट कोर्ट के जज के अधिकार से अपील हो सके या परमीशन लेनी पड़े तो जितनी क्रिटिसिज़्म हमारे यहां पर अपने मौजूदा रेवेन्यू बोर्ड का हुआ है उन सब हालात को देखकर भी यह अच्छा नहीं होगा कि इस प्रकार की अड़चन अपील के राइट पर हम डालें और एक सिंगल जज, सिंगल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेम्बर जो एडवर्स जजमेंट दें उनके हाथ में यही अधिकार दे दें कि अपील की जाय या न की जाय। उसको वही डिसाइड करें यह उचित प्रतीत नहीं होगा।

उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे रेवेन्यू बोर्ड में यह सरकार की अपनी नीति है कि किस तरीके से उनको नियुक्त करती है लेकिन इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार की हमारे रेवेन्यू बोर्ड की आज रेपुटेशन है हमारे प्रान्त में, यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है और इस प्रकार से इस सरकार ने कानून बनाये हैं उन कानूनों के बारे में भी उनकी मान्यतायें बड़ी अजीब हैं, वे उन कानूनों को लागू करने में भी बहुत ही हिचकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर हमने यह रेस्ट्रिक्शन रख दी तो इससे न्याय मिलने में आसानी होगी और लोगों का जो प्राइमरी राइट है न्याय मिलने का उसकी पूर्ति होगी।

दूसरा उन्होंने लिटिगेशन बढ़े नहीं, इस दृष्टि से आर्गू किया और उन्होंने बताया कि सिंगल मेम्बर या तो रिवीज़न को रिजेक्ट करते हैं या मोडिफाई करना पड़ता है तो बैंच को रेफर करना पड़ता था तो इस तरीके से ६० पर्सेन्ट केसेज़ डिवीजन बैंच में जाते थे लेकिन अगर इसमें वे परिवर्तन ही करना चाहते है तो सिंगल मेम्बर बैंच को इस तरीके से फैसले लेने के अधिकार दे दीजिये, अपील का राइट दे दीजिये, ६० पर्सेन्ट केसेज़ आगे नहीं जावेंगे। जिसको सैकंड अपील में जाना होगा वह जायगा। इसलिए मौजूदा अपने रेवेन्यू बोर्ड का स्टेन्डर्ड है उसकी एफिशियेन्सी और उसकी इन्टेग्रिटी है, उन तमाम बातों को देखते हुए, मैं समझता हूँ कि सरकार एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करेगी। लोगों में पहले ही कॉन्फिडेन्स नहीं है इस तरीके के रेवेन्यू बोर्ड में। रेवेन्यू बोर्ड को भंग करने की मांग इसी वजह से की जा रही है। यह खतरनाक प्रोविजन करके सिंगल मेम्बर बैंच को भी अधिकार न देकर, इस प्रकार से लोगों के न्याय मिलने का जो अधिकार था वह भी खतम हो जायगा। इसलिए इसको डिलीट कर दिया जाय।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको डिलीट करने के लिए निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Then we shall sit upto midnight.

श्री अब्दुल जब्बार : A few minutes only.

उपाध्यक्ष महोदय........

श्री उपाध्यक्ष : वह परम्परा रही है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में भी बैठे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाउस ऑफ कॉमन्स में लंच का इन्तजाम है।

Page No. 105

श्री मथुरादास माथुर : वहां भी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कर लीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : आप जाकर खा लीजिये।

श्री अब्दुल जब्बार : उपाध्यक्ष महोदय, पॉपुलेशन के लिहाज से फीगर मिली है, गवर्नमेन्ट ने इश्यू की है उसमें है कि १,०५,७५,००० आदमियों के पास कोई वर्क नहीं है। बाकी रोड्स आदि पर लगे हुए हैं। ७० लाख एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं और एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं। राजस्थान सरकार की यह स्थिति नहीं है कि १,०५,७५,००० को यह कोई रोजगार दे सके, उनको धन्धे में लगा सके। न तो कोई राजस्थान में इस प्रकार इन्डस्ट्रीज़ का फैलाव है। इससे होता क्या है कि लैंड पर प्रेशर बढ़ता है। इसके कारण अदालतों में केसेज़ आते हैं। सरकार इसको खुद मानती है कि नाजायज कब्जा होता जा रहा है। ले दे कर जनता को यही जमीन ही दिखाई देती है। राजस्थान की इस जनता के के पास और कोई धन्धा नहीं है। किस प्रकार अपने बच्चों को पाले, अपने जीवन को चलाये इसके लिए उनके पास सिवाय इसके और कोई चारा नहीं है। केवल मात्र यही है कि वे जमीन पर काश्त करें। १५ गुना मुआवजा ले लेने के बावजूद भी आप उनको अनाज देने की बात नहीं करते हैं। समाजवाद कायम करने वाली सरकार आज उनके लिए कोई धन्धा नहीं दे सकती। सरकार क्या यकीन कर सकती है कि नाजायज कब्ज़े को रोक सकेगी? यह कतई नामुमकिन है क्योंकि सरकारी विभाग नाजायज़ कब्जा कराने में क्रिमिनल माइन्डेड बनते चले जा रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत मुख्तसर तरीके से ही अर्ज कर देना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता को सहूलियतें दी जांय। सरकार इस प्रकार की पाबन्दियां लगाकर इस प्रकार के कानून लगा कर खेती करने वालों, भूमिहीनों पर बन्दिश न लगाये, पूंजिपतियों के पंजों में उनका गला पकड़ा न जाने दिया जाय। १५ टाइम्स के बजाय आप २० टाइम्स लगा दीजिये। लैंडलेस को फौरन जमीन अलॉट हो जाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २ के द्वारा धारा १० में संशोधन किया जा रहा है। इसके सम्बन्ध में मैंने अपने संकल्प के साथ अपने विचार रखे थे।

श्री उपाध्यक्ष : आप दोनों संशोधनों पर अपने विचार रख दें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्लॉज़ २ और ३ के बारे में अपने विचार, संकल्प द्वारा जब मैंने प्रस्तुत किये थे, उसी समय ही रख दिये थे। अब मैं उन विचारों को वापिस दोहराना नहीं चाहता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों संशोधनों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

यह गंभीरता से विचार करने की बात है कि एग्रीव्ड पार्टी के अधिकारों को खत्म नहीं

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

करना चाहिये, जिस केस में निर्णय दे दिया गया हो और वह पार्टी उससे एग्रीव्ड हो तो उस एग्रीव्ड पार्टी को अपील करने के अधिकारों से महरुम न किया जाय। इसलिए इस बिल में संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं थी और लाते हैं तो आप इसको इतना माइल्ड कर दें, जैसा मैंने संशोधन दिया। अगर वह जज इसमें यह लिख देता है कि कोई लीगल पोइन्ट है, वह सर्टिफिकेट दे तो उसको किसी हालत में अपील करने का हक मिल जाय, वह उसका मुस्तहक हो जाय।

क्लॉज़ ३ में अमेन्डमेन्ट रखा है। उस पर मैं अपने विचार संकल्प रखते हुए प्रकट कर चुका हूं। मैं नहीं चाहता कि जमीन पर अतिक्रमण बढ़े। यह कोई नहीं चाहेगा, लेकिन साथ ही साथ हमारी मंशा है कि सीलिंग के द्वारा, कानून के द्वारा भूमिहीन को जमीन मिलनी चाहिये, अलॉट करनी चाहिये और इसलिए बड़े-बड़े परिवर्तन किये हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ट्रेसपास करने वाले काश्तकार को जो भूमिहीन है उसको केवल यह कह कर कि ट्रेसपास किया है, पन्द्रह गुना लगान लेने के बाद भी कॉप नहीं लेने देगें तो यह टीक नहीं रहेगा। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है कि यदि वह भूमिहीन काश्तकार हो, पहली बार ही उसने जुर्म किया हो, मैं सोचता हूं, उस व्यक्ति को फसल दे देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लॉज़ तीन पर जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करना चाहता हूं।

यह क्लॉज़ ३ जो है जिसमें ट्रेस्पासर्स के लिये प्रोवीज़न किया गया है। यह वैसे तो नहरी इलाके के लिए है या इर्रिगेटेड एरिया के लिए है वहां तक तो मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन ऐसा एरिया जो डेजर्ट एरिया है या सेमी डेजर्ट एरिया है वहां की प्रोब्लम डिफरेन्ट है। अगर कोई काश्तकार जमीन की एक तरफ हल चलाता है और बरसात दूसरी तरफ बरसात हो जाती है तो वह उस जगह को छोड़ कर जहां बरसात होती है उस तरफ बीज डालता है। क्योंकि वहां जमीन की कोई कमी नहीं है, वहां की प्रोब्लम को देखते हुए डेजर्ट एरिया का काश्तकार बरसात की कमी की वजह से ट्रेस्पास कर लेता है तो वैसी हालत में उसको काश्त करने का अधिकार होना चाहिये क्योंकि वह हालत से मजबूर है। इसलिए जो प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉजेज़ दो और तीन के सम्बन्ध में अलवर और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने विरोध किया और इसको विलोपित करने के लिये कहा और खण्ड २ पर दो संशोधन के प्रस्ताव रखे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज की जो व्याख्या की गई है उसके विस्तार में मैं अधिक जाना नहीं चाहता इस सम्बन्ध में मैंने पहले काफी कह दिया है। एक बात बार-बार यह कही जाती है स्पेशल अपील का अधिकार लेकर बहुत बड़े अधिकार का हनन कर दिया गया है। यह अधिकार क्यों दिया गया है उसके बारे में मैं पहले कह चुका हूँ। अगर हम आस पास के प्रान्तों की

Page No. 107

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

व्यवस्था को देखें तो हमें इसकी स्थिति का ज्ञान होगा। पंजाब जो हमारा पड़ौसी प्रान्त है उसमें अपील के सम्बन्ध में एक ही व्यवस्था है फर्स्ट अपील में लोअर कोर्ट का जजमेंट कन्फर्म हो जाता है उसके बाद में अपील का अधिकार नहीं है। वहां पर फर्स्ट अपील के कन्फर्म हो जाने के बाद सैकन्ड अपील नहीं होती है। अपने यहां फर्स्ट अपील के बाद सैकन्ड अपील है और उसके बाद भी पूरा रास्ता बन्द नहीं। उसके बाद भी सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन के आधार पर स्पेशल अपील की जा सकती है। सेक्शन ११ की रेफरेन्स में की जा सकती है। इस प्रकार से जहां दूसरे राज्यों का कानून देखा जाय तो वहां इस प्रकार का अधिकार नहीं है वहां हमने पहले से कर रखा है। दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा दरवाजे अपील और रिवीज़न के खोल रखे हैं........

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : ऐसे कौन से राज्य हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने इसकी कम्पेरेटिव स्टडी की है। जमीन का मालिक किसान है। किसान जब मालिक है तो उसको बोने का भी अधिकार है, उसको बेदखल भी नहीं कर सकते.......

श्री मुरलीधर व्यास : यह आप कैसे मानते हैं कि जो आदमी रिजेक्ट करेगा वह अपील की इजाजत देगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह आज भी हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था रिजेक्ट करने वाला है, अपील के लिये इजाजत देगा वह कैसे देगा वह बात यहीं के लिये हो, यह बात नहीं, सारे हिन्दुस्तान के सब इलाकों में है........

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके रेवेन्यू बोर्ड का यह स्टेन्डर्ड नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमारे यहां दो प्रावधान ज्यादा हैं। जितने रास्ते खुले होने चाहिये मेरी राय में वे सब खुले हैं।

दूसरी बात कही गई जमीन किसान की है किसान बो लेता है उसमें उसको बेदखल करने की कौन सी बात है। जमीन का मालिक हर सूरत में किसान होता है। पहले से जो खातेदार है वह या जिसे जमीन अलॉट की जाती है वह। जब जमीन किसी को अलॉट न की जाय मिल्कियत उसकी नहीं हो वैसी हालत में पड़त जमीन है उस पर कब्जा कर लेता है तो वह ट्रेस्पासर कहलायेगा। उनके सबन्ध में हमदर्दी जाहिर करना कि यह तो किसान की जमीन है, न्याय-संगत नहीं है। जब हम काननी राज्य चाहते हैं तो हमारे यहां जो नियम हैं उनका पालन होना चाहिये। ऐसी सूरत में जहां जमीन नजर आये बो लें यह कोई अधिकार नहीं और उस पर उसे बेदखल किया जाता है तो आप कहते हैं न्याय-संगत नहीं, मैं समझता हूं यह आपका ख्याल गलत है.. ....

श्री मुरलीधर व्यास : जब आप ही कहते हैं कि किसान भूमि का मालिक है तो फिर उसको जमीन को बेचने का और नीलाम करने का क्यों अधिकार नहीं दिया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस बारे में मैं पहले कह चुका हूँ, मुझे पता नहीं था; आप बाद में आयेंगे और फिर वही पॉइन्ट उठायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : I may indicate first that the time of four minutes is only left.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I request, Sir, that the time be extended till the two bills are finished.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के लिये जहां तक समय के एक्सटेन्शन का सवाल है हम उसके लिये सहमत हैं कि आप दस-पांच मिनिट बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो बिल लिया जाने वाला है उसके लिए अभी समय बढ़ाना संभव नहीं है। या तो आप इसे कल ले लें या बाद में रख दें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की इच्छा है ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनकी यह इच्छा है कि इस बिल के लिये ही समय बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : He has already moved.

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्षजी, जहां तक मौजूदा बिल का संबंध है उसको इस समय पारित किया जा सकता है, इसके बारे में विरोधी दल के सभी सदस्यगण मन्जूर कर लेंगे और जो दूसरा बिल है उसके लिये हम वापिस तीन बजे मिल जायं। तीन बजे से पौने पांच बजे तक उस पर चर्चा करके पास कर दें। पांच बजे बजट के लिये आना है।

श्री मुरलीधर व्यास : Point of order, Sir, दूसरी मीटिंग में केवल बजट ही रखा जायगा और दूसरा बिज़नेस नहीं हो सकता यह कानूनी सवाल है।

श्री मथुरादास माथुर : तीन बजे मिल कर पौने पांच बजे उठ जाय और फिर पांच बजे बजट के लिए मिल लें।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरी सिटिंग में दो मीटिंगें नहीं हो सकती।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विधि मंत्री-जी चाहें तो इस बिल के लिए कल मीट कर सकते हैं। अभी वापिस खाना खाकर तीन बजे आना सभी सदस्यों के लिए मुश्किल होगा क्योंकि सभी के पास आपकी तरह गाड़ियां नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे सामने तो एक प्रस्ताव और दो सुझाव हैं ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आसन को सारे सदन की भावना भी तो देखनी चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : जहां बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी के निर्देशानुसार यह बिल और राजस्थान यूनिवर्सिटी (अमेन्डमेंट) बिल दोनों आज ही पारित हो जाने चाहिये थे। उस कमेटी में विरोधी दल के नेतागण सभी शामिल थे, उन सबकी राय से यह तय किया गया था। मुझे माफ करें, पहले हम दूसरी दूसरी बातों में बह जाते हैं और समय का ख्याल नहीं रखते, समय का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। आज यह बिल पास नहीं होगा

(श्री मथुरादास माथुर)

तो इसके मायने यह हुए इस महीने भर में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि इस महीने में पूरा बजट डिस्कशन है, शनिवार की छुट्टी काट दी गई है। यह आज पास नहीं होता है तो तीस तारीख के पहले इसको नहीं लिया जा सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कल रख लीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : आप तो जयपुर के रहने वाले हैं, इससे आपको तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन जो बाहर के माननीय सदस्य हैं उनके लिये तो केवल कल शनिवार की ही छुट्टी है। इसलिये मेरा ख्याल है कि हम तीन बजे इस बिल के लिए फिर मिल लें तो बेहतर होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तीस तारीख को भी लेजिस्लेटिव बिज़नेस है।

श्री उपाध्यक्ष : जब तक इस बात का निर्णय हो जाता है तब तक आगे प्रोसीड करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ३० तारीख को लेजिस्लेटिव बिज़नेस प्रारम्भ होगा, उस दिन आधे टाइम में इसको समाप्त कर देंगे। इससे सब सहमत होंगे। जिससे कि वह सारा वर्क भी डिस्टर्ब न हो और तीस तारीख को यह पास भी हो जावे।

श्री मथुरादास माथुर : ३० तारीख को टाइम मुकर्रर कर लीजिए कि यह उस दिन पास हो जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं विरोधी दलों की ओर से यह एश्योर कर सकता हूं कि ३०, ३१, १ और २ में इसको एकोमोडेट कर लिया जावे। इसको ३० तारीख को पास कर देंगे। यह आश्वासन देता हूँ, निश्चित रूप से, बिलकुल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ३० तारीख को इस पर निर्णय ले लिया जावेगा।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा कहना है कि ३० तारीख तक लेजिस्लेटिव बिज़नेस रखा हुआ है और तब तक बिल १५ बाकी हैं और प्रिएम्पशन बिल ऐसा है जो तीन सैशनों से पोस्टपोन होता जा रहा है, इसलिये मैं आपके कहने से यह कभी मन्जूर नहीं कर सकता कि आप ३०, ३१, १ और २ की बात करें।

हां, अगर तीन घंटे इस बिल के लिये रहें और बाकी समय में उस दिन का बिज़नेस समाप्त कर सकें तो हमें मंजूर है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ३० तारीख को चार घंटे रख दिए जावें इसके लिये, मैं उनके सुझाव को स्वीकार करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन की यह मंशा समझ पाया हूँ कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव बिज़नेस जो ३० तारीख को रखा गया है उसके अलावा तीन घंटे अथवा जो कुछ भी from 3 to......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : No, Sir, from 9 to 12.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : We are prepared to accommodate them on the minimum time.

श्री मथुरादास माथुर : Thank you.

श्री रामप्रसाद लडढा : ९ से १२ यह हो जावे और बाकी एजेन्डे पर जो और कार्य-क्रम है वह पूरा हो जावे बाद में उस दिन।

श्री उपाध्यक्ष : ९ से १२ यह बिल हो, और फिर दूसरा बिजनेस।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Thank you. हमें मन्जूर है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह सदन की मंशा है कि इस प्रकार से किया जावे ?

(स्वीकृत)

Then it has been decided that on the 30th March. from 9 to 12 shall be reserved for this Bill exclusively and after that the normal business fixed for that day will start.

For today, the time is extend कि यह बिल जब तक खत्म नहीं होता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तो मैं निवेदन कर रहा था ..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब निवेदन की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन जो तीन क्लॉज़ेज़ पर है, वापिस लेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : वापिस तो नहीं लेते।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ व ३ में जिन जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन रक्खे हैं वे स्वीकार किये जावें ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ २ व ३ विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ २ व ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४........

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा संशोधन है इसमें। It should be considered as moved.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बने।

श्री रामानन्द अग्रवाल : First take vote on my amendment please.

श्री उपाध्यक्ष : According to rules, it will be automatically negatived.

श्री रामानन्द अग्रवाल : It should come on record that the amendment is there.

श्री उपाध्यक्ष : It will be negativ-ed.

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ स्वीकार विधेयक में अंग रूप से जोड़ा जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५ विधेयक में अंग रुप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रिम्बल, टाइटिल इत्यादि विधेयक के अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १ प्रिएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पारित किया जावे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम इसका विरोध करना चाहते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह काला कानून है । किसानों के हित में नहीं है, इसलिये इसका विरोध करना चाहता हूं ।

श्री मथुरादास माथुर : वाक आउट करोगे ?

श्री रामकिशन : थोड़ी देर बाद आप ही करोगे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पारित किया जावे ।

(विराम)

Do you want Divisiom.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : No, Sir, we are quite accommodating.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह विधेयक पारित किया जावे ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

श्री मुरलीधर व्यास : हम इसके विरोध में वॉक आउट करना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक आज सायं पांच बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदन्तर सदन की बैठक म. प. १.३५ सायं ५ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

शुक्रवार दिनांक ६ मार्च, १९६४

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

सीलबन्द किए गए घी के पीपे।

काला खेत जंगल की भूमि का काश्त के लिए अलॉटमेंट—तहसील छोटी सादड़ी।

पंचवर्षीय योजनाओं में खाद व बीज का वितरण।

नये स्थान का अलॉटमेंट।

जवाई बांध।

नीम-का-थाना नगरपालिका के चेयरमैन के विरुद्ध शिकायत।

झंझेऊ गोली कान्ड।

गम्भीर नदी में हेड लगाने की योजना।

वाटर वर्क्स ग्राम पान्डूसर।

बनास नदी की कृषि योग्य भूमि का अलॉटमेंट, तहसील टोंक।

सोइल-इरोजन की समस्या—नैड क्षेत्र, सांचोर।

काश्त के लिए भूमि का अलॉटमेंट, तहसील खानपुर।

अधिक अन्न उपजाओ अभियान के अन्तर्गत सिंचाई साधनों के कार्य।

रजिस्ट्रेशन का कार्य।

अधूरे कार्यों की रकम की वापसी।

हाइड्रोलोजिकल सर्वे।

बंध माधोसागर की पेटा काश्त जमीन।

मान टाऊन स्कीम—सवाई माधोपुर।

चिट-फन्ड कम्पनियां।

मेन केनाल से सीपेज का प्रभाव।

बड़गांव बांध से नहर निकालने की योजना।

नोतोड़ जमीन की मांग-तहसील घाटोल।

रूपारेल नदी, घाट खूटेटा पर रेगुलेटर।

घग्घर की बाढ़ से हानि।

मूर्लिया बांध।

भ्रष्टाचार मिटाने हेतु कार्यवाही।

पंचायत समिति हैडक्वाटर।

स्कम्भ

सड़कों में आई भूमि का लगान।

पंचवर्षीय योजनाओं में पशुधन विकास के लिए धनराशि।

उदयपुर यूनीवर्सिटी को अमेरिका से सहायता।

२. तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ७५

मुअत्तिल तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार।

मालपुरा में अलॉटमेंट कमेटी द्वारा जमीन।

भरतपुर जिले की अदालतों में दुरुस्ती-टीप के विचाराधीन मामले।

तहसील लूणकरणसर का बन्दोबस्त।

अभावग्रस्त गांव तथा लगान की छूट ?

उपनिवेशन क्षेत्र में शामिल किए गए गांव।

अकाल-सहायता हेतु स्वीकृत धनराशि-जिला झुंझनूं।

नगर पालिकाओं को ऋण तथा उसकी वसूली।

अल्प-आय-वर्ग-गृह निर्माण योजना।

पाकिस्तानी डाकुओं द्वारा डकैतियां।

तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का ट्रांसफर-सिंचाई विभाग, अलवर।

स्कम्भ

बैटरमेंट लेवी रूल्स।

हैल्थ सैंटर खोलने की योजना-जिला चूरू एवं गंगानगर।

३. विशेषाधिकार-प्रश्न ९२

वर्तमान सत्र के दौरान में दिनांक २३ फरवरी, १९६४ को सदन के बाहर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मेडीकल सर्विसेज एसोसियेशन के सम्मेलन के समक्ष ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले डाक्टरों को कुछ सुविधाएं देने सम्बन्धी सरकारी निर्णयों की घोषणा करने से संबंधित श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के विशेषाधिकार प्रश्न को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

४. उप-मंत्री द्वारा वक्तव्य ९४

श्री निरंजननाथ आचार्य, उप-गृह मंत्री ने पाकिस्तान की ओर से राजस्थान की सीमा पर लूट-खसोट, चोरी आदि के कारण उत्पन्न स्थिति से संबंधित एक वक्तव्य दिया।

५. विधायी कार्य ९७

राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६४

[The Rajasthan Land Revenue (Amendment) Bill, 1964]

उपरोक्त विधेयक पर आज अग्रेतर विचार किया गया।

सर्व श्री विजयसिंह झाला, सम्पत्ति लाल बोहरा, रामकिशन, रघुनाथ विश्नोई, नत्थीसिंह, भगराज चौधरी, विट्ठल एवं श्री हीराभाई ने विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के संशोधन-प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

वाद-विवाद के पश्चात् संकल्प सदन द्वारा अस्वीकार किया गया। श्री रघुनाथ विश्नोई ने अपना संशोधन-प्रस्ताव वापस ले लिया तथा शेष संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

तदुपरान्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

खण्डशः विचार के पश्चात्, विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

शुक्रवार, दिनांक ६ मार्च, १९६४ की कार्य-सूची

(सायंकालीन)

(१) वित्तमंत्री महोदय का वार्षिक वित्तीय विवरण १९६४-६५ के सम्बन्ध में भाषण एवं राज्य के प्राकलित आय और व्यय के विवरण (१९६४-६५) का उपस्थापन।

(२) विधेयकों का उपस्थापन।

परिशिष्ट १

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २३५ का उत्तर देखिए)

LIST "A"

NAME OF WORKS SANCTIONED BY MINOR IRRIGATION
(BHARAT SEWAK SAMAJ DIVISION), JAIPUR.

DISTRICT JAIPUR.

1. Bhated Talab.
2. Jharana talab.
3. Budawas talab.
4. Nahar samand.
5. Kotzewar tank.
6. Goner tank.
7. Kaddatalao.
8. Gangasagar.
9. Bopiya tank.
10. Thuni Jalalpura.
11. Rehlana.
12. Paipur Jagir.
13. Panchunda.
14. Yarlipura.

DISTRICT AJMER.

1. Mao Sahad ka tank.
2. Gopalpura tank.
3. Kotra tank.
4. Akheypura.
5. Kotra rapat

6. Laxmangarh tank
7. Nundri Mectan.
8. Attimond.
9. Kalyan sagar tank.
10. Sangri awas rapat.
11. Geegal rapat.
12. Phalodi rapat.
13. Jal ka rola rapat.
14. Mandev rapat.
15. Kuchal rapat.
16. Sailsagar tank.
17. Choudesia rapat.

DISTRICT BHILWARA.

1. Pipli ka Badia.
2. Genie.
3. Mehta ji ka khera.
4. Saitera kakhera.
5. Pipla.
6. Surat singh ka khera.
7. Birdol.
8. Partha ka Chora.
9. Ram sagar.
10. Naila.
11. Bhopai sagar,
12. Kabarda.
13. Amia.
14. Satola ka khera.

DISTRICT UDAIPUR.

1. Hata ji ka Guda.
2. Bapparawal pickup weir.
3. Jal talai.
4. Badarda.
5. Phool Talai.
6. Gunala pick-up-weir.
7. Borai tank.
8. Iholwa tank.
9. Kuthan tank.
10. Bara tank.
11. Kharda tank.
12. Dadu tank.
13. Kak Madar ka tank.
14. Sodh sagar.
15. Nimbola tank.

DISTRICT CHITTORGARH.

1. Bhatkhera talab.
2. Jalalia talab.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २४१ का उत्तर देखिए)

WATER AND LAND POTENTIAL VALLEY WISE FOR MAJOR VALLIES OF RAJASTAHN.

No.	No. & Name of Valley.	Catchment area in sq. miles.	Yield in mcft.	Yield utilised by existing Planning works	Balance,	Total cultu-rable area in acres.	Area bene-fited by ex-isting & Pla-nning & an-other means in acres.	Balance C. A.	% of water poten-tial utilised.	% of Land poten-tial utilised.	Further Pro-posals of yield to be uti-lised for irrg. in mcft.	Further pro-pos als of yield for power in mcft.	Total to be utilised Irrg. & Power in mcft.	Further C.A to be utilised in acres.	% of water poten-tial utilised ultimately.	Land poten-tial utilised ultimately.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Mahi Valley	8,594	1,67,658	63,424	1,04,234	13,05,639	1,70,000	11,36,439	39%	13%	5,000	-	5,000	50,000	41.5%	17%
2.	Sabarmati Valley	1,000	19,740	625	19,115	3,33,206	17,000	3,21,204	3.5%	5%	2,000	13,000	17.000	20,000	90%	11%
3.	Chambal Valley	11,731	1,91,361	28,970	1,62,392	17,30,751	9,90,000	7,40,751	15%	57%	25,500	-	26,500	2,26 500	38%	70%
4.	BANAS															
(i)	Banas upto Khakumia below. Khakuada	6,153	61,000	35,000	26,000	17,47,110	5,80,000	11,67,110	56%	34%	15.000	-	15,000	1,50,000	84%	42%
(ii)	Upto Junction with chambel	11,447	73,662	51,456	22,106	31,87,363	12,50,000	19,37,563	69%	39%	35,000	-	35,000	35,000	75%	49%
	Total Banas	17,600	1,34,662	86,456	48,206	49,34,673	18,30,000	31,04,673	63%	38.5%	18,500	-	18,500	1,85,000	81%	41%
5.	Ghambiri	2,236	20,243	20,242	-	2,20,479	1,20,000	1,00,479	100%	55%	-	-	-	-	100%	55%
6.	Parbati	1,475	6,491	6,134	2,357	1,26,875	71,000	55,875	64%	56%	500	-	580	5,000	71%	56%
7.	Banganga	2,327	15,380	10,000	Nil	2,92,046	1,92,000	1,07.046	65%	64%	-	-	-	-	65%	64%
							(Balance used in innundation)									
8.	Bara	2,197	6,200	5,290	do	56,393	40,000	16,393	84%	71%	-	-	-	-	84%	71%
9.	Sabi	7,059	6,043	1,016	2,883	1,78,660	28,000	80,604	17%	55%	-	-	-	-	17%	55%
10.	Dhone	928	3,214	1,287	2,007	1,93,769	20,000	93,769	26%	19%	1,000	-	-	10,000	38%	29%
11	Kantly	925	2,113	470	1,648	1,00,399	40,000	60,389	21%	40%	5,905	-	520	5,000	46%	45%
12.	Kharasagar	294	787	150	637	38,737	10,000	38,737	19%	20%	100	-	100	1,000	32%	29%
13.	Mohanda	670	1,360	270	900	36,011	1,20,000	2,49,121	27%	32%	-	-	-	-	27%	32%

परिशिष्ट ३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १०१ का उत्तर देखिए)

सन् १६६१-६२ में मत्स्य सिंचाई डिविजन अलवर से स्थानान्तरण किए गए तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की सूची

क्रमांक	नाम	ट्रांसफर की तारीख	कहां किया गया तथा कारण
(१)	श्री भैरूसहाय, वरिष्ठ लेखक।	४-१०-६१	कोटा, जनहित एवं प्रशासनिक आधार पर।
(२)	श्री रामचन्द्र, वरिष्ठ लेखक।	१-७-६१	जयपुर, ,, ,, ,,
(३)	श्री योगेशचन्द कनिष्ठ लेखक।	६१	राजस्थान नहर योजना वरिष्ठ लेखक के पद पर पदोन्नति के कारण।
(४)	श्री मनोहरलाल, कनिष्ठ लेखक।	६१	कोटा, वरिष्ठ लेखक के पद पर पदोन्नति के कारण।
(५)	श्री गिरराजप्रसाद कनिष्ठ लेखक।	१०-३-६२	अजमेर, वरिष्ठ लेखक के पद पर पदोन्नति के कारण।

शुद्धि-पत्र*

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	१३	श्री भैरवलाल कालाबादल	श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
३	११,१९	,, ,, ,,	,, ,, ,,
६	शीर्षक	तारांकित प्रश	तारांकित प्रश्नोत्तर [६
२१	शीर्षक	३ मार्च, ६४–	६ मार्च, ६४-
२५	शीर्ष	(श्री जयनारायण सालोदिया)	(श्री जयनारायण सालोदिया)
२६	९,१०	श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)	श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)
३१	शीर्षक	३ मार्च, ६४–	६ मार्च, ६४
४१	अन्तिम	उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भीमसेन)	श्री भीमसेन
६८	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत	तारांकित प्रश्नोत्तर
६९	शीर्षक	६ मात्र, ६४–	६ मार्च, ६४–
७३	शीर्षक	६ार्च, ६४–	६ मार्च, ६४
७५	शीर्ष	(श्री भीमसिंस)	(श्री भीमसिंह)
८१	शीर्ष	भी स्वायत्त शासन मंत्री)	(श्री राजस्व मन्त्री)
८५	शीर्षक	३ मार्च, ६४	६ मार्च, ६४
,,	३३	भी रविशंकर याज्ञिनक	श्री रविशंकर याज्ञनिक
९५	शीर्षक	अतिक्रमणो	अतिक्रमणों
९७	,,	स्थगन में प्रस्ताव	स्थगन–प्रस्ताव
,,	अन्तिम	पारत	पारित
१०३	शीर्षक	रेबेन्यू	रेवेन्यू
१०७	शीर्ष	(श्री विजयसिंह झाला)	(श्री विजयसिंह झाला)
११५से १२१	शीर्षक	३ मार्च, ६४–	६ मार्च, ६४–
१३०से १६०	,,	विधेयक	विधेयक, १९६४
१३७	,,	४ मार्च, ६४	६ मार्च, ६४–

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१४१	शीर्ष	(श्री केसरीसिंह)	(श्री सभापति)
१५१	,,	(श्री हरिराम चौधरी)	(श्री हरिराम चौहान)
१५३	शीर्षक	रवेन्यू	रेवेन्यू
१७५	शीर्ष	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
१७७	शीर्षक	६ मार्च ६६–	–६ मार्च, ६४–
१६३	,,	६ मार्च ५४–	–६ मार्च, ६४–
१६६	८	श्री भैरवलाल 'कालाबादान'	श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
१६८	१	श्री फूलचन्द्र जैन	श्री फूलचन्द जैन
,,	५	श्री रामप्रसाद लढ्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
,,	६	श्री रविशाकर याज्ञिनिक	श्री रविशंकर याज्ञनिक
१६६	अन्तिम	श्री विट्ठल	श्री विट्ठल
२११	शीर्षक	–४ मार्च, ६४	–६ मार्च, ६४
२१२	,,	१६५४	१६६४
२२३	,,	–६ मार्च ६४–	
,,	स्कम्भ के नीचे व प. ४ के सामने	शीर्षक	शीर्षक १
२२५	७	तारांकित प्रश्नों	अतारांकित प्रश्नों

*नोट :—विस्तृत शुद्धि-पत्र पृथक से बाद में मुद्रित होगा ।

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ५] तृतीय विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का १५वां दिवस [संख्या ११

शुक्रवार, दिनांक ६ मार्च, १९६४

(सायंकालीन बैठक)

[विधान सभा की बैठक म. पू. ५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई]

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वार्षिक वित्तीय विवरण १९६४-६५ के सम्बन्ध में वित्त मन्त्री का भाषण तथा राज्य के आय-व्ययक १९६४-६५ का उपस्थापन

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : श्रीमान्, मैं राजस्थान सरकार के १९६४-६५ के बजट तखमीने पेश करने के वास्ते खड़ा हुआ हूं।

जो साल खतम हो रहा है, वह माली गर-दिशों का साल रहा है। १९६३ के ज्यादातर हिस्से में राष्ट्र की माली हालत पर हद से ज्यादा जोर पड़ने के आसार नजर आये। इनका ताल्लुक देश के भीतर कीमतों के तवाज़न में खलल पड़ने से था। यह खलल इसलिये पड़ा कि देश के कई हिस्सों में खेती की पैदावार कम हुई। हमारे राज्य में भी पैदावार कम हुई; क्योंकि मौसम की खराबी से फसल मारी गई। अन्तर्राष्ट्रीय और घरू मुकामों में भी कुछ ऐसी घटनायें हुईं जिनसे हमारी हिम्मत कुछ पस्त हुई। अमेरिका के प्रेसीडेंट कैनेडी की हत्या इस अर्से में होने वाली दुनियां के लिये बहुत बड़ी घटना है, जिसका सारी दुनियां पर असर पड़ा।

पिछले साल हमारी बैठक चीनी हमले के काले साये में हुई थी। बजट की तजवीजें बनाते वक्त हमारे ऊपर यह कुदरती असर था कि एक तरफ Emergency के लम्बे दौर का मुकाबला करने के वास्ते और दूसरी तरफ तीसरी पांचसाला योजना के मातहत विकास के Projects व हलचलों में रुपया लगाने के वास्ते अपने साधनों को बढ़ाना हमारे लिये निहायत जरूरी था। चीन के बुरे इरादों के सिलसिले में हमारे नजदीकी पड़ौसी के दुश्मनाना रवैये ने भी खास अहमियत हासिल कर ली है। भूगोल बिरादराना रिश्ते और कल्चर के बन्धनों के बावजूद, हमारा यह पड़ौसी हमारे बढ़ाये हुए सुलह के हाथ को ठुकरा रहा है।

आज जो सूरतेहाल है, उसमें मैं सदन को बजट का एक बेजायका लेखा-जोखा ही पेश कर सकता हूं। क्योंकि यह लेखा-जोखा बहुत करके चालू हालात का ही सिलसिला है। इसमें निस्वतन बहुत मामूली तब्दीलियां हैं, या ऐसी

(श्री बालकृष्ण कौल)

तब्दीलियां हैं जो पिछले साल की हमारी कार्यवाहियों से कुदरतन पैदा हुई हैं। इस राज्य के आमद-खर्च के पिछले इतिहास के बारे में पारसाल मैंने जो कहा था, वह माननीय सदस्यों को याद होगा। पहली दो योजनाओं की हदें हासिल करने में हमारे नाकाफी साधनों पर सख्त जोर पड़ा था। लेकिन आज यही कह सकते हैं कि इस मामले में हमारे सामने कोई चारा ही नहीं था। देश के दूसरे हिस्सों में जो स्तर कायम हो चुके हैं, उन तक पहुंचने के वास्ते हमने विकास की रफ्तार तेज़ करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। इसका नतीजा यह हुआ कि पायेदार मालमता बन गये हैं, या बनते जा रहे हैं। हमारी ज्यादातर लगी पूंजी का लम्बे अर्से तक फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि यह करीब चौथी योजना के अखीर में जाकर फल देगी। इस दरमियान जागीरी मुआवजों के भुगतान में और देनदारियों पर भारी व्याज वगैरा चुकाने में, हमारे साधन बराबर निचुड़ते रहेंगे। हमारी आमदनी व खर्च के बीच मौजूदा बिगड़ा हुआ तवाज़न इन्हीं दो बुनियादी बातों से जुड़ा हुआ है। राज्य के आमद खर्च के अभी तक के इतिहास में, १९६१-६२ का साल सबसे ज्यादा नाजुक रहा। लेकिन १९६२-६३ में सबसे पहले आशा की किरन दिखाई दी। इस साल के तरमीमशुदा तखमीनों में १६ लाख रु० की बचत का अन्दाजा लगाया गया था। इसके मुकाबले में असली बचत १५ लाख रु० की हुई। इससे जाहिर होगा कि खर्चों पर लगाया गया अंकुश कितना कारगर रहा और बजट कितने सही ढंग से बनाया गया था। जिन अलग अलग मदों में कमी-बेशी हुई है, उनकी तफसील में जाकर या चर्चा करके मैं सदन का कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। माननीय सदस्यों से मेरी अर्ज है कि जरूरी जानकारी के लिये वे Budget Memorandum देख लें।

१९६३-६४ में भी यही खुशगवार रुख जारी रहता, लेकिन कुदरती व दूसरे किस्म की कुछ बेकाबू सूरतें पैदा हो गई। इस साल कुदरत हमारे ऊपर बहुत नामहरबान रही, और चंचल मानसून दगा दे गई। पुराणों की कथाओं में विश्वास करने वाले कह सकते हैं कि इन्द्रदेव ने कुछ देर के लिये नींद ले ली। वजह चाहे जो रही हो, हकीकत यह है कि मानसून देर से आई, और वह भी कुछ जगहों को छोड़कर बाकी सारे राज्य में बहुत कम बरसी। दयालु भगवान् के लिये यह चीज शोभा नहीं देती। लाजिमी नतीजा यह हुआ कि राजस्थान के बड़े बड़े इलाकों में फसल चौपट हो गई। तसल्ली की सिर्फ यही बात है कि यह मुसीबत हमारे अकेले के ऊपर ही नहीं पड़ी है। लेकिन यह भी कम रंज की चीज नहीं है कि इस बार दूसरों को भी मुसीबत भुगतनी पड़ी है। रबी में भी बारिश नहीं हुई। इससे हमारी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। हाल के पाले से राज्य के कुछ हिस्सों में, और दूसरे राज्यों में भी, फसल को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा है।

बजट के बनाने की यह मंशा हरगिज नहीं होनी चाहिये कि उसके जरिये टैक्सों की नीति का या नये टैक्सों का महज एलान किया जाय मेरी नाकिस राय में सदन को भरोसे में लेकर बताया जाना चाहिये कि माली हालत कैसी है, माली ताकतें किस तरफ खींच रही हैं, और विकास के प्रोग्रामों पर अमल में कहां तक कामयाबी हासिल हुई है।

(श्री बालकृष्ण कौल)

अर्थ व्यवस्था

१९६२-६३ व १९६३-६४ के सालों में अर्थ-व्यवस्था का कुछ मिला-जुला सा रुख रहा है १९६१-६२ में राजस्थान की State Income १९६०-६१ के आंकड़े के मुकाबले में ७-३७ फीसदी बढ़ी। इसके मुकाबले में १९६०-६१ इससे पहले साल के ऊपर सिर्फ ०-२० फीसदी बढ़ी थी। इसी हिसाब से Per Capita Income १९६०-६१ में २४१ रु. से बढ़ कर १९६१-६२ में २५२ रु. हो गई, यानी पिछले साल से ४.५६ फीसदी ज्यादा बढ़ी। १९६१-६२ की बढ़ोतरी की वजह यह है कि उस साल खेती की पैदावार में काफी बढ़ोतरी हुई। चूंकि राज्य की अर्थ व्यवस्था ज्यादातर खेती-बाड़ी पर मुनहसिर है, और राज्य की आमदनी का करीब २९ फीसदी हिस्सा सिर्फ खेती की पैदावार से हासिल होता है, इसलिये खेती की पैदावर में उतार-चढ़ाव से अर्थ व्यवस्था से पैदा होने वाले सारे नतीजों पर असर पड़ता है। १९६२-६३ में बुवाई के वक्त मौसम खुश्क रहने की वजह से, ज्वार, मक्का व धान के सिवाय दूसरे अनाजों की पैदावार कम हुई। तिलहन, खरीफ की दालों और गन्ने की पैदावार पिछले साल के मुकाबले में काफी ऊंची रही, और इस बढ़ोतरी ने कुछ हद तक कमी पूरी कर दी। लेकिन कुल मिलाकर १९६२-६३ में खेती की पैदावार कम ही रही। चालू साल में बारिश की कमी से, और मौसम की खराबी से, खेती की पैदावार में काफी कमी आने का अन्देशा है। इससे Per Capita Income के आंकड़े पर असर पड़ना लाज़िमी है।

खेती-बाड़ी

लगातार दो साल तक खेती की उपज में कमी का लाज़िमी असर कीमतों पर भी पड़ा हैं। थोक भावों का Index Number १९६१ में १२५.१ से बढ़कर १९६२ में १२५.९ हो गया। १९६३ में राज्य के कुछ इलाकों में बारिश न होने से हालत बदतर हो गई और दिसम्बर, १९६३ में थोक भावों का Index Number १३९.२ तक चढ़ गया। मगर जयपुर मजदूर वर्ग के Consumer Price Index का आकड़ा १९६१ में १३४ था, और १९६२ में १३६ तक ही बढ़ा। लेकिन १९६३ के अखीरी महीनों में यह Index number काफ़ी चढ़ गया और खाने की चीजों की कीमतें चढने से, दिसम्बर, १९६३ में १४५ तक ऊंचा हो गया।

कीमतों में यह गैर मामूली बढ़ोतरी सरकार के लिये गहरी परेशानी की चीज़ बन गई है। कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिये जो मुख्तलिफ कदम उठाये गये हैं, या उठाये जायेंगे, उनकी जानकारी सदन को दी जा चुकी है। इसमें शक नहीं कि फसल की लगातार खराबी से कीमतें चढ़ी हैं, लेकिन दूसरे सब भी इसके लिये जिम्मेदार हैं। इनमें से कुछ ये हैं: सुरक्षा व दूसरे कामों पर भारी रकमें लगाई जाने से लोगों की खरीदने की हैसियत तो बढ़ गई है लेकिन उसी मिकदार में Consumer Goods की पैदावार नहीं बढ़ी हैं; लोगों में सट्टेबाजी की बुरी लत पड़ी हुई है; छिपाकर रखा हुआ रुपया दर पर्दा ज्यादा से ज्यादा मुनाफे कमाने में लग रहा हैं; माल बनाने में ज्यादा खर्च बैठता है, इसलिये तैयार माल की लागत बढ जाती है; चीजों का वितरण ठीक ढंग से नहीं होता।

(श्री बालकृष्ण कौल)

सिंचाई व बिजली

खेती-बाड़ी की पैदावर को तो धक्का लगा मगर दूसरे तमाम दायरों में तरक्की के लिये राज्य ने १९६२-६३ में, और जहां तक हो सका चालू साल में भी, कोशिशें जारी रखीं। १९६१ से १९६३ के दौरान ४.३५ लाख टन अनाज ०.६७ लाख टन तिलहन, ०.६२ लाख कपास की गांठें, और ०.२६ लाख टन गन्ने (गुड के लिहाज़ से) की ज्यादा उपज के लिये सहूलियत पैदा की गई। १९६३-६४ में ३.४० लाख टन अनाज, ०.३५ लाख टन तिलहन, ०.४१ लाख कपास की गांठें, और ०.२० लाख टन गन्ने (गुड़ के लिहाज़ से) की उपज के लिये और भी ज्यादा सहूलियत पैदा होने की उम्मीद है। सिंचाई के बड़े व छोटे Projects से आबपाशी की जो सहूलियत पैदा हुई है, उसके ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का बन्दोबस्त किया जा रहा है। पिछले तीन सालों में सिंचाई के लिये बिजली के पम्पों की तादाद में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इससे मालूम होता है कि देहात को अर्थ-व्यवस्था में काफी तरक्की हुई है। यह तादाद १८५० तक पहुंच गई है, और उम्मीद है कि आयन्दा इससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। सहकारी आन्दोलन को नई हरकत दी गई है। कई Consumer सहकारियां फिर से चालू की गई और कुछ नई खोली गई। बिजली के विकास को भी खास अहमियत दी गई। बहुत सी जगहों में बिजली लगाई गई। १९६१ में १४८.६८ लाख किलोवाट बिजली पैदा हुई, और खरीदी गई। यह मिकदार १९६२ में बढ़कर २०८.९२ लाख किलोवाट हो गई। साथ ही नये उद्योगों में तेजी से होने वाली तरक्की राज्य के Industrialisation के लिये बड़ा अच्छा शगुन है। समाजी आसायशें मुहैया करने के प्रोग्रामों पर भी वाजिब जोर दिया जा रहा है।

शिक्षा

शिक्षा के मैदान में बहुत काफी प्रगति हुई है। ६ से ११ तक की उम्र के कुल बच्चों में स्कूल जाने वालों की तादाद, जो १९६१-६२ में ४१.७ फीसदी थी, वह १९६२-६३ के अखीर में ४४.८ फीसदी हो गई। इसी तरह ११ से १४ और १४ से १७ तक की उम्र के स्कूल जाने वालों की तादाद, १९६१-६२ में १८.२ फीसदी, व ७.८ फीसदी से बढ़कर, १९६२-६३ के अखीर में २० फीसदी, व ९.५ फीसदी हो गई। तपेदिक, चेचक, मलेरिया वगैरा छूत की बीमारियों की रोकथाम के लिये १९६२-६३ में मजमूई प्रोग्रामों पर अमल किया गया।

उद्योग

उद्योगों के विकास की सूरत यह है कि Private Sector में कायम किये गये उद्योगों की प्रगति काफी तसल्लीबख्श है। लेकिन ज्यादातर नये उद्योग कुछ चुने हुए मुकामों में ही खोले जा रहे हैं। राज्य के चौमुखी विकास के लिये यह ज्यादा मौजूं है कि जगह जगह उद्योग खोले जायं। इसलिये सरकार सोच रही है कि जहां निजी उद्योगपति नये उद्योग डालने को तैयार न हों वहां सरकार खुद Public Sector में नये उद्योग खोले, बशर्ते कि यह यकीन हो जाय कि ऐसे उद्योग लाभदायक होंगे। लेकिन Public Sector में ऐसे नये उद्योग चालू करने से पहले मुनासिब सावधानी व जांच-पड़ताल भी जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये उद्योग न सिर्फ

(श्री बालकृष्ण कौल)

विकास के केन्द्र बनें, बल्कि राज्य के लिये गैर-टैक्स आमदनी के नये नये ज़रिये भी बनें। इस मकसद से सरकार राज्य के उत्तरी इलाके में ऊन व रुई की कताई के कारखाने डालने की संभावनाओं पर गौर कर रही है। इन स्कीमों की Project Reports तैयार हो रही हैं अगर यह देखा गया कि ये Projects मुनाफा देने वाले हैं, और वित्तीय लिहाज से दुरुस्त हैं, तो सरकार इन उद्योगों को कायम करने के कदम उठायेगी। माननीय सदस्यों को यह मालूम ही है कि डीडवाना के Pilot Sodium Sulphate Plant में आज़मायशी उत्पादन शुरू हो गया है, और तिजारती पैमाने पर उत्पादन भी जल्दी शुरू होने के आसार हैं। ज्यादा मशीनें लगाकर, या दूसरे तरीकों से, इस कारखाने की गुंजायश १०० टन रोजाना तक बढ़ाने की संभावना पर भी छान-बीन की जा रही है। किसी बड़े कारखाने की खपत पूरी करने के वास्ते, कच्चा माल काफी मिकदार में मिल सकता है या नहीं—यह एक अहम सवाल है, जिसे ध्यान में रखना जरूरी है। साथ ही साथ यह पता लगाने के लिये प्रयोग भी जारी है कि एक कुदरती तरकीब अपनाने से मुनासिब खालिसपन के Sodium Sulphate का बड़े पैमाने पर उत्पादन नफ़ादार हो सकता है या नहीं। इस तरीके में नमक के घोल को जरूरत के मुताबिक डिग्री तक ठंडा किया जाता है, और ठंडा करने में इस चीज से फायदा उठाया जाता है कि सर्दी की रातों में इस इलाके का Temperature बर्फ जमने के Temperature से भी नीचे चला जाता है। इस प्रयोग का क्या नतीजा निकलेगा, इसके बारे में फिलहाल कोई आखरी फैसला नहीं किया जा सकता। इस प्रयोग के आधार पर Sodium Sulphate का तिजारती उत्पादन करने से पहले, बहुत सी हकीकतों पर गौर करना जरूरी है। मसलन, नमक के घोल में Sodium Sulphate की जितनी चाहिये उतनी फीसदी मिकदार निकल सकती है या नहीं; मजदूरी कितनी पड़ेगी और पूंजी कितनी लगानी होगी; तैयार माल कितना खालिस होगा; वगैरा-वगैरा।

खानें

डूंगरपुर में Flourspar की तलाश का काम सरकारी तौर पर हाथ में लिया गया था, वह पूरा हो गया है। इस खान को मुनाफे से चलाने के बारे में Feasibility Report देने के लिये कनाडा की एक इंजीनियरी फर्म को cosnultants मुकर्रर किया गया है। इस फर्म का भेजा हुआ माहिर, मौके का मुआयना कर चुका है, और उसकी रिपोर्ट शायद मई तक मिल जायगी। इस खान से फायदा उठाने के वास्ते Beneficiation Plant लगाने के सवाल का आखरी फैसला रिपोर्ट मिलने के बाद ही हो सकेगा। अगर मुनाफे के लिहाज़ से यह Project कारआमद साबित हुआ, तो सरकार की आमदनी का एक फायदेमन्द ज़रिया बनेगा। साथ ही राज्य के एक बहुत ज्यादा पिछड़े इलाके में बड़े पैमाने पर रोजगार भी मुहैया करेगा।

कर्ज

चालू साल के तरमीमशुदा तखमीनों की और अगले साल १९६४-६५ के तखमीनों की चर्चा शुरू करने से पहले मैं Special Assistance Loan के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। १५ करोड़ रु० के इस कर्जे की अदायगी अगले साल से शुरू हो जायगी। २०

(श्री बालकृष्ण कौल)

करोड़ रु० के कर्जे पेटे १९६२–६३ में १.२० करोड़ रु० की रकम अदा की गई। चालू साल के बजट तखमीनों में हमने मूल रकम के पेटे सिर्फ ३·४० करोड़ रु० अदा करने का इन्तज़ाम रखा था, जब कि वाजिब अदायगी ६.१ करोड़ रु० की थी। कम रकम का इन्तज़ाम इसलिये जरूरी हुआ कि हमारी आमद-खर्च की हालत दिक्कत-तलब थी। हमको यह भी उम्मीद थी कि २० करोड़ रु० के कर्जे पेटे, भारत सरकार अदायगी की मीयाद बढ़ाने के लिये राजी हो जायगी। अलबत्ता इस कर्जे पर वाजिब सूद के भुगतान का पूरा इन्तजाम रखा गया था। लेकिन २.७ करोड़ रु० की बकाया का भुगतान मुल्तवी करना भारत सरकार ने मंजूर नहीं किया। फिर भी, हम उन्हें इस बात पर तो आमादा करा ही सके कि खास तयशुदा विकास Sectors के मातहत २·५ करोड़ रु० तक की accelerated सहायता मंजूर की जाय। इससे काफी सहूलियत हो गई। इसके बाद हमने इस कर्जे के पेटे, इस साल वाजिब होने वाली किस्त की पूरी रकम, सूद समेत चुका दी। अगले साल में इस पेटे भारत सरकार को चुकाई जाने वाली पूरी रकम का इन्तज़ाम रखा गया है। माननीय सदस्य भी सहमत होंगे कि देनदारियां वक्त पर चुकाने के लिये हमको हर कोशिश करनी चाहिये।

पारसाल मैंने सदन से वायदा किया था कि हिसाब-किताब के सालाना गोशवारे की गैर-जरूरी तफसीलें छांट दी जायेंगी। मुझे अफसोस है कि कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से मैं यह वादा पूरा नहीं कर सका हूं। मुझे यकीन है कि इस साल भी बजट का मोटा पोथा थोपने के लिये सदन मेरी मजबूरी को समझ लेगा। साथ ही मैं माननीय सदस्यों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि बजट को सहल बनाने की तलाश जारी है, और छपी हुई सामग्री का पुलन्दा छोटा करने की हर मुमकिन कोशिश की जायगी।

बजट के पोथों में दी हुई जानकारी के ढेर को समझने की सहूलियत के वास्ते 'बजट की भूमिका' नाम की पुस्तिका निकाली गई है, जो बजट साहित्य के साथ बांटी जायगी। मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य इसे काम की चीज़ पायेंगे।

१९६३–६४ का संशोधित बजट

अब मैं १९६३–६४ के तरमीमशुदा तखमीनों का लेखा पेश करता हूं। इसमे मोटे तौर पर यह जाहिर हो जायगा कि इस साल के दौरान हमने अपने आमद खर्च का बन्दोबस्त किस तरह किया।

१९६३–६४ के बजट तखमीनों के मुताबिक योजना खर्च की हद ३६.९० करोड़ रु० रखी गई थी। इसमें बिजली, खेती-बाड़ी और सहकारिता के पेटे २.४० करोड़ रु० की रकम भी शामिल थी। कुल रकम में राज्य का हिस्सा ८·९० करोड़ रु० माना गया था और बाकी रकम भारत सरकार से मिलने वाली थी। लेकिन दरअसल दस्तयाब होने वाले साधनों को ध्यान में रखते हुए इन तखमीनों पर दुबारा गौर किया गया और तरमीमशुदा तखमीना बनाया गया। इसमें राज्य के हिस्से में २·५० करोड रु० की कमी पड़ गई, क्योंकि भारत सरकार का इसरार था कि २० करोड़ रु० के Special Assistance Loan की पूरी किस्त

(श्री बालकृष्ण कौल)

चुकाई जाय। मगर बाद में भारत सरकार अपना हिस्सा बढ़ाने पर राज़ी हो गई और ३६·६० करोड़ की मूल Ceiling बरकरार रही। इसके बाद व्यास Project के वास्ते १.४५ करोड़ रु० की रकम और मिली है। इससे योजना खर्च की Ceiling बढ़कर ३८·३५ करोड़ रु० हो गई। तरमीमशुदा तखमीना इसी आधार पर बनाया गया है।

१९६३–६४ की आमद का इब्तिदाई तखमीना ६३·१६ करोड़ रु० रखा गया था। इसमें योजना स्कीमों के लिये भारत सरकार से मिलने वाले Subvention का ५ करोड़ रु० शामिल था। इसके मुकाबले में आमदनी खाते में योजना खर्च समेत कुल खर्च ६६·१४ करोड़ रु० रखा गया था। इससे आमदनी खाते में २·९८ करोड़ रु० का घाटा दिखाई देता था। आमदनी और पूंजी की मदों को मिलाकर बजट का कुल घाटा ४.५० करोड़ रु० तक पहुंचने का इमकान था। इस फर्क को पूरा करने के वास्ते नये टैक्स लगाये गये थे। लेकिन बावजूद इन नये टैक्सों के, १.६० करोड़ रु० का uncovered घाटा बना रहा। इसमें से ८ लाख रु० का फर्क आमदनी खाते में था। उम्मीद यह थी कि Compulsory Deposti Scheme में हमारे हिस्से से, साधन बढ़ाने के दीगर उपायों से, और किफायतशारी से, शायद यह फ़र्क पूरा हो जाय।

बाद में जब Income Tax देने वालों के सिवाय बाकी सब दर्जों पर से Compulsory Deposit Scheme हटा दी गई, तो हमको मिलने वाली रकम नहीं मिली। लेकिन खुश-किस्मती से बिक्रीकर की आमदनी में काफी इज़ाफे का रुख रहा। इसकी वजह यह रही है कि Assessment के मामले जल्दी निबटाये गये, और टैक्सों की चोरी रोकने के लिये सरकारी मशीन को कसा गया। बकाया रकमें वसूल करने की कार्रवाई की वजह से यात्री व माल कर की आमदनी भी बढ़ी। बजट में आबकारी की आमदनी का जो अन्दाज़ा था, उससे ज्यादा आमदनी पूरी कोशिश करने पर भी नहीं हुई, क्योंकि Rectified Spirit मिलने में दिक्कत हुई। लेकिन Income Tax और Central Excise Duties मे हमारा हिस्सा इब्तिदाई अन्दाज़े से ज्यादा रहा। इसकी वजह यह हुई कि एक तो हमको बकाया रकमें मिल गईं, दूसरे आमदनी का रुख आमतौर पर बढ़ने की तरफ रहा। अगर अकाल नहीं पड़ा होता, और उसकी वजह से हमको १ करोड़ रु० की जबरदस्त चोट न लगती, तो दूसरी मदों में मामूली कमियों के बावजूद, हमारी हालत कुल मिलाकर काफी आसूदा हो जाती। इन कमियों की तफसील बजट Memorandum में दी हुई है और देखी जा सकती हैं। लेकिन आमदनी की बड़ी बड़ी मदों में काफी कमी का खास सबब अकाल ही है।

खर्च राजस्व खाते में

आमदनी खाते में दिखाये जाने वाले खर्च का इब्तिदाई तखमीना ६६·१४ करोड़ रु० रखा गया था। इसमें Ceiling के भीतर योजना खर्च के १०·९२ करोड़ रु० और Ceiling के बाहर विकास पर खर्च के १·८३ करोड़ रुपये शामिल थे। अब यह तखमीना बढ़ाकर ६९·७६ करोड़ रु० कर दिया गया है। इस रकम में से Ceiling के भीतर योजना स्कीमों पर १०·९० करोड़ रु० खर्च किया जायगा, और गैर-योजना खर्च ५४·८० करोड़ रु० तक जा पहुंचेगा।

(श्री बालकृष्ण कौल)

यानी गैर-योजना खर्च में १·४१ करोड़ रु० की बढ़ोतरी हो जायगी। इस बढ़ोतरी के कई सबब हैं जिनकी तफसील बजट Memorandum में दी हुई है। खास बात यह है कि योजना खर्च में काफी इज़ाफ़ा हुआ है। दूसरी तरफ योजना के बाहर विकास खर्च में बढ़ोतरी इस वजह से हुई है कि दो रकमों का बैठ-बिठाव किया गया है। एक तो चम्बल से ताल्लुक रखने-वाले Interest Charges का १ करोड़ रु०, दूसरी T. C. M. से Medical Sector में मिलने वाली जिन्सी इमदाद की कीमत का १.५ करोड़ रु०। अकाल राहत की कार्रवाइयों पर होने वाला खर्च लगभग २·३७ करोड़ रु० है। इसमें से १·८७ करोड़ रु० आमदनी खाते में डाला जायगा और ५० लाख रुपया कर्ज खाते में।

मितव्ययता का प्रभाव

इन उतार-चढ़ावों में पिछले सालों की और इस साल की किफायतशारी का असर ठीक तरह ज़ाहिर नहीं होता। इसकी यह वजह है कि किफायतशारी के मुख्तलिफ उपायों से जो बचत हुई वह खर्च की नई मदों में, आमतौर पर बढ़ते हुए खर्च में, और दूसरी बातों में खप गई।

खालिस नतीजा यह है कि चालू साल के बजट अन्दाज़े में लगभग ८ लाख रु० का घाटा माना गया था, जिसमें नये टैक्सों से होने वाली आमदनी का भी हिसाब लगा लिया गया था। लेकिन अब आमदनी में ४० लाख रु० का खालिस घाटा है। अगर अकाल के सबब से आमदनी कम न हुई होती, तो हालत इससे ज्यादा खुशगवार हो गई होती। इस अकाल से हमारा सारा पिछला हिसाब उलट-पलट हो गया।

पूंजी बजट

१९६३-६४ के लिये पूंजी बजट का इब्तिदाइ तखमीना २१·५४ करोड़ रु० था लेकिन तरमीमशुदा तखमीने में ४१·३६ करोड़ रु० का आंकड़ा रखा गया है। इससे १९·८२ करोड़ रु० की बढ़ोतरी जाहिर होती है जिसमें ये रकमें शामिल हैं: जारी किये गये जागीर बांडों का बैठ-बिठाव–१६·१० करोड़ रु०; व्यास Projects के लिये जायद रकम–१·४५ करोड़ रु०; Bhakra Common Works पर पिछले साल का खर्च–१·६० करोड़ रु०।

राज्य ऋण

Public Debt की सूरत यह है कि चालू साल के इब्तिदाई तखमीने में खर्च के ऊपर आमदनी की ज़ियादती २४·६० करोड़ रु० अन्दाज़ी गई थी। इस ज़ियादती का तरमीमशुदा आंकड़ा ४८·२१ करोड़ रु० रखा गया है। इस फर्क की कुछ कैफियत देना जरूरी है। बजट तखमीनों में आमदनी खाते में ३५·४१ करोड़ रु० की जमा का अन्दाजा लगाया गया था। तखमीने का यह आंकड़ा अब बढ़कर ८२·२८ करोड़ रु० हो गया है। मगर हकीकत में यह बढ़ोतरी आमदनी में कोई असली इज़ाफ़ा नहीं दर्साती। यह तो सिर्फ हिसाब-किताब का मामला है। भारत सरकार के Comptroller and Auditor General का कहना है कि राज्य सरकार ने जो Jagir Resumption Compensation and Rehabilitation Bonds जारी किये हैं, उनकी face value के बराबर की पूरी रकम को Public Loan की तरह मानना चाहिये और हिसाब में इसे इसी शकल

में लिखना चाहिये। इसलिये, जो बांड जारी हो चुके हैं या इस साल के आखीर तक जारी होंगे, उन्हें cover करने के वास्ते १८·८० करोड़ रु० का इन्तजाम रखा गया है। इसके सबब से दूसरी कुछ मदों में भी बैठ-बिठाव जरूरी हो गये हैं। बढ़ोतरी की एक वजह यह भी है कि Floating Debt की मद में Gross Transactions के पेटे शुरू में १ करोड़ रु० ही रखा गया था। लेकिन इन Gross Transactions का डील-डौल बढ़ कर १६·७० करोड़ रु० हो गया।

छोटी बचत से मिलने वाले हमारे हिस्से में ३० लाख रु० कम हो गया है, क्योंकि इस स्कीम में जमा होने वाला रुपया ऊपर की हद से नीचे ही रहा। Market Loans की मद में अलग से कोई रकम नहीं दिखाई गई, क्योंकि Centralised Borrowing की नीति के मुताबिक भारत सरकार ने केन्द्र व राज्यों के लिये शामिल कर्जा float किया था। इस कर्जे की रकम में से राज्य सरकार को ५ करोड़ रु० का हिस्सा मिला, जो केन्द्रीय सरकार के कर्जों की मद में दिखाया गया है। योजना के लिये केन्द्र से मिलने वाली इमदाद २०·६० करोड़ रु० से बढ़ कर २५·७६ करोड़ रु० हो गई। इसके अलावा कुछ बड़ी-बड़ी मदों में नीचे दी हुई रकमें जमा की गईं:—

(१) २·०० करोड़–केन्द्रीय सहायता की १९६२–६३ की बकाया के पेटे मिलने वाला Miscellaneous Development Loan.

(२) ०·६३ करोड़–केन्द्रीय सहायता की १९६१-६२ की बकाया।

(३) १·५० करोड़–१९६२-६३ की केन्द्रीय सहायता की वह बकाया रकम जिसके मिलने की और भी उम्मीद है।

(४) १·०० करोड़-चम्बल पर मार्च, १९६२ तक के कुल Interest Charges को Capitalise करने के वास्ते मिलने वाला कर्ज।

(५) १·४५ करोड़–व्यास Project के लिये मिलने वाली जायद रकम।

(६) ०·६० करोड़-अजमेर की Water Supply Scheme के लिये L. I. C. से लिया गया कर्ज।

इस मद में जावक का तरमीमशुदा तखमीना इब्तिदाई तखमीने से ऊंचा है। १०·८० करोड़ रु० के इब्तिदाई आंकड़े के मुकाबले में तरमीमशुदा आंकड़ा ३४·०७ करोड़ रु० का है। कुछ बड़ी-बड़ी मदें ये हैं:—

	करोड़ रु०
(१) जागीर बांडों की किस्त का भुगतान।	२·८०
(२) बैंकों के साथ सकल लेन देन को cover करने के वास्ते Floating Debt की मद में जायद रकम।	१७·४४
(३) भारत सरकार के २० करोड़ रु० के Special Assistance Loan के पेटे ६·१ करोड़ रु० की किस्त चुकाने के वास्ते जायद रकम।	२·७०

तरमीमशुदा तखमीनों के मुताबिक इस मद में खालिस जमा ४८·२१ करोड़ रु० की होगी।

(श्री बालकृष्ण कौल)

ऋण व अग्रिम

उधारों व पेशगियों की मद में १९६३-६४ के बजट तखमीनों के लिये minus ९·२४ करोड़ रु० की खालिस बाकी निकाली गई थी क्योंकि आमदनी से इतना ही रुपया ज्यादा खर्च होना था। तरमीमशुदा तखमीने में इसका बदला हुआ आंकड़ा minus ९·७६ करोड़ रु० है। बकाया उधारों व पेशगियों की वसूली धीमी रफ्तार से हो रही है। बकाया वसूली के पेटे ये रकमें कम हुई हैं:—म्युनिसिपैलिटियों से–१.५ लाख रु.; पंचायत समितियों से –१६ लाख रु. और शायद अकाल की वजह से काश्तकारों से-३ लाख रु.। पिछले साल दिये गये Revenue-gap Assistance Loan के पेटे Rajasthan State Electricity Board राज्य सरकार को ३१ लाख रु. का जो भुगतान करेगा उससे ये कमियां पूरी हो जायंगी।

पेशगियां बांटने के खाते में भी कुछ बढ़ोतरियां हुई है। इनमें अकाल के लिये ४६.०० लाख रु. पेशगी की रकम सबसे बड़ी है।

लोक-लेखा

१९६३–६४ के बजट तखमीनों में लोक-लेखा की मद में ४.६६ करोड़ रु. की खालिस बचत का अन्दाजा लगाया गया था। इसका तरमीमशुदा आंकड़ा ३.३९ करोड़ रु. है। यह कमी अकाल राहत के कामों पर खर्च की वजह से हुई है। यह खर्च शुरू में आमदनी खाते में डाला जाता है और बाद में इसका बेठ–बिठाव अकाल सहायता फंड में किया जाता है।

तरमीमशुदा तखमीनों से जाहिर होने वाली मजमूई सूरत के मुताबिक १.६ करोड़ के कुल घाटे के बजाय ८ लाख रु. की मामूली बचत का अन्दाजा लगाया गया है (Contingency Fund के मातहत लेनदेन को छोड़कर)। इब्तिदाई अन्दाजे के मुकाबले में तरमीमशुदा तखमीने की हालत बहुत सुधरी हुई दिखाई देती है। इससे जाहिर होगा कि राज्य की माली हालत को रास्ते पर लाने के लिये कितनी सरगर्मी से कोशिश की गई। यह बात वाकई बड़े मार्के की है कि राज्य के करीब आधे हिस्से में चौतरफा अकाल की वजह से हमारे ऊपर जो ज्यादा बोझा पड़ा, उसके बावजूद हमने अपनी हालत सुधार ली। इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि अगरचे अंधेरे में कुछ रोशनी नजर आने लगी है, लेकिन फिर भी हम अभी तक दलदल से बाहर नहीं निकले हैं। पारसाल की यह बात दोहराने के लिये मैं माफी चाहता हूं कि अगर हम अपने इखराजात पर चौकस निगाह नहीं रखेंगे और सारे दस्तयाब तरीकों से काफी साधन जुटाने की कोशिशें जारी नहीं रखेंगे, तो हमारी मुश्किलें फिर सर उठा सकती हैं।

मितव्ययता के उपाय

इस मौके पर मैं यह बताना जरूरी समझता हूं कि इस साल के दौरान किफायतशारी की हमारी कोशिशों का क्या अंजाम हुआ। बजट के इब्तिदाई तखमीने काफी सोच-समझ कर बनाये गये थे और उनमें और ज्यादा किफायतशारी की गुंजाइश नहीं थी। फिर भी लम्बरदारी प्रथा को मंसूख करने से, और रेवन्यू तहसीलों के अमले का ढांचा बदलने से, कुछ और बचत मुमकिन हुई। डिवीजनों व सब–डिवीजनों को तादाद कम करके सार्वजनिक निर्माण विभाग में भी कुछ बचत की गई।

(श्री बालकृष्ण कौल)

इसके अलावा पुलिस व मुतर्फरिक विभागों में भी बचत की गई। किफायतशारी की इन कोशिशों का कुल नतीजा यह हुआ कि करीब १७.८८ लाख रुपये की बचत हो गई।

१९६४-६५ के बजट अनुमान

अब मैं आने वाले साल के तखमीनों की तरफ आता हूं। १९६४-६५ के लिये योजना की कुल ceiling ४६.२५ करोड़ रु० रखी गई है। यह ceiling इस अन्दाजे के आधार पर रखी गई है कि भारत सरकार को कर्जे की देनदारियां चुकाने के वास्ते रकम की बाद देकर, और भारत सरकार से मिलने वाली लगभग ३९.५५ करोड़ रु. की सहायता को ध्यान में रखकर, राज्य लगभग ६.७ करोड़ रु. के कुल साधन जुटा सकेगा।

राज्य के साधनों में १.५० करोड़ की वह रकम शामिल करली गई है, जो छोटी बचत की खालिस आमदनी के हिस्से की शकल में मिलने की उम्मीद है। राज्य में छोटी बचत की जमा में अगर कोई कमी हुई, तो योजना का खर्च चलाने के वास्ते दस्तयाब साधनों में कुदरतन कमी पड़ जायगी।

टैक्सों के मौजूदा स्तर पर, आने वाले साल में आमदनी की वसूलियां ७२.१९ करोड़ रु. तक पहुँचने की उम्मीद है। इसमें मालगुजारी की उस कमी का भी हिसाब लगा लिया गया है, जो सितम्बर के अखीर तक, सूखा वाले इलाकों में वसूलियां मुल्तवी करने की वजह से पैदा हो सकती है। चालू साल के लिए बजट में वसूलियों का जो इब्तिदाई तखमीना लगाया गया था, उसके मुकाबले में आने वाले साल के अन्दाजे में काबिलेगौर सुधार है। यह अन्दाजा इस साल के तरमीमशुदा तखमीनों में दिखाई गई वसूलियों से भी ऊपर है। कॉर्पोरेशन टैक्स को छोड़कर, आमदनी पर दूसरे टैक्सों के मातहत, हमको बड़ा हिस्सा मिलने की उम्मीद है। इन टैक्सों की वसूलियां ४.३४ करोड़ रु. तक पहुंचने की उम्मीद है। यानी १९६३-६४ के बजट तखमीनों के मुकाबले में ४१ लाख रु. की बढ़ोतरी है। मालगुजारी की मद में १९.७० लाख रु. की कमी हुई है। यह भी अन्देशा है कि हाल के पाले से जो नुकसान पहुंचा है, उसकी वजह से हालत कहीं ज्यादा खराब न हो जाय। आबकारी की मद में ६० लाख रु. की बढ़ोत्तरी है। यह देशी शराब की कीमत में बढ़ोत्तरी की वजह से है, हालांकि इसमें बढ़ोत्तरी के रुख का भी जुज शामिल कर लिया गया है। जहां तक बिक्रीकर का ताल्लुक है, इसके असार बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, और इस जरिये से होने वाली वसूलियों में जोरों का इजाफा होने की उम्मीद है। चालू साल का तरमीमशुदा तखमीना ९.६ करोड़ रु. है, जो कि खुद भी ८.६२ करोड़ रु. के इब्तिदाई तखमीने से अच्छा है। इसके मुकाबले में आने वाले साल के बजट का तखमीना १०.२५ करोड़ रु. रखा गया है। यह ऊंचा तखमीना वसूलियों के मौजूदा रुख को देखते हुए लगाया गया है। इस रुख को दर्शाने वाले सबब ये हैं: assessment के काम की रफ्तार में तेजी, पिछली बकाया की वसूली और टैक्सों की चोरी की ज्यादा कारगर रोकथाम। तेजी के इस रुख पर, सारे भारत के रुख के मुताबिक, बढ़ी हुई कीमतों का भी असर पड़ा है। अगले साल Union Excise Duties में हमारा हिस्सा ७.२० करोड़ रु. तक पहुंचने की उम्मीद है। चालू साल के तरमीम-

(श्री बालकृष्ण कौल)

शुदा तखमीनों में यह हिस्सा ६.८४ करोड़ रु. ही था। यात्री व माल कर से होने वाली वसूलियां भी बढ़ रही हैं। इसकी वजह से अगले साल Other Taxes and Duties के अन्दाजे में २० लाख रु० की बढ़ोत्तरी मानी गई है, अगरचे मनोरंजन कर में कमी हुई है। इस अच्छे रुख का सबब ज्यादातर यह है कि विभाग के अफसरों ने ज्यादा अच्छी निगरानी रखी और बकाया रकमें वसूल कीं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद में और लगान में इज़ाफे की वजह से खेती-बाड़ी की मद में भी कुछ बढ़ोतरी की उम्मीद है। उद्योगों की मद में ७ लाख रु० की बढ़ोतरी का अन्दाजा है क्योंकि Sodium Sulphate का कारखाना कुछ ही दिनों में पूरा उत्पादन करने लगेगा। Miscellaneous Social and Developmental Organisation की मद में चालू साल के तरमीमशुदा तखमीनों के मुकाबले में आयन्दा साल के बजट तखमीनों में २२ लाख रु० की बढ़ोत्तरी मानी गई है हालांकि पलाना में घाटा उठाना पड़ा है।

नदी योजनाओं से सींचे जाने वाले इलाकों में आबपाशी की गुंजाइश बढ़ने से वसूलियां मे भी कुछ इज़ाफा होने की उम्मीद है। लेकिन यह बढ़ोत्तरी गैर-तिजारती कामों से होने वाली आमदनी में कमी से बेअसर हो गई है, क्योंकि इस साल बारिश की कमी से सिंचाई की सहूलियतों में कमी आई है। सड़क-परिवहन की मद में ६६ लाख रु० की बढ़ोत्तरी का अन्दाजा है। मगर Roadways Service को चलाने के वास्ते Road Transport Corporation बनाने का जो फैसला हाल में किया गया है, उसे मद्देनजर रखते हुए Roadways की सकल आमदनी व खर्च को राज्य के लेखे में से निकालना पड़ेगा। Roadways से राज्य की आमदनी को जो खालिस हिस्सा मिलेगा, सिर्फ उसी को हिसाब में दिखाया जायगा। Rajasthan State Electricity Board की तरह ही Road Transport Corporation भी अपना बजट खुद तैयार करेगी। जमीनों की बिक्री और सुधार-शुल्क की वसूलियों में कमी होने का अन्देशा है, क्योंकि जब तक आबपाशी की हकीकी सहूलियत पैदा न हो, तब तक चम्बल इलाके में सुधार-शुल्क की वसूली मुल्तवी रखने का फैसला किया गया है।

राजस्व खाते में खर्च

आमदनी खाते में डाले जाने वाले खर्च की रकम ७२.८१ करोड़ रु० तक पहुंचने की उम्मीद है। इसमें Ceiling के भीतर योजना पर लागत का १२.६६ करोड़ रु० और Ceiling के बाहर विकास पर होने वाले खर्च का १.९६ करोड़ रु० शामिल है। वसूलियों में से किया जाने वाला २४ लाख रु० का वह खर्च इसमें शामिल नहीं है, जो खर्च की मदों में कटौतियों के पेटे डाला जायगा। गैरयोजना खर्च लगभग ५८.१६ करोड़ रु० होगा। यह आंकड़ा उस आंकड़े से काफी ऊंचा है, जो चालू साल के तरमीमशुदा तखमीनों में दिखाया गया है। योजना खर्च के लिये रकम का इन्तजाम योजना कमीशन की मंजूरशुदा Ceiling के मुताबिक है। बड़ी बड़ी बढ़ोत्तरियां इन मदों में है : बिक्री कर-pro-rata Charges की रकम में इज़ाफा और ज़ायद स्टाफ की मंजूरी की वजह से। पूलिस R.A.C. की दसवीं बटालियन कायम रखने की वजह से, और साल जो सामान नहीं खरीदा गया,

(श्री बालकृष्ण कोल)

उसे खरीदने के लिये रकम का इन्तजाम रखने की वजह से। गैर-योजना खर्च में बढ़ोत्तरी पर उन खर्चों का असर है, जो अकाल की वजह से जरूरी हो गये हैं। बाकी की बढ़ोतरियां दूसरी मदों में मामूली फर्क पड़ने से हुई हैं।

अकाल राहत पर खर्च

राजस्थान का भूगोली नक्शा इस किस्म का है कि यह अकाल का खास शिकार होता रहता है। भारत में कोई दूसरा राज्य शायद ही ऐसा हो जहां अक्सर बरसात न होने से बार-बार सूखा पड़ता हो। पिछले करीब दस सालों में, सिर्फ १९५९-६० का साल ही ऐसा रहा है जिसमें राज्य के किसी हिस्से में सूखा नहीं पड़ा। १९६३ में बरसात बहुत देर से आई और राज्य के लगभग सारे ही जिलों में औसत से कम हुई-खासकर पच्छिमी व उत्तर-पच्छिमी इलाकों में। खरीफ की फसल पर तो बुरा असर पड़ा ही है, लेकिन रबी के आसार भी अच्छे नहीं हैं। अकाल से मारे हुए इलाकों में लोगों की मुसीबतें कम करने के वास्ते और राज्य का पशु-धन बचाने के वास्ते जो उपाय किये गये हैं, उनकी जानकारी माननीय सदस्यों को दी जा चुकी है। चुनाचे मैं इनकी तफसील में नहीं जाऊंगा। आयन्दा साल इन कार्यवाइयों पर १८७ लाख रु० के खर्च का तखमीना बनाया गया है : आमदनी खाते में १३७ लाख रु० और कर्ज खाते में ५० लाख रु०। अगर जरूरत हुई तो अकाल के इलाकों में राहत के लिये और ज्यादा रुपये का इन्तजाम किया जायगा। ये अकाल इस भयानक हकीकत को ज़ाहिर करते हैं कि भारत में खेती की पैदावार अभी तक ज्यादातर बारिश के ही बस में है। यह भी कि अर्थ-व्यवस्था के इस निहायत अहम दायरे में खेती की पैदावार को कुदरत की मनमौजी हरकतों के असर से बचाने के लिए, जहां तक हो सके, हमको खेती–बाड़ी के नये–नये तरीकों और मशीनी औजारों का इस्तेमाल करना चाहिये। हकीकत यह है कि जनता की बहुत बड़ी और लगातार बढ़ती हुई आबादी को रहन–सहन की minimum आसायशें मुहैया करने के वास्ते खेती की पैदावार में काफी इज़ाफ़ा होना चाहिये। मतलब यह है कि हमारी माली तरक्की की जड़ खेती–बाड़ी में है। यही वजह है कि आयन्दा साल के योजना प्रोग्राम में खेती–बाड़ी व सिंचाई के लिये सबसे ज्यादा रकमें रखी गई हैं। यह बात जाहिर हो जायगी कि आने वाले साल में योजना स्कीमों पर ceiling के भीतर भी और बाहर भी ५०.२९ करोड़ रु० के खर्च का जो तखमीना बनाया गया है, उसमें २०.५९ करोड़ रु० की बड़ी रकम इन्हीं दो दायरों में खर्च के लिये मखसूस की गई है।

लघु सिंचाई योजनाएं

सिंचाई के छोटे कामों के लिये १.८३ करोड़ रु० की रकम रखी गई है। उम्मीद है कि इन कामों से १९६४-६५ के दौरान ०.५९ लाख एकड़ ज़ायद रकबा आबपाशी के मातहत आ जायगा।

अतिरिक्त कृषि-उत्पादन

खेती की पैदावार ज्यादा बढ़ाने के मामले में १९६४-६५ के लिये नीचे दी हुई हदें मुकर्रर की गई हैं :—

अनाज	४.३२ लाख टन

(श्री बालकृष्ण कौल)

तिलहन	४५ हजार टन
कपास	३० हजार गांठें
गन्ना (गुड़ के लिहाज से)	१५ हजार टन

भू–संरक्षण

जमीन का कटाव व घिसाव रोकने की स्कीमों पर भी ज्यादा ध्यान दिया जायगा। १७.८५ हजार एकड़ जमीन पर कंटूर-बन्दी की जायगी, ६२० हजार एकड़ पर Dry Farming किया जायगा और पहाड़ी इलाकों में ७५० हजार एकड़ पर व रेगिस्तानी इलाकों में २० हजार एकड़ पर जमीन को जमाने के उपाय किये जायेंगे। खारी व ऊसर जमीनों का करीब ५०० एकड़ का रकबा नया तोड़ा जायगा। ६७२ हजार एकड़ में मेड़-बन्दी की जायगी और जमीन हमवार बनाई जायगी।

पशु-पालन

अगले साल १५ लाख गायों-बैलों के माता के टीके लगाये जायेंगे। पशु–धन को इलाज की सहूलियत मुहैया करने के वास्ते १५ पशु दवाखाने और २ गश्ती दवाखाने नये खोले जायेंगे और २० दवाखानों को अस्पतालों का दर्जा दिया जायगा।

मछली-पालन के दायरे में एक नया मछली फार्म कायम किया जायगा। ३ नर्सरियां कायम की जायेंगी।

सहकारिता

७०० सेवा सहकारियों का संगठन किया जायगा। सेण्ट्रल कोआपरेटिव बैंकों की १० नई शाखें खोली जायेंगी और ५ नये Primary Land Mortgage Banks खोले जायेंगे।

सहकार-आन्दोलन के दूसरे दायरों की हलचलों को भी हरकत दी जायगी, ताकि अगले साल के अखीर तक ८२ फी सदी गांव और ३६.५ फी सदी देहाती कुटुम्ब सहकारी दायरे ये लाये जा सकें।

सामुदायिक विकास

23 Pre-Extension खंडों को I Stage खंड बना दिया जायगा, और १२ I Stage खंडों को II Stage खंड बनाया जायगा। इस तरह अगले वित्तीय साल में समूचे राज्य में सामुदायिक विकास खंड हो जायेंगे।

सड़कें

३७८ मील लम्बी नई सड़कें बनाई जायंगी और ६० मील की मौजूदा सड़कों की सतह दुरुस्त की जायगी।

शिक्षा

लाजिमी प्राइमरी शिक्षा के मातहत कुछ नये प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे, और ७५० शिक्षक नये मुकर्रर किये जायेंगे। लड़कियों की शिक्षा को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिये लड़कियों के १० प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों का दर्जा दिया जायगा और मौजूदा स्कूलों में १५ नये सेक्शन खोले जायेंगे।

५ सरकारी मिडिल स्कूलों का दर्जा हायर सेकेण्डरी स्कूलों का कर दिया जायगा और एक हाई स्कूल को जूनियर हायर सेकण्डरी स्कूल बना दिया जायगा।

चिकित्सा

जयपुर के सवाई मानसिह अस्पताल और

(श्री बालकृष्ण कौल)

बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कालेज से लगे हुए Teaching Sections में १४२ पलंग बढ़ाये जायेंगे।

अगले साल I Stage खंडों में ३० Primary Health Centres खोले जायेंगे। परिवार-नियोजन के ५ शहरी Clinics और ३५ देहाती Clinics भी खोले जायेंगे।

जल-वितरण योजनाएं

Water Supply की १३ शहरी व २० देहाती योजनायें १६६४-६५ में मुकम्मिल हो जायेंगी।

आवास

Low Income Group Housing Scheme के मातहत १६६४-६५ में १३३ मकान बनाये जायेंगे। Industrial Housing Scheme के मातहत ५०० चाल बनाये जायेंगे। गन्दी बस्तियों की सफाई और देहाती Housing Schemes में भी आगे तरक्की की उम्मीद है।

भत्तों में वृद्धि

कीमतें चढ़ने से हमारे कर्मचारियों की तरफ से मांग उठने लगी कि रहन-सहन के बढ़ते हुए खर्च को पूरा करने के वास्ते तनख्वाहें बढ़ाई जांय और मंहगाई भत्ता भी बढ़ाया जाय। अगरचे यह मांग जाहिरा तौर पर वाजिब थी, मगर हमको भी इस सवाल पर विचार करना जरूरी था कि इसके लिये रुपया कहां से लायेंगे। यह मामला विचाराधीन ही था कि भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की दर बढ़ा दी और उन्हें कुछ दूसरे लाभ भी दिये। Compensatory City Allowance के मामले में कुछ दिन पहले तक जयपुर C class का शहर माना जाता था, लेकिन भारत सरकार ने इसका दर्जा बढ़ाकर B-II कर दिया। केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारारियों की तरफ जो दरियादिली दिखाई है वह बेशक स्वागत के काबिल है। मगर अच्छा तो यह होता कि केन्द्र व राज्यों के बीच वित्तीय ताल-मेल के बारे में अगले वित्त कमीशन की रिपोर्ट आने तक, भारत सरकार राज्यों को भी कुछ माली इमदाद मुहैया कर देती जिससे कि वे भी अपने कर्मचारियों की मांगें पूरी कर सकते। राज्य सरकारों के बजट की हालत वैसे ही नाजुक है। इस पर भी उन्हें जरूरी सहायता न देकर भारत सरकार ने इकतरफा कदम उठाया है, इससे राज्य सरकारें बिला वजह पसोपेश में पड़ गई हैं। फिर भी, सरकार ने फैसला किया है कि कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों को राहत देने में देर न की जाय, हालांकि इससे राज्य सरकार पर काफ़ी बोझा पड़ेगा। माननीय सदस्यों को यह तो मालूम ही है कि राज्य सरकार ने सरकारी enterprises के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में १ फरवरी १६६४ से ५ रु. महीने की ad hoc बढ़ोत्तरी कर दी है। ये सरकारी enterprises पहले ही लेबर कानूनों से बंधे हुए हैं। सदन को यह जानकार खुशी होगी कि अब यह फैसला किया गया है कि ३०० रु० इससे कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अभी जो मंहगाई भत्ता दिया जाता है उसमें १ मार्च, १६६४ से, ad hoc आधार पर, ५ रु० महीने का इजाफा कर दिया जाय। लेकिन वेतन व भत्ता मिला कर ३२० रु० महीने से

(श्री बालकृष्ण कोल)

ज्यादा नहीं होगा। पूरे साल में इस मद पर करीब ६५ लाख का जायद खर्च पड़ेगा।

फिलहाल जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और माउण्ट आबू के उन सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जाता है जो किराये के मकानों में रहते हैं। अब जयपुर को B-II का दर्जा देने से जयपुर में केन्द्रीय सरकार के उन तमाम कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता का हक मिल गया है, जो किराये के मकानों में रहते हैं। जहां तक बाकी के ६ शहरों का ताल्लुक है, इन्हें Central Rules के मातहत Class का या इससे नीचे की Category का शुमार किया जाता है और इन शहरों में कुछ थोड़े से कर्मचारियों को ही मकान किराये की रियायत दी जाती है। Central Rules और हमारे Rules का मुकाबला करने से जाहिर होता है कि हमारे Rules ज्यादा लाभदायक हैं। फिर भी, मकान किराया भत्ते की दरों को ratonalise करने का और इनमें जाव्ते की कुछ तब्दीलियां करने का इरादा है। इससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के कुछ वर्गों को बेरास्त फायदा होगा।

जयपुर में तैनात कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को, यानी उन कर्मचारियों को जिनका मूल वेतन ३२० रु. महीना तक है, राहत देने के वास्ते City Compensatory Allowance दिया जायगा। यह भत्ता वेतन का ५ फी सदी होगा, लेकिन कम से कम ५ रु. और ज्यादा से ज्यादा १० रु. होगा। यह लाभ देने में सरकार को साल भर में करीब १५ लाख रु. ज़ायद खर्च करना होगा।

सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी और दूसरे फायदे जोड़े जायं तो वेतनों के सालाना बिल में करीब १.१० करोड़ रु. का इज़ाफा हो जायगा।

पूंजी बजट

अब मैं पूंजी बजट पर आता हूं। पूंजी खाते में खर्च की रकम २८.६९ करोड़ रु. के लगभग होने का अन्दाजा है। यह आंकड़ा उस आंकड़े से कम है जो चालू साल के तरमीमशुदा तखमीनों में दिखाया गया है। बड़ा फर्क गैर-योजना खर्च की मद में है। इसकी वजह यह है कि अब तक जारी किये गये जागीर बॉडों की ज़ाहिर कीमत के बैठ-बिठाव के लिये चालू साल के तरमीमशुदा बजट में इन्तजाम रखना पड़ा। योजना की ceiling के भीतर पूंजीगत खर्च २०.५८ करोड़ रु. तक पहुंचेगा, जब कि चालू साल के लिये १७.०५ करोड़ रु. का तरमीमशुदा आंकड़ा रखा गया था। दूसरी तरफ योजना की लागत पर ceiling के बाहर पूंजीगत खर्च तरमीमशुदा तखमीने के २.७० करोड़ रु. से घटकर आयन्दा साल १.७६ करोड़ रु० रह जायगा।

बजट में State Roadways के लिये नई बसें खरीदने के वास्ते भी इन्तज़ाम रखा गया है। लेकिन, अगर Road Transport Corporation ने अपने विस्तार प्रोग्राम के लिये किसी उधार देने वाली संस्था से खुद ही रुपया उधार लेने का फैसला किया, तो बजट में रखी गई रकम काम में नहीं आयेगी। सरकार इस काम के लिये जो कर्ज लेने का इरादा कर रही है उसे भी जमा खाते में डालने की जरूरत नहीं रहेगी।

(श्री बालकृष्ण कौल)

राज्य ऋण

Public Debt की मद में वसूलियों का तखमीना ५५.५४ करोड़ रुपये का है। इसके मुकाबले में २१.८६ करोड़ रु. के कर्जे बांटने का अन्दाजा है। केन्द्रीय सरकार के कर्जे चुकाने के लिये ५.७२ करोड़ रु. का इन्तज़ाम रखा गया है। इसके अलावा १५ करोड़ रु. और २० करोड़ रु. के दो Special Assistance Loans का भुगतान करने के लिये ८.१४ करोड़ रु. रखा गया है। ये कर्जे १९६१ और १९६२ में लिये गये थे। Ceiling के भीतर भी और बाहर भी योजना स्कीमों के लिये कर्ज की शक्ल में केन्द्रीय सहायता ३४.९७ करोड़ रु. के लगभग अन्दाज़ी गई है। Life Insurance Corporation, Reserve Bank of India वगैराह से मिलने वाले १.६८ करोड़ रु. के कर्जों का हिसाब लगाने पर ३३.६८ करोड़ रु. की खालिस रकम दस्तयाब होगी।

कम मियादी कर्जों के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। बीज और रसायनिक खाद की खरीद व वितरण की स्कीमें इन्हीं कर्जों से चलाई जाती हैं, और इन कर्जों का भुगतान १८ महीने में किया जाता है। बदकिस्मती से इन कामों के लिये दी गई पेशगियों की वसूली बहुत देर में होती है जिसका नतीजा यह है कि बकाया की रकमें इकट्ठी होकर चार करोड़ के भारी भरकम आंकड़े तक जा पहुंची हैं। दूसरी तरफ, केन्द्रीय सरकार यह इसरार करती है कि कर्जों की कुल रकम सूद समेत नियत तारीख पर चुकाई जानी चाहिये। यह एक अहम जुज़ है जो हमारे बजट की हालत में गैर–तवाज़ुन पैदा कर देता है। यह हकीकत मैं इसलिये बयान कर रहा हूं कि माननीय सदस्यों को राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर इस दोहरी टक्कर का बेहतर अहसास हो जाय।

केन्द्रीय सरकार ने पार साल अपनाई गई Central Borrowing की नीति त्यागने का आखिरी फैसला कर लिया है। अब पब्लिक से रुपया उधार लेने के लिये राज्य सरकार को खुद साहूकारे में जाना पड़ेगा। अगले वित्तीय साल में किसी वक्त ५ करोड़ का पब्लिक कर्जा float करने का इरादा है।

उधारों व पेशगियों की मद में खालिस जावक ११.६१ करोड़ रु. के लगभग होने का अन्दाजा है। वसूली खाते में ४.४७ करोड़ रु. की जमा का अन्दाजा है। दूसरी तरफ, १६.०९ करोड़ रु. की रकम बांटी जायगी। इसमें ceiling के भीतर योजना स्कीमों के लिये १२.७४ करोड़ की रकम और ceiling के बाहर विकास स्कीमों के लिये ४० लाख रु. की रकम शामिल है। बाकी २.६५ करोड़ रु. गैर-योजना मदों के लिये हैं। गैर–योजना के लिये बांटी जाने वाली रकमों में बढ़ोतरी की खास मद अकाल पेशगियां हैं। इनके लिये ५० लाख रु. का इन्तजाम रखा गया है। पंचायत समितियों को कम मियाद कर्जे देने के लिये भी इन्तजाम रखा गया है। ये कर्जे इन्हें किसानों को बांटने के लिये बीज व रसायनिक खाद की खरीद के वास्ते दिये जाते हैं जिससे खेती की पैदावार बढ़ाने में मदद मिले।

Provident Fund, Insurance वगैरा के जमा–खातों में जमा होने वाली सकल वसूलियों का, और मुख्तलिफ कामों पर खर्च होने वाली रकमों का बैठ–बिठाव करने के

(श्री बालकृष्ण कौल)

बाद, लोक लेखे में ५.१५ करोड़ रु. की खालिस जमा का अन्दाज़ा है ।

पूंजी खाते के सारे तखमीनों का खालिस नतीजा यह है कि १.३८ करोड़ रु० का घाटा रहेगा। यह आंकड़ा, float किये जाने वाले Public Loan की रकम और छोटी बचत की वसूलियों का बैठ-बिठाव करने के बाद निकाला गया है ।

खुलासा

अब बजट की अगले साल बनने वाली सूरत मुख्तसिर में बयान की जा सकती है ।

इन तखमीनों का मजमूई असर आमदनी में कुल २ करोड़ रु० का फर्क जाहिर करता है। इसमें आमदनी का जुज़ करीब ०.६२ करोड़ रु० है और पूंजी लेखे में करीब १.३८ करोड़ रुपये का घाटा है ।

सवाल अब यह उठता है कि आखिर इतने बड़े घाटे को पूरा किस तरह किया जाय। मैंने इस मामले के अलग अलग पहलुओं पर काफी गौर किया है। मेरे सामने कई तरीके आये, लेकिन उनमें से कोई भी इस समस्या का पूरा हल नहीं बताता। आज की जो माली हालत है वह इस बात के लिये इजाजत नहीं देती कि जन-साधारण पर कोई नये टैक्स लगाये जायें। साथ ही समाजी न्याय का यह भी तकाजा है टैक्सों का बोझा लोकतन्त्री समाजवाद को ध्यान में रखते हुए ठीक ढंग से बांटा जाय ।

कोशिश करने से छोटी मोटी किफायतें और भी की जा सकती हैं, लेकिन यह साफ है कि सिर्फ किफायतसरी से कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। हाल ही में केन्द्रीय बजट में नये टैक्सों का जो ऐलान किया गया है उनमें भी हमारा हिस्सा इतना कम होगा कि हमको कोई राहत नहीं मिलेगी। हां, बिक्री कर से जो आमद होती है उसमें जरूर बढ़ोतरी हुई है और अगर बिक्री कर के कानूनों को सख्ती से लागू करने के कानूनी व दूसरे कदम उठाये जायं तो बिक्री कर से होने वाली वसूलियों के तखमीनों में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है । इस बात को मद्दे-नजर रखते हुए पार साल राजस्थान बिक्री कर कानून में कुछ तब्दीलियां की गई थीं। मेरी राय यह है कि बिक्री कर वसूली के तरीकों में धीरे धीरे और सुधार किये जायें जिससे कि वसूली के तरीके आसान हो जायें और कर की चोरी भी कम की जा सके। इस मकसद को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सेल्स टैक्स कानून में और रद्दो-बदल करने का इरादा है। बकाया वसूली व बकाया Assessment के मामले जल्दी निपटाने के लिये भी खास कोशिश की जायगी। इन तरीकों को अपनाने से बिक्री कर से ३० लाख रु० और मिल सकता है ।

इस बात की भी कोशिश की जायगी कि सख्त कदम उठाकर और चोरी छिपे होने वाली हरकतों को रोक कर आबकारी की आमद बढ़ाई जाय। इस तरह २० लाख रु० और वसूल किया जा सकता है।

जहां तक कि यात्रा व माल कर का ताल्लुक है, हम पुरानी बकाया को वसूली करके ५ लाख रु. वसूल करने की उम्मीद करते हैं। इस तरह मौजूदा करों से हमको ५५ लाख रु. ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी काफी घाटा पूरा करना है। ऐसी सूरत में

(श्री बालकृष्ण कौल)

बचे हुए घाटे को पूरा करने के लिये नये करों से छुटकारा मुमकिन नजर नहीं आता। लेकिन मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि मैं जन साधारण का बोझा बढ़ाना नहीं चाहता। मैंने वही साधन चुने हैं जिनसे कि इस मकसद मे खलल नहीं हो।

नये टैक्स

इन अल्फाज़ के साथ मैं सदन के सामने अगले साल के लिये टैक्स की तजवीजें पेश करता हूं।

१. **शहरी इलाकों में खाली प्लाटों पर टैक्स**—शहरी इलाकों में जमीन की कीमत बेतहाशा बढ़ जाने से बहुत ज्यादा मुनाफाखोरी हो रही है। जिन लोगों के पास वसीला हैं उन्होंने जमीन के बड़े बड़े टुकड़े कब्जे में कर लिये हैं ताकि आयंदा फायदा उठाकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच सकें। ऊंची कीमतों की वजह से मकानों के बनाने में रुकावटें होती हैं और दूसरी तरफ प्लाट काफी समय तक खाली पड़े रहते हैं। इस तरह जरूरतमन्दों को मकान बनाने के लिये जमीन वाजिब कीमत पर मिलने में मुश्किल आती है।

इस हरकत को रोकने के लिये और शहरी इलाकों में जायदाद के बड़े बड़े मालिकों की बिना कमाई आमदनी का कुछ हिस्सा वसूल करने के लिये, एक टैक्स लगाने की तजवीज है। यह टैक्स १०,००० या इससे ज्यादा आबादी वाले शहरों के उन खाली प्लाटों पर लगाया जायगा जो किसी निजी शख्स की मिलकियत में आने की तारीख के बाद से दो साल से खाली पड़े हुए हैं या आगे दो साल तक खाली पड़े रहेंगे। मतलब यह है कि यह टैक्स मौजूदा और आयन्दा खाली रहने वाली जमीनों पर वसूल किया जायगा।

जो बातें मालूम हैं उनके आधार पर मैं यह उम्मीद करता हूं कि इससे १० लाख रुपया अगले साल मिल सकेगा। इस बारे में एक बिल अलग से पेश किया जायगा।

२. **स्टाम्प ड्यूटी**—इरादा यह है कि कुछ ऐसी कार्यवाही की जाय जिससे कि स्टाम्प ड्यूटी की चोरी रोकी जा सके। इससे अगले वर्ष १५ लाख रुपया ज्यादा मिलने की संभावना हैं।

३. **जमीनों के तबादले पर विकास फीस**—यह देखा गया है कि रिहायशी जमीनों को बदलकर तिजारती या उद्योगों के कामों के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है। यह भी देखने में आया है कि जो जमीनें मकानों के लिये Improvement Trust या और किसी संस्था ने मुकर्रर दरों पर सिर्फ रहने के लिये दी थीं, वे भी बिना किसी इजाज़त के दूसरे कामों में ली जा रही हैं। इससे Town Planning की जड़ें ही खोदी जा रही हैं और मालिकों को इससे बिना कमाया हुआ लाभ भी हो रहा है। नये विकसित क्षेत्रों का ठीक ढंग से विकास और Planning करने के लिये भी इस किस्म की कार्यवाइयों को रोकने की जरूरत है। साथ ही जो मालिक इस तरह बिना मंजूरी के जमीनों का बेजा इस्तेमाल करते हैं और नाजायज़ फायदा उठा रहे हैं, उनकी कमाई में से भी सरकार अगर कुछ हिस्सा ले ले तो वाजिब ही होगा। इस बारे में मुनासिब उपाय किये जा रहे हैं। इस उपाय का मकसद सिर्फ रुपया वसूल करना ही नहीं है। इससे

(श्री बालकृष्ण कौल)

अगले साल १० लाख रु. की जायद आमदनी होने की उम्मीद है ।

४. राजस्थान मोटर गाड़ी टैक्स—Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act के तहत जो १० से ज्यादा गाड़ियां रखता है उसको मोटर गाड़ी टैक्स की १० फीसदी छूट मिल जाती है बशर्ते कि वे गाड़ियां सिर्फ व्यापार या उद्योग के लिये काम में ली जायं । ये छूट जमाने के मुताबिक नहीं है और इसलिये इसे हटाया जा रहा है । इस टैक्स से ३ लाख रु. की ज्यादा आमदनी होने की उम्मीद है ।

५. बिक्री कर—इस बात की बराबर मांग है कि टैक्सों के ढांचे को सहल बनाया जाय और इस दिशा में कुछ कदम पहले उठाये भी जा चुके हैं । मौजूदा ढांचे को सहल करने के लिये यह तजबीज है कि मदों को वाजिब आधार पर regroup किया जाय । इस तबदीली से रोज के काम में आने वाली चीजों के ऊपर टैक्सों में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है । वे मदें ये हैं :—

(१) Bullion and Ornaments—मौजूदा रेट चांदी व सोने की सिल्ली पर १.२ फी सदी है जब कि जेवरों पर रेट ज्यादा है । तजुर्बा यह है कि इस फर्क से टैक्स की चोरी में मदद मिलती है । इसलिये सिल्ली व जेवर दोनों पर ही टैक्स की दर २ फी सदी रखी जा रही है और १.२ फी सदी की जो दर है वह हटा दी जायगी ।

(२) टायर तथा ट्यूब—ट्रैक्टर के टायरों व ट्यूबों पर टैक्स की दर २ फी सदी है, जब कि मोटर गाड़ियों के टायर ट्यूबों पर १० फी सदी की ऊंची से ऊंची दर लागू है । ऐसा महसूस किया जाता है कि इन ट्रैक्टरों के टायरों व ट्यूबों को general list पर रख दिया जाय जिसकी दर ६ फी सदी है ।

(३) प्लास्टिक का सामान इस वक्त general list पर है । इसकी दर ७ फी सदी की जा रही है जो दर कांच के सामान व क्रॉकरी पर है ।

(४) कच्ची खाल व चमड़े पर २ फी सदी की दर है, लेकिन कमाई हुई खाल व चमड़े पर सिर्फ १ फी सदी है । ज्यादातर चमड़े व खालें राजस्थान के बाहर भेजी जाती हैं और हमको सिर्फ १ फी सदी केन्द्रीय बिक्री कर मिलता है जब कि हम आसानी से २ फी सदी वसूल कर सकते हैं और जिसका बोझा बाहर के खरीददारों पर पड़ेगा । इसलिये कमाई हुई खालों पर टैक्स की दर २ फी सदी की जा रही है ।

(५) सूती धागे की स्थानीय बिक्री पर २ फी सदी टैक्स है जब कि यह अन्तर-राज्य बिक्री टैक्स से बरी है । ये छूट उस वक्त दी गई थी जब केन्द्रीय बिक्री कर की दर १ फी सदी थी । अब चूंकि केन्द्रीय बिक्री कर २ फीसदी हो गया है इसलिये ऐसा महसूस किया जाता है कि कम से कम १ फी सदी केन्द्रीय बिक्री कर उस धागे पर लगा दिया जाय जो राजस्थान से बाहर जाता है । इस बारे में कार्यवाही की जा रही है ।

(६) भारत में बनी हुई विलायती शराब फिलहाल राजस्थान बिक्री कर कानून के अनुसार बिक्री कर से बरी है । यह कोई रोज की जरूरी चीज नहीं है और इस पर टैक्स का

Page No. 142

(श्री बालकृष्ण कौल)

बोझा डाला जा सकता है। इस बारे में परिशिष्ट में जो इंदराज है वह हटाया जा रहा है और भारत में बनी हुई विलायती शराब पर ६ फी सदी टैक्स लगाया जा रहा है।

दरों में तब्दीली करने के अलावा और भी कई तरीके ऐसे अपनाये जा रहे हैं जिनसे बड़े व्यापारियों की टैक्स के काबिल बिक्री को ज्यादा सही ढंग से आंका जा सके। इन सब तब्दीलियों से अगले साल २० लाख रु० की ज्यादा आमदनी होने का अन्दाजा है।

सब तरीकों से कुल ५८ लाख रु० वसूल होने की उम्मीद है। फिर भी ८७ लाख रु० का फर्क रह जाता है जिसको कि मैं अभी ऐसे ही छोड़ देना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कमी खर्चे को रोकने से और खर्चे में कमी करने से व दूसरी छोटी छोटी मदों की वसूली से पूरी की जा सकती है।

समाजी हिफाजत

मुझे यकीन है कि जिन टैक्सों का ऐलान मैंने किया है वे आम जनता के लोगों को नागवार नहीं होंगे। यहां तक कि इनका असर ऐसे लोगों पर भी ज्यादा नहीं पड़ेगा जिनकी हालत निस्बतन बेहतर है। हमने लोकतन्त्री समाजवाद का मकसद मंजूर किया है। इसलिये अब यह नहीं हो सकता कि हम पुराने ढर्रे से सोचते रहें और काम करते रहें, या अपनी कोशिशों में ढील ढालकर सुस्ताने लगे। जरूरत पड़े तो हम अपने तरीकों पर दुबारा भी गौर कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अब हमको समाजवादी समाज की जरूरतों के मुताबिक सारे समुदाय की माली हालत सुधारने के वास्ते सख्त जद्दोजहद करनी है। इस सिलसिले में हमको चाहिये कि अपने सारे साधनों का कारगर इस्तेमाल करें, पैदावार बढ़ायें और यह देखें कि दौलत का दिन पर दिन ज्यादा दुरुस्त बंटवारा हो। मतलब यह है कि हमें देश की जनता के रहन-सहन का दर्जा ऊंचा उठाना चाहिये और साथ ही मौजूदा असमानताओं को मिटाना चाहिये। लेकिन समानता का मतलब यह नहीं है कि गरीबी बराबर बांट दी जाय बल्कि यह है कि इफरात का बंटवारा हो।

मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आर्थिक विकास के फल सिर्फ बजट के आंकड़ों से हासिल नहीं हो सकते। इसके लिये हर तबके के लोगों को, और प्रशासन के सारे कर्मचारियों को लगन के साथ अपने-अपने कामों में जुट जाना चाहिये। मैं सदन के हर तबके से अपील करता हूँ कि इस काम में पूरा सहयोग दें। इसके अलावा समाजी न्याय, विकास और समाजी हिफाजत के दायरों में भी हमको अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिये तैयार रहना चाहिये। इन दायरों में काम करने की बहुत गुंजायश है। जरूरतमन्दों की समाजी हिफाजत के लिये भारत सरकार ने हाल ही में रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को दी जाने वाली पेंशनों में इजाफा किया है। राज्य सरकार ने भी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को कुछ रियायतें देने का फैसला किया है—

(१) १ अप्रैल, १९६४ के बाद रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को कम से कम २५ रु० माहवारी पेन्शन दी जायगी। मौजूदा नियमों के मातहत ऐसी पेन्शन नहीं दी जा सकती थी।

(श्री बालकृष्ण कौल)

(२) किसी सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार को फैमिली पेन्शन उसी हालत में दी जाती है जब उसकी कम से कम २० साल की Qualifying Service हो। यह मियाद बदल दी गई है। अब किसी कर्मचारी की मौत एक साल की भी सेवा के बाद हो जाय तो उसके परिवार को पेन्शन दी जायगी। ऐसे मामलों में भी कम से कम पेन्शन २५ रु० माहवार होगी।

(३) मौजूदा नियमों के मातहत फैमिली पेन्शन की मियाद १० साल है। लेकिन अब सरकारी कर्मचारी की विधवा को उसकी मौत होने तक या दुबारा शादी करने तक फैमिली पेन्शन दी जायगी। मरहूम कर्मचारी पर निर्भर अगर कोई बच्चे हों तो फैमिली पेन्शन उसके बेटे को १८ साल की उम्र तक दी जायगी। बेटा न हो तो फैमिली पेन्शन अविवाहित बेटी को २१ साल की उम्र तक दी जायगी। लेकिन फैमिली पेन्शन मरहूम कर्मचारी के परिवार के सिर्फ एक ही आदमी को मिलेगी।

(४) मौजूदा पेन्शनरों को राहत देने के लिये यह तय किया गया है कि १ अप्रैल, १६६४ से २५ रु० माहवारी तक पेन्शन पाने वालों की पेन्शन में ५ रु० माहवारी का आरजी इजाफा और कर दिया जायगा। लेकिन कुल पेन्शन ३० रु० से ज्यादा नहीं होगी।

(५) सरकार के समाजी हिफाजत के प्रोग्राम के मातहत Old age pensions की स्कीम शुरू करने का फैसला किया गया है। इस स्कीम की तफसील अभी बनाई जा रही है। इरादा यह है कि जिन आदमियों की उम्र ६५ साल या ज्यादा है और न तो उनकी रोजी का कोई जरिया है और न कोई उनकी परवरिश करने वाला है, उन्हें २० रु० माहवारी पेन्शन दी जायगी। यदि पति-पत्नी दोनों हों तो उन्हें २५ रु० माहवारी पेन्शन दी जायगी।

इस स्कीम पर खर्च होने वाली रकम का सही अन्दाजा अभी नहीं लगाया गया है। लेकिन अगले साल के बजट में इस मद में २५ लाख रुपया रखा गया है। यह स्कीम इससे पहले ही शुरू हो जानी चाहिये थी, लेकिन रुपये की तंगी की वजह से ऐसा नहीं किया जा सका। अच्छा तो यह था कि इस मामले पर भारत सरकार कुल भारत के आधार पर गौर करती। और देश की समाजी व्यवस्था को बदलने की राष्ट्रीय नीति के ऐतबार से सारे भारत में यकसां रायज होने वाली कुछ स्कीमों पर अमल करती। मौजूदा स्कीम इस दिशा में एक छोटा—सा कदम है। इस दिशा में बहुत बड़े पैमाने पर कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन यह केन्द्रीय सरकार के उदार सहयोग के बिना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके पास साधनों की कमी नहीं है।

अपना भाषण खत्म करने से पेश्तर मैं सदन को फिर याद दिलाना चाहता हूं कि आने वाला साल तीसरी पांच-साला योजना का चौथा साल होगा। हमारी अर्थ-व्यवस्था में इस वक्त कई अलामतें हैं। इन अलामतों को देखते हुए अगले साल हम सबको आजमायशों और मुसीबतों के दौर से गुजरना पड़ेगा और हर एक को थोड़ी-बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं मालूम होती कि विकास का जो प्रोग्राम हमने अपने सामने रखा है, उसे हर कीमत पर पूरा करना लाजिमी है। फिर इसके लिये चाहे कितनी ही कुर्बानियां देनी पड़ें। आर्थिक विकास के बिना

(श्री बालकृष्ण कौल)

हम अपने देश को खुशहाल नहीं बना सकते। जिस संकट में से हम गुजर रहे हैं वह विकास का संकट है और साधनों का संकट है। हमको चाहिये कि पैदावार बढ़ायें और योजना के लिये जरूरी साधन जुटायें। अगर हम लोगों में अनुशासन और लगन की भावना हुई तो मुझे यकीन है कि हम अपने मकसद हासिल कर सकेंगे, क्योंकि मेरी राय में इन्हें हासिल करना, बूते से बाहर की बात नहीं है।

हमको कामयाबियों का लम्बा रास्ता तय करना है, और सालाना बजट इस बड़ी कूच की एक बहुत ही छोटी घटना होती है। हमारी जनता अब यह महसूस करने लगी है कि हमारी कामयाबी हमारे खुद के ऊपर ही निर्भर है, खुद हमारी ही ताकत और अक्लमन्दी पर निर्भर है, खुद हमारी ही एकता और सहयोग पर निर्भर है और खुद हमारी ही भावना और साबितक़दमी पर निर्भर है। दूसरा कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता।

श्रीमान्, इन शब्दों के साथ मैं १९६४-६५ का बजट पेश करता हूं।

(६.३७ म० प०)

श्री उपाध्यक्ष : विधेयकों का पुरः-स्थापन।

पुरः स्थापित विधेयक

(१) राजस्थान टैक्सेशन लॉज़ (संशोधन) विधेयक, १९६४।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टैक्सेशन लॉज़ (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान टैक्सेशन लॉज़ (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६४ को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

(२) राजस्थान अर्बन लैण्ड टैक्स विधेयक, १९६४।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष, मैं राजस्थान अर्बन लैंड टैक्स बिल, १९६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अर्बन लैंड टैक्स बिल, १९६४ को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई

श्री बरकतुल्ला खां : मैं बिल को पुरः स्थापित करता हूं।

(३) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, १९६४

उपाध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेन्ट (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६४ को पुरः

(श्री बरकतुल्ला खां)

स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेन्ट (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६४ को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं बिल को पुर: स्थापित करता हूं ।

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६४ को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६४ को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं बिल को पुर: स्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक सोमवार, दिनांक ९.३.६४ को प्रात: ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की बैठक म. प. ६.४० बजे दिनांक ९ मार्च, १९६४ के प्रात: बजे तक के लिये स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, दिनांक ६ मार्च, १६६४ (सायंकालीन बैठक))

स्कम्भ स्कम्भ

वार्षिक वित्तीय विवरण १६६४-६५ के सम्बन्ध में वित्त मंत्री का भाषण तथा राज्य के आयव्ययक (बजट), १६६४-६५ का उपस्थापन ।

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री, ने राजस्थान राज्य के प्राक्कलित आय और व्यय के विवरण (आयव्ययक), १६६४-६५ का उपस्थापन किया ।

पुरः स्थापित किये गये विधेयक ।

निम्नांकित विधेयक, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, पुरः स्थापित किये गये :-

(१) राजस्थान टैक्सेशन लॉज़ (संशोधन) विधेयक, १६६४ ।

(२) राजस्थान अर्बन लैण्ड टैक्स विधेयक, १६६४ ।

(३) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, १६६४ ।

(४) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १६६४ ।

सोमवार, दिनांक ६ मार्च, १६६४ की कार्य-सूची ।

१. अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १६६३-६४ (द्वितीय संग्रह) पर मतदान ।

१. अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १६६३-६४ (द्वितीय संग्रह) से संबंधित विधेयक का पुर: स्थापन, उस पर विचार तथा उसका पारण ।

*शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक ६ मार्च, १९६४)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	९	(वित्त मंत्री)	(वित्त मंत्री)
११	शीर्षक	आय व्वयक १९६४–६५	आय-व्ययक १९६४–६५
१७	शीर्षक	आय········१९६४–६५	आय-व्ययक १९६४–६५
,,	शीर्ष	————	(श्री बालकृष्ण कौल)
२३,२५ व ३१	,,	(श्री बलिकृष्ण कोल)	(श्री बालकृष्ण कौल)
२५	शीर्षक	आय व्ययक १९३४–६५	आय-व्ययक १९६४–६५
२९-३०	,,	३ मार्च, ६४–	६ मार्च, ६४–
३१-३२	,,	५ मार्च, ६४–	६ मार्च, ६४–
३९	३	४. राज़स्थान	४. राजस्थान
४९	४ के सामने	—— —	१
,,	१६ के सामने	—— —	४५
,,	२० ,, ,,	—— —	४५
५०	३ ,, ,,	—— —	४६
,,	५ ,, ,,	—— —	४६
,,	७ ,, ,,	—— —	४७

* नोट :—विस्तृत शुद्धि-पत्र पृथक से बाद में मुद्रित होगा।